

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए

आय स्वैच्छया प्रकटन योजना, 1997

संघ सरकार
(प्रत्यक्ष कर)
2000 की संख्या 12 ए



विहंगावलोकन

वित्त मंत्री ने आय स्वेच्छया प्रकटन योजना, 1997 को 1 जुलाई 1997 से प्रभावी करते हुए लागू की। इस योजना ने उन लोगों को जिन्होंने पूर्व समय में कर अपवचन किया है, अपनी अप्रकटित आय को घोषित करके ईमानदार व जिम्मेवार नागरिक के रास्ते पर लौटने का एक अवसर प्रदान किया है। यह योजना बहुत सरल और संचालन करने में आसान कहीं गई थी।

योजना की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि योजना बहुत जटिल थी क्योंकि योजना के प्रलेख में अनेक कमियां थी जो के.प्र.क.बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्रों, अधिसूचनाओं और प्रेस साराक्षों द्वारा ओर बढ़ गई और वे सभी बिल अधिनियम 1997 के उपबंधों के विवरित थी। इन्होंने घोषणाकर्ताओं को एक बहुत बड़े स्तर पर ज्वेलरी, सोना, शेरों और वास्तविक सम्पदा के अवमूल्यन द्वारा दुरुपयोग करने और पूंजी हानियों को भविष्य की आय के साथ मुजरा करने का अवसर प्रदान किया।

अयोग्य व्यक्तियों द्वारा लाभ लेने का पता लगा और उनके बाद के निर्धारणों को भी योजना का लाभ देते हुए संक्षिप्त रीति से स्वीकार किया गया। के.प्र.क.बोर्ड ने भी ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के वर्गों का सृजन किया जो अधिनियम में नहीं थे जैसे अवस्यकों द्वारा बेनामी घोषणाओं को मान्य किया गया। निबल प्रभाव यह है कि राजस्व में हुई तत्काल वृद्धि अगले कुछ ही वर्षों में निष्प्रभावी हो जायेगी। ओर फिर संसद को इन प्रपत्रों और अधिसूचनाओं के बारे में सूचित नहीं किया गया यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत यह करना आवश्यक था।

विभाग के द्वारा आ.स्वे.प्र.यो. के बाद की कार्यवाही की गई दिखाई नहीं दी। जिससे घोषणाकर्ताओं के मामलों पर निगरानी नहीं रखी गई ओर आयुक्त निर्धारण अधिकारियों को सूचनाओं में सम्मिलित करने में विफल रहे। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि अधिकांश निर्धारण संक्षिप्त रीति से पूर्ण किये गये। योजना के क्रियान्वयन में अनेकों अनियमितताये जैसे बहुतविधि घोषणाएं निर्धारण स्तर पर पिछले तीन वर्षों में परिशोधित नहीं की जा सकी जिससे घोषणाकर्ताओं को अनभिप्रेत लाभ हुए।

घोषणाकर्ताओं के खोज खबर रखने वाले अधिलेखों से पता चला कि उन्होंने पूर्व की एमनेस्टी योजना का लाभ भी लिया था। कुछ वाणिज्य घरानों और पारिवारिक वर्गों ने भारी अलेखांकित आय घोषित की जिससे विभाग की सामान्य कर संग्रहण के दौरान इतने बड़े वर्गों को उचित रूप से निर्धारण न करने की विफलता का संकेत मिला।

योजना राजस्व के हित में नहीं थी ओर इसने बेईमान व्यक्तियों को रुचिकर दरों पर कर भुगतान करने और आय छुपाने की पुरानी आदत से मुक्त होने का एक ओर अवसर दिया।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	1-2
अध्याय 1-प्रशासन और योजना के परिणाम	3-17
योजना के अन्तर्गत की गई घोषणाओं का विश्लेषण	3
सांख्यिकीय आंकड़े	3
घोषणा में दस बड़े शहर	4
अप्रकटित आय की रेंज	5
घोषित परिसम्पत्तियों की रूपरेखा	5
घोषणाकर्ताओं की भौगोलिक रूपरेखा	6
आ. स्वे.प्र.यो. की पूर्व एमनेस्टी योजनाओं से तुलना	7
घोषणाकर्ताओं की रूपरेखा	8
घोषणाओं का माहवार विश्लेषण	8
आयुक्त प्रभागों में घोषणाओं का विश्लेषण	10
संसद को रिपोर्ट करना	12
गोपनीयता शर्त की प्रयुक्तता	14
अध्याय 2-कानून और नीति सम्बन्धी मुद्दे	18-36
प्रॉरेन्टा प्रमाणपत्र	18
अपीलीय मामलों का पुर्ननिर्धारण	21
निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए की गई घोषणाएं	23
अवयस्कों द्वारा घोषणाएं	30
अध्याय 3-परसम्पत्तियों द्वारा प्रदर्शित अप्रकटित आय	37-70
ज्वैलरी का मूल्यांकन	37
सोने (बुलियन) का मूल्यांकन	47
चाँदी/चाँदी के वर्तनों/वस्तुओं का मूल्यांकन	52
वास्तविक सम्पदा सम्पत्ति की घोषणाएं	58
दूसरों से ऋणों एवं उधार और अग्रिमों की घोषणाएं	62
शेयरों और ऋण पत्रों की घोषणाएं	65
स्टाक ओर सम्पत्ति सूची का विश्लेषण	68
अध्याय 4-योजना का क्रियान्वयन	71-97
असमर्थताएं - अयोग्य घोषणाकर्ता	71
बहुविधि घोषणाएं	82
विदेशों में रखी ज्वैलरी की घोषणाएं	84
1962-63 से पूर्व निर्धारण वर्षों की घोषणाएं	86
शामिलात निर्धारण वर्षों की घोषणाएं	89
योजना की धारा 68(2) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करना	91
प्रमाण पत्र जारी किये गये यद्यपि कोई कर भुगतान नहीं हुआ	94

घोषित राशि का निर्धारण न होना यद्यपि कर भुगतान नहीं किया गया	95
रजिस्ट्रो का अनुचित रखरखाव	96
अध्याय 5-घोषणाकर्ताओं की रूप रेखा	98-120
योजना में शामिल नये निर्धारिती	98
आ.स्वै.प्र.यो. - 97 में शामिल एमनेस्टी योजना, 1985 के घोषणाकर्ता	101
घोषणाकर्ताओं के खोज खबर रखने वाले अभिलेख	105
बड़े घोषणाकर्ताओं का विश्लेषण	108
व्यापारी एवं पारिवारिक वर्ग	111
सैक्टरों एवं व्यवसायिकों का विश्लेषण	112
बहु उद्देशीय राष्ट्रीय कम्पनियों के कर्मचारी	114
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रकटन	117
परिसमापन में हुई कम्पनियां	119
अध्याय 6- सारांश	121-125
अनुलग्नक	I-XIX

प्रस्तावना

आय स्वैच्छया प्रकटन योजना, 1997 (आ.स्वै.प्र.यो.) वित्त अधिनियम, 1997, के द्वारा लागू की गई और 1 जुलाई 1997 से अधिसूचना सं. एस ओ 435 (ई) [फ सं. 142/47/97-टी पी एल] दिनांक 9.6.97 द्वारा प्रभावी हुई। उसी अधिसूचना में आय स्वैच्छा प्रकटन नियम, 1997 (अधिनियम का मूल भाषा, अनुलग्नक क और ख) में नियम भी हैं।

योजना के उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सैक्टरों में निधियों को संचालन करने एवं स्रोतों को गतिशील बनाने हेतु, काले धन से प्राप्त आय को उजागर करने एवं भूतपूर्व कर अपवंचकों को ईमानदार और जिम्मेवार नागरिक के रास्ते पर लौटने का अवसर प्रदान करना है।

योजना लागू करते हुए वित्त मंत्री के भाषण, योजना के उपबन्धों पर परिपत्र सं. 753 दिनांक 10.6.97 में व्याख्यात्मक टिप्पणियों में एवं के.प्र.कर बोर्ड के परिपत्र, अधिसूचनाएं, प्रश्नों के स्पष्टीकरण और प्रैस सार, योजना संचालन में महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

योजना के उपबन्धों, अधिसूचनाओं, नियमों और योजना के संचालन एवं भावी निर्धारण वर्षों में राजस्व पर होने वाले इसके संभावित प्रभावों की जाँच करने के लिए लेखा परीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वित्त अधिनियम 1997 की धारा 72(2) क शर्तों के अनुसार योजना की लेखापरीक्षा की गई जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए घोषणाप्रपत्रों को देखने का विशेष प्रावधान है।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

चूँकि घोषणाओं में घोषणाकर्ताओं के बारे में बहुत कम सूचनाएं दी हुई हैं और सूचनाओं की गोपनीयता का ध्यान रखा गया है। अतः उद्देश्यों, डेटा बेस के विश्लेषणों एवं नियमित आय विवरणियों की क्रियान्वयन करने और योजना के भावी प्रभावों के बारे में लेखापरीक्षा की जा सकी।

लेखा परीक्षा के क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा सूचना संग्रहण करने के लिए लगभग 100 फील्डों वाली विशेष रूप से डिजाइन की गई इनपुट शीट प्रयोग की गई। अतिरिक्त सूचनाएं घोषणाकर्ताओं के फोल्डर्स से संभावित कम्प्यूटरीकरण कराने के लिए नोट शीटों पर

उद्धरण की गई। लगभग 12 लाख इनपुट शीटों को एवं डेटा बेस परिवर्तित करने के लिए स्केन किया गया।

घोषणाकर्त्ताओं के नाम व पते, ज्वैलरी को मूल्यांकन कराने, तलाशी और जब्तियों के मामलों में नोट शीट पर प्रविष्टियां कराने, कम्पनियों के निदेशकों के नाम व पतों आदि के लिए पृथक डेटा बेस तैयार किये गए। इनको विश्लेषित किया गया।

आय कर आयुक्त वार 100 घोषणाकर्त्ताओं का सूक्ष्म विश्लेषण और दूसरे डेटा का सत्यापन लेखापरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया।

डेटा के विश्लेषण, क्षेत्रीय कार्य व दूसरी फाइलों व निष्कर्षों पर आधारित लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

निष्कर्षों का वर्गीकरण का क्रम

यह प्रतिवेदन निम्न क्रम में वर्गीकृत किया गया है।

अध्याय 1 आ.स्वै.प्र.यो. घोषणाकर्त्ताओं के साँख्यकीय आंकड़े जैसे घोषित राशि, प्रदत्त कर, भौगोलिक स्थिति, परिसम्पत्तियां और निर्धारितियों की रूपरेखा एवं कतिपय मामलों को प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 में योजना से जुड़े कानूनी मुद्दों और योजना के उपबन्धों और नियमों में कमियों का उल्लेख किया गया है।

अध्याय 3 में परिसम्पत्तियों द्वारा प्रदर्शित अप्रकटित आय का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक प्रकार की परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित योजना में खामियों, कर बोर्ड के स्पष्टीकरणों का प्रभाव और भविष्य में राजस्व पर प्रेस् को दी गई जानकारी भी वर्णित की गई है।

अध्याय 4 में योजना को कार्यान्वित करने वाले प्रक्रियात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। तलाशी और जब्तियों से सम्बन्धित प्रावधानों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की घोषणाएं, आर्थिक दोषों और दूसरी असमर्थताओं को विभाग द्वारा स्वीकार करना पाया गया है।


अध्याय 5 में एक नमूना जाँच आधार पर घोषणाकर्त्ताओं के ट्रैक अभिलेखों की रूपरेखा पूर्व आ.स्वै.प्र.यो. एवं पाश्च आ.स्वै.प्र.यो. क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा दी गई है। प्रभावी सैक्टरों और व्यवसायों को जिनमें काला धन उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है, भी दर्शाया गया है।

अध्याय 6 में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का सारांश दर्शाया गया है।

अध्याय 1

प्रशासन और योजना के परिणाम

- योजना के अन्तर्गत की गई घोषणाओं का विश्लेषण
- सांख्यिकीय आंकड़े
- घोषणा में दस बड़े शहर
- अप्रकटित आय की रेंज
- घोषित परिसम्पत्तियों की रूपरेखा
- घोषणाकर्ताओं की भौगोलिक रूपरेखा
- आ.स्वै.प्र.यो. प पूर्व क्षमादान योजनाओं के साथ तुलना
- घोषणाकर्ताओं की रूपरेखा
- घोषणाओं का माहवार विश्लेषण
- आयुक्त प्रभागों में घोषणाओं का विश्लेषण
- संसद को रिपोर्ट करना
- गोपनीयता की शर्त



अध्याय 1

प्रशासन और योजना के परिणाम

1.1 योजना के अन्तर्गत की गई घोषणाओं का विश्लेषण

वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले वर्षों में कर अपवंचन किया है, अपनी अप्रकटित आय को घोषित करके ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक के रास्ते पर लौटने का एक अवसर प्रदान करने के लिए आय स्वेच्छया प्रकटन योजना (आ.स्वै.प्र.यो.) लागू की गई।

वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 65 (1) के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र में घोषित कर्ता को अपने नाम सहित अपनी प्रास्थिति, पैन/जी आई आर संख्या, निर्धारण वार्ड, आवासीय एवं कार्यालय पता और अन्य विवरण जैसे घोषित परिसम्पत्तियों की राशि और स्वरूप एवं सम्बन्धित निर्धारित वर्ष एवं घोषणा की तारीख और प्रदत्त कर का विवरण देना आवश्यक था। यह सूचना घोषणा प्रपत्रों से उद्धृत करके डेटा बेस में संग्रहित की गई थी जिसका इस योजना के अन्तर्गत घोषणा कर्ताओं की सार्वभौमिक तस्वीर जानने के लिए विश्लेषण किया गया था।

1.2 सांख्यिकीय आंकड़े

राज्यों के संदर्भ में घोषणाओं का व्यापक विश्लेषण निम्नवत दर्शाया गया है

(करोड़ रुपये में)

राज्य	घोषणाकर्ताओं की संख्या	घोषित राशि	कुल प्रदत्त कर	प्रदत्त ब्याज
आन्ध्र प्रदेश	20701	1747.75	388.74	6.46
आसाम	8269	249.71	75.12	0.20
बिहार	9306	441.13	131.90	1.06
दिल्ली	38217	4026.39	1205.29	6.91
गुजरात	46786	3295.18	975.01	7.15
हरियाणा	4775	310.43	92.82	0.96
हिमाचल	912	57.37	17.54	0.13
जम्मू एवं कश्मीर	1125	74.32	22.26	0.29
कर्नाटक	25846	2566.53	592.24	6.72
केरल	6249	447.09	133.82	2.91
मध्य प्रदेश	21211	1007.54	300.10	1.68
महाराष्ट्र	116631	9639.30	2877.28	21.14
उड़ीसा	4092	177.07	52.90	0.51
पंजाब	25249	1440.66	430.26	1.91
राजस्थान	21285	923.86	277.75	1.46
तमिलनाडू	37644	2839.00	832.54	9.30
चण्डीगढ़	2047	130.24	39.34	0.33
उत्तर प्रदेश	32342	1935.23	576.30	2.45
पश्चिम बंगाल	52790	2388.52	707.83	2.87
	4,75,477	33697.32	9729.02	74.44

आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चला कि योजना में कुल 4,75,477 घोषणा कर्ता शामिल हुए। इनमें से 3,315 घोषणाकर्ताओं ने कोई कर नहीं दिया, अतः प्रभावी रूप से घोषणाकर्ताओं की संख्या 4,72,162 थी। वर्ष 1997-98 में घोषणाकर्ताओं की आनुपातिक संख्या विभागीय पुस्तकों में दर्शायी गई निर्धारितियों की कुल संख्या के प्रति (1,31,67,736) मात्र 3.61 प्रतिशत थी।

घोषित परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण मूल्य 33,697.32 करोड़ रुपये था और सम्पूर्ण प्रदत्त कर 9,729.02 करोड़ रुपये था। घोषित परिसम्पत्तियों की प्रति व्यक्ति राशि 7.09 लाख रुपये थी जब कि प्रति व्यक्ति प्रदत्त कर 2.05 लाख रुपये था।

कर के देर से प्रतिदायों के लिए 74.44 करोड़ रुपये का ब्याज लगाया गया जिसका 28.40 प्रतिशत महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ।

1.3 घोषणा में दस बड़े शहर

विभिन्न नगरों और आयकर आयुक्तों के प्रभारों में घोषणाओं के फिर से गहन विश्लेषण से निम्न तथ्यों का पता चला:

(करोड़ रुपए में)

नगर	घोषणाकर्ताओं की संख्या	घोषित राशि
1. मुंबई	71011	6764.89
2. कलकत्ता	49894	2324.91
3. दिल्ली	38217	4026.39
4. चेन्नई	19939	1613.08
5. अहमदाबाद	19334	1346.53
6. बेंगलौर	13472	1748.23
7. सूरत	12967	1074.14
8. हैदराबाद	12769	1395.00
9. लुधियाना	11041	669.98
10. नासिक	10790	574.71
जोड़	2,59,434	21537.86

उपरोक्त घोषणा में दस बड़े शहरों में आ.स्वै.प्र.यो के अन्तर्गत देश भर में कुल घोषणाकर्ताओं की संख्या का 55 प्रतिशत था और उनकी सम्पूर्ण घोषित राशि कुल घोषित राशि की 64 प्रतिशत थी।

1.4 अप्रकटित आय की रेंज

योजना के अन्तर्गत अप्रकटित आय की रेंज ओर प्रदत्त कर अथवा अप्रदत्त कर का चित्रण निम्नवत है:-

(करोड़ रुपए में)

रेंज	घोषणाकर्ताओं की संख्या	घोषित राशि	प्रदत्त कर	अप्रदत्त कर
>=1 करोड़ रु	2,037	6,068.21	1,479.68	416.46
>=75 लाख रु लेकिन < 1 लाख रु	1,151	976.71	293.31	6.36
>= 50 लाख रु लेकिन < 75 लाख रु	3,242	1,896.27	566.81	11.92
>= 25 लाख रु लेकिन < 50 लाख रु	12,477	4,133.07	1,233.27	20.98
>=25 लाख रु	4,56,570	20,623.06	6,155.95	59.98
जोड़	4,75,477	33,697.32	19,728.02	515.70

1.4.1 आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषित आय की रेंज के विश्लेषण से पता चलता है कि घोषणा के मात्र 0.43 प्रतिशत ने ही एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की आय प्रकटित की। तथापि, उनके द्वारा प्रकटित राशि आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत कुल प्रकटित राशि की 18 प्रतिशत थी। घोषणाकर्ताओं के इस वर्ग ने योजना के अन्तर्गत कुल संग्रहित कर का 15.21 प्रतिशत अदा किया लेकिन 80 प्रतिशत कर अदायगी न करने के उत्तरदायी भी रहें। एक व्यक्ति द्वारा 257.96 करोड़ रुपये तक की अधिकतम घोषणा की गई लेकिन उसने कोई कर अदा नहीं किया।

1.4.2 घोषणाकर्ताओं की अधिकतम संख्या (96 प्रतिशत) 25 लाख रुपये से कम रेंज में थी और योजना के अन्तर्गत घोषित राशि के 61 प्रतिशत का लेखांकन किया गया। इस संवर्ग ने योजना के अन्तर्गत अधिकतम राशि का कर भी दिया। कर भुगतान में 283.33 करोड़ रुपये तक की अधिकतम राशि की गिरावट प्रति व्यक्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक प्रकटित करने वाले सबसे बड़े घोषणाकर्ताओं के वर्ग में दृष्टिगोचर हुई।

1.5 घोषित परिसम्पत्तियों की रूप रेखा

विस्तृत संवर्ग जिनमें सूचनाएं संग्रहित की गईं और डेटा बेस तैयार किया गया निम्नवत दर्शायी गई है:-

¹ विभाग के आंकड़े 9554.25 करोड़ रुपए हैं। घोषणाकर्ताओं द्वारा कर का भुगतान करने के लिए आ.स्वै.प्र.यो. चालानों की बजाय नियमित चालानों के उपयोग के कारण अन्तर हो सकता था।

परिसम्पत्ति का प्रकार	घोषित राशि (रुपये करोड़ में)	कुल का प्रतिशत
जेवरात (नि.वर्ष 1987-88 से पूर्व से)	7,812.48	23.26
जेवरात (नि.वर्ष 1987-88 से)	4,591.88	13.67
वास्तविक सम्पदा	1,703.68	5.07
चांदी	292.08	0.87
सोना	368.35	1.10
नकद	16,823.33	50.09
शेयर	462.43	1.38
स्टॉक	346.74	1.03
दूसरों से देय ऋण	266.20	0.70
गाड़ियां	34.94	0.11
कर्जे और अग्रिम	246.56	0.73
असामान्य	637.15	1.90
जोड़²	33,585.82	

1.5.1 कुल घोषित परिसम्पत्तियों का 50 प्रतिशत नकदी उसके बाद 12,404.36 करोड़ रुपये की राशि के ज्वैलरी अथवा कुल घोषित राशि का 37 प्रतिशत मिला। आंकड़ों में चाँदी और सोने द्वारा प्रदर्शित बेहिसाब आय असाधारण रूप से कम दिखाई गई है।

1.5.2 फिर से विश्लेषण करने से पता चला कि कुल घोषणा कर्ताओं में से अधिकतर मामलों (3,09,081) में ज्वैलरी घोषित की गई, उसके बाद (2,40,193) मामलों में नकद धन की घोषणा की गई जब कि केवल 1,926 व्यक्तियों ने गाड़ियां घोषित की।

1.5.3 शालों, फर्नीचर और जुड़नारों, कारपेटों, रिवाल्वर्स, गिरवी वस्तुओं, साड़ियों, एयर कण्डीशनरों, टैलीविजन सैटों, रेफ्रीजरेटरों आदि को असामान्य मर्दें माना गया। ये वस्तुएं कुल घोषित परिसम्पत्तियों की लगभग 2 प्रतिशत थी।

1.6 घोषणाकर्ताओं की भौगोलिक रूप रेखा

1.6.1 पश्चिमी प्रदेशों के राज्यों के अन्तर्गत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और



गुजरात में कुल घोषणाकर्ताओं (2,05,934) का 43.31 प्रतिशत, उसके बाद पूर्वी क्षेत्र (22.46 प्रतिशत), दक्षिणी क्षेत्र (19.02 प्रतिशत) और उत्तरी क्षेत्र (15.21 प्रतिशत) था। घोषणाकर्ताओं की राज्यवार संख्या में महाराष्ट्र सबसे ऊपर उसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात रहे। महाराष्ट्र में सबसे

² परिसम्पत्तियों की कुल राशि तथा घोषित कुल राशि के बीच अन्तर घोषणाकर्ताओं द्वारा वी डी आई स्कीम के फार्म के कालम 5 में परिसम्पत्तियों के आंकड़ों के गलत दर्शाए जाने के कारण हैं।

अधिक घोषित राशि (28.7 %) और अधिकतम कर संग्रहण (29.57 %) हुआ उसके बाद दिल्ली और गुजरात रहे, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यद्यपि पश्चिम बंगाल में अधिक व्यक्तियों ने योजना को चुना, फिर भी प्रति व्यक्ति अप्रकट आय सापेक्ष रूप में कम रही। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में जहाँ घोषणा कर्ताओं की संख्या सबसे कम थी तदनुसार घोषित राशियां व कर संग्रहण भी सबसे कम था। आ.स्वै.प्र.यो. से संग्रहण ज्यादातर 1997-98 के प्रत्यक्ष करों के सामान्य संग्रहणों के अनुरूप था जब कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक संग्रहण (27.93 %) उसके बाद दिल्ली, तमिलनाडू, गुजरात और पश्चिम बंगाल के थे। (घोषणा कर्ताओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक 1.1 में दिया हुआ है।)

1.6.2 लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि घोषित परिसम्पत्तियां निर्धारण वर्ष 1962-63 से 1997-98 से सम्बन्धित थी। और फिर घोषणाएं निर्धारण वर्ष 1932-33 के पूर्व तक की परिसम्पत्तियों से भी सम्बन्धित थी। विश्लेषण से पता चला कि अनेकों निर्धारितियों ने निर्धारण वर्ष 1975-76 तक की अवधि की घोषणाएं की थी जब आय स्वैच्छया प्रकटन एवं धनकर योजना, 1975 घोषित की गई थी। निर्धारण वर्ष 1976-77 और निर्धारण वर्ष 1986-87 की अवधि के बीच की घोषणाएं भी पाई गई जहाँ एमनेस्टी योजना, 1985 घोषित हुई थी। ये निर्धारिती पूर्व क्षमादान योजना के अन्तर्गत भी घोषणा कर सकते थे इससे प्रतीत होता है निर्धारितियों ने अपनी पूर्व वर्षों की आय को प्रकट करने के लिए वर्तमान योजना को कर की निम्न दरों का लाभ लेने के आशय से चुना।

1.7 आ.स्वै.प्र.यो. व पूर्व क्षमादान योजनाओं के साथ तुलना

आ.स्वै.प्र.यो. का पूर्व क्षमादान योजनाओं के साथ तुलना करने से पता चला कि यद्यपि अकेली आ.स्वै.प्र.यो. पूर्व पाँच क्षमादान योजनाओं के कुल संग्रहणों से 12 गुना अधिक थी फिर भी सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) के आंकड़ों के प्रति आ.स्वै.प्र.यो. के संग्रहणों का अनुपात पूर्व योजनाओं के मुकाबले केवल मामूली सा अधिक था। इसके अतिरिक्त विद्यमान निर्धारितियों में घोषणाकर्ताओं के प्रतिशत (3.6) से 1975 और 1985 की क्षमादान योजनाओं में क्रमशः 6.8% एवं 33 % की प्रकटित गिरावट दिखाई दी जिससे परिलक्षित होता है कि तुलनात्मक रूप से योजना नियमित निर्धारितियों को आकर्षित करने में विफल रही है यद्यपि योजना के अन्तर्गत कर की निम्न दर एवं प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी। तथ्य यह है कि अधिकांश आय कर निर्धारण संक्षिप्त रीति से निपटाए जाते हैं तथापि निर्धारिती अपनी अलेखांकित परिसम्पत्तियों को एक योजना के अन्तर्गत प्रकट करने के बजाए गुप्त रखना पसन्द करता है। कर प्राधिकारी उस पर ध्यान केन्द्रित करें।

आ.स्वै.प्र.यो. के साथ पूर्व क्षमादान योजनाओं की तुलनात्मक स्थिति अनुलग्नक 1.2 में दी हुई है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि आ.स्वै.प्र.यो. सभी व्यक्तियों के लिए थी चाहे वो विद्यमान कर दाता हों अथवा ऐसे व्यक्ति हो जो आयकर विभाग के रजिस्ट्रों में दर्ज न हो। योजना का आशय सभी व्यक्तियों को अनुमत करना था जिन्होंने पूर्व समय में अपनी

आय घोषित न की हो और देय दर से कर न दिया हो। आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत संग्रहण की तुलना पूर्व की क्षमादान योजनाओं के साथ इसी संदर्भ में की जाए।

मंत्रालय का उत्तर तर्कयुक्त नहीं है। वास्तविकता यह है कि आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत व्यक्तियों की उपयुक्तता के लिए निर्धारित शर्तें पूर्व क्षमादान योजनाओं के समान थीं अतः आ.स्वै.प्र.यो. के संग्रहणों की तुलना स.घ.उ. आंकड़ों के साथ करना ही पूर्व क्षमादान योजनाओं के संदर्भ में योजना की सफलता के मापने का एक उचित मापदण्ड है।

1.8 घोषणाकर्ताओं की रूपरेखा

1.8.1 योजना के अन्तर्गत घोषणाकर्ताओं की विस्तृत रूपरेखा उनकी संरचना समझने के लिए नीचे दी हुई है:-

(रुपये करोड़ों में)

घोषणाकर्ताओं की श्रेणी	संख्या	घोषित राशि
व्यष्टि एवं हि.अवि.कु.	4,60,789	30,746.75
फर्मों	9,980	1,036.06
कम्पनियों	3,109	1,654.62
अन्य	1,599	2,59.87
जोड़	4,75,477	33,697.32

यह देखा गया कि लगभग 96.9 प्रतिशत घोषणाकर्ता व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (हि.अवि.कुटु.) थे और मौद्रिक रूप में घोषित परिसम्पत्तियों की प्रमात्रा इस श्रेणी में (91 प्रतिशत) सबसे अधिक था। हि.अवि.कुटु. घोषणा कर्ताओं की कुल संख्या के केवल 11.6 प्रतिशत थी।

1.8.2 कुल 4,75,477 घोषणाकर्ताओं में से केवल 3,109 घोषणाकर्ता (0.65%) कम्पनियाँ थीं। कम्पनियों द्वारा घोषित परिसम्पत्तियाँ 1654.62 करोड़ रुपये रही जो कि योजना के अन्तर्गत प्रकटित परिसम्पत्तियों का मात्र 4.91 प्रतिशत था। अधिकांश कम्पनियाँ नियमित आयकर विवरणियाँ दाखिल नहीं करती हैं, यह आशा थी कि आ.स्वै.प्र.यो. निगमित निकायों को आकर्षित करेगी। गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत महाराष्ट्र में घोषित कम्पनियों की संख्या अधिकतम थी। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा से पाँच-पाँच कम्पनियाँ और 4 कम्पनी हिमाचल प्रदेश से घोषित की गई थी।

1.9 घोषणाओं का माहवार विश्लेषण

1.9.1 आ.स्वै.प्र.यो.-97 बड़े शोर के साथ समर्थित मीडिया द्वारा कर बकायेदारों को अपनी अलेखांकित आय व धन को कर प्रयोजनार्थ घोषित करने का अभियान चलाने के लिए प्रारम्भ की गई थी। योजना के अन्तर्गत घोषणाओं का प्रभाव किसी भी कारण से

एक समान नहीं हो सकता था और यह अभिस्वीकृति थी कि प्रवाह अनेकों धारकों एवं परिस्थितियों पर निर्भर था।

फिर भी विभाग में प्राप्त आ.स्वै.प्र.यो. में घोषणाओं के विश्लेषण करने का प्रयास का लेखापरीक्षा द्वारा तैयार कम्प्यूटरीकृत डेटा बेस के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के लिए चुने गए पैरामीटर संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं।

- योजना में प्रतिमाह हुई घोषणाओं का प्रवाह
- प्रवृत्ति और अन्तरो के लिए उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों से संभाव्य कारणों को अभिनिश्चित करना
- घोषणाओं के प्रवाह में अधिसूचनाओं, परिपत्रों और प्रेस सार के संभावित प्रभावों का अध्ययन
- अधिसूचनाओं के अन्तर्विषय को यह अभिनिश्चित करने के लिए जाँच करना कि विभाग ने चूककर्ताओं को प्रलोभन देने के लिए जारी प्रेस सारों को ठीक से परखा है।

1.9.2 घोषणाओं की प्राप्तियों की माहवार स्थिति निम्न सारिणी में दिखाई गई है।

(करोड़ रुपये में)

माह	घोषणाओं की संख्या	घोषित राशि
जुलाई	1878	391.28
अगस्त	4319	949.82
सितम्बर	9462	1445.64
अक्तूबर	16828	2147.18
नवम्बर	26251	2511.53
दिसम्बर	415866	26176.33
कोई विवरण नहीं	873	75.54
जोड़	4,75,477	33697.32

1.9.3 जैसा कि उपरोक्त सारिणी से विदित है, योजना के अन्तिम माह में घोषणाकर्ताओं की भारी भीड़ थी। 26,176.33 करोड़ रुपये की समस्त घोषित धनराशि निर्धारितियों के 87 प्रतिशत को दर्शाती है।

योजना के अन्त में इस भीड़ का मधुर सत्य यह था कि निर्धारित योजना में घोषणा करने या न करने से पहले योजना की प्रगति की प्रतीक्षा और निगरानी रख रहे थे। यद्यपि लेखापरीक्षा संवीक्षा से अतिरिक्त तथ्यों का पता चला जिन्होंने योजना के अन्त में घोषणाकर्ताओं की भीड़ लाने में असीम योगदान किया। इनकी झलक के.प्र.कर बोर्ड आय कर आयुक्तों और सरकार द्वारा जारी अनेकों अधिसूचनाएं, परिपत्रों और स्पष्टीकरणों जो सभी योजना के उपबन्धों के अनुसार नहीं थी, परिलक्षित होती है। इनकी प्रतिवेदन में पृथक से जाँच की गई है।

1.10 आयुक्त प्रभारों में घोषणाओं का विश्लेषण

कर प्रशासकों की प्रभावशीलता

1.10.1 एक उत्तरदायी कर प्रशासन निर्धारितियों से कुछ उपायों द्वारा जो मित्रवत, आकर्षक एवं कर दाताओं के लिए सरल हों, कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करता है।

यह अनिवार्य है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोगों की दिमागी सोच कि अलेखांकित आय को समाप्त करने के लिए अधिक असक्रिय कार्रवाईयों की बजाय प्रायः अधिक आवश्यक हो जाता है। कर प्रशासकों की प्रभावशालिता को नापने का रूढ़िवादी तरीका प्रत्येक मु.आ.आ./आ.आ. द्वारा अर्जित राजस्वों और प्रवाह के आधार पर लक्ष्यों को अवधारित करना है। आय कर अधिनियम और नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियां विभाग के आदेश पर जारी दस्तावेजों विशेषतः तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां, सर्वेक्षण कराने की शक्तियां, अदालती आदेश, मांग पत्र ओर नोटिस जारी करने की शक्तियां आदि और अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। इन उपबन्धों के बावजूद निर्विवाद तथ्य यह है कि पिछले वर्षों में अलेखांकित आय के आकार में वृद्धि हुई है। बार-बार क्षमादान योजनाएं इस संदर्भ में विभाग की विफलता की स्पष्ट सूचक हैं।

प्रभावी कर प्रशासन

आ.स्वै.प्र.यो.-1997 ने प्रत्येक क्षेत्र में बताई गई अलेखांकित आय के परिमाण की सफलता को अभिनिश्चित करने के लिए और पिछले दो वर्षों में आयकर विभाग द्वारा अर्जित राजस्व आँकड़ों को सन्निधि में रखने का अवसर प्रदान किया। यह विस्तृत रूप में दर्शाएगा कि क्या कर प्रशासन वास्तव में राजकोष के प्रति देय राशि की उगाही में प्रभावी था।

1.10.2 लेखापरीक्षा के कर प्रशासन की प्रभावशालिता के मूल्यांकन के प्रयास निम्न परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं (अनुलग्नक 1.3)

अपवादात्मक विपथन

- संवीक्षा के परिणामों से पता चला कि आ.स्वै.प्र.यो.97 के अन्तर्गत प्राप्त अलेखांकित आय देश में पिछले दो वर्षों में विभिन्न मु.आ.आ.प्रभारों द्वारा अर्जित औसत राजस्व की 94.6 प्रतिशत थी। तथापि निम्न मु.आ.आ. प्रभारों में अपवादात्मक विपथन दिखाई दिए जिनसे निष्कर्ष निकलता है कि ये प्रभार आय कर विभाग द्वारा अच्छी तरह से संचालित नहीं किए गए।

(करोड़ रुपये में)

मु.आ.आ. प्रभार	आ.स्वै.प्र.यो-97 के अन्तर्गत मिली आय	दो वर्षों का औसत ^x अर्जित राजस्व	औसत राजस्व के प्रति स्वै.ओ.प्र.यो का प्रयास
जयपुर	923.86	501.97	184.05
अहमदाबाद	3295.19	1878.64	175.40
चण्डीगढ़	2013.03	1164.47	172.87
लखनऊ	724.64	435.44	166.42
हैदराबाद	1747.75	1159.09	150.79

^x आयकर तथा निगम कर संलग्नों के सम्बन्ध में औसत वर्ष 1996-97 और 1997-98 हैं।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा कि आ.स्वै.प्र.यो. एक अपने आप में सम्पूर्ण योजना थी और सभी व्यक्तियों के लिए लागू थी चाहै कर दाता हों अथवा न हों। योजना के अन्तर्गत क्षेत्रवार संग्रहणों की आय कर अधिनियम के सामान्य संचालिन के अन्तर्गत पूर्व समय में हुए संग्रहणों के साथ तुलना करना कतई उचित नहीं है।

मंत्रालय के उत्तर में इस तथ्य को अनेदखा किया गया है कि कर प्रशासन की प्रभावत्मकता का मूल्यांकन करने में केवल नहीं प्रभार जो अपवाद थे, उजागर किया गया है। एक एमनेस्टी योजना में अलेखांकित आय का वृहद स्तर पर प्रकटित होना अनेकों वर्षों के कमजोर कर प्रशासन के कुसृष्टिवाद का रोगसूचक है जिसने विद्यमान निर्धारितियों को आय छूपाने की सामर्थ्य दी है।

जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 5.1.4.1 में बताया गया है कि केवल 16 प्रतिशत घोषणाकर्ता नये निर्धारित थे। अतः यह निष्कर्ष युक्तिसंगत है कि इन प्रभारों के विद्यमान निर्धारितियों ने मुख्यतः योजना के अन्तर्गत अपनी अप्रकटित आय को प्रकट करने का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 5.2 में उल्लेख किया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने पूर्व एमनेस्टी योजनाओं में भी घोषणाएं की थी अतः ऐसे व्यक्तियों के निर्धारणों की सम्बन्धित मु.आ.आ. प्रभार में अच्छी प्रकार से निगरानी रखने की संभावना थी।

1.10.3 आ.आ.प्रभारों के प्रति आ.स्वै.प्र.यो.97 के अन्तर्गत किए गए घोषणाओं की फिर से संवीक्षा करने से निम्न स्थिति पता चली:-

(करोड़ रुपये में)

आ.आ. प्रभार	घोषित राशि	स्वै.आ.प्र. यो संग्रहण	कुल संग्रहण		औसत संग्रहण	कालम 2 से 6 तक का प्रतिशत
			1996-97	1997-98		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूरत	1074.14	325.50	271.50	276.18	273.84	392.25
लुधियाना	669.98	200.13	219.04	NA	219.04	305.87
जालंधर	260.46	76.78	89.58	81.19	85.38	305.05
आगरा	391.60	113.52	103.19	108.77	105.98	369.50
कानपुर	467.87	140.20	131.66	120.51	126.08	371.08
हुबली	324.51	97.63	96.45	102.17	99.31	326.76

स्थिति से पता चलता है कि उपरोक्त आ.आ.प्रभारों में बहुत अधिक संख्या में लोगों का सत्य और सही आय का निर्धारण नहीं हुआ था और उनके अपने क्षेत्र में विस्तृत रूप से कर अपवंचन व्याप्त था। गहन संवीक्षा और अन्य उपाय इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि इन प्रभारों में निर्धारितियों ने अपनी सही आय का प्रकटन किया है और करों की सही राशि का भुगतान किया है।

1.11 संसद को रिपोर्ट करना

संसद को सूचित नहीं किया गया जैसाकि अधिनियम की धारा 76 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित था।

1.11.1 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 76 में केन्द्र सरकार को योजना के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने की जारी किये आदेशों द्वारा शक्तियां निहित हैं जो योजना के उपबन्धों के असंगत नहीं थे। तथापि ऐसे आदेश संसद के प्रत्येक सदन में रखे जाने थे। इसके अतिरिक्त धारा 77 के अन्तर्गत बोर्ड को संसद के अनुमोदन के तहत योजना को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने में शक्ति दी गई थी। जैसे योजना के क्रियान्वयन के दौरान के.प्र.कर बोर्ड द्वारा अनेकों अधिसूचनाएं, स्पष्टीकरण और प्रैस सार जारी किए गए थे। वित्त अधिनियम 1997 ने यद्यपि बोर्ड को स्पष्टीकरण जारी करने की शक्तियां नहीं दी थी। आयकर अधिनियम की धारा 119 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण जारी करने के लिए बोर्ड सक्षम है। चूंकि वित्त अधिनियम आयकर अधिनियम का भाग नहीं है। अतः धारा 119 के उपबन्ध लागू नहीं होते। फिर भी के.प्र.कर बोर्ड ने स्पष्टीकरणों, पत्रों और प्रेस सारों के जरिये विधायी अनुमोदन की शर्त का उल्लंघन करते हुए योजना की व्याख्या की। और जैसा कि इस प्रतिवेदन के अगले अध्याय में बताया गया है, इन स्पष्टीकरणों में से अनेक योजना के उपबन्धों के असंगत थे। इस प्रकार के.प्र.कर बोर्ड की कार्यवाही वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 76(2) का उल्लंघन थी। और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई मंत्रालय की पत्रावलियों में यह सूचना नहीं है कि क्या ये पहले संसद के प्रत्येक सदन में रखी गई।

संसद को दी गई गलत सूचना

1.11.2 दिनांक 29 मई 1998 के अतारांकित प्रश्न सं. 637 के उत्तर में जिसमें आ.स्वै.प्र.यो. के कारण कानूनी मान्य धन में परिवर्तित कुल राशि के बारे में पूछा गया था, मंत्रालय ने संसद को 33,339.03 करोड़ रुपये की सूचना दी। इस संख्या का राज्यवार ब्यौरा भी संसद को बताया गया। आ.स्वै.प्र.यो. द्वारा कुल कर संग्रहण 9583.83 करोड़ रुपये बताया गया जिसमें से राज्य का हिस्सा 7594 करोड़ रु था। तदन्तर अतारांकित प्रश्न सं. 1761 दिनांक 15 दिसम्बर 1998 के उत्तर में कुल कर संग्रहण 10,050 करोड़ रुपये बताया गया। यद्यपि राज्यों के हिस्से के मुनाफे की संख्या संशोधित नहीं की गई। 16 फरवरी 1999 को तदनन्तर के.प्र.क. बोर्ड ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विभिन्न संख्याएं बताईं। इनकी तुलना निम्नवत की गई है।

(करोड़ रुपये में)

मु आ.आ. प्रभार	घोषित राशि (मंत्रालय ने संसद को)	घोषित राशि (के प्र कर बोर्ड ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को)	संख्याओं में भिन्नता
अहमदाबाद	3253.00	3255.43	2.43
बेंगलौर	2425.07	2446.82	21.75
भोपाल	1019.56	1005.55	-14.01
कलकत्ता	2399.52	2390.09	-9.43
चण्डीगढ़	2013.69	2014.35	0.66
चेन्नई	2778.00	2778.00	0
कोचीन	446.45	446.45	0
दिल्ली	4152.83	4165.10	12.27
हैदराबाद	1749.00	1746.59	-2.41
जयपुर	925.26	922.40	-2.86

कानपुर	1208.00	1163.82	-44.18
लखनऊ	738.00	724.42	-13.58
मुम्बई	6500.70	6500.70	0
पटना	871.95	871.95	0
पुणे	2858.00	2858.00	0
जोड़	33339.03	33289.67	-49.36

इन भिन्नताओं का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया। जब संसद को दी गई सूचना के साथ तुलना की गई तो यह पता चला कि बंगलौर, दिल्ली, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में अपने अधिकार क्षेत्रों में अतिरिक्त घोषित राशि बताई गई थी। मुख्य आयकर आयुक्तों के प्रभारों में जैसे कानपुर, लखनऊ और भोपाल में घोषित राशि की कम की हुई संख्याएं भी काफी महत्वपूर्ण थी।

1.11.3 दृष्टान्त

- मु.आ.आ. हैदराबाद ने अपने पत्र दिनांक 18.1.99 द्वारा घोषणाकर्ताओं की संख्या की 20,715 पुष्टि की। बाद में इस संख्या को दिनांक 20.12.99 के पत्र द्वारा 20,705 में संशोधित किया। फिर भी घोषित राशि के परिवर्तन में कोई सूचना नहीं दी गई।
- आ.आ.भोपाल ने प्रारम्भ में घोषणाएं दाखिल करने की संख्या 3903 बताई लेकिन बाद में प्राप्तियों के निरस्त किए जाने, प्राप्तियों के पुनः जारी होने और रजिस्टर में घोषणाओं की संख्या दर्ज होने के कारण संशोधित करके 3892 की गई।
- आ.आ.पश्चिम बंगाल V कलकत्ता ने अपने पास दाखिल घोषणाओं की संख्या 7390 से 7397 इस कारण से संशोधित कर दी कि छः घोषणाओं को गलत डाकेटिड किया गया, तीन घोषणाओं की पुनरावृत्ति हुई और दो डाकेटिडों में कोई घोषणा नहीं की गई थी।
- आ.आ. इंदौर ने घोषणाओं की संख्या 5627 से 5528 और तदनन्तर 20.7.2000 को 5526 यह कहते हुए संशोधित की कि पूर्व बताई गई संख्याएं बिना सत्यापन किए दी गई थी।
- दिल्ली प्रभार में, मु.आ.आ. VI, IX और केन्द्र-I ने शुरू में अपने प्रभारों में दाखिल हुई घोषणाओं की संख्या का सत्यापन करने और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने से मना किया था। अंत में आ.आ. VI ने कहा कि 34 पत्रावलियां हैं जब कि आ.आ. IX ने स्वीकार किया कि 64 मामले लेखापरीक्षा को पहले प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
- इसके अतिरिक्त जुलाई 2000 में 95 अतिरिक्त मामले लेखापरीक्षा को बताए गए। जिनमें से 64 आ.आ. IX दिल्ली प्रभार, 13 मामले आ.आ. इन्दौर प्रभार, 12 मामले आ.आ. IX पश्चिम बंगाल प्रभार और 6 मामले आ.आ. XI पश्चिम बंगाल प्रभार के थे।

1.11.4 तथ्य यह है कि बहुत से मु.आ.आ. ने रजिस्टर में आ.स्वै.प्र.यो. घोषणाकर्ताओं को दिसम्बर 1999 तक के विलम्ब से दर्ज करना स्वीकार किया है जो बहुत सी सम्भावनाओं को दर्शाते हैं-

1. घोषणाएं समय से प्राप्त हुई परन्तु आ.स्वै.प्र.यो. रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की गईं और संसद को सही सूचना नहीं भेजी गई।
2. घोषणाएं दिसम्बर 1997 के अन्त तक प्राप्त हुईं लेकिन घोषित राशि तदनन्तर मार्च 1998 तक कर अदायगी के लिए बढ़ाई गई अवधि के तदनन्तर संशोधित की गईं।
3. घोषणाएं 31 दिसम्बर 1997 की तारीख के बाद भी प्राप्त हुईं और वैध घोषणाओं के रूप में शामिल की गईं।

घोषित राशि के आंकड़ों के तीन सैटों तथा घोषणाकर्ताओं द्वारा गलत संभावनाएं दर्शायी गयी हैं

1.11.5 यह भी देखा गया कि आ.आ. के फील्ड कार्यालयों ने फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों के आंकड़ों के भिन्न सैट प्रदान किए। यद्यपि, लेखापरीक्षा दलों को डेटाबेस समाधान कराने के लिए उपलब्ध घोषणाकर्ताओं की वास्तविक संख्या उनकी द्वारा दी गई संख्याओं से भिन्न थी। इसका विश्लेषण निम्नवत है (अनुलग्नक 1.4)।

361.37 करोड़ रुपये की अतिरिक्त घोषित राशि आ.आ. द्वारा भेजी गई संख्याओं और घोषणा प्रपत्रों से मिली संख्याओं की तुलना करने में ध्यान में आई। यह अन्तर दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे अधिक था।

अतारांकित प्रश्न सं. 1486 दिनांक 5.3.99 के उत्तर में राज्य वित्त मंत्री ने बताया कि:-

- (i) चण्डीगढ़ में योजना के अन्तर्गत अपनी परिसम्पत्तियों को प्रकट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1945 थी और
- (ii) आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत सरकार द्वारा चण्डीगढ़ में प्राप्त राजस्व 41.33 करोड़ रुपये था।

तथापि आ.आ. चण्डीगढ़ ने लेखापरीक्षा को दिनांक 22.9.1999 को अपने पास दाखिल की गई घोषणाओं की संख्या 2050 प्रमाणित की। प्रमाणतः संसद को दो अवसरों पर गलत सूचना दी गई। विभाग को आ.स्वै.प्र.यो. का दुरुपयोग रोकने के लिए भिन्नताओं का समाधान करना आवश्यक है।

उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि संख्याएं समाधान की जाएंगी।

1.12 गोपनीयता की शर्त

पूर्व क्षमादान योजनाओं की तुलना में आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत बहुत अधिक घोषणाओं की प्राप्ति का एक कारण गोपनीयता के वायदे और अभियोग से उन्मुक्ति देना है। एक ओर जहाँ घोषणाकर्ताओं के लिए जो अपने सभी पिछले दोषों से बरी होना चाहते हैं

गोपनीयता की शर्त अपना महत्व रखती है, अन्य दूसरे लोगों के लिए अपने लाभ के लिए चाल बाजी करने का अवसर प्रदान करती है।

जब कि सूचना प्रकटीकरण के निषेध सम्बन्धी आयकर अधिनियम की धारा 137 वित्त अधिनियम 1964 द्वारा 1.4.1964 से समाप्त कर दी गई, आ.स्वै.प्र.यो.-97 में घोषणाओं की पूर्ण गोपनीयता रखने का उपबन्ध शामिल था।

घोषणाओं की गोपनीयता को पूर्णतया सुनिश्चित नहीं किया जा सकता

(क) घोषणाकर्ता को नामित बैंकों और उनकी शाखाओं में कर जमा कराना आवश्यक था। ये बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों को आयकर अधिनियम और धनकर अधिनियम के क्रियान्वयन करने वाले कर्मचारियों की तरह नहीं माना जा सकता। किसी व्यक्ति द्वारा घोषित की गई राशि इन बैंकों में कर भुगतान की गई राशि से आसानी से जाना जा सकती है। इस प्रकार कर प्राप्ति की क्रियाविधि में बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक था।

(ख) एक बार आ.आ. द्वारा प्रमाण पत्रों के जारी करने और निर्धारिती अधिकारी के सम्मुख विवरणी की पुष्टि में प्रस्तुत करने के बाद, निर्धारण वर्ष, परिसम्पत्तियों का प्रकार और घोषित की गई राशि का विवरण इन प्रभारों में कार्यरत निर्धारिती अधिकारी और कर्मचारियों को ही ज्ञात होता है। ये दस्तावेज गोपनीय नहीं हैं। अतः गोपनीय शर्त का घोषणाएँ उद्धृत करने और इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने तक सीमित रखने के अलावा कोई अर्थ नहीं है।

योजना की लेखापरीक्षा को रोकने के लिए के प्र क बो द्वारा विलम्बकारी युक्ति

धारा 72 जहाँ तक कानून की स्पष्टता का सम्बन्ध है उचित है। यद्यपि यह देखा गया कि के.प्र.क बोर्ड ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को आ.स्वै.प्र.यो. के दस्तावेज देने में बहुत समय तक विलम्ब कारी तरीके अपनाए। वास्तव में, के.प्र.क बोर्ड ने स्वै. प्र.आ.यो. की धारा 72 (2) के बावजूद भी महान्याय वादी को नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कराने के सम्बन्ध में सम्पर्क किया। के.प्र.कर बोर्ड आठ माह के बाद 18.12.1998 को नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कराने को तैयार हुआ। के.प्र.कर बोर्ड द्वारा फील्ड कार्यालयों को परिपत्र जारी करने के बाद भी मु./आ.आ. ने के.प्र.कर बोर्ड को पत्र लिखे और फील्ड लेखापरीक्षा दलों को दस्तावेज उपलब्ध करने में देरी की। बंगलौर, दिल्ली और चण्डीगढ़ में मु.आ.आ. ने इस सम्बन्ध में और भी असाधारण विलम्बकारी तरीके अपनाए। इसके अतिरिक्त जब लेखापरीक्षा आ.स्वै.प्र.यो. की नीतिगत पत्रावलियां मांगी तो के.प्र.कर बोर्ड अनेकों अनुस्मारकों के बावजूद आ.स्वै.प्र.यो. की कार्यान्वयन सम्बन्धी मुख्य पत्रावली देने में विफल रहा और फिर बोर्ड भी स्वै.प्र.आ.यो के लिए खोली गई पत्रावलियों की वास्तविक संख्या के बारे में अन्जान दिखाई दिया।

उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत कर भुगतान केवल बैंकिंग प्रणाली द्वारा संग्रहित होना था चूँकि अन्य कोई दूसरी व्यवस्था का कार्यान्वयन करना कठिन होगा। आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत संग्रहण पृथक से एक पर्याप्त हिस्सा था जिसे राज्यों में विभाजित किया जाना था। अतः इस कार्य में बैंकों को शामिल करना एक अपरिहार्य रूप से आवश्यक था।

आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में योजना की धारा 72 में स्वयं प्रावधान है कि घोषणाओं के विवरण आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत प्राधिकारियों को बताई जा सकती थी और फिर वित्त अधिनियम 1997 की धारा 78 के अन्तर्गत स्वैच्छक रूप से प्रकटित आय घोषणाकर्ता के किसी वर्ष की निर्धारण आय में शामिल नहीं होनी थी, "यदि घोषणाकर्ता की जमा राशि जैसे लेखा पुस्तकों में ऐसी राशि, यदि कोई, उसके द्वारा किसी भी स्रोत से आय के लिए अथवा किसी दूसरे अभिलेख में अनुरक्षित की गई हो और निर्धारण अधिकारी को जमा लाभ लेने के लिए सूचित किया हो" इस उपबन्ध में यह अस्पष्टता/घोषणाकर्ता से निर्धारण अधिकारी को प्रकटन एवं राशि सम्बन्धी दी गई एक सूचना है।

मंत्रालय का उत्तर युक्ति संगत नहीं है क्योंकि यह पहले ही स्वीकार्य की हुई स्थिति की मात्र पुनरावृत्ति है। पैराग्राफ 1.12 इस तथ्य को उजागर करता है कि जब बैंक और आयकर अधिकारी घोषणाओं से सम्बन्धित गोपनीय सूचनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमत थे लेकिन लेखापरीक्षा को गोपनीय और विश्वनीयता बनाये रखने के आधार में इनके लिए मना किया गया जब कि वित्त अधिनियम की धारा 72 में स्पष्ट रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों को ऐसे अभिलेखों का दिखाने के लिए प्रावधान किया गया है।

कतिपय घोषणाओं में गोपनीय शर्त की उपयुक्तता

योजना में यह प्रावधान था कि गोपनीय उपबन्ध केवल उन्हीं घोषणाओं को लागू होंगे जो सम्पूर्ण रूप से पूर्ण हो और विशेष मानदण्डों को पूरा करते हों। लेखापरीक्षा के लिए गोपनीय उपबन्ध का घोषणा के उन मामलों से प्रयोजन था जहाँ पूर्ण कर या ब्याज न दिया गया हो।

फील्ड जाँच से यह देखने में आया कि आयकर विभाग ने शून्य कर भुगतान वाली घोषणाओं पर वस्तुतः कोई कार्यवाही नहीं की। वास्तव में ये सभी घोषणाएं गुप्त रखी गईं और इनमें दी गई सूचनाएं सम्बन्धित निर्धारित अधिकारियों को सहभागी नहीं बनाया गया।

धारा 67 (2) विशेष रूप से उल्लेख करती है कि


यदि घोषणाकर्ता आ.स्वै.प्र.यो. से सम्बन्धित कर का भुगतान विवरणी दाखिल करने के तीन माह बाद समाप्ति से पूर्व नहीं करता है तो उसके द्वारा दाखिल घोषणा इस योजना के अन्तर्गत नहीं मानी जायेगी।

दूसरे शब्दों में ये घोषणाएं कानून में 'नानेस्ट' थी अतः आयकर विभाग का इन्हें गोपनीय बनाए रखने का कोई दायित्व न था और न है।

उत्तर में विभाग ने कहा कि 18.3.99 को एक सूचना बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय संस्थाओं के यह बताते हुए जारी की गई थी कि प्रकटित आय पर भुगतान के अभाव में घोषणाकर्ता को आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि तब घोषणा कभी भी योजना के

अन्तर्गत दी गई नहीं मानी जाएगी। तदनुसार घोषणा में संलग्न सूचना निर्धारण अधिकारियों को उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए दी जाएगी।


यद्यपि जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4.9 में उजागर किया गया है कि नमूना जाँच में ऐसी घोषणाओं पर जुलाई 2000 तक भी निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।



अध्याय 2

कानून और नीति सम्बन्धी मुद्दे

- प्रो-रेटा प्रमाण पत्र
- पुनरीक्षण अपील याचकाओं के मामले
- निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए घोषणाओं की स्वीकृति
- अवयस्कों द्वारा घोषणाएं



अध्याय 2 कानून और नीति सम्बन्धी मुद्दे

2.1 प्रोरेटा प्रमाणपत्र

कर और ब्याज के भुगतान का प्रमाण पत्र

2.1.1 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 68 (2) में प्रावधान है कि आयकर आयुक्त स्वैच्छया प्रकटन आय योजना के अन्तर्गत घोषित आय एवं उस पर भुगतान किए गए आयकर के विवरण सहित घोषणाकर्ता को प्रमाण पत्र जारी करेगा। धारा 67 (2) में यह भी कहा गया है कि यदि घोषणाकर्ता घोषणा की विवरणी दाखिल करने की तिथि से तीन माह की समाप्ति से पूर्व कर भुगतान करने में विफल रहता है तो दाखिल की गई घोषणा-विवरणी कभी भी योजना के अन्तर्गत नहीं मानी जाएगी।

स्वैच्छया प्रकटन आय नियम, 1997 धारा 68(2) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र निर्धारित करते हैं। टिप्पणी (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि घोषणा कर्ता द्वारा देय कर की सम्पूर्ण राशि भुगतान किए बगैर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आ.स्वै.प्र.यो. से सम्बन्धित उपबन्धों पर परिपत्र सं. 753 दिनांक 10.6.97 द्वारा जारी व्याख्यात्मक टिप्पणियों से भी सपष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा किये गये प्रकटन पर कर के सम्पूर्ण भुगतान किए बिना प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

के.प्र.कर. बोर्ड ने आन्तरिक पत्र द्वारा प्रोरेटा प्रमाण पत्र लागू किया

2.1.2 यद्यपि के.प्र.कर बोर्ड ने इस विशिष्ट उपबन्ध का कतई पालन नहीं किया है और मु.आ.आ./महा नि.आयकरों को सम्बोधित करते हुए दिनांक 2.2.99 को एक गोपनीय पत्र जारी किया जिसमें आयुक्तों को (पैरा 2 (i) में निर्देश देते हुए उन मामलों में किये गये कर व ब्याज के भुगतान तक का प्रोरेटा आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने को कहा जिनमें कर अथवा ब्याज अथवा दोनों कम भुगतान किए गए थे। बोर्ड की यह कार्यवाही अधिनियम के उपबन्धों के अनुकूल नहीं थी।

उसी पत्र के पैरा 3 में यह भी उल्लेख है कि बोर्ड की राय थी कि आ.स्वै.प्र.यो. 1997 के अन्तर्गत जारी प्रमाणपत्रों में केवल घोषणा कर्ता का नाम, घोषित राशि और योजना के अन्तर्गत भुगतान करों की राशि ही दिखाई जाए। जैसे ही घोषणाओं में देय करों और ब्याज का निर्धारित समय के अन्दर पूरा भुगतान कर दिया हो फिर प्रमाणपत्रों को रोकने का कोई औचित्य नहीं होगा। कथित पत्र के पैरा 2(1) में लिया गया यह निर्णय विरोधात्मक प्रतीत होता है।

2.1.3 लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 3067 मामलों में कर/ब्याज का निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्णतया भुगतान नहीं किया गया था फिर भी सम्बन्धित आयकर आयुक्तों द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिए गये। इन मामलों में भुगतान न किए गए करों का परिमाण कुल मिलाकर 49.66 करोड़ रुपये था।

ऐसे मामलों की राज्यवार स्थिति अनुलग्नक 2.1 में है।

2.1.4 विस्तृत लेखापरीक्षा

धारा 68(2) के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों के जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों के निर्धारण दस्तावेज मांगे गए। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए मामलों में से संवीक्षा करने पर पता लगा कि 75.38 लाख रुपये की कुल कर के कम भुगतान के बावजूद 72 मामलों में प्रमाण पत्र जारी कर दिए गये। मामलों की राज्यवार स्थिति नीचे दिखाई गई है:

राज्य	पुष्टिकृत मामलों की संख्या	कुल भुगतान कर (रु)	कुल देय कर (रु)	कम भुगतान रु
आन्ध्र प्रदेश	10	49,19,971	75,29,176	26,09,205
बिहार	4	2,62,840	4,08,904	1,46,064
गुजरात	3	8,40,667	8,46,367	5,700
हिमाचल प्रदेश	6	4,33,912	4,94,825	60,913
कर्नाटक	21	26,01,416	33,26,430	7,25,014
राजस्थान	3	5,42,305	35,93,832	30,51,527
तमिलनाडु	9	10,55,379	15,43,360	4,87,981
उत्तर प्रदेश	12	46,11,903	49,95,405	3,83,502
पश्चिम बंगाल	4	2,77,804	3,45,608	67,804
जोड़	72	155461977	23083907	7537710

2.1.5 दृष्टान्त

1. आ.आ. कर्नाटक I बंगलौर प्रभार में एक व्यक्ति (कोड 211929) ने 12.50 लाख रु 31.12.97 को घोषित किया जिस पर देय कर 3.75 लाख रुपये था। चूँकि वह केवल 0.98 लाख रुपये की राशि अदा कर सका, आ.आ. ने 3.25 लाख रुपये की कम राशि का 9.4.99 को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया। उसी प्रभार में एक कम्पनी ने अन्य मामले में (कोड 211036) घोषणाकर्ता ने 31.12.97 को 9.99 लाख रुपये घोषित किया जिस पर देय कर 3.49 लाख रुपये आंका गया। निर्धारिती ने यद्यपि केवल 1 लाख रुपये अदा किया, आ.आ. ने 12.4.99 को 2.86 लाख रुपये का एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया। यद्यपि निर्धारण वर्ष 1998-99 की आय की विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने आ.स्वै.प्र.यो. में 10 लाख रुपये की राशि का सत्यापन किया और उस पर 3.70 लाख रु के भुगतान कर को उसके लेखों में डैबिट कर दिया गया जब कि प्रमाण पत्र 2.86 लाख रुपये की कम राशि का जारी किया गया। 6.30 लाख रुपये का शुद्ध क्रेडिट आरक्षित एवं फालतू खाते में डाल दिया गया। विवरणी 1.2.2000 को संक्षिप्त रीति से निर्धारिती द्वारा विवरणित 7.08 लाख रुपये की शुद्ध हानि पर स्वीकार करते हुए निर्धारण की गई।

एक व्यक्ति के मामले में (कोड: 212358) कर्नाटक II आ.आ. बंगलौर प्रभार में 1.27 लाख रुपये की राशि निर्धारण वर्षों 1993-94 से 1997-98 के लिए घोषित की गई। उस पर कर देय 38,113 रु आंका गया। यद्यपि घोषणाकर्ता ने दावा किया और 1500 रु की कटौती धारा 88 के अन्तर्गत अनुमत भी की गई।

अतः देय कर 36,613 रुपये आंका गया और 9.1.98 को घोषित राशि के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया।

2. आर्ध प्रदेश में आ.आ. ए पी । हैदराबाद प्रभार में, एक व्यक्ति ने (कोड 414789) 12.86 लाख रु की राशि घोषित की और 2.50 लाख रु कर अदा किया। कर भुगतान में कमी होने के बावजूद आ.आ. ने 8.33 लाख रु की कम राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया। उसी प्रभार में इसी प्रकार के मामले में एक व्यक्ति ने (को 70797) ने 20.11 लाख रुपये की राशि घोषित की और 6.03 लाख की जगह 50,000 रु कर अदा किया। दिनांक 13.5.99 को 1.58 लाख रु की कम राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया गया।
3. तमिलनाडू आ.आ. प्रभार IV में एक व्यक्ति हि.अ.कु. (कोड 188422) ने दिनांक 30.12.97 को 10.97 लाख रु घोषित किया। देय कर 3.29 लाख रु के बजाए 28,950 रु का भुगतान किया। घोषणाकर्ता ने उसी दिन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया। प्रमाण पत्र प्रोरेटा आधार पर जारी कर दिया गया और दिनांक 6.5.99 को अप्रकटित आय की शेष राशि को धारा 147 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए निर्धारण अधिकारी को पास भेज दिया।

प्रोरेटा प्रमाणपत्र
आ.स्वै.प्र.यो.
उपबन्धों के विरुद्ध
और वैधानिक
अनुमोदन का
अभाव

परिपत्र में संदिग्धता
के परिणामस्वरूप
प्रमाण पत्र जारी
करने के बारे
में अन्तर्विरोध।

2.1.6 के.प्र.कर बोर्ड द्वारा फरवरी 1999 में निर्देश जारी करना विधायी उपबन्धों का उल्लंघन था और वैधानिक अनुमोदन नहीं लिया है। यह देखा गया कि आयकर आयुक्तों ने निर्देशों की भिन्न तरीके से अर्थ निकाला और एक रूपता के अभाव परिणामस्वरूप प्रोरेटा प्रमाणपत्र जारी किये गये।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एक ही आ.आ.प्रभार में आयुक्त ने कुछ मामलों में प्रकटित आय कम करने के बाद अथवा पूर्ण प्रकटित आय के लिए प्रमाण पत्र जारी करते समय इस विषय पर विरोधात्मक निर्णय लिए। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश आ.आ. शिमला प्रभार में एक मामले में घोषणाकर्ता (कोड 600355) ने 3.39 लाख रुपये घोषित किए जिस पर देय कर 1.02 लाख रु निकाला गया। यद्यपि घोषणाकर्ता केवल 88,650 रुपये का भुगतान कर सका; अतः आ.आ. ने 2.96 लाख रु की कम की हुई राशि पर प्रोरेटा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। यद्यपि दूसरे घोषणा के मामले में (कोड 600440) 3.41 लाख रुपये घोषित किए जिस पर 1.02 लाख रुपये का कर निकाला गया लेकिन केवल 78,712 रुपये का भुगतान किया गया, तथापि आ.आ. ने पूर्ण घोषित राशि का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।

2.1.7 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 70 में कहा गया है कि धारा 64(1) के अन्तर्गत घोषणा के अनुसरण में भुगतान किया गया कोई भी कर किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा। यद्यपि, योजना की धारा 68 को पढ़ने से स्पष्ट है कि विधायी आशय यह था कि कर और/अथवा ब्याज के पूर्ण भुगतान करने पर ही प्रमाण पत्र जारी करना चाहिये। भुगतान करने की विफलता की स्थिति में कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा और घोषित राशियों पर सामान्य निर्धारण प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कर लगाया जाएगा।

कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होंगी

बम्बई उच्चतम न्यायालय ने लहरचन्द धाँजी बनाम भारत सरकार (135 आई टी आर 689) के मामले में निर्णय दिया कि एक बार जारी किया गया प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता और निर्धारिती ऐसे प्रकटन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। और आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत भुगतान किये गए कर/ब्याज को फिर लौटाए न जाने के प्रावधान से स्पष्ट है कि के.प्र.कर बोर्ड के स्पष्टीकरण योजना के वास्तविक आशय के विरुद्ध है और कानूनी जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा कि के.प्र.क.बोर्ड ने दिनांक 2.2.1999 के पत्र आयुक्तों के आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत प्रोरेटा आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश इस लिए दिये थे कि घोषणा में उल्लिखित राशि से कर अथवा ब्याज के भुगतान की राशि बहुत थोड़े से घोषणाकर्ताओं के संदर्भ में ही कम थी जिन्होंने बहुत से कारणों से कर अथवा ब्याज का पूर्ण भुगतान नहीं किया था। चूँकि आ.स्वै.प्र.यो. में भुगतान किये गए कर की वापसी का कोई प्रावधान नहीं था, घोषित राशि की गणना के आधार पर भुगतान किये गए कर और ब्याज के प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय उचित माना गया था।

मंत्रालय का उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि आ.स्वै.प्र.नियम, 1997 जिनमें धारा 68 के अन्तर्गत प्रमाणपत्र जारी करने के प्रपत्र निर्धारित हैं, स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उसका जब तक घोषणाकर्ता द्वारा देय कर भुगतान नहीं कर दिया जाता, कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। तदनन्तर इसकी पुनरावृत्ति के.प्र.कर बोर्ड के परिपत्र सं. 753 में भी की गई। अतः क्षेत्रीय कार्यालयों को फरवरी 1999 में दिये गए निर्देश गैर कानूनी थे।

2.2 पुनरीक्षण अपील याचकाओं के मामले

2.2.1 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 64 (1) में आय की उपयुक्तता के बारे में कुछ प्रावधान दिये गये हैं जिसे योजना के अन्तर्गत घोषित किया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं-

- उस निर्धारण वर्ष के लिए आय प्रकट करना जहाँ धारा 139 के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने में विफलता रही है।
- 1.7.97 से पूर्व की दाखिल विवरणी में प्रकटित न की गई आय को प्रकट करना।
- ऐसी आय को प्रकट करना जो किसी भी कारण से चूक होने अथवा विवरणी में न दिखाने और निर्धारण के लिए आवश्यक तथ्यों को पूर्णतया और सत्यता से न बताने और अन्य कारण से निर्धारण होने से रह गई हो।

आय कर अधिनियम 1961 की धारा 246 क.के अन्तर्गत एक निर्धारिती जो निर्धारण से दुखी है आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है। आयुक्त (अपील) को धारा 251 (1) (क) के अन्तर्गत निर्धारण को पुष्टि करने, कम करने, आय शून्य करने अथवा पुनः निर्धारण करने और निर्धारिती अधिकारी को अपने निर्देशों के अनुसार नए सिरे से निर्धारण कराने की शक्तियां प्राप्त हैं।

के.प्र.कर बोर्ड
के स्पष्टीकरण
कानून के
अनुसार नहीं

2.2.2 प्रारम्भ में के.प्र.कर बोर्ड ने अपने परिपत्र सं. 754 दि. 10.6.97 (प्रश्न सं. 22 एवं 23) में कहा था कि उन निर्धारण वर्षों के लिए कोई घोषणा नहीं की जाएगी जिनको अपील में पुनरीक्षण के लिए कहा गया है। यह भी बताया गया था कि ऐसे खर्चे जो निर्धारण प्रक्रियाओं में अनुनमत कर दिए गए हैं, अपील को वापस लेने के बाद आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषित नहीं किए जाएंगे। तथापि के.प्र.कर बोर्ड ने अपनी पूर्व बात का पूर्णतया उल्टा कर दिया। बोर्ड ने अपने परिपत्र सं. 755 दिनांक 25.7.97 (प्रश्न सं. 52) में निर्धारण वर्षों की उन घोषणाओं को अनुमत किया था जिनमें पुनः निर्धारण इस आधार पर किए गये हैं कि घोषणा की तिथि को कोई भी बकाया निर्धारण न हो। और उन निर्धारण आदेशों में जो अंशतः पुनरीक्षण हुए हों, घोषणाएं आय के उन मुद्दों तक अनुमत थी जिनको निर्धारण न करना हो और उन मुद्दों को जो पुनः तय न करने हों।

निर्धारितियों ने
बोर्ड के
स्पष्टीकरण का
लाभ उठाया।

2.2.3 ऐसे मामलों के प्रति घोषणाओं पर जो अपील में थे वित्त अधिनियम 1997 की धारा 64 (1) में विचार नहीं किया गया था क्योंकि कोई भी विहित शर्त ऐसे मामलों में पुष्टि नहीं होती थी। धारा में आय के वही मामले शामिल किए गये थे जिनमें अप्रकटन विवरणी दाखिल न करने की विफलता के कारण, पहले दाखिल की गई विवरणियों में आय प्रकट करने में विफलता ओर विवरणी दाखिल न करने अथवा दाखिल हुई विवरणी में आय प्रकटन के कारण आय का निर्धारण न हो पाने के कारण था। आय के उन मुद्दों के प्रति घोषणाएं जो आय विवरणी में पहले ही प्रकट की जा चुकी थी ओर निर्धारण में अनुनमत कर दी गई थी तदनन्तर अपील में विवाद ग्रस्त थी योजना के अन्तर्गत विचारपूर्ण नहीं थी क्योंकि कानूनी आशय केवल निर्धारण के सामान्य तथ्यों तक के मामलों तक ही था। इस प्रकार के.प्र.कर बोर्ड के स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारितियों के कुछ वर्ग को अनैच्छिक लाभ हुआ।

2.2.4 दृष्टान्तः

लेखापरीक्षा संवीक्षा से एक ऐसे मामले का पता चला जहाँ संयुक्त आयकर आयुक्त (सहा.) विशेष रेंज भोपाल में निर्धारित एक निर्धारित कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए 2.16 करोड़ रुपये का ह्रास का दावा उन परिसम्पत्तियों पर करते हुए जिन्हें दूसरी संस्था को किराये पर दिया हुआ था। 3.54 करोड़ रुपये आय दिखाते हुए विवरणी दाखिल की। निर्धारण संवीक्षा करने के बाद 31.3.97 को निर्धारित अधिकारी द्वारा ह्रास को अनुनमत करते हुए 10.22 करोड़ रुपये पर पूर्ण किया गया क्योंकि प्रश्नगत परिसम्पत्तियां जाली थी। निर्धारिती ने अपील की ओर आयुक्त (अपील) ने सीमित तौर पर पुनः निर्धारण करने के लिए 20.11.97 को निर्धारिती अधिकारी को फिर से निर्धारण करने का निर्देश दिया। यद्यपि निर्धारिती ने 24.12.97 को आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत 2.41 करोड़ रुपये की राशि नकद रूप में समर्पण की ओर आ.आ. (भोपाल) द्वारा धारा 68(2) के अन्तर्गत एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। निर्धारिती ने पुनः निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की और निर्धारण में इस कारण उसे छूट अनुमत की गई। इसके परिणामस्वरूप 1.92 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

के.प्र.क.बोर्ड के
परिपत्र योजना के
उपबन्धों के विपरीत
थे

2.2.5 के.प्र.कर बोर्ड के परिपत्र से योजना के उपबन्धों को उल्लंघन हुआ और परिणामतः कुछ निर्धारितियों को अदेय लाभ मिला जिन्होंने आय को पुनर्निर्धारण मुद्दों को प्रकट करते हुए उपरोक्त स्पष्टीकरण का फायदा उठाया। योजना के अन्तर्गत प्रकटन का फायदा उन निर्धारितियों ने लिया जो इससे अवगत थे कि निर्धारिती अधिकारी पुनर्निर्धारण के दौरान फिर कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं जिससे निर्धारिती के दावों का निपटान हो सकेगा। बोर्ड के परिपत्र से इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों ब्याज व शास्ति के भार के बिना कम दर पर कर भुगतान करके चले गये अन्यथा नियमित निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान दूसरी स्थिति हुई होती।

उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि परिपत्र संख्या 754 में प्रश्न सं. 22 के दो घटक हैं। प्रथम एक कथन है कि यदि कोई निर्धारण अपील पुनर्निर्धारित किया जाता है तो उस निर्धारण वर्ष के लिए घोषणा अनुमत होनी चाहिये। दूसरा एक प्रश्न है कि क्या अपील वापस लेने के बाद अननुमत खर्चों के प्रति घोषणा अनुमत की जा सकती है। उत्तर प्रश्न का ही उदाहरणार्थ अपील वापस लेने के बाद धन की घोषणा नहीं की जा सकती। परिपत्र सं. 755 में प्रश्न सं. 52 में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामले जहाँ किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण पूर्णतः निपटा दिये जाते हों उस निर्धारण वर्ष के लिए घोषणा की जा सकती है। परिपत्र सं. 755 में दिया गया स्पष्टीकरण एक वायदा है कि 1.7.97 से पूर्व दाखिल की गई विवरणियों में प्रकट न गई आय के बारे में घोषणा की जा सकती थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। परिपत्र सं. 754 में प्रश्न सं. 22 में दो मुद्दे निहित हैं बोर्ड द्वारा इकट्ठा कर दिया गया और उत्तर नकारात्मक था। और फिर परिपत्र सं. 755 में प्रश्न सं. 52 के संदर्भ में यह नहीं कहा गया कि प्रकटन केवल उसी आय के लिए किया जा सकता है जो 1.7.97 से पूर्व दाखिल विवरणियों में आय न दिखाई गई हो।

इसने निर्धारिती को अवसरों सहित उपरोक्त पैरा 2.2.4 दर्शाए गया मामला वर्णित करने का प्रावधान किया और मंत्रालय के उत्तर में मुख्य मुद्दे को नहीं बताया गया कि बोर्ड ने निर्धारितियों को अनुमत क्यों गया, जिनके निर्धारण पूर्णतया या आंशिक रूप पुनःनिर्धारण नहीं हुये थे यद्यपि वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 64 में निर्धारित किसी भी शर्त को सन्तुष्ट नहीं किया।

2.3 निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए घोषणाएं

2.3.1 वित्त अधिनियम 1997 की धारा 62(2) के उपबन्ध के संदर्भ में केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 1997 को अधिसूचना सं. 435 (घ) दिनांक 9.6.97 द्वारा स्वै. प्र.आ.योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए चुना

धारा 64(1) के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति आय कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य किसी आय की घोषणा कर सकता है

(क) जिसके लिए वह धारा 139 के अन्तर्गत विवरण भरने में विफल रहा है।

- (ख) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा दाखिल की विवरण में प्रकट करने में योजना शुरू होने से पूर्व 1.7.97 वह विफल रहा है।
- (ग) चूक होने या ऐसे व्यक्तियों द्वारा ही आय कर अधिनियम के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने में विफलता अथवा निर्धारण के लिए आवश्यक सभी तथ्यों और अन्य को पूर्णतया और सत्य से प्रकटन करने के कारण से निर्धारण नहीं हो सका।

2.3.2 फिर भी धारा 64 के शब्द तीन अन्तर्संयोजित मुद्दों को जन्म देते हैं।

- 1. उपरोक्त उपबन्धों को संयुक्त रूप से पढ़ना है या स्वतंत्र रूप में :** धारा 64 के उपबन्धों के सामान्य पढ़ने से पता लगता है कि (क) उपरोक्त आयकर अधिनियम के अधीन धारा 139 के अन्तर्गत नियमित रूप से आय विवरण दाखिल करने से है जब कि दूसरे उपबन्ध (ख) और (ग) अलेखांकित आय को प्रकट करने से सम्बन्धित है। तथापि उपबन्धों में स्पष्ट रूप से परस्पर व्यापिता है। विवरणी दाखिल करने में विफलता दोनों शर्तों (क) और (ग) के बीच व्याप्त है और प्रकटन की विफलता (ख) और (ग) शर्तों द्वारा आवृत है।
- 2. धारा 139 का क्षेत्र:-** धारा 139 बहुत विस्तृत है और विलम्बित, संशोधित और अपूर्ण विवरणियां शामिल हैं। विधिक आशय अधिनियम की धारा 139 (1) के आशय को संदर्भित करता है न कि उप धाराओं और उपबन्धों को।
- 3. निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए योजना की घोषणाओं की उपयुक्तता :** तीसरा मुद्दा धारा 64(1)(क) के त्रुटिपूर्ण लिखने से उत्पन्न हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1997-98 की योजना की उपयुक्तता में अनिश्चयात्मक स्थिति हुई है।

2.3.3 तथापि उपरोक्त उपबन्धों के सामंजस्य रूप से पढ़ने पर पता लगता है कि योजना केवल 1996-97 तक के निर्धारण वर्षों की घोषणाओं के लिए लागू थी। स्वै.प्र.आ.योजना का आशय तदनन्तर निर्धारण वर्षों को शामिल करने का नहीं था। इस विवाद के लिए ये उचित कारण हैं।

- निधारितियों की सभी श्रेणियों के लिए 1996-97 तक के निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी दाखिल करने की अन्तिम तिथि 1.7.97 से पूर्व समाप्त हो चुकी थी अर्थात् योजना चालू होने का दिन। इन सभी मामलों में वित्त अधिनियम 1997 की धारा 64(1)(क) से (ग) तक की शर्तें संतोषजनक थी। उपबन्धों की केवल प्रासंगिक रूप से पढ़ने से इस तर्क को बल मिलता है।

निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित उप धारा (क) निम्न दृश्यों को चित्रित करती है। प्रत्येक दृश्य लेख इंगित करेगा कि कानून का आशय निर्धारण वर्ष 1997-98 से था।

1. एक व्यक्ति निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए नियमित विवरणी दाखिल नहीं करता है लेकिन निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित आय स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत घोषित करता है।
2. एक व्यक्ति निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए नियमित विवरणी दाखिल करता है और स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत भी आय घोषित करता है। इससे दो और संभावना व्यक्त होगी।
 - (i) वह नियमित आय विवरणी दाखिल करने के बाद स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आय घोषित करता है।
 - (ii) वह नियमित आय विवरणी दाखिल करने से पूर्व स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1997-98 की आय घोषित करता है।

उपरोक्त 1 स्थिति अधिनियम 64(1) में उल्लिखित शर्त (क) को संतुष्ट करेगी क्योंकि निर्धारिती निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए नियमित विवरणी दाखिल करने में विफल रहा था। यदि उप धारा (क) स्वतन्त्र रूप से पढा जाए तो इसमें स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए घोषणाओं के समस्त मामलें शामिल होंगे। लेकिन तब यह भी सुझाव होगा कि योजना का आशय इन निर्धारितियों को स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए नियंत्रित विवरणी दाखिल करने से नहीं चूकना चाहिये। कानून का यह आशय नहीं हो सकता क्योंकि यह अधिनियम के उक्त उपबन्धों का उल्लंघन होगा जिनमें प्रत्येक निर्धारिती को आय की नियमित विवरणी देय तिथि को दाखिल करनी आवश्यक है।

उपरोक्त 2 स्थिति में दो संभावनाएं हैं। जहाँ एक व्यक्ति 1.7.97 के बाद की नियमित विवरणी दाखिल करने के बाद स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत घोषणा करता है तो वह स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के योग्य नहीं माना जाएगा क्योंकि विवरणी दाखिल करने के बाद उसका मामला अधिनियम की धारा 64(1) की शर्त (क) के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता।

जहाँ एक व्यक्ति निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित आय को आ.स्वै.प्र.योजना के अन्तर्गत घोषणा करने के बाद नियमित विवरणी दाखिल करता है तो शर्त (ख) संतुष्ट नहीं हो सकती क्योंकि आय की विवरणी 1.7.97 के बाद भेजी गई और फिर धारा 64(1) की शर्त (ग) के उपबन्ध प्रयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि ये पूर्ण हुए निर्धारणों अथवा काल बाधित निर्धारणों को लागू होते हैं। चूँकि निर्धारण जिसके लिए विवरणी 1.7.97 के दाखिल की गई थी, काल बाधित नहीं था, उपरोक्त धारा की शर्त पूरी नहीं हो सकती।

2.3.4 उपरोक्त विवादों को तर्क के समर्थन में कहा गया है कि योजना केवल 1996-97 तक के निर्धारण वर्षों के लिए लागू थी। केवल अन्य सम्भावना उन **व्यक्तियों** से थी जिन्होंने वर्ष 1997-98 के लिए नियमित विवरणी 30 जून 1997 की देय तिथि तक दाखिल कर दी थी, लेकिन स्वै.प्र.आ.योजना शुरू होने पहले विवरणी दाखिल करने में विफल रहे और जिन्होंने निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित आय घोषित करने की इच्छा व्यक्त की थी।

**विभागीय
स्पष्टीकरण उपबन्धों
के विपरीत थे,**

2.3.5 यद्यपि के.प्र.कर बोर्ड ने 25.7.97 को स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति जो आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए देय तिथियों तक विवरणी दाखिल करने में दोषी है लेकिन योजना समाप्त होने से पहले स्वै.प्र.आ.योजना-97 के अन्तर्गत घोषणा कर सकता है। एक दूसरे दिनांक 29.8.97 के स्पष्टीकरण में, मु.आ.आ. मुम्बई ने कहा कि जहाँ निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए विवरणी दाखिल करने की तिथि समाप्त नहीं हुई हो तो स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत घोषणा करना वैध माना जाएगा यदि विवरणी दाखिल न की गई हो।

2.3.6 ये स्पष्टीकरण सुझाव देते हैं कि शर्त (ख) के पूरा करने के लिए एक व्यक्ति वार्षिक आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य नहीं है और फिर ये स्पष्टीकरण न तो योजना के उपबन्धों के अनुसार थे और न ही कानूनी आशय पूरा करने के लिए थे। क्योंकि निर्धारित जिनकी कर दरें आ.स्वै.प्र.यो. से अधिक थी इसका लाभ उठाया।

2.3.7 लेखापरीक्षा विश्लेषण

डेटा बेस के विश्लेषण करने से पता चलता है कि 23,215 मामलों में निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित 2095.09 करोड़ रुपये की आय घोषित हुई। विभाग ने इन मामलों को स्वीकार कर लिया और प्रमाण पत्र जारी कर दिये।

ऐसी घोषणाओं की श्रेणीवार राशि इस प्रकार है:-

श्रेणी	घोषणाकर्ताओं की संख्या	घोषित की हुई राशि (रु करोड़ में)
व्यष्टि	19320	1714.27
अ.हि.कु.	2632	201.27
फर्म	939	82.82
कम्पनी	235	83.11
अन्य	89	13.61

निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए घोषणाकर्ताओं की संख्या सहित घोषित परिसम्पत्तियों की मुख्य श्रेणियां और उनमें घोषित राशि इस प्रकार थी:-

परिसम्पत्तियों के प्रकार	घोषणाकर्ताओं की संख्या	राशि (रु करोड़ में)
नकद	19020	1097.40
जेवरात	481	23.93
भवन	2262	83.83
कर्ज	195	8.63
ऋण	346	18.33
सोना चांदी	35	0.85

2.3.8 और विश्लेषण करने से पता चला कि योजना के अन्तर्गत कुल 3109 कम्पनी घोषणाकर्ताओं में से 89 प्रतिशत (2769) ने आय विवरणी दाखिल करने की तिथि के बाद घोषणाएं दाखिल की अर्थात् 30.11.97 को। यद्यपि केवल कम्पनियों के 8 प्रतिशत। (235) ने निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आय घोषित की ओर इनमें से 58 कम्पनियों के पास निधारिती नहीं थे। इससे पता चलता है कि सम्पूर्ण रूप से निर्धारितियों की इस श्रेणी द्वारा स्वै.प्र.आ.योजना में बहुत कम प्रतिक्रिया थी और बहुत से जिन्होंने घोषणाएं करने का विकल्प किया उन्होंने न केवल धारा 64(1) के क्षेत्र के अन्तर्गत आने में सावधानी रखी बल्कि निर्धारण वर्ष 1997-98 से पूर्व की आय को घोषणा करने में भी सचेत रहे। तथापि दूसरी ओर कुछ कम्पनियों ने बिना ब्याज और शास्ति के कर भुगतान की कम दरों के अनैच्छिक लाभ लेने के लिए कर योजना के अवसर का सदुपयोग भी किया।

2.3.9 आयकर आयुक्त के कार्यालयों में चुने हुए मामलों (11227) के नमूने का सत्यापन कराया गया। घोषणाकर्ताओं के नियमित निर्धारण अभिलेखों के साथ विस्तृत अनन्य जाँच करने में आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत 83 मामलों में अन्तर्निहित 70.86 करोड़ रुपये मूल्य की घोषणाओं से पता चला कि निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए नियमित विवरणियां घोषणा की तारीख के बाद प्रस्तुत की गईं। इनमें से 69 व्यष्टियों से सम्बन्धित, 8 अ.हि.कु., 3 फर्मों एवं 3 कम्पनियों से सम्बन्धित थे।

दस उच्च घोषणाओं की लेखापरीक्षा करने से पता चला कि तीन व्यक्तियों ने निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए शून्य विवरणी अथवा हानि विवरणियां दाखिल की जब कि दूसरों ने आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत अपने द्वारा घोषित आय की तुलना में न्यूनतम राशियां प्रस्तुत की।

कोड	राज्य	घोषित राशि (रु करोड़ में)	कुल प्रदत्त कर (रु करोड़ में)	घोषित तिथि	1997-98 के लिए विवरणी की तारीख	प्रास्थिति	विवरणी की आय (रुपये)
245859	महाराष्ट्र	7.10	2.13	27-12-97	16-1-98	व्यक्ति	30,39,880
72939	आन्ध्रप्रदेश	4.34	1.3	30-12-97	27-2-98	व्यक्ति	0
105458	उत्तर प्रदेश	4.05	1.21	23-12-97	13-11-98	व्यक्ति	93,760
419177	आन्ध्रप्रदेश	3.31	1.16	02-12-97	24-12-99	कम्पनी	0
74023	आन्ध्रप्रदेश	3.00	.90	15-12-97	31-3-99	व्यक्ति	10,90,130
61247	उत्तर प्रदेश	3.00	.90	11-9-97	14-2-98	व्यक्ति	55,960
302001	तमिलनाडु	2.50	.20	17-11-97	13-4-98	व्यक्ति	-4,44,470
427256	उड़ीसा	2.24	.67	21-11-97	27-2-98	व्यक्ति	6,03,560
59067	उत्तर प्रदेश	1.50	.45	26-12-97	29-10-98	व्यक्ति	77,67,240
361721	आन्ध्रप्रदेश	1.21	.36	31-12-97	31-3-98	व्यक्ति	14,85,000

2.3.10 आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत 107.63 करोड़ रुपये मूल्य की घोषणा में अन्तर्निहित 137 मामलों में विवरणियां योजना शुरू होने की नियत तिथि के बाद अर्थात् 1.7.97 को प्रस्तुत की गईं और उसके बाद आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषणाएं की गईं। इनमें से 15 कम्पनियां, 6 फर्म, 20 अ.हि.कु. और 96 व्यक्ति थे।

इस श्रेणी में दस उच्च शिखरीय घोषणाओं के विश्लेषण से पता चला कि निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आय विवरणियां आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषणा करने से पहले प्रस्तुत की गईं और विवरणी आय फिर से आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषित राशि की तुलना में नगण्य थी।

कोड	राज्य	घोषिय राशि (रुपये करोड़ में)	कुल प्रदत्त कर (रुपये करोड़ में)	प्रास्थिति	घोषणा की तिथि	वर्ष 1997- 98 की विवरणी की तिथि	विवरणित (रुपयों में)
199936	कर्नाटक	20.00	6.00	व्यक्ति	15-12-97	31-10-97	4,02,57,010
344275	पश्चिम बंगाल	7.50	2.62	कम्पनी	15-12-97	18-8-97	564
121998	उत्तर प्रदेश	5.57	1.67	हि.अवि.कु.	27-12-97	11-9-97	62,350
407581	महाराष्ट्र	4.40	1.32	व्यक्ति	18-11-97	27-10--97	31,79,580
144311	गुजरात	3.04	1.06	कम्पनी	31-12-97	19--11-97	3,22,06,928
233443	महाराष्ट्र	2.50	.75	व्यक्ति	31-12-97	31-10-97	-3,84,830
231018	महाराष्ट्र	1.95	.59	व्यक्ति	30-12-97	07-8-97	8,07,500
303997	तमिलनाडू	1.91	.57	व्यक्ति	02-12-97	01-12-97	9,89,640
196397	कर्नाटक	1.69	.51	व्यक्ति	22-12-97	31-8-97	14,04,330
196401	कर्नाटक	1.55	.46	व्यक्ति	22-12-97	01-9-97	10,08,625

2.3.11 दृष्टान्त मामले

के.प्र.कर बोर्ड के स्पष्टीकरणों में निर्धारण वर्ष 1997-98 को उदाहरण के रूप में शामिल करने के परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा कर की कम दर का अनैच्छिक लाभ उठाने के लिए योजना का दुरुपयोग हुआ।

- आ.आ. शिमला प्रभार में जानकारी से आया एक मामला इस प्रकार है आ.आ. शिमला प्रभार में घोषित कम्पनी (कोड 600573) ने आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत 1.89 करोड़ रुपये की आय प्रस्तुत की। अप्रकटित आय का विवरण इस प्रकार दर्शाया गया।

निर्धारण वर्ष	राशि	टिप्पणियां
1994-95	16,59,640	परिदान सहायता
1995-96	34,87,914	परिदान सहायता
1997-98	1,37,39,216	नि.वर्ष 1997-98 का लाभ

घोषणाकर्ता ने 3.97 लाख रुपये के ब्याज सहित दिनांक 19.3.98 को 66.10 लाख रुपये पर कर का भुगतान किया। कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए 30.11.97 की नियत तिथि की जगह 28.7.98 को शून्य आय की विवरणी दाखिल की। 1.37 करोड़ रुपये के लाभ को आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषित उसी राशि के साथ मुजरा किया गया। यह देखा गया कि कम्पनी के लेखों की चाटर्ड लेखाकार द्वारा 14.8.97 को लेखापरीक्षा की गई थी। जैसा कि आय कर अधिनियम की धारा 44 क ख के अन्तर्गत आवश्यक है, निर्धारिती ने धारा 271 ख के अन्तर्गत शास्ति से बचने के लिए 27.11.97 को लेखों की एक प्रति दाखिल की। इस प्रकार घोषणा कर्ता को कर की कम दर के कारण 10.99 लाख रुपये का लाभ हुआ।

- महाराष्ट्र में आ.आ. मुम्बई सिटी I प्रभार में एक कम्पनी ने (कोड 220702) आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत 6.29 करोड़ रुपये की आय घोषित की और दूसरे दिन 1997-98 के निर्धारण वर्ष की अपनी आय विवरणी शून्य आय पर दाखिल की। कुल आय का विवरण जैसा विवरणी में प्रकट किया गया था। इस प्रकार है:-

विभिन्न स्रोतों से आय

ब्याज	रु 4,10,77,191
लाभांश	रु 2,17,50,95
विविध आय	रु 19,810
अन्य ब्याज	रु 97,784
कुल योग	रु 6,29,45,036
घटाना - आ.स्वै.प्र.यो. में घोषित	रु 6,29,45,036

कर योग्य आय

शून्य

यद्यपि घोषणाकर्ता कोई कर देने में विफल रहा। अतः विवरणी को जाँचते हुए निर्धारण अधिकारी ने 6.29 करोड़ रु समायोजित किये। निर्धारिती ने समायोजनों के खिलाफ अपील की जो आ.आ. (अपील) द्वारा खारिज कर दी गई लेकिन आ.आ. ट्रिबुनल मुम्बई बैच-सी द्वारा बाद में मान लिया गया। 1997-98 निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण 30.3.2000 को संवीक्षा रीति से पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से और पता लगा कि उसी निर्धारिती ने आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत 8.12.97 को 13.29 करोड़ रुपए की एक दूसरी घोषणा की लेकिन इस मामले में भी कर भुगतान नहीं किया। यह सूचना निर्धारण अधिकारी को नहीं दी गई।

- तमिलनाडू आ.आ. II प्रभार में एक कम्पनी (कोड 179097) ने 30.12.97 को आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए 5.95 लाख रु घोषित किये और उसी तारीख को आ.आ. द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। घोषणाकर्ता ने निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए 5.95 लाख रु की आय की घोषणा दिखाते हुए वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यद्यपि पता चला कि निर्धारिती के लेखापरीक्षकों ने दि. 1.8.97 को लेखे सत्यापित किये थे निर्धारिती ने आ.स्वै.प्र.यो. को चुना ओर 1.18 लाख रुपये का लाभ उठाया।

- तमिलनाडु आ.आ. IV प्रभार में एक निर्धारिती कम्पनी (कोड 185544) ने दिनांक 16.2.99 को 5.67 लाख रुपये की आय स्वीकार करते हुए 1997-98 निर्धारण वर्ष के लिए आय विवरणी दाखिल की। यह आय पहले ही आ.स्वै.प्र.यो. में घोषित की जा चुकी थी और कर अदा कर दिया था। इस तरह निर्धारण वर्ष 1997-98 का निर्धारण शून्य आय पर दिनांक 3.8.99 को संवीक्षा के बाद पूर्ण किया गया था। स्रोत पर काटी गई 57,300 रु की राशि धारा 244-अ के अन्तर्गत 8595 रु की ब्याज सहित वापस कर दी गई। निर्धारिती ने आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत आय घोषणा के द्वारा 3.52 लाख रु का लाभ भी उठाया।

उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में आपत्तियों की वैधता है परन्तु वहाँ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जहाँ घोषणाकर्ता निर्धारण वर्ष 1997-98 की आय विवरणी में कुछ आयों को उनके स्रोत एवं स्वरूप को ध्यान में रखकर घोषित नहीं कर सके हों जिनसे ऐसी आय उत्पन्न हुई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि के.प्र.क.बोर्ड के स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप कतिपय निर्धारितियों ने परिपत्र द्वारा दिये गये लाभों का दुरुपयोग किया जैसा कि उपरोक्त मामलों में उल्लेख किया गया है। यदि आ.स्वै.प्र.यो. लागू न हुई होती तो एक नियमित निर्धारिती ने अपने पूर्व वर्ष की आय को प्रकट करते हुए निर्धारित तिथि तक आय-विवरणी दाखिल कर दी होती। और फिर योजना केवल अप्रकटित आय को उजागर करने के आशय से शुरु की गई थी न कि घोषणाकर्ता की नियमित आय की।

2.4 अवयवों द्वारा घोषणाएं

2.4.1 वित्त अधिनियम 1997 की धारा 64(1) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति आय कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर प्रभार योग्य किसी आय की घोषणा कर सकता है।

- क जिसके लिए आयकर अधिनियम 1961 धारा 139 के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो।
- ख जिसें योजना शुरु होने की तारीख से पहले आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा दाखिल आय विवरणी में प्रकट करने विफल रहना
- ग जिसमें चूक के कारण अथवा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरणी भरने में हुई विफलता अथवा अपने निर्धारण या अन्य रूप से आवश्यक सभी तथ्यों को सत्य और पूर्णरूपेण प्रकट न करने के कारण निर्धारण करने से रह गए हों।

वित्त अधिनियम 1997 की धारा 63 (ग) के अन्तर्गत 'व्यक्ति' शब्द को स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत परिभाषित न किए जाने से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (31) के अन्तर्गत दिया हुआ अर्थ माना जायेगा तदनुसार व्यक्ति शब्द में व्यक्ति शामिल है।

आय कर अधिनियम की धारा 64 (1क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1993-94 और उससे आगे एक व्यक्ति की आय की संगणना में सभी प्रकार की अपने अवयस्क बच्चे की उद्भूत अथवा उपार्जित आय शामिल की जानी है। इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 1993-94 से अवयस्कों को आय विवरणी दाखिल करना आवश्यक नहीं था। दूसरे शब्दों में अवयस्क की आय अपने माता पिता की आय में सम्मिलित की जानी है।

2.4.2 आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत बने हुए नियमों और निर्धारित प्रपत्रों अवयस्कों को इसके संचालन से पृथक बनाए रखा। यद्यपि के.प्र.कर बोर्ड ने अपने परिपत्र सं. 754 दिनांक 10 जून 1997 में यह स्पष्ट किया था कि

- कोई अवयस्क अपनी 1992-93 अथवा उससे पूर्व की अप्रकटित आय को घोषित कर सकता है।
- निर्धारण वर्ष 1992-93 से उसकी आय अपने माता पिता की आय में शामिल होगी और वह स्वयं विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है। केवल निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए ओर उसके बाद केवल माता पिता अवयस्क की आय घोषित कर सकते हैं।

2.4.3 उपरोक्त स्पष्टीकरण योजना के उपबन्धों ओर आय कर अधिनियम के समर्थन में नहीं है। यह भी देखा गया कि के.प्र.कर बोर्ड ने तदनन्तर परिपत्र सं. 755 दिनांक 25.7.97 में विरोधात्मक स्पष्टीकरण जारी किए, उदाहरणार्थ जब किसी दादा द्वारा अपने अवयस्क पोते को कुछ नकद उपहार दिया हो और उसे यू टी आई की इकाई में निवेश कर दिया हो ओर उस पर हुई आय अवयस्क पोते के नाम बैंक लेखा में जमा कर दी गई हो तो ऐसी आय निर्धारण वर्ष 1992-93 तक दादा के हाथों में ही प्रकटित की जायेगी और उसके बाद माता पिता द्वारा जब तक पोता वयस्क नहीं हो जाता।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्पष्टीकरण कानूनी तौर पर असंगत

2.4.4 इस प्रकार के.प्र.कर बोर्ड द्वारा जारी स्पष्टीकरण योजना में दिये गये प्रावधानों के आधार पर नहीं थे। के.प्र.क.बोर्ड की शक्तियां योजना में कहे कथन को स्पष्ट करना है। इसके पास ऐसे कोई शक्तियां संवर्ग उत्पन्न करने की नहीं है जहाँ योजना चुप है।

उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि अवयस्क भी निर्धारण वर्ष 1992-93 तक एक प्रतिनिधि द्वारा कर निर्धारण किये जाते थे। अवयस्कों की आय निर्धारण वर्ष 1993-94 से माता पिता की आय में शामिल की जाती है। चूँकि आ.स्वै.प्र.यो. सभी व्यक्तियों के लिए खुली थी, अवयस्कों के लिए भी योजना के अन्तर्गत आय घोषित करने की कोई रुकावट नहीं थी। परिपत्र सं. 754 वैधानिक स्थिति स्पष्ट करता है। परिपत्र सं. 755 का सम्बन्ध प्रश्न सं. 43 के उत्तर से है। उत्तर में वैधानिक स्थिति फिर से स्पष्ट की गई है कि यदि दादा द्वारा अप्रकट स्रोतों से अवयस्क को धन उपहार में दिया जाता है। तो घोषणा दादा द्वारा की जा सकती थी और उपहार से प्राप्त आय पर निर्धारण वर्ष 1992-93 तक उसके उपर ही कर लगाया जायेगा। निर्धारण वर्ष 1993-94 से उपहार से प्राप्त आय माता-पिता की आय में शामिल होगी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। के.प्र.कर बोर्ड ने योजना को आन्तरिक समांजस्य भंग किया जिससे अवयस्कों की अलेखांकित आय की अनेकों घोषणाएं सम्भव हो सकी।

फिर धारा 75 विशेषतः निर्धारित करती है कि कोई लाभ, छूट या मांफी योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहेगी जिन्होंने घोषणा की हो न कि अन्य किसी व्यक्ति को। अतः वैधानिक आशय स्पष्टतया अवयस्कों के नाम पर हुए बेनामी घोषणाओं को रोकना था।

2.4.5 लेखापरीक्षा विश्लेषण

डेटा बेस के विश्लेषण करने से पता लगा कि:

1. 138.23 करोड़ रुपये की कुल आय से अन्तर्निहित 2472 घोषणा प्रपत्रों में अवयस्क शब्द घोषणाकर्ता के नाम के साथ दशाया गया था जब कि जन्म तिथि/उम्र का कोई उल्लेख नहीं था। ये मामले विभाग ने स्वीकार कर लिए और वयस्कों के नाम प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए। कुल भुगतान कर 41.30 करोड़ रुपये था।
2. कुल अवस्क घोषणाकर्ताओं की संख्या में से 1568 घोषणाकर्ताओं (63.43 %) ने कहा कि वे पहले से ही नियत निर्धारित हैं। उनके द्वारा घोषित आय 96.36 करोड़ रुपये थी जब कि भुगतान किया कर 28.80 करोड़ रुपये था। 904 घोषणाकर्ता नए थे और घोषित आय 41.88 करोड़ रुपये थी जब कि भुगतान किया कर 12.49 रुपये था।
3. 157 मामलों में, अवयस्कों द्वारा घोषित 16.17 करोड़ रुपये मूल्य की आय 1993-94 निर्धारण वर्षों और बाद से सम्बन्धित थी। ये घोषणाएं, जो योजना के उपबन्धों के विपरीत और बोर्ड द्वारा जारी स्पष्टीकरण का उल्लंघन भी थी फिर भी विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गईं और अवयस्कों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गये। जैसाकि अवयस्कों की आय निर्धारण वर्ष 1993-94 से माता पिता की आय में शामिल होनी है और माता पिता को ही आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है, माता पिता कानूनी रूप से योजना के अन्तर्गत अपने अवयस्क बच्चे द्वारा घोषित आय का नियमित निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान दावा नहीं कर सकते।
4. 31 मामलों में, जहाँ घोषित आय 2.02 करोड़ रुपये थी, घोषणाएं **1 जुलाई 1979 से पूर्व** अवधि की थी अर्थात् निर्धारण वर्ष 1980-81 से पूर्व अवधि की। साक्ष्य रूप से इन मामलों में घोषणाकर्ताओं ने योजना लागू होने की तिथि, 1 जुलाई 1997 की अन्तिम प्रभावी तारीख तक जन्म नहीं ले सकते थे। इस प्रकार यह संभावना कि इन मामलों में घोषणाएं बेनामी लेन-देन से सम्बन्धित हो सकती है समाप्त नहीं की जा सकती। फिर भी इन घोषणाएं को जिनके लिए योजना के अन्तर्गत कोई क्षमादान प्रदान नहीं की जा सकती, विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और प्रमाण पत्र जारी किए गए।
5. अवयस्कों के सम्बन्ध में जन्म तिथि के सबूत के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग ने कैसे सुनिश्चित किया कि उपरोक्त घोषणाकर्ता घोषणा की तिथि पर अवयस्क थे। जब अनन्य रूप से आवश्यक घोषणा प्रपत्र की सूचनाएं जिन्हें

अवयस्कों द्वारा
घोषित आय उनके
जन्म से पूर्व की।

नियमित आय कर विवरणी में भी देना आवश्यक होता है, घोषणाकर्ता की जन्म ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं था।

6. अवयस्कों द्वारा 2472 मामलों में घोषित परिसम्पत्तियों की प्रकृति को विस्तृत रूप से निम्न श्रेणियों से सम्बन्धित थी।

परिसम्पत्तियों की प्रकृति	कुल प्रकटित आय (रु)
नकद	64,35,67,490
ज्वैलरी 1.4.87 से पूर्व	29,87,29,284
ज्वैलरी 1.4.87 से बाद में	35,15,86,980
शेयरों	2,62,20,935
चांदी	1,68,99,276
वास्तविक सम्पदा	1,38,63,849
सोना चांदी	1,36,93,324
असामान्य मर्दे	38,78,024
स्टाक	30,18,499
ऋण और अग्रिम	12,75,904
कर्ज	7,45,324
गाड़ियां	1,72,000

अवयस्क घोषणाकर्ताओं का राज्यवार विवरण निम्नवत है:-

राज्य	अवयस्क घोषणाकर्ताओं की संख्या	घोषित राशि (रु)	प्रदत्त कर (रु)
आन्ध्र प्रदेश	57	2,75,58,836	82,68,010
आसाम	25	1,13,55,662	34,06,789
बिहार	31	1,01,23,036	30,36,910
दिल्ली	181	17,12,59,327	5,04,86,624
गुजरात	375	19,02,41,307	5,67,69,490
हरियाणा	30	1,86,25,505	55,87,729
हिमाचल	1	3,00,000	90,000
कर्नाटक	43	4,02,24,002	1,20,67,237
केरल	38	5,07,73,747	1,52,32,127
मध्यप्रदेश	70	3,67,70,872	1,10,31,144
महाराष्ट्र	421	22,34,14,470	6,68,88,456
उड़ीसा	9	12,53,478	3,76,044
पंजाब	115	5,11,92,979	1,53,58,339
राजस्थान	61	2,44,67,325	73,40,469
तमिलनाडु	227	12,01,26,878	3,55,82,595
चण्डीगढ़	3	14,62,899	4,38,870
उत्तर प्रदेश	136	14,38,36,391	4,31,51,521
पश्चिम बंगाल	649	25,93,60,592	7,78,44,624

2.4.6 पश्चीय आ.स्वै.प्र.यो. का दृश्य

पश्चीय आ.स्वै.प्र.यो. की अवधि में इन अवस्क घोषणाकर्त्ताओं के निर्धारणों के बारे में सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए योजना के अन्तर्गत अवयस्क घोषणाकर्त्ताओं के 2472 मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा एक अध्ययन किया गया। प्रयुक्त विधि में इन अवयस्कों द्वारा निर्धारण वर्षों 1998-99 और 1999-2000 के लिए नियमित आय विवरणी की अनन्य जाँच और आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषित परिसम्पत्तियों को मिला करने और यह जाँच करना कि क्या साख जारी कर प्रमाण पत्रों में ले ली गई है।

अध्ययन के परिणाम निम्नवत है:-

1. 2472 मामलों में से जिनके निर्धारण अभिलेख लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए थे, 383 मामलों में अभिलेख विभाग द्वारा दिए गये। दूसरे मामलों में विभाग अवगत न था कि व्यक्ति विवरणी दाखिल कर रहे थे अथवा नहीं क्योंकि अवयस्क अलग निर्धारण वर्ष 1993-94 से विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं थे।
2. लेखापरीक्षा को दिखाए गए 383 मामलों में यह देखा गया कि लगभग सभी मामलों में अवयस्क अलग से विवरणी दाखिल नहीं कर रहे थे उनकी आय अपने पिता/अभिभावक के साथ शामिल होनी थी। आ.स्वै.प्र.यो. के प्रमाणपत्र किसी भी मामलों में दाखिल नहीं पाई गई और इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं था कि विभाग अवयस्कों की घोषणाओं से सम्बन्धित मामलों को किसी प्रकार देख रहा था।

■ दृष्टान्त

- (i) आ.आ.दिल्ली IX नई दिल्ली [कोड: 486531] से सम्बन्धित एक मामले में पिता ओर अवस्क पुत्री ने 31.12.97 को एक संयुक्त घोषणा की जो योजना के अन्तर्गत अनुमेय नहीं थी। कुल 15.15 लाख रु की प्रकटित राशि में से 6.5 लाख रु अपनी अवयस्क पुत्री के नाम घोषित किया गया। तथापि आ.आ. द्वारा जनवरी 1998 में एक प्रमाण पत्र दोनों घोषणाकर्त्ताओं के नाम जारी किया गया। यद्यपि यह देखा गया कि पिता द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए आय विवरणी में न तो पुत्री की आय शामिल की गई ओर न आ.स्वै.प्र.यो. प्रमाण पत्र संलग्न किया गया।
- (ii) कर्नाटक आ.आ. III प्रभार में एक मामले में (कोड 208583) एक व्यक्ति ने 30.12.97 को अवयस्क की हैसियत से निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए नकद 2 लाख रु की राशि की घोषणा की ओर उसे प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। हालाँकि 1998-99 एवं 1999-2000 निर्धारण वर्षों के निर्धारण/दस्तावेजों की लेखापरीक्षा से पता चला कि घोषणाकर्त्ता की जन्म तिथि 1 फरवरी 1963 थी। अतः घोषणाकर्त्ता घोषणा करने की तारीख को अवयस्क नहीं था।

(iii) आ.आ.XIV प्रभार महाराष्ट्र में एक वर्ग के मामलों में एक पिता ने (कोड 312701) अपने स्वयं के नाम एक घोषणा फाइल की और दो और घोषणाएं पिता के रूप में एवं दो अवयस्क बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में (कोड 66723 और 66725) यद्यपि निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए अपने विवरणी के साथ संलग्न लेखों में योजना के अन्तर्गत केवल अपने द्वारा घोषित राशि ही दर्शाई गई और वहाँ अवयस्क की घोषणा का कोई संकेत नहीं था।

बेनामी घोषणाएं

3. 383 मामलों में से लेखा परीक्षा को दिखाए गये 16 मामलों में समग्र आय 0.62 करोड़ रु थी जहाँ निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा जन्म तिथि सत्यापित की जा सकती थी, घोषणाकर्ताओं ने सम्बन्धित जन्म तिथि से पूर्व के निर्धारण वर्षों की आयों को घोषित किया। मामलों का विवरण नीचे दिखाया गया है:


सं.	राज्य	आ.आ. प्रभार	कोड	जन्म तिथि	घोषणा की तिथि	घोषित राशि (रु)	निर्धारण वर्ष
1.	महाराष्ट्र	शहर IX	238498	8.9.1986	21.12.1997	5,35,519	1982-83
2.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. X	260742	1.8.1986	18.12.1997	57,269	1967-68
3.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. VIII	268795	8.6.1991	24.12.1997	4,75,430	1982-83
4.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. IV	301394	13.4.1981	24.12.1997	1,24,992	1982-83
5.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. VIII	273632	1.7.1981	29.12.1997	1,14,485	1962-63
6.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. IX	274606	20.9.1986	31.12.1997	54,720	1963-64
7.	तमिलनाडु	मदुरई	175535	8.6.1983	29.12.1997	9,28,313	1978-79
8.	आसाम	गुवाहाटी	420487	23.10.1981	5.12.1997	9,32,459	1980-81
9.	महाराष्ट्र	शहर VIII	225999	17.8.81	18.12.97	4,56,398	1981-82
10.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. VIII	264731	19.8.89	11.12.97	4,03,915	1989-90
11.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. IX	320398	3.7.80	31.12.97	2,54,490	1980-81
12.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. IX	404715	17.11.83	23.12.97	4,18,449	1982-83
13.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. VIII	276692	4.11.82	26.12.97	1,21,101	1982-83
14.	पश्चिम बंगाल	आ.आ. IX	274571	3.9.80	31.12.97	1,52,329	1979-80
15.	तमिलनाडु	मदुरई	175531	29.1.85	29.12.97	2,66,500	1979-80, 1984-85
16.	आसाम	गुवाहाटी	420488	20.6.85	8.12.97	7,63,293	1985-86

उपरोक्त सभी घोषणाएं ज्वैलरी द्वारा प्रदर्शित की गई तथ्यों से भी निष्कर्ष निकलता है कि इन मामलों में घोषित आय बेनामी थी। इस संदर्भ में यह और कहा जा सकता है कि योजना के अन्तर्गत वंशानुगत धन को घोषित करने को कोई प्रावधान न था और इस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी जन्म तिथि के पूर्व की आय को घोषित नहीं कर सकता था।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 (1क) के शर्तों के अनुसार कोई अवयस्क को आय विवरणी दाखिल करना आवश्यक नहीं था और इस प्रकार विभाग अवयस्क घोषणाकर्ताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस प्रकार के.प्र.कर बोर्ड द्वारा कानून की गलत व्याख्या करने से संसद के आदेश को ढीला कर

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 ए (प्रत्यक्ष कर)


दिया गया परिणामस्वरूप अवयवकों द्वारा घोषणाओं के अनेकों मामले फिर से शुरू हो गये जिसके लिए योजना का आशय कभी नहीं था।



अध्याय 3

परिसम्पत्तियों द्वारा घोषित अप्रकटित आय

- जेवरात का मूल्यांकन
- बुलियन (सोना) का मूल्यांकन
- चांदी/चांदी के बरतनों/वस्तुओं का मूल्यांकन
- वास्तविक सम्पदा सम्पत्ति की घोषणाएं
- अन्य व्यक्तियों से देय ऋणों और कर्जों तथा उधारों की घोषणाएं
- शेयरों और डिबेंचरों की घोषणाएं
- स्टाकों और मालसूची का मूल्यांकन



अध्याय 3

परिसम्पत्तियों द्वारा घोषित अप्रकटित आय

3.1 जेवरात का मूल्यांकन

3.1.1 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 73(1) (iii) में प्रावधान है कि यदि घोषित आय उस जेवरात की द्योतक है जोकि निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व एक निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में थे तब ऐसे जेवरात का मूल्य 1.4.1987 का मूल्य लिया जाएगा। तदनुसार विभिन्न निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में मूल्य निम्नानुसार होगा:

निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में जोकि निर्धारण वर्ष 1986-87 होगा; अर्थात् 1 अप्रैल 1986 से पहले अधिगृहीत जेवरात	1 अप्रैल 1987 को उचित बाजार मूल्य
निर्धारण वर्ष 1987-88 और उसके बाद के सम्बन्ध में अर्थात् 1 अप्रैल 1986 को या उसके बाद अधिगृहीत जेवरात	अधिग्रहण लागत पर अवधारित मूल्य

के प्र क बो ने स्पष्टीकरण मिला दिए जिससे घोषणाकर्ताओं में अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी।

3.1.2 उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत के प्र क बो ने अपने परिपत्र संख्या 754 दिनांक 10.6.1997 में बताया और बाद में एक प्रश्न के उत्तर में दोहराया कि 1 अप्रैल 1987 से पहले अधिगृहीत जेवरात का 1 अप्रैल 1987 को उचित बाजार मूल्य पर प्रकटन किया जाना था। चूंकि यह स्पष्टीकरण योजना के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध था इसलिए इससे घोषणाकर्ताओं में अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी और के प्र क बो को 25.7.1997 को सही स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी कि यदि जेवरात 31 मार्च 1986 को या इससे पहले अधिगृहीत किया गया था तब मूल्य वह होगा जो 1 अप्रैल 1987 को होगा। तथापि वे अपने पुराने स्पष्टीकरण में संशोधन करने या यह सूचित करने में विफल रहे कि यह स्पष्टीकरण पुराने परिपत्र के प्रतिस्थापन में था।

3.1.3 सदस्य (जांच) ने एक पत्र संख्या एम (इनव)/वीडी आई एस/97/3153 दिनांक 8.8.1997 जारी की जिसमें एक विशेष वर्ष में जेवरात के अधिग्रहण के समर्थन में घोषणा के साथ संलग्न किए जाने वाले साक्ष्य पर बल दिया गया। इस पत्र में स्वयं घोषणाकर्ता द्वारा मात्र एक हलफनामा या एक घोषणा की अनुमति प्रदान की गयी। कोई अन्य साक्ष्य जैसे कि खरीद बिल अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत या बाद वाले स्पष्टीकरणों में निर्धारित नहीं किए गए।

इसके अतिरिक्त घोषणा फार्म के अनुसार जहां स्वैच्छिक रूप से प्रकटित आय एक निर्धारण वर्ष से अधिक निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित थी वहां प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में आय को अलग दर्शाया जाना था। घोषणा फार्मों से लेखापरीक्षा ने विभिन्न श्रेणी के निर्धारितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष में घोषित जेवरात के मात्रा विवरण अभिनिश्चित करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया। तथापि कई मामलों में घोषणाओं में उपरोक्त विवरण नहीं दर्शाए गए और कुछ मामलों में घोषणाएं सम्मिलित निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में थीं। के प्र क बो से अनुदेशों के बावजूद घोषणा फार्मों की योजना के अन्तर्गत उनकी वैधता की जांच करने के लिए स्वीकार करने के समय संवीक्षा नहीं की गयी थी। फार्मों को

उनको दाखिल करने के रूप में स्वीकार किया गया और उसी हैसियत से सुसंगत विवरणों, जैसेकि उपलब्ध थे, को समाविष्ट करते हुए डाटाबेस तैयार किया जा सका।

3.1.4(क) 1 अप्रैल 1986 से पहले अधिगृहीत जेवरात

यह पाया गया कि 309081 मामलों, जहां 12404.35 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात प्रकटित किए गए, में से 2,08,041 मामले, जिनमें 7812.48 करोड़ रुपए अन्तर्ग्रस्त थे, निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में अवधि से सम्बन्धित थे।

- (i) चूंकि घोषित आय को योजना के अनुसार प्रत्येक निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में अलग से दर्शाया जाना था इसलिए 1,20,257 घोषणाओं, जिनमें जेवरात के निर्धारण वर्षवार ब्यौरे नहीं दर्शाए गए, को रद्द माना जाना चाहिए था। इसके बजाय विभाग ने इन मामलों को स्वीकार किया और 1,18,980 मामलों में प्रमाणपत्र जारी किए। इन मामलों में पुनःविचार करने की आवश्यकता है।
- (ii) 39,513 मामलों में घोषणाएं, जिनमें जेवरात अधिग्रहण के साक्ष्य/मूल्यांकक के प्रमाणपत्र के बिना घोषित किए गए, योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में विभाग द्वारा स्वीकार की गयी और प्रमाणपत्र जारी किए गए। मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं

चूक का स्वरूप	मामलों की संख्या ¹	घोषित कुल राशि	जेवरात का मूल्य	जारी किए गए वी डी आई एस प्रमाणपत्र
		(रुपए करोड़ में)		(संख्या)
मामले जहां मूल्यांकक का प्रमाणपत्र और अधिग्रहण का साक्ष्य दोनों ही संलग्न नहीं थे	2757	191.12	96.49	2521
मामले जहां मूल्यांकक का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था	3184	60.35	26.44	3117
मामले जहां अधिग्रहण का साक्ष्य संलग्न नहीं था	33572	2212.12	1443.82	32598
जोड़	39513	2463.59	1566.75	38236

39513 मामलों में अधिग्रहण का कोई साक्ष्य मूल्यांकक का प्रमाण पत्र नहीं था परन्तु स्वीकार किए गए।

1.4.1987 की दरों पर मूल्यांकित करने की बजाय अधिगृहीत लागत पर मूल्यांकित जेवरात

- (iii) 485 मामलों की नमूना जांच, जहां घोषित जेवरात की मात्रा फार्मा और संलग्न दस्तावेजों से उपलब्ध थी, से पता चला कि निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में अधिगृहीत जेवरात का 1.4.1987 को उचित बाजार मूल्य की बजाय अधिग्रहण की लागत पर मूल्यांकन किया गया था। यद्यपि यह योजना के प्रावधानों के विपरीत था फिर भी विभाग ने ये घोषणाएं स्वीकार कीं। इन घोषणाओं के गलत स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप अकेले इन 485 मामलों में 1.47 करोड़ रुपए के राजस्व की परिणामी हानि के साथ 4.19 करोड़ रुपए की आय कम बताई गई।

¹ कुछ मामले शामिल हैं जहां घोषणाएं एक निर्धारण से अधिक के लिए सूचना को इकट्ठा करके दाखिल की गयी।

दृष्टान्तः

बिहार प्रभार में एक घोषणाकर्ता (कोड नं. 50521) ने योजना के प्रावधानों के अनुसार 1.4.1987 को बाजार मूल्य पर निकाले जाने वाले 10.34 लाख रुपए की बजाय निर्धारण वर्ष 1965-66 के सम्बन्ध में अधिग्रहण की लागत पर जेवरात द्वारा द्योतित 0.60 लाख रुपए घोषित किए। इसके परिणामस्वरूप 2.92 लाख रुपए के राजस्व की परिणामी हानि के साथ 9.74 लाख रुपए का अवमूल्यांकन हुआ।

3.1.4 (ख) 1.4.1986 से 31.3.1987 के दौरान अधिगृहीत जेवरात

तारीखों के आन्तरिक
सामंजस्य के अभाव
के परिणामस्वरूप
राजस्व की हानि हुई

योजना में उल्लिखित तारीखों के बारे में आन्तरिक सामंजस्य नहीं रखा गया जिसके फलस्वरूप अनुपयुक्त स्थिति उत्पन्न हुई। योजना के अनुसार कम कीमत पर 1.4.1986 से पहले अधिगृहीत जेवरात का 1.4.1987 को ऊंची बाजार दर (2570 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना) पर मूल्यांकन किया जाना था जबकि ऊंची लागत पर और 1.4.1986 से 31.3.1987 के बीच ऊंची लागत पर तथा बाद वाली तारीख को अधिगृहीत जेवरात का अधिग्रहण की लागत पर मूल्यांकन किया जाना था जोकि 2140 रुपए (1.4.1986 को) और 2405 रुपए (31.12.1986 को) के बीच परिवर्तित होती सोने की लागत के साथ 1.4.1987 को दर से काफी कम थी हालांकि दोनों मामलों में अधिग्रहण की तारीख 1.4.1987 की कट आफ तारीख से पहले थी तथापि स्पष्ट असंगतता को दूर करने के लिए विभाग द्वारा कोई उपाय नहीं किए गए।

285 मामलों की नमूना जांच से दर्शाया गया कि उपरोक्त असंगतता के कारण निर्धारण वर्ष 1987-88 (अर्थात् 1.4.1986 से 31.3.1987 तक की अवधि के दौरान अधिगृहीत) के सम्बन्ध में घोषित जेवरात का 1.4.1987 को उचित बाजार मूल्य की बजाय अधिग्रहण की लागत पर मूल्यांकन किया गया। उपरोक्त 285 मामलों में परिणामी अवमूल्यांकन 7.52 करोड़ रुपए बनता था जिसमें 2.26 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभाव रहा।

3.1.4 (ग) 1.4.1987 के बाद अधिगृहीत जेवरात

जेवरात की हाल की
खरीद का
1.4.1987 को
मूल्यांकन किया गया
और घोषित की
गयी

योजना के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1987-88 और बाद वाले वर्षों के सम्बन्ध में अधिगृहीत जेवरात का अधिग्रहण की लागत पर मूल्यांकन किया जाना था। 68 मामलों की नमूना जांच में दर्शाया गया कि 1.4.1987 को या इसके बाद अधिगृहीत ऐसे जेवरात अधिग्रहण की तारीख को प्रचलित दरों पर मूल्यांकित करने की बजाय 1.4.1987 को उचित बाजार मूल्य पर उसका मूल्यांकन करते हुए घोषित किए गए। तथापि घोषणाएं विभाग द्वारा स्वीकार की गयीं। इन घोषणाओं की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप 17.42 लाख रुपए के राजस्व की परिणामी हानि के साथ कुल 58.08 लाख रुपए की आय का अवमूल्यांकन हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या	अधिग्रहण की लागत पर मूल्य (घोषित किया जाने वाला)	वास्तव में घोषित मूल्य	अवमूल्यांकन की राशि	राजस्व की हानि
1988-89	42	179.64	156.00	23.64	7.09
1989-90	5	11.91	10.61	1.30	0.39
1990-91	6	63.99	59.76	4.23	1.27
1991-92	4	37.69	35.54	2.15	0.64
1992-93	2	6.13	5.49	0.64	0.19
1993-94	1	4.74	3.43	1.31	0.39
1996-97	5	47.21	27.76	19.45	5.84
1997-98	3	15.96	10.60	5.36	1.61
जोड़	68	367.27	309.19	58.08	17.42

दृष्टांत:

महाराष्ट्र में निर्धारण वर्ष 1996-97 के सम्बन्ध में एक घोषणाकर्ता (कोड नं. 259665) ने 1.4.1987 को बाजार दर पर मूल्यांकित जेवरात द्वारा निरूपित अप्रकटित आय का प्रस्ताव किया और उपरोक्त निर्धारण वर्ष से सुसंगत 31.3.1996 को अधिग्रहण की लागत पर मूल्यांकित 21.67 लाख रुपए की सही राशि के प्रति योजना के अंतर्गत 11.54 लाख रुपए घोषित किए। जेवरात के मूल्यांकन के लिए गलत तारीख अपनाने के परिणामस्वरूप 10.13 लाख रुपए की आय की कम घोषणा की गयी जिसके कारण 3.04 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

3.1.4 (घ) योजना में कमी

1.4.1987 को जेवरात के लिए तारीख के रूप में अपनाना टैस्ट आफ रीजन नहीं है।

मामलों की नमूना जांच, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया, में योजना के अन्तर्गत घोषित जेवरात की लागत के अवमूल्यांकन की पुष्टि की गयी। अवमूल्यांकन की पूरी सीमा का अन्दाज़ा इन मामलों की सम्पूर्णता में उनके निर्धारित किए जाने का मात्र बाद लगाया जा सकता था। तथापि जेवरात के मूल्यांकन के लिए निर्धारित तारीख अर्थात् 1.4.1987 की तारीख को अपनाने के पीछे तर्काधार पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

न तो योजना में न ही योजना का उल्लेख करने वाले ज्ञापन में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। मन्त्रालय की फाइलों में इस मुद्दे पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। परिस्थितियों के अन्तर्गत इस बात की जांच करके कि क्या कोई अन्य तारीख संभव हो सकती थी, इसे समझने का प्रस्ताव किया गया है।

योजना आय के प्रकटन के लिए अभिप्रेत थी (निर्धारण वर्षवार)। इस प्रकार जहां ऐसी हिसाब में न ली गयी आय जेवरात द्वारा द्योतित थी वहां इसके मूल्यांकन के लिए सही तारीख इसके अधिग्रहण की वास्तविक तारीख हो सकती है बशर्ते कि ऐसा अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत रखे जाने योग्य दस्तावेजीय साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। चूंकि योजना के अन्तर्गत घोषित अधिकांश आय हिसाब में न लिए गए स्रोतों के सम्बन्ध में थी इसलिए

ऐसा साक्ष्य उपलब्ध न हो सके। इस प्रकार यह अनिवार्य है कि एकरूपता के लिए एक सामान्य तारीख निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तारीख घोषणा की तारीख हो सकती थी। तथापि यह 1.7.97 से 31.12.97 तक 6 महीने के समय-विस्तार वाला एक परिवर्ती घटक है और चूककर्ता निर्धारितियों को आकर्षित करने की दृष्टि से अनुपयुक्त भी हो सकता है। अन्य तारीखें, जो तार्किक रूप से उपलब्ध हैं, निम्नानुसार होंगी:

1 जुलाई 1997 योजना के प्रारम्भ करने की तारीख,

या

1 अप्रैल 1997 निर्धारण वर्ष 1997-98 से सुसंगत तारीख

इन तारीखों में से कोई भी तारीख उपयुक्त और विश्वसनीय रही होंगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तारीखों में से किसी को भी अपनाकर जेवरात के अधिग्रहण की तारीख के संदर्भ में जेवरात के अधिग्रहण के साक्ष्य की आवश्यकता को छोड़ा जा सकता था।

तथापि योजना के अनुसार निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व एक निर्धारण वर्ष में अधिगृहीत जेवरात (अर्थात् 31 मार्च 1986 तक अधिगृहीत) के सम्बन्ध में जेवरात के मूल्यांकन के लिए निर्धारित तारीख 1 अप्रैल 1987 थी। निर्धारण वर्ष 1987-88 में और उसके बाद अधिगृहीत जेवरात (अर्थात् 31 मार्च 1986 के बाद अधिगृहीत) के सम्बन्ध में अधिग्रहण की वास्तविक तारीख मूल्यांकन के लिए अपनायी जानी थी।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जेवरात मुख्यतया सोने के या सोने, जिसमें कीमती/अर्द्धकीमती पत्थर जड़े हों, के बने होते हैं और चांदी के बने जेवरात गौण होंगे। मूल्यांकन के लिए एक तारीख को अपनाने पर निर्णय लेते समय के प्र क बो को यह जानकारी थी कि 1.4.1987 से 1.4.1997 तक की अवधि के दौरान सोने और चांदी दोनों की दरों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई थी। दरें निम्नानुसार थीं :

धातु (मूल्यांकन के लिए यूनिट)	31 मार्च को दर		वृद्धि की राशि	वृद्धि की प्रतिशतता
	1987	1997		
सोना (प्रति 10 ग्राम)	2,570	4,725	2,155	84
चांदी (प्रति एक कि ग्रा)	4,794	7,345	2,551	53

1.4.1987 को मूल्यांकन की तारीख के रूप में अपनाया कुविचारित था

जब इन दरों तथा प्रतिशतता वृद्धि पर राजस्व पर संभव निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है तब 1.4.1987 को मूल्यांकन के लिए तारीख के रूप में अपनाया का के प्र क बो का निर्णय कुविचारित प्रतीत होता है। यदि विभाग ने निर्धारण वर्ष 1997-98 से सुसंगत तारीख होने के नाते इसके तर्काधार पर नियत किया होता, मान लीजिए 1.4.1997 तब घोषणा के लिए मूल्य काफी अधिक रहा होता और घोषणाओं से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ होता।

यह पुनरावृत्ति की जाती है कि 1 अप्रैल 1987 की कट आफ तारीख और अधिग्रहण की सुसंगत तारीख, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया, का निर्धारण करने में तर्काधार, यदि

कोई हो, की विभाग द्वारा अपने किन्हीं परिपत्रों ओर प्रेस सार द्वारा जानकारी नहीं दी गयी थी। तथापि इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित को नोट करना महत्वपूर्ण है:

- सभी पुरानी क्षमादान योजनाओं में चालू तारीखों पर मूल्यांकन का प्रावधान था।
- निर्धारित पद्धति में विभाग द्वारा बड़ी संख्या में घोषणाओं की जटिल संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए दरों का अवधारण अन्तर्ग्रस्त था जो वित्त मंत्री के इस तर्क के विरुद्ध था कि योजना साधारण होगी।
- स्पष्टीकरणों से अप्रत्याशित जटिलताएं बढ़ गई जैसेकि इंडेक्सेशन से उद्भूत पूंजीगत हानि जिनपर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गयी है

कि राजस्व के हितों की रक्षा नहीं की गई इसका निम्नवत् उल्लेख किया जा सकता था:

जेवरात के मात्रात्मक तथा श्रेणीवार विवरणों के अभाव में निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में घोषित 7812.48 करोड़ रुपए मूल्य के सारे जेवरात मान लीजिए कि केवल चांदी के हैं। यह नोट किया जा सकता है कि वृद्धि की दर (53 प्रतिशत) सोने की दर (84 प्रतिशत) की तुलना में कम थी। घटी हुई दर की इस परिकल्पना के साथ भी घोषणा के लिए निम्नतम राशि जेवरात के रूप में घोषित 7812.48 करोड़ रुपए के प्रति 11,969.69 करोड़ रुपए बनेगी। इसमें ही 1247.16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अन्तर्ग्रस्त होगा जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

1.4.1987 को मूल्यांकन के लिए तारीख के रूप में अपनाने के कारण जेवरात का भारी अवमूल्यांकन संभव बनाया गया।

घोषणा फार्मों के अनुसार निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में घोषित जेवरात का मूल्य	7812,48,24,877 रुपए
31 मार्च 1987 को प्रति कि.ग्रा. 4,794 रुपए की चांदी की दर के संदर्भ में निकाली गयी चांदी की मात्रा	1,62,96,376 किग्रा
उस तारीख को प्रति किग्रा 7,345 रुपए की अनुमोदित दर के संदर्भ में 31 मार्च 1997 को उपरोक्त मात्रा का मूल्य	11969,68,81,720 रुपए
निम्नतम राशि जो अतिरिक्त रुप से घोषित की जानी चाहिए थी	4157,20,56,843 रुपए
अतिरिक्त राजस्व की निम्नतम राशि जो योजना के अन्तर्गत निर्धारित निम्नतर कर दरों (अर्थात् 30 प्रतिशत) को हिसाब में लेते हुए अर्जित की जा सकती थी	1247,16,17,053 रुपए

यदि इस परिकल्पना पर निकाला जाए कि जेवरात मात्र सोने द्वारा द्योतित हैं तब अवमूल्यांकन की राशि 6550.93 करोड़ रुपए के गणितीय आंकड़ों तक पहुंचेगी जिसमें 1965.28 करोड़ रुपए की सीमा तक राजस्व की कम उगाही अंतर्ग्रस्त है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

घोषणा फार्मों के अनुसार निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में घोषित जेवरात का मूल्य	7812,48,24,877 रुपए
31 मार्च 1987 को प्रति 10 ग्राम 2,570 रुपए की सोने की दर के संदर्भ में निकाली गयी सोने की मात्रा	30,39,87,645 ग्राम
उस तारीख को प्रति 10 ग्राम 4,725 रुपए की अनुमोदित दर के संदर्भ में 1 अप्रैल 1997 को उपरोक्त मात्रा का मूल्य	14363,41,62,263 रुपए

निम्नतम राशि जो अतिरिक्त रूप से घोषित की जानी चाहिए थी	6550,93,37,386 रुपए
अतिरिक्त राजस्व की निम्नतम राशि जो योजना के अन्तर्गत निर्धारित निम्नतर कर दरों (अर्थात् 30 प्रतिशत) को हिसाब में लेते हुए अर्जित की जा सकती थी	1965,28,01,216 रुपए

इस प्रकार राजस्व की हानि की राशि में घोषित जेवरात के प्रकार के आधार पर 1247.16 करोड़ रुपए और 1965.28 करोड़ रुपए के बीच अन्तर रहेगा।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि योजना में 1997-98 सहित और उस तक के किसी निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में घोषणा का प्रावधान था। आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रकटित आय पर कर लगाने के लिए कार्रवाई मात्र दस वर्ष की अवधि के लिए की जा सकती थी। इसलिए ऐसा हुआ कि 1997 में कट आफ तारीख 1.4.87 ली गयी।

मंत्रालय का उत्तर इस बात को मानते हुए मान्य नहीं है कि चांदी के बर्तनों, सोने के सिक्कों आदि, जहां अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका, की असामान्य घोषणाओं के मामले में के प्र क बो ने निदेश दिया कि मूल्यांकन की तारीख 1.4.97 ली जानी चाहिए। इसलिए जेवरात और बुलियन के मूल्यांकन के मामले में 1.4.87 की तारीख को अपनाने का तर्क स्वीकार्य नहीं है। निर्धारण वर्ष 1997-98 के मामले उपरोक्त पैरा 2.3 में अलग से चर्चित हैं।

बाद वाले वर्षों का अधिग्रहण कर के अपवंचन को समर्थ बनाते हुए पूर्ववर्ती वर्षों के अधिग्रहण के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता था।

3.1.4 (ड) जेवरात के अधिग्रहण के समर्थन में साक्ष्य स्वयं घोषणाकर्ता द्वारा मात्र एक हलफनामा/घोषणा थी और कोई समर्थक साक्ष्य जैसे कि खरीद बिल आदि निर्धारित नहीं था। उसी हैसियत से विभाग घोषणाकर्ता के कथन का विरोध करने में समर्थ नहीं होगा और उन मामलों का पता लगाने के लिए उनके पास ऐसा कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है जहां घोषणाकर्ता ने निर्धारण वर्ष 1987-88 के बाद एक वर्ष में जेवरात का वास्तव में अधिग्रहण किया परन्तु इसकी निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व अधिगृहीत के रूप में घोषणा की। इस मूल्यांकन का सहारा लेते हुए इस तथ्य, कि ऐसा मूल्यांकन मात्र घोषणा के प्रयोजन के लिए था, को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति निवेशित वास्तविक राशि से कम आय की घोषणा करने में समर्थ होगा और कर की कम राशि अदा करेगा।

यह तर्क प्रचुर मात्रा में उचित है और इस तथ्य द्वारा प्रमाणित है कि जेवरात के रूप में घोषित 12404.35 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 7812.48 करोड़ रु. या 63 प्रतिशत निर्धारण वर्ष 1986-87, महत्वपूर्ण रूप से पुरानी क्षमादान योजनाओं द्वारा पहले ही कवर की गयी अवधि, से पूर्व अधिप्राप्त जेवरात से अभिप्रायात्मक रूप से सम्बद्ध था।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि वी डी आई योजना में घोषित आय के एक वर्षवार आबंटन और फलस्वरूप ऐसी आय को वर्षवार घोषित करने वाली परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण की परिकल्पना थी। योजना के पीछे विचार यह था कि विगत में कराधान से छूट गयी आय की द्योतक परिसम्पत्तियों को अर्थव्यवस्था में लिया जाए। तथापि यदि तथ्य यह दर्शाते हैं कि परिसम्पत्तियां बाद वाले वर्षों में अधिगृहीत की गयीं तब योजना का लाभ वापस लिया जा सकता था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि इसमें यह उल्लेख नहीं किया कि विभाग किस तरह ये साबित कर सकता था कि खरीद के प्रमाण की आवश्यकता के अभाव में परिसम्पत्तियां वास्तव में बाद वाले वर्षों में अधिगृहीत की गयी थीं। इसके अतिरिक्त पहले ही जारी किए गए प्रमाणपत्रों की समीक्षा के लिए वी डी आई योजना में कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालयों ने यह भी निर्णय दिया है कि एक घोषणाकर्ता को एक बार एक प्रमाणपत्र के जारी करने पर उसे उनसे उद्भूत होने वाले लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता।

3.1.4 (च) आगामी वर्षों में योजना के निहितार्थ

जेवरात की घोषणा से सम्बन्धित मूल्यांकन और योजना के अन्य प्रावधानों के लिए निर्दिष्ट तारीख (तारीखों) के सम्बन्ध में आगामी निर्धारण वर्षों के राजस्व तथा कर प्रशासन के अन्य पहलुओं पर काफी दूरगामी प्रभाव होगा जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(क) अधिग्रहण की अभिसूचित लागत

आयकर अधिनियम, 1961 में दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ/हानि की संगणना करने के लिए अधिग्रहण की अभिसूचित लागत पद्धति का प्रावधान है। योजना में निर्धारितियों को उनकी इच्छा और आवश्यकता के एक निर्धारण वर्ष में दीर्घावधि पूंजीगत हानि उत्पन्न करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया है। उसे मात्र यह दर्शाना होता है कि उसने वे जेवरात या उनका एक भाग औने पौने बेचे जिनकी उसने वी डी आई एस 97 के अन्तर्गत घोषणा की थी। ऐसे सभी मामलों में पूंजीगत हानि छोड़ा गया परिणाम होता है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इस पूंजीगत हानि का आगामी आठ निर्धारण वर्षों में दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों के प्रति मुजरा किया जा सकता था।

आयकर आयुक्तों के कार्यालयों में नमूना मामलों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा से इस पद्धति की पुष्टि हुई।

इसे निम्नवत् तालिकाबद्ध किया गया है:

राज्य	घोषणाकर्ता का कोड नं.	जेवरात की सूचीबद्ध लागत	बिक्री मूल्य (नि.व.1997-98/1998-99 में बेचा गया)	उत्पन्न पूंजीगत हानि
(रुपए लाख में)				
आन्ध्र प्रदेश	41789	29.13	19.22	9.91
	357182	54.47	44.21	10.26
गुजरात	21545	66.52	40.49	26.03
	21438	128.66	90.01	29.70
		15.60	24.55	
हिमाचल प्रदेश	600011	23.21	17.09	6.12
	600697	32.06	24.84	7.22
पंजाब	4222	71.98	51.93	20.05
	8058	78.53	57.12	21.41
उत्तर प्रदेश	59204	500.14	482.19	17.95

केरल	15464	69.27	45.07	24.20
मध्य प्रदेश	330107	73.92	46.90	27.02
तमिलनाडु	412226	106.43	76.76	29.67

दृष्टांत:

गुजरात में एक घोषणाकर्ता (कोड नं. 21438) ने 1.4.1987 को उचित बाजार मूल्य पर मूल्यांकित जेवरात (54.42 लाख रुपए) और हीरे (6.60 लाख रुपए) की लागत के प्रति निर्धारण वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में 61.03 लाख रुपए घोषित किए। संवीक्षा में पता चला कि उपरोक्त परिसम्पत्तियां निर्धारण वर्ष 1998-99 से सुसंगत वर्ष 1997-98 में बेची गयी थी। इंडेक्सेशन मैथड के कारण जेवरात की बिक्री में 38.65 लाख रुपए की पूंजीगत हानि हुई और 9.00 लाख रुपए की राशि के हीरों की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभ का मुजरा करने के बाद आगामी वर्षों में अग्रेनीत की जाने वाली 29.65 लाख रुपए की पूंजीगत हानि की अनवशोषित राशि रही जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

जेवरात: अधिग्रहण की लागत 54.42 लाख रुपए

$$\begin{aligned} \text{सूचीबद्ध लागत} &= \text{अधिग्रहण की लागत} \times \frac{\text{1997-98 के लिए लागत वृद्धि इंडेक्स}}{\text{1987-88 के लिए लागत वृद्धि इंडेक्स}} \\ &= 54.42 \text{ रुपए} \times \frac{331}{140} = 128.66 \text{ लाख रुपए} \\ &\quad \mathbf{90.01 \text{ लाख रुपए}} \end{aligned}$$

बिक्री कीमत

पूंजीगत हानि (ए) 38.65 लाख रुपए

हीरे: अधिग्रहण की लागत = 6.60 लाख रुपए

सूचीबद्ध लागत = 6.60 x 331/140 = 15.60 लाख रुपए

बिक्री कीमत = 24.55 लाख रुपए

पूंजीगत अभिलाभ (बी) 8.95 लाख रुपए

अग्रेनीत किए जाने के लिए = (ए)-(बी) = (38.65 - 8.95 लाख रुपए)

निवल पूंजीगत हानि

= 29.70 लाख रुपए

अन्य मामलों में भी पूंजीगत हानि निश्चित है, यदि दिसम्बर 1997 के बाद बिक्री की गई हो

(ख) यह उल्लेख किया जा सकता है कि यदि सोने और चांदी के जेवरात 1962-63 से 1986-87 तक के वर्षों में से किसी भी वर्ष में (अर्थात् निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्ष) अधिगृहीत किए गए थे और निर्धारण वर्ष 1998-99 में या अनुवर्ती वर्षों में उनको बेचा गया तब अपरिवर्ती पूंजीगत हानि होगी। ऐसा अधिग्रहण की सूचीबद्ध लागत को अपनाने के कारण है जैसाकि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है। किस सीमा तक निर्धारितियों द्वारा यह पद्धति अपनाई गई इसे अभिनिश्चित नहीं किया जा सका इस सम्बन्ध में अभिलेख या तो उपलब्ध नहीं थे या लेखापरीक्षा को इनकार कर दिया गया था।

अधिग्रहण का वर्ष	अधिग्रहण की लागत (नि व 1981-82 तक 1.4.1981 को उचित बाजार मूल्य)	वर्ष (मान लीजिए 1998-99), जिसमें अन्तरित किए गए के लिए वृद्धि इंडेक्स की लागत	अधिग्रहण के वर्ष के लिए वृद्धि इंडेक्स की लागत	अधिग्रहण की सूची-वद्ध लागत(काल2x काल.3/काल.)	पूजीगत हानि
(1)	(2) रूपए	(3)	(4)	(5) रूपए	(6) रूपए
सोना (यूनिट; 10 कि.ग्रा.) 1998-99 में लागत के प्रति 10 ग्राम 4045 रूपए होते हुए					
1981-82तक	1700	351	100	5967	1922
1982-83	1645	351	109	5297	1252
1983-84	1800	351	116	5447	1402
1984-85	1975	351	125	5546	1501
1985-86	2130	351	133	5621	1576
1986-87	2140	351	140	5365	1320
चांदी (यूनिट; 1 कि.ग्रा.) 1998-99 में लागत के प्रति किग्रा. 8560 रूपए होते हुए					
तक					
1981-82	2720	351	100	9547	987
1982-83	2680	351	109	8630	70
1983-84	3105	351	116	9395	835
1984-85	3570	351	125	10025	1465
1985-86	3955	351	133	10438	1878
1986-87	4015	351	140	10066	1506

इसके अतिरिक्त बाद वाली तारीख में पूंजीगत हानि का दावा करने के आशय के साथ नकदी के स्थान पर जेवरात की घोषणा के मामलों की संभावना को वर्जित नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय ने उत्तर में बताया कि आयकर अधिनियम की योजना के, जो यह है, होने के कारण दीर्घावधि पूंजीगत हानि होने वाले घोषणाकर्ताओं को नियम विरुद्ध घोषित नहीं किया जा सकता।

3.1.5 1.4.87 को दरों पर मूल्यांकित जेवरात पर संगृहीत कर की प्रभावी दर

निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व अवधि के लिए घोषित जेवरात का मूल्य 7,812.48 करोड़ रूपए था। 30 % की दर पर इसके कारण प्रदत्त कुल कर 2343.74 करोड़ रूपए बनता है। घोषित जेवरात में मुख्यतया सोने के थे। 1.4.87 को सोने की दरें प्रति 10 ग्राम 2570 रूपए थीं और 1.4.97 को सोने की दरें प्रति 10 ग्राम 4725 रूपए थीं। इसलिए 1.4.87 की दरों पर मूल्यांकित जेवरात पर प्रदत्त कर की प्रभावी दर 16.32 % बनती है जैसाकि नीचे परिकलित किया गया है:

1.4.87 को. सोने का मूल्य	प्रति 10 ग्राम 2570 रू.
10 ग्राम सोने के जेवरात पर 30 % की दर पर देय कर	771 रू.
1.4.97 को मूल्य	प्रति 10 ग्राम 4725 रू.
1.4.97 की दरों की तुलना में 1.4.87 की दरों को लेते हुए प्रदत्त कर की प्रभावी दर	16.32 %

टिप्पणियां: प्रभावी दर 2570 रुपए की दर पर 10 ग्राम सोने पर प्रदत्त कर, जिसे 1.4.97 को सोने की दरों द्वारा विभाजित और 100 द्वारा गुणा किया जाए, को लेते हुए परिकल्पित की गयी है।

इस प्रकार 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्षों के लिए 1.4.87 को जेवरात के मूल्यांकन के निर्धारण के कारण 2.08 लाख घोषणाकर्त्ताओं ने योजना द्वारा विहित 30/35% की तुलना में 16.32 % की काफी कम दर पर कर प्रभावी ढंग से अदा किया।

3.2 बुलियन (सोना) का मूल्यांकन

3.2.1 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 73 (1) (iii) में प्रावधान है कि यदि घोषित की जाने वाली आय निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व एक निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में जेवरात या बुलियन द्वारा द्योतित है तब ऐसे **जेवरात या बुलियन** का मूल्य 1 अप्रैल 1987 का मूल्य लिया जाएगा। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत घोषित बुलियन को उसी तरीके में मूल्यांकित किया जाएगा जैसाकि जेवरात के मामले में जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण वर्षों अर्थात् 1.4.1986 से पहले अधिगृहीत बुलियन के सम्बन्ध में	1.4.1987 को बाजार मूल्य (अर्थात् प्रति 10 ग्राम 2570 रुपए की दर पर)
निर्धारण वर्ष 1987-88 और उसके बाद अर्थात् 1.4.1986 को या उससे बाद अधिगृहीत बुलियन के सम्बन्ध में	अधिगृहण की लागत के अनुसार मूल्य

शब्द बुलियन को एक ऐसी धातु के रूप में परिभाषित किया गया है जो मुख्यतया काइनिंग से पहले सोने या चांदी की हो अर्थात् बल्क में सोना या चांदी या ईगाटस या सिल्ली के रूप में हो।

3.2.2 डाटा बेस के विश्लेषण से निम्नलिखित परिणामों का पता चला:

3.2.2.1 योजना के अन्तर्गत दाखिल की गयी कुल 4,75,477 में से 54715 मामलों में सोना घोषित किया गया जिसमें 368.30 करोड़ रुपए के कुल मूल्य का प्रकटन हुआ। मामलों के वर्षवार विवरण नीचे दर्शाए गए हैं

निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या ⁴
1961-62 तक	113
1962-63 से 1967-68	21,128
1968-69 से 1973-74	11,993
1974-75 से 1979-80	10,571

⁴ इस संख्या एवं 54,715 में अन्तर जैसाकि पैरा में दर्शाया गया है कि पैरा में दिये गये मामले सम्मिलित वर्षों के कारण थे।

1980-81 से 1986-87	6,266
1987-88 से 1991-92	5,238
1992-93 से 1997-98	718
जोड़⁵	56027

अवैध घोषणाओं की अनियमित ढंग से स्वीकृति

उपरोक्त 56027 मामलों में से 113 मामले, जिनमें 0.16 करोड़ रुपये मूल्य की आय अन्तर्ग्रस्त थी, 1937-38 से 1961-62 तक की रेंज वाले निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित थे। हालांकि निर्धारण वर्ष 1962-63 से पूर्व अवधि को योजना के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया था तथापि विभाग ने योजना के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए इन मामलों में घोषणाएं स्वीकार कीं।

3.2.2.2 वित्त अधिनियम, 1997 में धारा 73 (iii) के अन्तर्गत विशेष रूप से प्रावधान किया गया कि जेवरात या बुलियन का मूल्य 1 अप्रैल 1987 को इसका बाजार मूल्य होना लिया जाएगा जहां निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व एक निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में प्रकटन किया जाता है।

तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में 1.4.1986 से पहले की अधिग्रहण की अवधि के कारण सोने के रूप में लघु आय की घोषणाओं का पता चला। स्पष्ट रूप से 56,027 मामलों, जहां सोना घोषित किया गया, में से 46,104 घोषणाएं 1.4.1986 से पूर्व अवधि से सम्बन्धित थीं और 1 अप्रैल 1987 को बाजार मूल्य की बजाय अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित की गयी थीं। इसके परिणामस्वरूप भारी आय का अवमूल्यांकन हुआ जैसाकि नीचे दृष्टांत दिया गया है:

सोने का अवमूल्यांकन

3.2.2.3 योजना के अन्तर्गत सोने के मूल्य के प्रति घोषित 368.35 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 194.52 करोड़ रुपये निर्धारण वर्ष 1986-87 से पूर्व अवधि से सम्बन्धित थे जहां 1986-87 तक प्रत्येक निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध थी। इन मामलों में मूल्यांकन योजना के प्रावधानों के अनुसार 1.4.1987 को बाजार मूल्य (अर्थात् प्रति 10 ग्राम 2570 रुपये) पर करने की बजाय अधिग्रहण की लागत के संदर्भ में किया गया था। मूल्यांकन की गलत तारीखें अपनाने के परिणामस्वरूप 224.69 करोड़ रुपये के राजस्व की परिणामी हानि के साथ संतुलित रूप से परिकलित कुल 748.93 करोड़ रुपये की आय का अवमूल्यांकन हुआ। राजस्व की हानि की राशि काफी अधिक होगी यदि सभी मामलों में सुसंगत सूचना उपलब्ध हो। उपरोक्त राशि का वर्षवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

⁵ चूंकि मूल्य एक से अधिक वर्षों को सम्मिलित करते हुए घोषित किये गये थे, अन्तर्निहित वर्षवार राशि लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्धारण वर्ष	घोषित सोने का मूल्य	मात्रा ³	1.4.1987 को मूल्य (प्रति ग्राम 257 रुपए की दर से)	अवमूल्यांकन	राजस्व की हानि
	(रुपए करोड़ में)	(ग्राम में)	(रुपए करोड़ में)		
1960-61 तक	0.01	*9391	0.24	0.23	0.07
1961-62	0.15	121924	3.13	2.98	0.89
1962-63	3.25	2711332	69.68	66.43	19.92
1963-64	7.62	4579700	117.70	110.08	33.02
1964-65	3.27	3013186	77.44	74.17	22.25
1965-66	2.19	1776780	45.66	43.47	13.04
1966-67	1.58	1102388	28.33	26.69	8.01
1967-68	1.73	1217802	31.30	29.57	8.87
1968-69	2.15	1325856	34.07	31.92	9.58
1969-70	2.07	1177050	30.25	28.18	8.45
1970-71	2.46	1334911	34.31	31.85	9.56
1971-72	2.24	1162020	29.86	27.62	8.29
1972-73	4.27	2107811	54.17	49.90	14.97
1973-74	3.67	1317680	33.86	30.19	9.06
1974-75	2.68	530341	13.63	10.95	3.28
1975-76	5.16	955349	24.55	19.39	5.82
1976-77	6.08	1142149	29.35	23.27	6.98
1977-78	16.49	2877855	73.96	57.47	17.24
1978-79	7.98	1199264	30.82	22.84	6.86
1979-80	7.08	755137	19.41	12.33	3.70
1980-81	20.81	1564538	40.21	19.40	5.82
1981-82	12.76	750655	19.29	6.53	1.96
1982-83	12.13	737561	18.95	6.82	2.05
1983-84	9.36	519943	13.36	4.00	1.20
1984-85	10.98	556092	14.29	3.31	0.99
1985-86	14.01	657613	16.90	2.89	0.87
1986-87	32.29	1507516	38.74	6.45	1.94
जोड़	194.52	36702453	943.46	748.93	224.69

उत्तर में विभाग ने बताया कि जबकि नि म ले प की रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियां वैध हैं तथापि विभाग इन मामलों में यह देखने के लिए जांच करेगा कि योजना और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

3.2.2.4 जैसाकि जेवरात से सम्बन्धित पैरा में उल्लेख किया गया और विभाग के अ.शा.पत्र संख्या 296/31/97-आई अ (अनव. III) दिनांक 25.11.1997 के अनुसार भी यदि सोने का 1.4.1997 को प्रचलित दर पर मूल्यांकन किया जाना था तब उपरोक्त 36702453 ग्राम सोने के सम्बन्ध में अवमूल्यांकन 1539.67 करोड़ रुपए बनेगा जिसमें 461.90 करोड़ रुपए की राजस्व हानि अन्तर्ग्रस्त होगी जैसाकि नीचे निकाला गया है: उपरोक्त के अनुसार सोने की मात्रा: 36702453 ग्राम

1.4.1997 को प्रति ग्राम 472.50 रुपए की दर पर इसका मूल्य: 1734.19 करोड़ रुपए

³ पूर्व अवधियों के वास्तविक दरों की अनुपस्थिति में 31.3.1961 को दरों से संदर्भ में मात्रा आंकी गई। इस प्रकार वास्तविक मात्रा ओर अवमूल्यन की राशि बहुत अधिक हुई होती यदि वास्तविक दरों पर आंकी जाती।

घोषित मूल्य: 194.52 करोड़ रुपए

अवमूल्यांकन: 1539.67 करोड़ रुपए

अन्तर्गत राजस्व की राशि: 461.90 करोड़ रुपए

3.2.3 डाटाबेस के आगामी विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

3.2.3.1 54715 मामलों में से 48616 मौजूदा निर्धारितियों से सम्बन्धित थे जबकि शेष 6099 मामलों में नए निर्धारितियों ने योजना के अन्तर्गत सोना घोषित किया और योजना के अन्तर्गत कुल घोषणाकर्ताओं का 1.28 प्रतिशत बना जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(योजना के अन्तर्गत निर्धारितियों की कुल संख्या: **475477**)

योजना के अन्तर्गत घोषित कुल राशि: **33697.32** करोड़ रुपए)

निर्धारितियों की श्रेणी	निर्धारितियों की संख्या	घोषित सोने का मूल्य	प्रतिशतता	
			निर्धारितियों की कुल संख्या	घोषित कुल राशि
विद्यमान निर्धारिती	48616	329.67	10.22	0.98
नये निर्धारिती	6099	38.67	1.28	0.11

3.2.3.2 घोषणाकर्ताओं के प्रास्थितिवार विवरणों से पता चला कि सोने की घोषणा मात्र व्यष्टियों और हि अ कु से थी और यह अन्य-फर्मो, कम्पनियों और अन्य श्रेणियों से तकरीबन नगण्य थी (0.04 प्रतिशत) जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

घोषणाकर्ता की प्रास्थिति	घोषणाकर्ताओं की संख्या	घोषित सोने का मूल्य (करोड़ रुपए में)
व्यष्टि	47613	304.77
हि अ कु	6909	61.50
फर्मो	39	1.16
कम्पनियां	8	0.25
अन्य	146	0.67
जोड़	54715	368.35

3.2.3.3 निम्नलिखित विवरणों से यह देखा जा सकता है कि 54,715 मामलों, जहां सोना घोषित किया गया, में से मात्र 10,963 मामलों में राशियां प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से अधिक थीं जबकि शेष व्यक्तियों (43752) ने प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से कम आय घोषित की। 1000 रुपए से कम मूल्य का सोना घोषित करने वाले व्यक्तियों (5669) की संख्या कुल घोषणाकर्ताओं का 10.36 बनती थी। कम आय की घोषणा के लिए कारण स्पष्टतया अवमूल्यांकन के कारण थे जैसाकि ऊपर चर्चा की गयी है।

श्रेणी	मामलों की संख्या	घोषित सोने का मूल्य (रुपए करोड़ में)
1 करोड़ रुपए और अधिक	16	26.34
1 करोड़ रुपए से कम पर 25 लाख रुपए तक	112	41.36
25 लाख रुपए से कम पर 1 लाख रुपए तक	7212	23584
1 लाख रुपए से कम पर 50,000 रुपए तक	3623	25.52
50,000 रुपए से कम पर 10,000 तक	12479	28.68
10,000 रुपए से कम पर 1,000 रुपए तक	25604	10.25
1,000 रुपए से कम	5669	0.37
जोड़	54715	368.35

यह भी पाया गया कि उपरोक्त सबसे ऊपर के 16 मामलों, जहां घोषित मूल्य प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपए से अधिक था, में से 3 पारिवारिक समूहों ने 13.56 करोड़ रुपए की कुल राशि घोषित की।

3.2.4 निहितार्थ

पूजीगत हानि से आगामी वर्षों के राजस्व का क्षरण हो जाएगा

हालांकि सोने के माध्यम से 194.52 करोड़ रुपए (निर्धारण वर्ष 1986-87 तक) की आय की घोषणा द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रावधान की गयी - अधिग्रहण की सूचीबद्ध लागत, जैसीकि जेवरात का मूल्यांकन पर पैरा में चर्चा की गयी, के कारण लगभग 58.36 करोड़ रुपए (194.52 करोड़ रुपए का 30 प्रतिशत) का राजस्व प्राप्त हुआ तथापि दीर्घावधि पूजीगत हानि, जो उत्पन्न हो सकती थी, की राशि 685.07 करोड़ रुपए हो जाएगी यदि सोने की उपरोक्त घोषित मात्रा को निर्धारण वर्ष 1998-99 में बेचा गया होता जैसा कि नीचे दर्शाया गया हानि की यह राशि तब भी उच्चतर होगी यदि अनुवर्ती वर्षों में बेची गई।

निर्धारण वर्ष	पूजीगत हानि जो प्रति 10 ग्राम सोने पर होगी यदि यह निर्धारण वर्ष 1998-99 में बेचा जाता (रुपए में)	घोषित सोने की मात्रा (ग्राम में)	दीर्घावधि पूजीगत हानि की कुल राशि (करोड़ रुपए में)
1981-82 तक	1922	32773243	629.90
1982-83	1252	737561	9.23
1983-84	1402	519943	7.29
1984-85	1501	556092	8.37
1985-86	1576	657613	10.36
1986-87	1320	1598940	19.92
जोड़		36753392	685.07

इससे न केवल वी डी आई एस-97 के अधीन अर्जित 58.36 करोड़ रुपए का राजस्व समाप्त हो जाएगा बल्कि भावी वर्षों के दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाषों से प्रत्यक्षकरों के अन्तर्गत राजस्व के क्षरण का भी प्रभाव पड़ेगा।

3.3 चांदी/चांदी के बर्तनों/वस्तुओं का मूल्यांकन

3.3.1 चांदी का मूल्यांकन उसी तरीके में अपनाया जाना था जैसाकि सोने के मामले में। शब्द बुलियन को एक ऐसी धातु के रूप में परिभाषित किया गया है जो मुख्यतया काइनिंग से पहले सोने या चांदी की अर्थात् बल्क में सोना या चांदी या ईगाटस या सिल्ली के रूप में हो। तथापि कुछ न्यायिक निर्णयों के आधार पर विभाग द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार चांदी के बर्तन और चांदी की बनी अन्य वस्तुएं जेवरात या बुलियन की श्रेणी में नहीं आती।

इस प्रकार उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जहां चांदी निर्धारण वर्ष 1987-88 से पहले निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में केवल बुलियन या जेवरात के रूप में घोषित की गयी थी वहां 1.4.1987 को बाजार मूल्य (अर्थात् प्रति किलोग्राम 4794 रुपए) पर मूल्यांकन किया जाना था और यदि चांदी बर्तनों के रूप में घोषित की गयी थी तब उसका वर्ष, जिसमें इसका अधिग्रहण किया गया, में अधिग्रहण की लागत पर मूल्यांकन किया जाना था।

3.3.2 यह सामान्य जानकारी की बात है कि चांदी जेवरात के अलावा विभिन्न रूपों जैसाकि बर्तनों, पुरावस्तु, सजावटी चीजों आदि में पर्याप्त मात्रा में रखी जाती है। तथापि विभाग जेवरात और बुलियन की दरों के समान दरों पर चांदी के बर्तनों आदि का मूल्यांकन करने के लिए प्रावधान करने में विफल रहा। योजना के अन्तर्गत ऐसा एक प्रावधान करने की बजाय मूल्यांकन और घोषणा के लिए पद्धति ही और मन्द कर दी गयी जो अधिग्रहण के साक्ष्य, मूल्यांकक के प्रमाणपत्र आदि, अबतक जेवरात के लिए निर्धारित, के प्रस्तुत करने को समाप्त करके की गयी। के प्र क बो के 3.10.1997 के परिपत्र द्वारा जेवरात की परिभाषा द्वारा कवर न किए गए चांदी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं की घोषणाओं को स्वीकार करने को अनुमत किया गया यदि घोषणा के साथ एक हलफनामा संलग्न हो जिसमें उन वस्तुओं के अधिग्रहण की अवधि और उसकी संख्या/भार को दर्शाया गया हो।

यह पद्धति राजस्व के हित के विरुद्ध थी चूंकि इसमें पद्धति में कमी का लाभ उठाने के लिए बेईमान घोषणाकर्ताओं को पर्याप्त गुंजाइश की गयी थी जिससे उसकी इच्छा के पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) के कारण चांदी के बर्तनों द्वारा द्योतित कम आय का कम कर देयता का लाभ उठाने के लिए योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव किया जा सकता था।

मन्त्रालय ने उनकी चूक स्वीकार की

3.3.3 3.10.1997 को संसूचित पद्धति जो सरकारी नीति/आशय के अनुसार नहीं थी, विभाग द्वारा स्वीकार की गयी जैसाकि मन्त्रालय की फाइलों से देखा जा सकता था।

विभाग ने बाद में 25.11.1997 को आयकर आयुक्तों को सम्बोधित अपने परिपत्र अ शा पत्र संख्या 296/31/97-आई टी (इन्च. III) में स्वीकार किया कि

बड़ी संख्या में कर दाता प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे थे और चांदी के बर्तनों, सोने के सिक्कों की असामान्य मात्राएं यह कहते हुए घोषित कर रहे थे कि वे काफी पहले अधिगृहीत की गयी है स्पष्टतया कर भार को कम करने के एक प्रयास में और आयकर आयुक्तों को निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में हलफनामे पर्याप्त नहीं होंगे और मूल्यांकन 1.4.1997 को किया जाएगा यदि निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की अवधि के बारे में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए।

परिपत्र में आगे यह बताया गया कि जहां प्रमाणपत्र पहले ही जारी किए गए थे वहां घोषणाकर्ताओं से अधिग्रहण के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और घोषणाकर्ताओं द्वारा ऐसा करने की विफलता पर प्रमाणपत्रों पर पुनः विचार किया जाना था।

3.3.4 तदनन्तर योजना के अन्तर्गत घोषणाएं दाखिल करने की अंतिम तारीख बीतने के काफी बाद 21.1.1998 को विभाग ने निम्न के प्रति भारत के अटार्नी जनरल की राय मांगी --

i क्या जहां प्रमाणपत्र पहले ही जारी किए गए थे वहां अधिग्रहण की अवधि के बारे में घोषणाकर्ताओं से साक्ष्य मांगा जा सकता था,

ii क्या लम्बित मामलों में प्रमाणपत्र अस्वीकार किए जा सकते थे यदि घोषणाकर्ताओं द्वारा अधिग्रहण (चांदी के बर्तनों का) का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, और

iii असामान्य घोषणा की स्थिति में जहां अधिग्रहण की अवधि सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था क्या घोषणाकर्ताओं को अधिग्रहित आय को अवधारित करने के लिए 1.4.1997 को मूल्य अपनाने और तदनुसार कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता था तथा अननुपालन की स्थिति में पूरी घोषणा को अस्वीकार करना।

दिनांक
25.11.1997 के
आदेश को रद्द करने
में अनुचित
जल्दबाजी

3.3.5 तथापि तत्काल अगले दिन अर्थात् 22.1.1998 को विभाग ने अन्य परिपत्र संख्या अ शा 299/4/98-आई टी (इन्व. III) जारी किया जिसमें सभी लम्बित मामलों चाहे वे सामान्य अथवा असामान्य श्रेणी के हों, में प्रमाण पत्र जारी करने का आयकर आयुक्तों को निदेश दिया और वह जांच, यदि कोई हो, बाद में की जानी थी। तथापि प्रस्तावित जांच का प्रयोजन और आशय, ऐसी जांच की वैधता योजना के अन्तर्गत दिए गए पूर्ण गोपनीयता और कोई प्रश्न न पूछना के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट नहीं किए गए थे। अटार्नी जनरल की राय का इन्तजार किए बिना ही दिनांक 25.11.1997 के अपने पुराने आदेशों को प्रतिवर्ती करने में अनुचित जल्दबाजी के कारण मंत्रालय की फाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

संयोगवश अगस्त 1998 में काफी बाद में प्राप्त हुई अटार्नी जनरल की राय में संसूचित किया गया कि योजना में अप्रकटित आय की राशि की कोई जांच करने या प्रमाणपत्र के अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं था जब तक कि सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि घोषणा में पूरी अप्रकटित आय शामिल नहीं थी।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि ली गयी स्थिति यह रही है कि कोई पूर्व प्रमाणपत्र जांच नहीं की जानी थी। उस अवस्था पर जांच से मामलों में विलम्ब हुआ होगा और योजना के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा होगा। जो कुछ कार्रवाई की जानी थी, वह निर्धारण स्तर पर हो सकती थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि उन मामलों, जो कालबाधित हो रहे थे, को छोड़कर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आयुक्तों पर कोई समय-सीमा नहीं लगायी गयी थी। चूंकि योजना में पहले से जारी प्रमाणपत्रों की समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था और ऐसे प्रमाणपत्रों की समीक्षा पर रोक लगाने वाली न्यायिक उद्घोषणाओं को भी ध्यान में रखते हुए राजस्व के हितों की रक्षा के लिए आ.आ. को प्रमाणपत्र जारी करने से पहले जांच करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए थी।

3.3.6 विश्लेषण के परिणाम

दाखिल घोषणाओं से इकट्ठी की जा सकने वाली सूचना की सीमा तक तैयार किए गए डाटाबेस के विश्लेषण के परिणाम आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.3.6.1 यह पाया गया कि योजना के अन्तर्गत दाखिल की गयी कुल 4,75,477 घोषणाओं में से 99,697 मामलों में 292.08 करोड़ रुपए मूल्य की आय वाले चांदी के बर्तन घोषित किए गए जिनमें 371 मामले 1933-34 से 1961-62 तक काफी पहले के निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित थे। मामलों के वर्षवार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं

निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1961-62 तक	371
1962-63 से 1967-68	33847
1968-69 से 1973-74	28012
1974-75 से 1979-80	25239
1980-81 से 1986-87	12106
1987-88 से 1991-92	78143
1992-93 से 1997-98	170061
जोड़⁵	347779

(क) हालांकि 1962-63 से पूर्व निर्धारण वर्ष योजना के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए थे तथापि योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में विभाग ने 1961-62 तक के निर्धारण वर्षों से सम्बन्धी 371 मामलों में घोषणाएं स्वीकार कीं।

(ख) के प्र क बो द्वारा मामले में कार्रवाई करने के लिए व्यक्त की गयी अनिच्छा ने निर्धारितियों को चांदी के बर्तन घोषित करने और अपनी इच्छा के किसी निर्धारण वर्ष के मूल्य को उसके समर्थन में व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करके अपनाने में समर्थ बनाया। स्पष्टरूप से कुल 3,47,779 मामलों में 97,822

⁵ इस आंकड़े तथा 99,697 के बीच पैरा में दर्शाया गया अन्तर इस तथ्य के कारण था कि पैरा में मामलों में सम्मिलित (क्लबड) वर्ष शामिल थे। चूंकि मूल्य एक सं अधिक वर्ष को सम्मिलित करके घोषित किए गए इसलिए अन्त ग्रंस्त वर्षकर राशियां लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

मामले (या 28 प्रतिशत) बहुत अल्प राशियों के लिए 1985-86 तक के निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित थे।

चाँदी का अवमूल्यांकन

- (i) अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान था कि बुलियन 1 अप्रैल 1987 को बाजार मूल्य पर लिया जाना चाहिए और शब्द बुलियन में चाँदी भी शामिल थी। तथापि 78,952 मामलों जहाँ 1986-87 तक के प्रत्येक निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध थी, में यह पाया गया कि कुल 969.54 करोड़ रुपए के आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े की आय का अवमूल्यांकन हुआ जिसमें 290.86 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि अन्तर्ग्रस्त थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। अवमूल्यांकन की राशि काफी अधिक बनेगी यदि शेष 18,870, मामलों के सम्बन्ध में पूरे ब्यौरे उपलब्ध हों।

निर्धारण वर्ष	घोषित चाँदी का मूल्य	मात्रा	1.4.1987 को मूल्य (प्रति किग्रा 4794 रुपए की दर पर)	अवमूल्यांकन	राजस्व की हानि
	(रुपए करोड़ रुपए में)	(किग्रा में)	(रुपए करोड़ में)		
1961-62 तक	0.34	16715.901	8.01	7.67	2.30
1962-63	4.84	220324.39	105.62	100.79	30.24
1963-64	7.32	307459.72	147.40	140.08	42.02
1964-65	6.37	244990.53	117.41	11.04	33.31
1965-66	4.02	143103.49	68.64	64.62	19.39
1966-67	2.40	65668.99	31.48	29.08	8.72
1967-68	3.02	84252.90	40.39	37.37	11.21
1968-69	2.68	50161.62	24.05	21.36	6.41
1969-70	2.42	47294.02	22.67	20.26	6.08
1970-71	6.15	118091.24	56.61	50.46	15.14
1971-72	4.19	71622.15	34.34	30.15	9.04
1972-73	9.78	182970.59	87.72	77.94	23.38
1973-74	12.08	195183.64	93.57	81.49	24.45
1974-75	7.08	56209.41	26.95	19.86	5.96
1975-76	11.35	110686.79	53.06	41.72	12.52
1976-77	10.14	89961.91	43.13	32.99	9.90
1977-78	10.61	81009.71	38.84	28.22	8.47
1978-79	11.38	82371.44	39.49	28.11	8.43
1979-80	10.04	59491.56	28.52	18.48	5.54
1980-81	7.11	26762.06	12.83	5.72	1.72
1981-82	9.68	35606.04	17.07	7.38	2.22
1982-83	8.77	32710.97	15.68	6.92	2.07
1983-84	5.25	16894.87	8.10	2.85	0.86
1984-85	4.61	12920.47	6.19	1.58	0.47
1985-86	4.46	11280.00	5.41	0.95	0.28
1986-87	12.61	31414.94	15.06	2.45	0.73
जोड़	178.70	2395229.35	1148.24	969.54	290.86

- (ii) जैसाकि जेवरात से सम्बन्धित पैरा में उल्लेख किया गया तथा जैसाकि विभाग द्वारा भी दिनांक 25.11.1987 के उपरोल्लिखित अपने अ शा पत्र में स्वीकार

किया गया, यदि चांदी/चांदी के बर्तनों का मूल्यांकन 1.4.1997 को किया जाना था तब उपरोक्त मामलों के सम्बन्ध में अवमूल्यांकन 1580.60 करोड़ रुपए बनेगा जिसमें 474.18 करोड़ रुपए का राजस्व अन्तर्ग्रस्त होगा जैसाकि नीचे निकाला गया है:

उपरोक्त निर्धारण वर्ष तक चांदी की मात्रा:	2395229.35 किग्रा
1.4.1997 को 7345 रुपए की दर पर उसका मूल्य:	1759.30 करोड़ रु
घोषित मूल्य:	178.70 करोड़ रु
अवमूल्यांकन:	1580.60 करोड़ रु
अन्तर्ग्रस्त राजस्व की राशि:	474.18 करोड़ रु

3.3.6.2 डाटाबेस के आगामी विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

- (i) 99697 मामलों में से 86662 वर्तमान निर्धारितियों से सम्बन्धित थे जबकि 13035 मामलों में नए निर्धारितियों ने योजना के अन्तर्गत चांदी घोषित की थी और कुल घोषणाकर्ताओं का 2.74 प्रतिशत बने जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

निर्धारितियों की श्रेणी	निर्धारितियों की संख्या	घोषित चांदी का मूल्य (रुपए करोड़ में)	निम्न के प्रति प्रतिशतता	
			निर्धारितियों की कुल संख्या	घोषित कुल राशि
वर्तमान निर्धारित	86662	258.85	18.23	0.77
नए निर्धारित	13035	33.23	2.74	0.10

- (ii) घोषणाकर्ताओं के प्रास्थितिवार विवरणों से पता चला कि चांदी की घोषणा मात्र व्यष्टियों और हि अ कु से थी और नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार फर्मों, कम्पनियों और अन्य श्रेणियों से यह तकरीबन नगण्य (0.21 प्रतिशत) थी:

घोषणाकर्ताओं की प्रस्थिति	घोषणाकर्ताओं की संख्या	घोषित चांदी का मूल्य (रुपए करोड़ में)
व्यष्टि	86901	245.51
हि अ कु	12591	43.84
फर्म	69	1.40
कम्पनियां	5	0.22
अन्य	131	1.11
जोड़	99697	292.08

चांदी की 96%
घोषणाएं एक लाख
रुपये और कम के
लिए थी।

- (iii) नीचे दिए गए विवरणों से यह देखा जा सकता है कि चांदी की घोषणा के 99697 मामलों में से मात्र 4328 मामलों (4.34 प्रतिशत) में प्रत्येक मामले में चांदी की 96% घोषणाएं 1 लाख और कम के लिए थीं राशियां 1 लाख रुपए से अधिक थीं जबकि अधिकतम व्यक्तियों (90046) ने प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से कम और 1000 रुपए तक आय घोषित की ओर यह 90.32 प्रतिशत बना। 1000 रुपए से कम आय घोषित करने वाले व्यक्तियों की संख्या (4323) कुल घोषणाकर्ताओं का 4.34 बनती थी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

श्रेणी	मामलों की कुल संख्या	(रु करोड़ में)	
		घोषित कुल राशि	घोषित चांदी का मूल्य
50 लाख और उससे अधिक	5	14.01	3.50
50 लाख से कम एक लाख से अधिक	4323	646.47	107.76
50 हजार से अधिक एक लाख से कम	7665	616.33	51.68
25 हजार से अधिक 50 हजार से कम	16686	921.14	57.78
10 हजार से अधिक 25 हजार से कम	32998	1289.49	52.80
एक हजार से अधिक 10 हजार से कम	32697	946.32	18.31
एक हजार से कम	5323	104.17	0.25
जोड़	99697	4537.93	292.08

3.3.6.3 निहितार्थ

यद्यपि निर्धारण वर्ष 1986-87 तक चांदी के बर्तनों की घोषणा से लगभग 53.61 करोड़ रुपए (178.70 करोड़ रुपए का 30 प्रतिशत) का राजस्व अर्जित किया गया तथापि आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रावधान की गयी अधिग्रहण की सूचीबद्ध लागत पद्धति निर्धारितियों को 236.40 करोड़ रुपए तक दीर्घावधि पूंजीगत हानि दर्शाने के लिए समर्थ बनाएगी यदि चांदी की घोषित मात्रा को निर्धारण वर्ष 1998-99 में बेचा जाना था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

निर्धारण वर्ष	पूंजीगत हानि जो उत्पन्न हो सकती थी यदि निर्धारण वर्ष 1998-99 में बचा गया होता (प्रति 1 किग्रा. चांदी)	घोषित चांदी की मात्रा	दीर्घावधि पूंजीगत हानि की कुल राशि
1981-82 तक	987	2290008.10	226.02
1982-83	70	32710.97	0.23
1983-84	835	16894.87	1.41
1984-85	1465	12920.47	1.89
1985-86	1878	11280.00	2.12
1986-87	1506	31414.94	4.73
जोड़			236.40

पूंजीगत हानि की इस राशि से अन्ततः न केवल निर्धारण वर्ष 1998-99 के दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों, यदि कोई हों, के प्रति मुजरा किया जाएगा बल्कि इसे सात और वर्षों के लिए अग्रेनीत भी किया जा सकता था यदि उस निर्धारण वर्ष के दौरान कोई पूंजीगत अभिलाभ न हों। ऐसी पूंजीगत हानि की राशि अभी भी अधिक होगी यदि चांदी को आगामी वर्षों में बेचा जाता है।

असल में इस हानि से न केवल वी डी आई एस-97 के अन्तर्गत अर्जित 53.61 करोड़ रुपए के राजस्व को समाप्त कर दिया जाएगा बल्कि भावी वर्षों के प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत राजस्व के क्षरण का प्रभाव भी पड़ेगा।

दृष्टांतः

उड़ीसा में एक घोषणाकर्ता (कोड नं. 425264) ने 1.4.1987 को उचित बाजार मूल्य पर 195 कि ग्रा चांदी को मूल्यांकित करते हुए उसकी लागत को द्योतित करते हुए 2.10 लाख रुपए घोषित किए। संवीक्षा में पता चला कि उपरोक्त परिसम्पत्ति निर्धारण वर्ष 1998-99 से सुसंगत 1997-98 में 15.60 लाख रुपए के प्रतिफल पर बेची गयी थी। इंडेक्सेशन मैथड के कारण चांदी की उपरोक्त मात्रा की सूचीबद्ध लागत आधारवर्ष 1981-82 में 5.30 लाख रुपए के मूल्य के संदर्भ में 17.56 लाख रुपए बनी इस प्रकार 1.36 लाख रुपए की पूंजीगत हानि उत्पन्न हुई जिसका आगामी वर्षों में मुजरा करने के लिए अग्रेनीत किया जाना अनुमत किया गया।

3.4 वास्तविक सम्पदा सम्पत्ति की घोषणाएं

3.4.1 एक महत्वपूर्ण गैर-सांस्थानिक परिसम्पत्ति, जिसमें कालाधन लगाया जाता है, वास्तविक सम्पदा होती है जो भूमि, फार्मों ओर भवनों चाहे रिहायशी हों या कारबार सम्बन्धी हों, द्वारा द्योतित होती है।

प्रकटन योजना में
वास्तविक सम्पदा पर
अपर्याप्त ध्यान दिया
गया

काले धन का पता लगाने के उद्देश्य वाली किसी नीति में अर्थपूर्ण और व्यवहार्य विकल्पों के माध्यम से इस अनिवार्य क्षेत्र के प्रति स्वयं विवरण अवश्य दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश वी डी आई योजना में यह नहीं दिया गया। जबकि योजना में निर्धारित था कि जेवरात, चांदी और बुलियन को एक विशेष तारीख को पंजीकृत मूल्यांकक से मात्र एक मूल्यांकन प्रमाणपत्र पर ही घोषित किया जा सकता था तथापि भवनों और भूमि के मामले में ऐसा कोई प्रावधान समाविष्ट नहीं किया गया।

के प्र क बो के स्पष्टीकरणों में जेवरात के अधिग्रहण के साक्ष्य का प्रस्तुत करना निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक सम्पदा के मामले में कोई साक्ष्य नहीं मांगा गया। इस बात पर विचार करते हुए कि वास्तविक सम्पदा के अधिग्रहण में उचित तथा अधिक प्रलेखन अपेक्षित होता है, कोई दस्तावेजीय साक्ष्य मांगने की विफलता का न तो अधिनियम और नियमों द्वारा न ही के प्र क बो के आगामी स्पष्टीकरणों में उल्लेख किया गया है।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि मूल्यांकन प्रमाणपत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया चूंकि यह मात्र एक साक्ष्य का मामला था।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है। यह मानते हुए कि बुलियन तथा जेवरात जैसी परिसम्पत्तियों के मामले में मूल्यांकन का प्रमाण, अनिवार्य बना दिया गया, वास्तविक सम्पदा के मामले में ऐसी कोई अपेक्षा निर्धारित नहीं की गयी थी।

चूंकि काले धन का घोषणाकर्ताओं की हिसाब में न ली गयी आय में से गत वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश किया जाता है इसलिए मूल्य और वर्ष, जिसके लिए ये द्योतित थे, के प्रकटन के पैटर्न को देखने के लिए विश्लेषण किया गया था। परिणाम निम्नानुसार है:

प्रकटित मूल्य की रेंज	मामलों की संख्या	घोषित राशि (रुपए करोड़ में)
एक करोड़ और उससे अधिक	46	84.16
एक करोड़ से कम परन्तु 50 लाख से अधिक या उसके बराबर	120	77.73
50 लाख से कम परन्तु 25 लाख से अधिक या उसके बराबर	411	136.12
25 लाख से कम परन्तु एक लाख से अधिक या उसके बराबर	32558	1332.05
एक लाख से कम परन्तु 50 हजार से अधिक या उसके बराबर	7337	51.44
50 हजार से कम परन्तु 10 हजार से अधिक या उसके बराबर	7361	21.24
10 हजार से कम परन्तु 5 हजार से अधिक या उसके बराबर	888	0.64
5 हजार से कम	490	0.14
जोड़	49212	1703.70

यह भी नोट किया गया कि 17,778 घोषणाकर्ताओं ने मात्र वास्तविक सम्पदा सम्पत्तियों का प्रकटन किया और अन्य कुछ नहीं किया। तथापि जब वास्तविक सम्पदा की सभी घोषणाओं पर विचार किया जाता है तब 16076 घोषणाएं भूमि और भवनों के मूल्य से सम्बन्धित थीं जो प्रत्येक मामले में एक लाख रुपए से कम था। वास्तविक सम्पदा की लाख रुपए से कम की यह श्रेणी उन कुल घोषणाकर्ताओं का 33 % बनी जिन्होंने मात्र 73.49 करोड़ रुपए की कुल राशि घोषित की अर्थात् वास्तविक सम्पदा के अन्तर्गत कुल घोषित राशि का 4%।

मूल्यांकन
अपेक्षा के
अभाव से
अनुचित लाभ
लिया गया

3.4.3 इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमि और भवनों के मूल्यांकन के बारे में किसी अपेक्षा के अभाव में इन निर्धारितियों ने मनमाने ढंग से कम मूल्य अपनाए हैं और वी डी आई एस के अन्तर्गत परिसम्पत्तियां घोषित कीं। संभावित कारण वी डी आई एस के अन्तर्गत कर की नाममात्र राशि पर सम्पत्तियों को रिकार्ड में दर्ज करते हुए कर प्राधिकारियों द्वारा भावी जांचों से बचना और धनकर अधिनियम के अन्तर्गत धन की विवरणियां दाखिल करने से बचना हो सकते थे।

3.4.4 इस श्रेणी के अन्तर्गत सबसे उमर के 46 मामलों के विश्लेषण से पता चला कि इन घोषणाकर्ताओं में से 8 नए निर्धारित थे। इन मामलों में घोषित राशि 18.47 करोड़ रुपए बनती थी। इन 46 मामलों में भी इस तथ्य की ओर इशारा किया गया कि वे काफी पीछे 1980-81 के निर्धारण वर्षों से कर प्राधिकारियों से संव्यवहारों को छिपाने में समर्थ रहे।

दृष्टांत:

दिल्ली और तमिलनाडु में 2 घोषणाकर्ताओं (कोड नं. 250444 और 184886) ने निर्धारण वर्षों 1981-82 के सम्बन्ध में 1.89 करोड़ रुपए और क्रमशः निर्धारण वर्षों 1990-91 और 1992-93 के लिए 1 करोड़ रुपए मूल्य के भवनों का प्रकटन किया। हालांकि ये परिसम्पत्तियां लगभग दो दशकों से विद्यमान थी तथापि उनकी विभाग को जानकारी नहीं थी।

यह पाया गया कि वास्तविक सम्पदा सम्पत्तियां कई वर्षों के लिए घोषित की गई है एक व्यक्ति कई निर्धारण वर्षों के लिए कई ऐसी सम्पत्तियां घोषित कर सकता है। निर्धारण वर्षों, जिनसे ये परिसम्पत्तियां सम्बन्धित थीं को छानटने और निर्धारण वर्षों, जिनके दौरान विभाग द्वारा ऐसी कर क्षमादान योजनाएं लागू की गयीं, पर उनकी स्थिति अंकित करने से निम्नलिखित परिदृश्य प्रस्तुत हुआ।

वास्तविक सम्पदा पुरानी क्षमादान योजना अवधियों से भी सम्बन्धित थी

निर्धारण वर्षों की रेंज	5000 रु. से कम	5000 रु. और अधिक	क्षमादान योजना
1975-76 तक	133	1213	आय एवं धन का स्वैच्छिक प्रकटन, 1976
1976-77 से 1986-87	162	4290	क्षमादान योजना 1986-87
	295	5503	

3.4.5 295 घोषणाओं, जहां प्रत्येक मामले में घोषित राशि 5000 रुपए से कम थी, पर ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चला कि पूर्व क्षमादान योजनाओं की अवधियों से सम्बन्धित 321 सम्पत्तियां शामिल थीं। अन्य शब्दों में इन अवधियों के 295 मामलों में या कुल 490 मामलों के 60.20 % (5000 रुपए से कम) में ये परिसम्पत्तियां लम्बे समय से विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखी गयी हैं।

उपरोक्त परिणाम दर्शाते हैं कि यद्यपि भूमि और भवन उपरोक्त वर्षों के दौरान मौजूद थे तथापि इनका पुरानी क्षमादान योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्ताव नहीं किया गया। इनका इसके मूल्यांकन के प्रति योजना में कमी के कारण वी डी आई एस के अन्तर्गत अब प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि अकेले भवनों के अन्तर्गत प्रकटित राशि पूरी योजना के अन्तर्गत कुल घोषणा के 5% से अधिक बनती थी तथापि प्रकटित मूल्य का प्रामाणिकता सम्बन्धी तथ्य मात्र घोषणाकर्ताओं तक सीमित रहा है।

विभाग ने मूल्यांकन प्रमाणपत्र के लिए आवश्यकता को आवश्यक रूप से समाप्त कर दिया

3.4.6 यह नोट किया जा सकता है कि विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था (परिपत्र संख्या 754 में प्रश्न संख्या 16 देखें) कि यह घोषणा के साथ किसी मूल्यांकन प्रमाण पत्र पर जोर नहीं देगा। विभाग की ओर से यह मान्यता उचित नहीं थी। अचल सम्पत्ति के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक से एक रिपोर्ट पर जोर दिया जाना चाहिए था।

3.4.7 अवस्थिति के प्रति विश्लेषण

इस श्रेणी में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक संख्या में मामले दाखिल किए गए जो 355.53 करोड़ रुपए की वास्तविक सम्पदा सम्पत्तियों के मूल्य के साथ कुल 9482

मामले थे। तथापि प्रत्येक राज्य में कुल घोषणाकर्ताओं के प्रति घोषणाकर्ताओं की संख्या की प्रतिशतता तुलना से भिन्न स्थिति प्रस्तुत हुई। सबसे ऊपर वाले तीन का निम्नवत् उल्लेख किया गया है।

राज्य	कुल के प्रति घोषणाकर्ताओं की प्रतिशतता	कुल के प्रति घोषित राशि की प्रतिशतता
केरल	21.36	11.20
जम्मू एवं कश्मीर	20.09	11.01
चंडीगढ़ (सं रा क्षे)	18.22	9.18

उपरोक्त अवस्थितियों में घोषणाकर्ताओं की असामान्य रूप से ऊंची प्रतिशतता कर प्राधिकारियों द्वारा एक संकेन्द्रित धारणा के अपनाने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है।

3.4.8 प्रास्थिति के प्रति विश्लेषण

स्पष्टतया अधिकांश घोषणाकर्ता व्यष्टियों की श्रेणी से सम्बन्धित थे। तथापि फर्मों और कम्पनियों की श्रेणी को छंटने पर निम्नलिखित परिदृश्य प्रस्तुत हुआ।

874 फर्मों और कम्पनियों ने मात्र 95 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जो वास्तविक सम्पदा सम्पत्तियों के रूप में द्योतित थे। इन राशियों के ब्यौरे में इन फर्मों और कम्पनियों का आशय दर्शाया गया जिन्हें संव्यवहारों को नियमित करने के लिए इन सम्पत्तियों के प्रति नाममात्र राशि दर्शाती थी।

वास्तविक सम्पदा में सौदे करने वाली फर्मों और कम्पनियों ने स्वयं का बचाव किया

वास्तविक सम्पदा द्वारा द्योषित आय की रेंज	संख्या	घोषित राशि (रुपए करोड़ में)
1 करोड़ रुपए से अधिक	14	22.21
50 लाख रुपए और अधिक पर 1 करोड़ रुपए से कम	22	14.29
25 लाख रुपए और अधिक पर 50 लाख रुपए से कम	39	13.05
10 लाख रुपए और अधिक पर 25 लाख रुपए से कम	168	24.64
10 लाख रुपए से कम	631	20.80
जोड़	874	94.99

इन फर्मों और कम्पनियों में से उनमें से 77 वास्तविक सम्पदा डीलरों, निर्माण ठेकेदारों, प्रापर्टी डीलरों आदि के प्रकार से सम्बन्धित थे जिन्होंने 8.22 करोड़ रुपए तक वास्तविक सम्पदा सम्पत्तियों द्वारा द्योषित अप्रकटित आय घोषित की। निर्धारण वर्ष, जिनसे ये परिसम्पत्तियां सम्बन्धित थीं, 1974-75 से 1997-98 के बीच की रेंज की थीं। इन परिसम्पत्तियों के अवमूल्यांकन की सीमा इस सम्बन्ध में किसी प्रलेखन के अभाव में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

सम्पत्तियों के
अवलूल्यांकन के
कतिपय नगरों में
अधिक होने की
संभावना है

3.4.9 तथापि एक व्यापक स्तर पर यह मानते हुए कि उन मामलों में अवमूल्यांकन अधिक होगा जहां इन परिसम्पत्तियों का बिल्कुल नाममात्र राशि पर प्रस्ताव किया गया है, उन मामलों, जहां सम्पत्तियों का मूल्य 10,000 रुपए से कम था, का एक विश्लेषण किया गया। उन 1378 घोषणाकर्ताओं को नोट किया गया जहां भवनों का मूल्य प्रत्येक मामले में 10,000 रुपए से कम था। आगे यह पाया गया कि इन मामलों का पाया जाना निम्नलिखित आयकर आयुक्तों के क्षेत्राधिकार में बहुत अधिक था। प्रतिव्यक्ति औसत भी मात्र 5000 रुपए के आसपास था।

आ भा	राज्य	मामलों	भवनों का घोषित मूल्य (रुपए)	प्रतिव्यक्ति औसत (रुपए)
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	178	10,18,794	5724
चेन्नई	तमिलनाडु	95	4,40,163	4633
मुम्बई	महाराष्ट्र	91	5,03,236	5530
नासिक	महाराष्ट्र	48	3,06,388	6383
रायपुर	मध्यप्रदेश	47	2,43,159	5174
जयपुर	राजस्थान	44	2,70,035	6137
कोलहपुर	महाराष्ट्र	42	2,26,715	5398
		545	30,08,490	5520

इन आयुक्तों को इन परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के प्रति अधिक सतर्क होना होगा। यह भी सुझाव दिया जाता है कि सरकार को देय करों के भुगतान के बिना वास्तविक सम्पदा सम्पत्तियों द्वारा द्योतित हिसाब में न ली गयी आय के साथ जारी रखने से अन्यों को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में धनकर प्रशासन में उपयुक्त रूप से मजबूती लायी गयी है।

3.5 अन्य व्यक्तियों से देय ऋणों और कर्जों तथा उधारों की घोषणाएं

3.5.1 योजना में ऐसी परिसम्पत्तियों की संगणना की गयी है जैसे कि अन्य व्यक्तियों से देय ऋण और कर्जों तथा उधार, जो हिसाब में न ली गयी आय द्योतित हो सकते हैं। अन्य व्यक्तियों से देय ऋण वे प्राप्य होते हैं या हां बिक्री संव्यवहार निर्धारण वर्षों में से किसी में संस्थापित किए गए हों। दूसरी ओर कर्ज और उधार वे नकदी संव्यवहार होते हैं जहां मुख्यतया ब्याज कमाने के लिए अन्य व्यक्तियों को वास्तविक नकदी दी गयी हो। दोनों प्रकार की परिसम्पत्तियों के प्रकटन में लेखा - पुस्तकें में लेखाकरण प्रविष्टिया की आवश्यकता है।

इन परिसम्पत्तियों का स्वरूप ऐसा होता है जोकि बेनामी संव्यवहारों के नियमन के लिए चालाकी करने में समर्थ होता है। इसलिए यह अत्यावश्यक था कि जहां तक ऐसे संव्यवहारों की पुष्टि करने का सम्बन्ध है विभाग को तीसरी पार्टियों के संदर्भ में इन मदों पूरे प्रकटन के लिए पर्याप्त सुरक्षा बरतनी चाहिए थी। परिसम्पत्तियों की कम से कम इन मदों के लिए लेखा पुस्तकों में क्रेडिट के साक्ष्य पर बल देने की भी विभाग से प्रत्याशा की गयी थी।

3.5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखा पुस्तकों में
क्रेडिट का साक्ष्य
योजना में
अनिवार्य नहीं

लेखापरीक्षा में यह नोट किया गया कि लेखा पुस्तकों में क्रेडिट के साक्ष्य के लिए अपेक्षा को बोर्ड द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया गया। वास्तव में के प्र क बो द्वारा स्पष्ट किया गया (परिपत्र 754 दिनांक 10.6.1997 की प्रश्न संख्या 8) कि लेखा पुस्तकों में घोषित आय को क्रेडिट करने और उसे निर्धारण अधिकारी को सूचित करने के लिए योजना के अन्तर्गत कोई समय सीमा नहीं है तथा बोर्ड ने मात्र इच्छा व्यक्त की कि घोषणाकर्ताओं से लेखा पुस्तकों में या यदि कोई लेखापुस्तक नहीं हैं तब किसी अन्य अभिलेख में राशि क्रेडिट करने की आशा की जाएगी। यद्यपि साक्ष्य का प्रस्तुत करना एक अपेक्षा नहीं थी तथापि इन परिसम्पत्तियों को घोषित करने वाला कोई व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

इन परिसम्पत्तियां वाली घोषणाओं के विश्लेषण से पता चला कि इन में से अधिकांश के साथ लेखापुस्तकों में क्रेडिट का साक्ष्य संलग्न नहीं था। स्थिति निम्नानुसार थी:

परिसम्पत्तियों का प्रकार	घोषणाओं की संख्या	घोषित राशि (करोड़ रूपए में)
देय ऋण	1007	69.01
कर्ज और उधार	1628	96.46

योजना में कमी से
भावी निर्धारणों में
कमी होगी

3.5.3 ये वे मामले हैं जहां विभाग, चाहे इसकी इच्छा भी हो, योजना के अन्तर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोकने में समर्थ न हो सके। परन्तु तब कभी भी विभाग का ऐसा करने का इरादा नहीं था यह इस तथ्य से बहुत हद तक स्पष्ट किया गया है कि स्वयं योजना में लेखापुस्तकों में प्रविष्टियां करने के लिए निर्धारितियों के लिए समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया। दूसरी ओर के प्र क बो ने स्पष्ट किया कि क्रेडिट का वर्ष कोई निर्धारण वर्ष हो सकता था। इस स्पष्टीकरण का परिणाम यह है कि निर्धारिती अपनी घोषणा में एक विशेष निर्धारण वर्ष के लिए इन परिसम्पत्तियों को घोषित कर सकता है परन्तु अब अपनी इच्छा के किसी निर्धारण वर्ष के लिए लेखापुस्तकों में प्रविष्टियां दर्शाने का चयन कर सकता है। इससे इन घोषणाकर्ताओं के भावी निर्धारणों में भारी कमी आएगी।

3.5.4 श्रेणी वार विश्लेषणों से पता चला कि अधिकांश घोषणाकर्ताओं के पास ये परिसम्पत्तियां प्रत्येक मामले में 25 लाख रूपए से कम की रेंज में थीं। तथापि इन परिसम्पत्तियों में हिसाब में न ली गयी आय दर्शाते हुए उच्च घोषणाएं भी पाई गईं। विवरण निम्नानुसार हैं

श्रेणी	देय ऋण		कर्ज और उधार	
	संख्या	राशि (रु. करोड़ में)	संख्या	राशि (रु. करोड़ में)
1 करोड़ रूपए और अधिक	27	50.56	13	24.97
50 लाख रूपए और अधिक	46	27.82	48	31.66

परन्तु 1 करोड़ रुपए और अधिक	106	35.11	136	46.84
25 लाख रुपए और अधिक परन्तु 50 लाख रुपए से कम	2774	118.85	3550	143.08
जोड़	2953	266.16	3747	246.55

1 करोड़ रुपए और अधिक की श्रेणी में यह पाया गया कि पांच फर्मों और कम्पनियों ने कर्जों और उधार की द्योतक 6.20 करोड़ रुपए की एक घोषणा की। ऋणों के मामले में ऐसे व्यवहार द्वारा 11 फर्मों और कम्पनियों की हिसाब में न ली गयी आय के 20.44 करोड़ रुपए को घोषित करना दर्शाया गया।

3.5.5 अवस्थिति विश्लेषण

इन परिसम्पत्तियों के अधिकांश घोषणाकर्ताओं की अवस्थिति ने नगरों की निम्नलिखित सूची का जिक्र किया है। इन नगरों में आयकर आयुक्तों से ऐसे ही स्वरूप के अन्य मामलों की जांच करने की अपेक्षा की जाएगी।

नगर	देय ऋण
अहमदाबाद	678
चेन्नई	287
मैसूर	257
सूरत	255
मुम्बई	133
बेंगलूर	107

नगर	कर्जें और उधार
मुम्बई	389
चेन्नई	362
हैदराबाद	230
दिल्ली	206
अहमदाबाद	153
बेंगलूर	144

3.5.6 निर्धारिती प्रोफाईल

निर्धारितियों की प्रास्थिति से पता चला कि अधिकांश घोषणाएं व्यष्टियों से थीं। निर्धारितियों की प्रोफाईल यहां नीचे दी गयी है:

प्रास्थिति	देय		कर्जें और उधार	
	घोषणा कर्ताओं की संख्या	रुपये करोड़ में	घोषणा कर्ताओं की संख्या	रुपये करोड़ में
व्यष्टि और हि.अ.कु.	2621	208.09	3559	194.63
फर्म	218	32.39	259	25.84
कम्पनियां	94	22.07	108	18.95
अन्य	20	3.60	21	7.14
जोड़	3053	266.15	3947	246.56

यह मानते हुए कि बेनामी संव्यवहार नाबालिगों और महिलाओं के नामों में अधिक संभव हो सकते थे, इस पहलू की जांच की गयी। तथापि, महिला निर्धारितियों की अस्पष्टता

के कारण महिलाओं के सम्बन्ध में स्थिति का विश्लेषण करना कठिन है। सूची में नाबालिगों की मौजूदगी नकारात्मक थी।

3.5.7 इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि देय ऋणों और दिए गए कर्जों और उधारों के स्वरूप की परिसम्पत्तियों की घोषणा के लिए प्रावधान से वी डी आई योजना आसाधारण रूप से जटिल हो गयी जोकि वित्त मंत्रालय के इस आश्वासन कि यह एक साधारण योजना होगी (1997 के बजट भाषण का पैरा 92) के विपरीत था। परिसम्पत्तियों की इस श्रेणी में मात्र 513 करोड़ रुपए के साधारण घोषणाकर्ता आमंत्रित किए गए। इस प्रावधान के शामिल करने से अलग अलग निर्धारण मामलों में भी भावी जटिलताएं उत्पन्न होंगी।

3.6 शेरों और डिबेंचरों की घोषणाएं

3.6.1 यह व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है कि कालाधन उन परिसम्पत्तियों में चेनालाईज होता है जो अधिक नकदी वाली आसानी से अंतरणीय और गैर सांस्थानिक स्वरूप की हों जैसे कि नकदी, वेयरबांड, विकास पत्र, सोना, चांदी, भूमि और भवन इसलिए उन कार्यकलापों, जिन्हें कर प्राधिकारियों के समक्ष खुले में स्वीकार नहीं किया जा सकता, से काला धन कमाने वाले व्यक्तियों की मन; स्थिति ऐसे मामलों में समझी जा सकती थी। परन्तु शेरों और डिबेंचरों में हिसाब में न ली गयी आय का निवेश करने वाले व्यक्तियों की एक श्रेणी का आविर्भाव इस बात का आभास है जो वी डी आई योजना के अन्तर्गत घोषणाओं से ज्ञेय थी।

शेर और डिबेंचर अपने असली स्वरूप में सांस्थानिक परिसम्पत्तियां होते हैं जिनके बारे में उनके धारक व्यक्तियों से आसानी से पता लगाया जा सकता है। इन परिसम्पत्तियों में संव्यवहारों के अभिलेख प्रत्येक मामले में कम्पनियों और स्टाक एक्सचेंजों और कम्पनी रजिस्ट्रार के पास भी केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध होते हैं। इन निश्चितताओं पर विचार करे हुए काला धन रखने वाले इस प्रकार की परिसम्पत्तियों में निवेश करना पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार निवेश के इस प्रकार में कालाधन मात्र पार्किंग होगी और कुछ तीव्र पोर्टफोलियो को छोड़कर ऐसे निवेश पर प्रतिफल कम होगा।

3.6.2 आयकर विभाग, आयकर विभाग के प्रत्येक आयुक्त के साथ लगे केन्द्रीय सूचना ब्यूरो, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो और राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा इकट्ठी की गयी सूचना की प्रणाली अच्छी तरह निर्धारित की गयी है। कर विभाग के जांच विंग को तलाशी और अभिग्रहण की और शक्तियां प्रदान की गयी हैं। निर्धारण अधिकारियों को धारा 133 बी 134 बी और 148 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से सूचना मंगाने की शक्ति प्रदान की गयी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति से वी डी आई योजना के अन्तर्गत शेरों और डिबेंचरों के प्रकटन की आशा नहीं होगी चूंकि शेरों और डिबेंचरों में काले धन का निवेश करने की अधिक गुंजाइश नहीं होगी। तथ्य कि कुल 11,358 घोषणाएं, जिनमें शेरों और डिबेंचरों का प्रकटन किया गया, इस बात की स्पष्ट सूचक है कि विभाग के प्रशासनिक तंत्र ने उस तरीके में काम नहीं किया जिसके लिए यह बनाया गया था।

उच्च सांस्थानिक शेरों और डिबेंचरों की घोषणा, विभाग की विफलता के प्रति एक सूचक

के.प्र.क.बो.
स्पष्टीकरण के साथ
योजना में कमी

3.6.3 इस प्रकार विभाग ने अपने आर्मर में चिकस की अनदेखी की। यह शेयरों के विवरण, सुस्पष्ट संख्या, धारित शेयरों की संख्या, उनका अंकित मूल्य जैसे ब्यौरों, क्रय की तारीख और लागत आदि के ब्यौरों, क्रय की तारीख और लागत आदि के ब्यौरों के प्रस्तुत करने के लिए योजना में विशेष प्रावधान करने में विफल रहा। शेयरों और डिबेंचरों जैसी सांस्थानिक परिसम्पत्ति के सूचना डाटाबेस को पुष्ट करने की बजाय विभाग ने परिपत्र संख्या 754 (प्रश्न 2) दिनांक 10.6.1997 के माध्यम से अनजाने में स्पष्ट किया कि शेयरों की मात्रा अधिग्रहण लागत प्रकटित की जाए।

उच्च सांस्थानिक
परिसम्पत्ति से अधिक
काला धन प्राप्त होने की
संभावना है

3.6.4 लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि शेयरों और डिबेंचरों (357.33 करोड़ रुपए या 77.27 %) की 9407 घोषणाओं, जो कुल घोषणाओं द्वारा अधिग्रहण का साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया था। यह नोट किया जाए कि जेवरात के मामले में अधिग्रहण का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए के प्र क बो ने स्पष्टीकरण जारी किए। वास्तव में इस बात पर जोर दिया गया कि जेवरात की घोषणा के साथ किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न होना चाहिए चाहे यह खरीद मीमो हो या स्वयं घोषणाकर्ता द्वारा हलफनामा हो। तथापि शेयरों और डिबेंचरों के मामले में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मांगा गया जहां खरीद का साक्ष्य आसानी से मिल सकता था चूंकि सभी संव्यवहार सांस्थानिकृत होते हैं।

प्रकटित शेयरों और डिबेंचरों से सम्बन्धित सूचना के अभाव में महत्वपूर्ण शाखा विस्तारण रहा है। ऐसा हो सकता है कि घोषणाकर्ता बाद में वी डी आई एस के अन्तर्गत घोषित शेयरों को हानि दर्शाने वाले शेयर दर्शा सकता है तथा पूंजीगत हानि को भावी वर्षों में भुजरा किए जाने के लिए निर्मित कर सकता है। किसी भी मामले में घोषणाकर्ता, जिन्हें प्रमाणपत्र जारी किया गया है, अपनी निजी आवश्यकताओं के अनुकूल संव्यवहारों चालबाजी करने की स्थिति में होगा। इस प्रकार आने वाले वर्षों में वी डी आई एस के माध्यम से अतिरिक्त काला धन कमाने के लिए घोषणाकर्ताओं द्वारा उच्च सांस्थानिक परिसम्पत्ति का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सकता था। यह कर राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।


3.6.5 लेखापरीक्षा परिणाम

विश्लेषण में 11,358 घोषणाएं प्रस्तुत की गयीं जिनमें शेयरों तथा डिबेंचरों द्वारा द्योतित 462.43 करोड़ रुपए थे। चूंकि शेयर और डिबेंचर सांस्थानिक परिसम्पत्तियां होती हैं इसलिए प्रत्याशित रूप से इस श्रेणी के अन्तर्गत 9186 वर्तमान निर्धारित थे जिन्होंने 378.31 करोड़ रुपए मूल्य के (या 80.88 %) शेयर प्रकटित किए।

शेयरों और डिबेंचरों की अवस्थिति के बारे में प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों वाले राज्यों के समर्थन में भारी झुकाव दर्शाया गया। केवल निम्नलिखित छह राज्यों में दाखिल की गयी घोषणाएं शेयरों और डिबेंचरों द्वारा द्योतित हिसाब में न ली गयी आय का 77.77 % (359.63 करोड़ रुपए) बनती थीं। ये आंकड़े शेयरों और डिबेंचरों में हिसाब में न ली गयी आय के निवेश के सही सूचक हैं। इन परिसम्पत्तियों, जिन्हें वी डी आई एस के अन्तर्गत घोषित नहीं किया गया है, द्वारा द्योतित काले धन का पता लगाने के लिए किसी नीति में इन राज्यों में संकेन्द्रण करना पड़ सकता है।

राज्य	घोषणाकर्ताओं की संख्या	शेयर और डिबेंचर (रूपए करोड़ में)
महाराष्ट्र	2776	126.61
तमिलनाडु	1099	59.67
आंध्र प्रदेश	604	57.84
गुजरात	1713	48.94
दिल्ली	820	37.12
कर्नाटक	810	29.45
जोड़	7822	359.63

यह इस बात को भी दर्शाता है कि विभाग शेयर और डिबेंचर धारकों तथा शेयरों पर



लाभांश और डिबेंचरों पर ब्याज के भुगतान के विवरणों के साथ शेयर और डिबेंचर जारी करने वाली कम्पनियों के अभिलेखों को सम्बद्ध करने में विफल रहा था। घोषणाओं जिसमें शेयर और डिबेंचर अन्तर्ग्रस्त थे,

का संकेन्द्रण 3698 के आंकड़े के साथ चार महानगरों में सबसे अधिक स्पष्ट था तथापि अहमदाबाद, हैदराबाद, कोयम्बतूर और आगरा जैसे अन्य नगरों में भी इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रवृत्ति दर्शायी गयी। (चार्ट)

यह देखा गया कि 54 घोषणाकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए या अधिक मूल्य के शेयर और डिबेंचर प्रकटित किए जो कुल 111.94 करोड़ रुपए के थे जो इस श्रेणी के अन्तर्गत कुल आय का 24.21% बनता था।

आगे यह नोट किया गया कि व्यष्टियों ने शेयर और डिबेंचर सबसे अधिक घोषित किए। विवरण निम्नानुसार है:

व्यष्टि और हि अ कु	11188
फर्म	47
कम्पनियां	86
अन्य	37

केन्द्रीय सूचना शाखा के पुनर्विन्यास की आवश्यकता है

3.6.6 जब इस तथ्य कि बड़ी संख्या में घोषणाकर्ताओं ने शेयरों और डिबेंचरों का उच्च मूल्य प्रकट किया, को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया तब प्रत्येक आयकर आयुक्त के साथ लगी केन्द्रीय सूचना शाखा की भूमिका की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

डाटाबेस में दर्शाया गया कि 850 घोषणाकर्ताओं ने इस श्रेणी के अंतर्गत 10 लाख रुपए और अधिक की राशि प्रकटित की। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए ओर अधिक की श्रेणी में 50 फर्मों और कम्पनियों ने 46.94 करोड़ घोषित किए जिसमें से 45 वर्तमान निर्धारिती थे जिन्होंने 43.46 करोड़ रुपए की कुल राशि घोषित की। इस प्रकार सी आई बी उच्च सांस्थानिक परिसम्पत्तियों में उच्च मूल्य वाले मामलों का भी पता लगाने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त इसकी इस तथ्य द्वारा पुष्टि होती है कि शेयरों में ये निवेश बहुत पुरानी अवधियों से सम्बन्धित हैं। शेयरों में हिसाब में न लिए गए धन के निवेश की अवधि और उनका मूल्य नीचे दर्शाया गया है:

निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या	घोषित मूल्य (रुपए)
1962-63 से 1966-67	21	14,16,543
1967-68 से 1971-72	13	9,43,104
1972-73 से 1976-77	47	73,38,313
1977-78 से 1981-82	117	3,56,39,873
1982-83 से 1986-87	248	12,22,22,760
1987-88 से 1991-92	630	14,89,73,089
1992-93 से 1997-98	3739	110,27,36,916

3.7 स्टाकों और मालसूची का मूल्यांकन

3.7.1 स्टाक और मालसूची या तो व्यापार या विनिर्माण कार्यकलापों में सम्बद्ध हैं। इस लिए तार्किक रूप से इन परिसम्पत्तियों द्वारा द्योतित आय की घोषणाएं मुख्यतया फर्मों और कम्पनियां या स्वामित्व प्रतिष्ठानों से आनी चाहिए। हि अ कु भी व्यापार करने वाले या विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठान हो सकते हैं।

3.7.2 जब स्टाकों की घोषणा को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया तब निम्नलिखित विस्तृत श्रेणीकरण होता है

प्रास्थिति	संख्या	घोषित स्टाक की राशि
व्यष्टि,	2831	162.36
फर्म	1015	99.46
कम्पनियां	132	79.96
अन्य	16	4.95
जोड़	3994	346.73

व्यष्टियाँ ने अन्यो से अधिक स्टाक घोषित किए

स्टाक घोषित करने वाले व्यष्टियों की एक बहुत अधिक आवर्ती उपरोक्त से देखी जा सकती थी। स्पष्टतया यह मुख्यतया हिसाब में न ली गयी आय के माध्यम से कारबार करने वाले स्वामित्व प्रतिष्ठानों के कारण है। उनकी अवस्थिति के बारे में आगामी विश्लेषण से पता चला कि कुछेक महानगर इस प्रकार के कार्यकलापों में बहुत अधिक लगे हुए थे और इसलिए कर से अपवंचन हुआ। यह संभावना है कि ये प्रतिष्ठान बिक्री कर विभाग को संव्यवहारों का प्रकटन न करें।

3.7.3 नगरों, जिन्होंने सामान्य रूप से व्यष्टियों द्वारा स्टाकों की बड़ी संख्या में घोषणाएं दाखिल कीं, का नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पता लगाया गया है:

नगर	संख्या	घोषित स्टाक की राशि
कोल्हापुर	589	21.25
दिल्ली	169	11.38
नासिक	164	6.72
बरेली	120	3.00
सूरत	101	8.96
कोयम्बटूर	76	5.45
जोड़	1173	56.76

कतिपय नगरों के व्यष्टियों के अन्यों की बजाय अधिक हिसाब में न लिए गए स्टाक थे

इस प्रकार मात्र इन छह नगरों में 1173 या व्यष्टियों की कुल संख्या का 41.4 % ने 56.76 करोड़ रुपए की राशि के स्टाक या व्यष्टियों द्वारा घोषित स्टाक के मूल्य के 34.96 % की घोषणाएं दाखिल कीं। ये नगर कतिपय पण्यों में व्यापार के लिए मशहूर हैं। विभाग को इन नगरों से कर उगाही पर संकेन्द्रित प्रयास के लिए प्रवृत्ति को ध्यान में रखने की सही सलाह दी गयी है।

3.7.4 विभाग को भी इस बात को सुनिश्चित करने, कि ये स्वामित्व प्रतिष्ठान उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भी पंजीकृत हैं, के लिए अन्य सरकारी राजस्व विभागों विशेषकर बिक्री कर विभाग के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए उपाय करने चाहिए या व्यवस्थाओं को नया रूप प्रदान करना चाहिए। इस सम्बन्ध में धारा 138 में दिए गए आयकर अधिनियम के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3.7.5 जौहरियों का स्टाक

सोने और चांदी के स्टाक के रूप में हिसाब में न ली गयी आय के धारक जौहरियों को भी योजना के अन्तर्गत घोषित करते हुए पाया गया। यह नोट किया जाए कि धनकर अधिनियम में धनकर के उद्ग्रहण की सीमा से स्टाक इन ट्रेड के रूप में निर्धारिती द्वारा उपयोग की गयी इन धातुओं को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार जौहरियों से 1.4.1987 को मूल्यांकन के बिना स्टाकों के रूप में इन स्टाकों को घोषित करना अपेक्षित था। तथापि विभाग ने स्पष्ट किया (मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई के सामने रखी गयी प्रश्न संख्या 11) विभाग कि इन स्टाकों को भी योजना के अन्तर्गत 1.4.1987 को मूल्यांकित और प्रस्तुत किया जा सकता है।

यह नोट किया गया कि 3.74 करोड़ रुपए की राशि की 30 घोषणाएं योजना के अन्तर्गत विभाग के पास दाखिल की गयीं। इन 30 घोषणाओं में से 22 फर्मों और कम्पनियों से थीं और 3.18 करोड़ रुपए बनती थीं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	आ आ	हि अ कु		न्यास		फर्म		कम्पनी	
		मामले	रूपए	मामले	रूपए	मामले	रूपए	मामले	रूपए
आंध्र प्रदेश	ए पी 1	--	--	--	--	2	0.22	--	--
बिहार	पटना	5	0.19	--	--	1	0.04	--	--
	रांची	--	--	--	--	1	0.12	--	--
गुजरात	सुरत	--	--	--	--	1	0.03	--	--
कर्नातका	गोआ	--	--	--	--	1	0.03	--	--
	मैसूर	--	--	--	--	1	0.12	--	--
केरल	त्रिवेन्द्रम	--	--	--	--	2	0.18	--	--
	कोचीन	--	--	--	--	1	0.02	--	--
	कालीकट	--	--	--	--	2	0.21	--	--
महाराष्ट्र	सिटी 1	--	--	--	--	--	--	1	0.01
	सिटी 7	--	--	--	--	1	0.84	--	--
	सिटी 12	--	--	--	--	1	0.04	--	--
उड़ीसा	भुवनेश्वर	--	--	--	--	1	0.08	--	--
तमिलनाडु	त्रिची	--	--	--	--	1	0.18	--	--
	कोयम्बटूर	--	--	--	--	1	0.03	--	--
	त ना IV	--	--	--	--	2	0.17	1	0.83
	त ना III	--	--	2	0.33	--	--	--	--
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	1	0.04	--	--	--	--	--	--
पश्चिम बंगाल	प बं V	--	--	--	--	1	0.03	--	--
	जोड	6	0.23	2	0.33	20	2.34	2	0.84

अध्याय 4

योजना का कार्यान्वयन

- अयोग्यताएं - अयोग्य घोषणाकर्ता
- बहुविधि घोषणाएं
- विदेश में रखे गए जेवरात की घोषणाएं
- 1962-93 से पहले के निर्धारण वर्षों की घोषणाएं
- इकट्टे निर्धारण वर्षों की घोषणाएं
- योजना की धारा 68(2) के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों का जारी करना
- प्रमाण-पत्र जारी किए गए यद्यपि कर का भुगतान नहीं किया गया
- प्रकटित राशि निर्धारण के अध्ययधीन नहीं थी यद्यपि कर का भुगतान नहीं किया गया था
- रजिस्ट्रों का अनुचित रखरखाव



अध्याय 4 - योजना का कार्यान्वयन

4 क. - अयोग्यताएं

4.1 कतिपय अयोग्यताओं वाले व्यक्ति घोषणाएं दाखिल करने के हकदार नहीं - धारा 64(2)

अपात्र
घोषणाकर्ताओं
सम्बन्धी प्रावधान

4.1.1 वित्त अधिनियम, 1977 की धारा 64(2) द्वारा आय स्वैच्छिक प्रकरण योजना के अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों पर घोषणा करने से रोक लगायी गयी। ऐसे व्यक्ति वे व्यक्ति थे;

(1) जिसकी किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धार्य आय थी जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 142 या धारा 148 के अन्तर्गत व्यक्ति को एक नोटिस दिया गया था और योजना के शुरू होने से पहले विवरणी दाखिल नहीं की गयी थी।

(2) जिसके सम्बन्ध में किसी पूर्व वर्ष और किसी पुराने पूर्व वर्ष में भी धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी ली गयी या धारा 132 ए के अन्तर्गत इसकी मांग की गयी या धारा 133 ए के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया गया।

वित्त अधिनियम और
के.प्र.क.बो. के परिपत्रों
के बीच असंगतियां

4.1.2 वित्त अधिनियम, 1977 में प्रावधान था कि एक व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया था, ने केवल पूर्व वर्ष जिसमें सर्वेक्षण किया गया, के लिए बल्कि किसी पुराने पूर्व वर्ष में भी अपनी आय का प्रकटन करने का हकदार नहीं था। दूसरे शब्दों में, वित्त अधिनियम ने असमर्थव्यक्तियों जिनके प्रति धारा 133 ए के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया गया था।

के.प्र.क.बो. के
स्पष्टीकरण द्वारा
प्रमाणपत्र जारी करने
से पहले घोषणाकर्ता
के पूर्ववर्ती की जांच
करने से आ.आ. पर
प्रतिबंध लगाया गया

4.1.3 तथापि के.प्र.क.बो. के परिपत्र संख्या 753 दिनांक 10.6.97 से सम्बन्धित प्रावधानों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में बताया गया कि एक व्यक्ति पर मात्र उस निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक घोषणा करने से रोक लगायी गयी जिसमें सर्वेक्षण किया गया। इस प्रकार परिपत्र में वित्त अधिनियम के प्रावधानों से बाहर उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त के.प्र.क.बो. ने अपने परिपत्र संख्या 754 दिनांक 10.6.97 (प्र.सं.23) और संख्या 755 दिनांक 25.7.97 (प्र.सं.27 और 36) द्वारा और आयकर आयुक्त, मुम्बई द्वारा अगस्त 1997 में जारी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा इस आधार की पुनरावृत्ति की।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि यह एक "ड्राफ्टिंग में चूक" थी। ऐसा प्रतीत होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को लाभ देने से मना करने का सदैव आशय रहा है जिसकी तलाशी के वर्ष तथा किसी पूर्व वर्ष के संबंध में तलाशी ली गई हो। इसके विपरीत सर्वेक्षण कार्यवाही एक विशेष वर्ष की कार्य स्थिति के संबंध में होती है तथा इसलिए मात्र सर्वेक्षण के वर्ष के संबंध में घोषणाएं अनुमत नहीं की गईं।"

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि वित्त अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि संसद द्वारा अनुमोदन किया गया, कानून को निर्धारित करते है और अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि पैरा 4.1.11 में बताया गया के प्र.क.बो. के स्पष्टीकरण ने पूर्व वर्ष, जिसमें सर्वेक्षण किया गया, के अलावा पूर्व वर्षों के लिए घोषित करने के लिए सर्वेक्षण के अध्यक्षीय व्यक्तियों को सक्षम बनाया।

आयकर (मुख्यालय) समन्वय, मुम्बई के उपायुक्त द्वारा जारी आ.स्वै. प्र.यो. 1997, पर एक प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया गया कि इस बात को संतुष्ट करने, कि घोषणाकर्ता निषिद्ध श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता था, का भार पूर्णतः घोषणा करने वाले व्यक्ति पर होता है और इसलिए आयकर आयुक्तों द्वारा प्रमाण-पत्रों के जारी करने से पहले विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे ने पत्र संख्या पी.एन./सी.सी./वी.डी.आई.एस./97-98 दिनांक 15.7.97 में दोहराया कि इस बात की कोई जांच नहीं की जानी थी कि क्या एक व्यक्ति पर धारा 64(2) में वर्णित किसी अयोग्यता के कारण प्रतिबंध लगाया गया जब उसने योजना के अन्तर्गत एक घोषणा दाखिल की। यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 68(2) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र जारी करते समय आयकर आयुक्त इस मामले में कोई जांच/सत्यापन नहीं करेगा। इस बात का अवधारण करने, कि क्या एक घोषणाकर्ता धारा 64(2) में वर्णित किसी अयोग्यता द्वारा हकदार होता था, का उत्तरदायित्व निर्धारण अधिकारी में निहित था जिसकी नियमित निर्धारण कार्यवाई पूरी करते समय उसके द्वारा जांच की जानी थी।

4.1.4 इन प्रेस सार तथा के.प्र.क.बो. के स्पष्टीकरणों पर ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना होता है। यह न्यायिक रूप से निर्णीत है कि एक बार प्रमाणपत्र के जारी किए जाने पर आयुक्त के लिए यह और अधिक संभव नहीं होता कि वह उसे रद्द करे या निर्धारिती को ऐसे प्रकटन का लाभ प्राप्त करने से मना करे (लहरचंद धनजी बनाम भारत संघ 1982) 135 आई टी आर 689 (बम्बई)। इसलिए एक घोषणाकर्ता को प्रमाणपत्र जारी करने से पहले उसके प्रकरणों की जांच करने की आयकर आयुक्त की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला के प्र क बो का स्पष्टीकरण कानून में अमान्य था।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि वी.डी.आई.एस. में प्रमाणपत्र से पूर्व किसी जांच का प्रावधान नहीं था। यदि अनुवर्ती निर्धारणों में यह प्रकाश में आता है (बार-बार जोर दिया गया) कि धारा 64(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी घोषणाएं अवैध थी तो घोषणाकर्ता योजना के लाभों का हकदार नहीं होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। तथ्य कि वी.डी.आई. योजना में प्रमाणपत्रों की समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था, में निहित था कि उनके जारी किए जाने से पहले जांच की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त न्यायिक उद्घोषणा के मामले पर उत्तर में उल्लेख नहीं किया गया था।

4.1.5 इसके अतिरिक्त घटकों जैसे कि अपात्र श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस के अभाव, एक निर्धारण अधिकारी के प्रभार से दूसरे निर्धारण अधिकारी के प्रभार में निर्धारण अभिलेखों के बारंबार अन्तरण, और एक संक्षिप्त रीति में कार्रवाई किए गए अनेक मामलों से एक निर्धारण अधिकारी के लिए यह अवधारित करना मुश्किल होगा कि क्या एक निर्धारिती योजना के अन्तर्गत एक घोषणा करने के लिए अपात्र था।

4.1.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

इस बात, कि क्या धारा 64(2) के अन्तर्गत अक्षम व्यक्तियों ने आय स्वैच्छिक प्रकटन योजना का लाभ लिया, की जांच करने के विचार से निर्धारण वर्ष 1862-63 से लेकर अवधि के लिए जांच विंग से उन व्यक्तियों के नाम और विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया गया जिनके विरुद्ध तलाशी ली गयी थी। तथापि विभाग मात्र 1985-86 से की गयी तलाशियों के विवरण उपलब्ध करा सका।

विभाग से यह प्रत्याशा की गयी थी कि वह अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस का रखरखाव करे ताकि घोषणाकर्ताओं के अभिलेखों और योजना के अन्तर्गत उनकी पात्रता की प्रतिजांच करने और योजना के अन्तर्गत उनकी पात्रता के लिए उनको समर्थ बनाया जा सके। यह नोट किया गया कि ऐसा कोई विस्तृत डाटा विभाग में कहीं भी केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा गया था।

विभाग से योजना के प्रावधानों के अनुसार यह भी प्रत्याशा की गयी कि वह विभाग के विभिन्न विंगों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय रखे ताकि इस बात, कि क्या एक व्यक्ति घोषणा करने के लिए पात्र था, को अवधारित करने के लिए आयुक्तों को सक्षम बनाया जाए।

निर्धारण अधिकारियों के लिए घोषणाकर्ताओं के पूर्ववर्ती की जांच करना मुश्किल होगा

अंत में चूंकि अधिकांश निर्धारण संक्षिप्त रीति में पूरे किए जाते हैं इसलिए निर्धारण अधिकारी इस बात को अवधारित करने की स्थिति में नहीं होगा कि क्या एक व्यक्ति के विरुद्ध तलाशी ली गयी या क्याय उसकी लेखापुस्तकें मंगाई गईं या उसके परिसरों में एक सर्वेक्षण किया गया या एक नोटिस जारी किया गया, परन्तु विवरणी दाखिल नहीं की गई।

4.1.7 उन कतिपय व्यक्तियों, जिनके विरुद्ध तलाशी ली गयी, के नाम, पते, पेन/जी आई आर संख्या और निर्धारण प्रभार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1998-99 के लिए 1.7.1995 के बाद ली गयी तलाशियों के लिए ब्लाक निर्धारण योजना की नि.एवं महालेखापरीक्षक की समीक्षा में मांगे गए और इन विवरणों को आ.स्वे.प्र.यो. डाटाबेस में दर्शाए गए समान नामों और अन्य विवरणों जैसे कि पता या जी आई आर/पेन संख्या को सम्बद्ध करने के लिए कहा गया। मात्र कुछ एक मामले, जहां सही मिलान किया जा सका, उद्धृत किए और सूचना जैसे कि विवरणी में दर्शायी गयी आय और आ.स्वे.प्र.यो. योजना के बंद करने के बाद

अंतिम रूप प्रदान किए गए निर्धारणों के स्वरूप के विवरण, इक्ठ्ठी करने के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को भेजे गए। इसी प्रकार मांग करने, सर्वेक्षणों और नोटिसों के लिए पुराने निर्धारण अभिलेखों की जांच करके कुछ सूचना इक्ठ्ठी करने के प्रयास किए गए। सभी घटक नमूने, जिसकी नमूना-जांच की गयी, का छोटा आकार बनते थे।

4.1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नमूना जांच में पता चला कि कतिपय घोषणाकर्ता योजना के शुरू होने से पहले तलाशी के अध्यक्षीन रहे थे। धारा 64(2) में सुस्पष्ट प्रावधानों, जिसमें ऐसे व्यक्तियों पर योजना का लाभ उठाने से रोक लगायी गयी है, के बावजूद तलाशी की तारीख से पहले पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कुल 48.08 करोड़ रूपए की 51 घोषणाएं की गयीं और सम्बन्धित आयकर आयुक्तों द्वारा प्रमाणपत्र भी जारी किए गए। ऐसे मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं;

तलाशी लिए गए व्यक्तियों ने भी आ.स्वे. प्र.यो. का लाभ उठाया

क्रम संख्या	कोड नम्बर	राज्य	तलाशी की तारीख	घोषणा की तारीख	घोषित राशि (रूपए)	परिसम्पत्तियां का स्वरूप
1.	346898	पश्चिम बंगाल	27.3.96	31.12.97	16,36,58,394	असामान्य
2.	228704	महाराष्ट्र	1.4.96	31.12.97	3,99,00,000	नकदी
3.	31153	कर्नाटक	28.2.97	30.12.97	3,55,30,273	नकदी
4.	73998	आंध्रप्रदेश	1.2.94	19.12.97	2,44,04,188	नकदी
5.	310261	पश्चिम बंगाल	26.2.96	22.12.97	2,25,00,000	नकदी
6.	352775	आंध्रप्रदेश	20.1.97	3.10.97	1,96,22,593	नकदी ज्वैलरी
7.	479126	महाराष्ट्र	20.10.97	20.10.97	1,80,00,000	नकदी
8.	228701	महाराष्ट्र	1.4.96	30.12.97	1,67,52,316	नकदी
9.	31155	कर्नाटक	8.10.96	30.12.97	1,35,43,525	नकदी
10.	31154	कर्नाटक	28.2.97	30.12.97	98,52,745	नकदी
11.	308862	तमिलनाडु	6.3.90	21.10.97	85,00,000	भवन ज्वैलरी
12.	417258	आंध्रप्रदेश	15.7.96	29.7.97	79,00,000	नकदी
13.	328255	मध्यप्रदेश	11.12.97	1.12.97	75,60,910	ज्वैलरी
14.	472250	महाराष्ट्र	6.3.97	8.12.97	69,64,215	नकदी
15.	311123	तमिलनाडु	26.10.88	1.10.97	60,00,000	नकदी
16.	478466	महाराष्ट्र	14.10.97	30.12.97	60,00,000	नकदी
17.	485054	दिल्ली	12.11.92	31.12.97	54,68,120	सोना

18.	515555	दिल्ली	19.8.95	8.10.97	51,50,210	नकदी
19.	512430	दिल्ली	14.1.94	31.12.97	50,31,618	ज्वैलरी
20.	376463	महाराष्ट्र	1.12.95	12.12.97	50,00,000	नकदी
21.	188801	तमिलनाडु	1.6.90	31.12.97	50,00,000	नकदी
22.	474713	महाराष्ट्र	21.7.92	29.12.97	45,50,203	ज्वैलरी, चांदी
23.	330200	असम	17.6.97	5.8.97	31,72,500	भवन, नकदी
24.	91254	पंजाब	26.3.93	24.12.97	30,55,772	नकदी, ज्वैलरी, शेयर
25.	515527	दिल्ली	16.12.93	23.10.97	25,73,285	नकदी
26.	348988	पश्चिम बंगाल	17.12.90	19.12.97	25,67,398	ज्वैलरी, चांदी, सोना
27.	430819	दिल्ली	1.2.95	27.12.97	24,85,559	नकदी
28.	427083	उड़ीसा	1.12.92	21.10.97	22,31,380	नकदी, ज्वैलरी
29.	427605	उड़ीसा	1.12.92	26.12.97	21,12,686	नकदी
30.	435315	दिल्ली	21.7.88	31.12.97	20,88,632	सोना
31.	427829	उड़ीसा	1.12.92	29.12.97	20,61,415	ज्वैलरी
32.	193117	तमिलनाडु	14.10.93	27.10.97	20,00,850	ज्वैलरी, चांदी
33.	320701	पश्चिम बंगाल	23.9.93	20.12.97	18,50,000	नकदी, ज्वैलरी
34.	512435	दिल्ली	29.8.96	31.12.97	17,96,760	नकदी
35.	430824	दिल्ली	9.3.95	30.12.97	17,71,546	ज्वैलरी
36.	430823	दिल्ली	9.3.95	30.12.97	16,89,346	ज्वैलरी, असामान
37.	435286	दिल्ली	9.3.95	30.12.97	16,85,503	ज्वैलरी
38.	330320	असम	14.10.93	3.11.97	15,00,000	नकदी, ज्वैलरी, चांदी
39.	229972	महाराष्ट्र	15.12.94	31.12.97	15,00,000	नकदी
40.	320493	पश्चिम बंगाल	15.9.93	27.12.97	12,40,101	नकदी
41.	288040	मध्यप्रदेश	28.2.96	31.12.97	10,00,000	नकदी
42.	344062	पश्चिम बंगाल	7.8.93	29.12.97	7,57,870	नकदी, ज्वैलरी

						,सोना
43.*	306366	तमिलनाडु	17.10.95	24.9.97	7,00,000	नकदी
44.	320979	पश्चिम बंगाल	7.9.94	29.12.97	6,25,810	नकदी, ज्वैलरी, सोना
45.	344006	पश्चिम बंगाल	24.12.96	29.12.97	6,13,462	नकदी, ज्वैलरी
46.	320978	पश्चिम बंगाल	7.9.94	29.12.97	5,96,905	नकदी, ज्वैलरी, सोना
47.	320980	पश्चिम बंगाल	7.9.94	29.12.97	5,62,799	नकदी, ज्वैलरी, सोना
48.	424629	मध्यप्रदेश	28.2.96 and 3.4.96	29.12.97	5,50,921	ज्वैलरी
49.	329070	मध्यप्रदेश	20.12.96	27.12.97	5,43,340	नकदी
50.	320981	पश्चिम बंगाल	7.9.94	29.12.97	5,24,070	नकदी, ज्वैलरी
51..	425277	उड़ीसा	14.3.96	18.9.97	69,000	चांदी

** निर्धारिती ने एक हि अ कु का कर्ता होने के नाते 27.12.97 को 30,00,000 रूपए की अन्य घोषणा भी की थी।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि योजना में प्रमाण पत्र से पूर्व किसी जांच का कोई प्रावधान नहीं था। अपात्र घोषणाकर्ताओं, जिन्हें प्रमाणपत्र जारी किये गये हो, के दृष्टांत लिए जाएंगे और उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है चूंकि योजना में पहले से जारी प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए प्रावधान नहीं था और इसके अतिरिक्त न्यायालयों द्वारा यह निर्णय दिया गया है एक बार जारी किए गए प्रमाण पत्रों को रद्द नहीं किया जा सकता न ही घोषणाकर्ताओं के ऐसे प्रमाण पत्रों से उद्भूत लाभ लेने से मना किया जा सकता है।

नि. वर्ष. 1997-98 के लिए तलाशी मामलों के निर्धारणों की संवीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया गया

4.1.9 ऊपर सूचीबद्ध किए गए सबसे ऊपर के दस मामलों के निर्धारण फोल्डर्स की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण वर्ष 1997-98 के अधिकांश निर्धारणों को संवीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया गया जबकि निर्धारण वर्ष 1998-99 के निर्धारणों को एक संक्षिप्त रीति में प्रोसेस किया गया। धारा 143 (1) (क) के अन्तर्गत अन्तिम रूप दिए गए निर्धारणों के विवरण नीचे दिए गए हैं;

क्र. सं.	घोषणाकर्ता का कोड	विवरण में दर्शायी गई आय नि व 1997-98	निर्धारित आय नि व 1997-98	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित की गयी	दाखिल की गयी धनकर विवरणी नि व 97-98	विवरण में दर्शायी गयी आय नि व 1998-99	निर्धारित आय नि व 1998-99	क्या धन कर विवरणी दाखिल की गयी नि व 1998-99
1	346898							उपलब्ध नहीं
2	288704							उपलब्ध नहीं
3	31153.	1,85,500 (कृषि)	1,85,500	143(3)	नहीं	218880 + 190800 (कृषि)	218880+ 190800	नहीं
4	73998.	5,78,91,300	5,78,91,300	143(1) (क)	हां	4,65,92,280	4,65,92,280	नहीं
5	310261	9,73,180	9,73,180	143(1) (क)	हां	11,84,580	11,84,580	नहीं
6	352775	7,44,890	9,74,540	143(3)	उ.न.	6,73,320	6,73,320	उ.न.
7	479126.	7,50,660	7,75,492	143(3)	नहीं	17,33,550	17,33,550	नहीं
8	228701.	शून्य	6930	143(3)	उ.न.	शून्य	शून्य	उ.न.
9	31155	शून्य	शून्य	143(3)	उ.न.	16,22,250	16,22,250	उ.न.
10	31154	73,800 + 7,82,000 (कृषि)	6,55,800 + 2,00,000 (कृषि)	143(3)		7,04,220 + 7,88,200 (कृषि)	7,04,220 + 7,88,200 (कृषि)	उ.न.

क्रम संख्या 3 और 9 पर घोषणाकर्ताओं के मामले में आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने एक आपत्ति की कि क्या घोषणाकर्ता योजना की धारा 64(2) के अन्तर्गत दाखिल करने के पात्र थे। तथापि ब्लाक निर्धारण पुनः खोलने के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया चूंकि घोषणाकर्ता ने योजना का लाभ ले लिया था। यह भी पाया गया कि क्रम संख्या 7 पर घोषणाकर्ता ने उसी दिन एक घोषणा की थी जिस दिन उसकी तलाशी ली जानी थी।

4.1.10 सर्वेक्षण के मामलें

नमूना जांच के दौरान दो मामले ध्यान में आए जहां घोषणाकर्ताओं ने निर्धारण वर्षों, जिनके लिए वे सर्वेक्षण के अध्यक्षीन थे, के लिए उनको शामिल करते हुए घोषणाएं कीं। विवरण निम्नानुसार है:

घोषणाकर्ता का कोड	सर्वेक्षण की तारीख	घोषणा की तारीख	निर्धारण वर्ष जिसके लिए घोषणा की गई	घोषित राशि (रूपये)
407849	17.10.92	18.9.97	1988-89 to 1996-97	47,14,000
417268	29.3.95	26.12.97	1991-92 to 1993-94 और 1995-96 to 1997-98	48,67,954

4.1.11 सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों पर के.प्र.कर बो. का स्पष्टीकरण

उस सर्वेक्षण पर के.प्र.क. बो. का स्पष्टीकरण जो अधिनियम के अनुरूप नहीं था

वित्त अधिनियम, 1997 में बताया गया कि एक व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया था, न केवल पूर्व वर्ष, जिसमें सर्वेक्षण किया गया, के लिए बल्कि किसी पुराने पूर्व वर्ष में भी अपनी आय का प्रकटन करने का हकदार नहीं था। तथापि के.प्र.क.बो. के परिपत्र संख्या 753 दिनांक 10.6.97 द्वारा जारी बी डी आई योजना, 1997 से सम्बन्धित प्रावधानों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों द्वारा मात्र उस निर्धारण वर्ष, जिसमें सर्वेक्षण किया गया, के सम्बन्ध में घोषणाओं पर रोक लगाकर सीमित असमर्थता रखी। इसलिए परिपत्र वित्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था और परिणामतः पूर्व वर्ष, जिसमें सर्वेक्षण किया गया, से पहले पूर्व वर्षों के सम्बन्ध में घोषणाएं किए जाने के दृष्टान्त थे।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच में के प्र क बो द्वारा विधि की गलत व्याख्या का लाभ उठाने वाले और सर्वेक्षण के वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से पहले निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में आय घोषित करने वाले घोषणाकर्ताओं के निम्नलिखित मामलों का पता चला;

क्र. सं.	घोषणाकर्ता का कोड	सर्वेक्षण की तारीख	घोषणा की तारीख	निर्धारण वर्ष जिसके लिए घोषणा की गई	घोषित राशि (रूपये)
1.	10001	22.8.95	6.10.97	1991-92 to 1995-96	1,00,00,000
2.	10221	22.1.97	26.11.97	1992-93 to 1993-94	50,00,000
3.	10069	22.1.97	20.10.97	1992-93 to 1996-97	25,00,000
4.	15049	15.12.88	21.10.97	1987-88 और 1996-97	19,38,781
5.	197281	16.9.97	18.9.97	1991-92 to 1996-97	3,50,000
6.	488051	27.10.97	17.12.97	1994-95 to 1996-97	41,358
7.	35720	24.12.96	29.12.97	1992-93 to 1996-97	9,15,000
8.	45280	17.1.97	22.9.97	1986-87	60,52,000
9.	45362	17.1.97	17.10.97	1987-88	40,00,000
10.	10069	22.1.97	20.10.97	1992-93 to 1996-97	25,00,000
11.	389451	19.12.96	24.7.97	1989-90 to 1996-97	40,00,000
12.	389803	19.12.96	22.7.97	1993-94 to 1996-97	18,00,000
13.	405795	8.1.97	5.9.97	1994-95 to 1996-97	1,68,30,933

इस संबंध में के.प्र.क.बो. के स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप घोषणाकर्ताओं ने ब्याज के अनुद्ग्रहण और शास्तिक कार्रवाईयां प्रारम्भ न किए जाने के साथ-साथ कम कर का अनुचित लाभ प्राप्त किया।

मांग, नोटिस आदि

4.1.12 मांग, नोटिस आदि के मामले

ऐसे मामलों के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना के अभाव में मांग नोटिस आदि के पर्याप्त मामलों का पता नहीं लगाया जा सका। निम्नलिखित मामले, जहां धारा 142/148 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए परन्तु 1.7.97 से पहले विवरणियां दाखिल नहीं की गयीं और फिर भी घोषणाएं की गयीं। नमूना जांच के दौरान ध्यान में आए मामले:

क्र. सं.	घोषणा कर्ता	नोटिस की तारीख और निर्धारण वर्ष जिसके लिए जारी किया गया	विवरणी दाखिल करने की तारीख	निर्धारण वर्ष जिसके लिए घोषणा की गई	घोषणा दाखिल करने की तारीख	घोषित राशि (रूपये)
1.	432876	u/s 142 for 1995-96	22.2.2000	1995-96	4.9.97	34,71,523
2.	281181	On 5.3.97 u/s 148 for a.y. 1991-92	19.3.1998	1995-96	31.12.97	40,00,000

मांग के निम्नलिखित मामले ध्यान में आए:

कोड	सूचना मांगने की तारीख	घोषणा की तारीख	घोषित राशि	घोषित निर्धारण वर्ष
228718	11.3.96	16.9.97	10,00,000	1996-97

4.2 योजना कतिपय व्यक्तियों पर लागू नहीं - धारा 78

4.2.1 वित्त अधिनियम, 1977 की धारा 78 के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति बी डी आई एस योजना के अन्तर्गत एक घोषणा करने के हकदार नहीं थे। इसलिए योजना की गोपनीयता और प्रतिरक्षा प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

- * जिसके सम्बन्ध में कोफपोस के अन्तर्गत नज़रबंदी का एक आदेश किया गया था
- * जिसपर आई पी सी के अध्याय IX या XVII, एन डी पी एस एक्ट, टाडा, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए या किसी सिविल देयता को लागू करने के प्रयोजनार्थ मुकदमा चलाया गया हो
- * जिसे विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन सम्बन्धी अपराधों की जांच) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया हो।

4.2.2 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 68(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणाकर्ता द्वारा दिए गए एक आवेदन के आधार पर आयुक्त ने प्रकटित आय और उस पर प्रदत्त कर के ब्यौरे बताते हुए उसको एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। कतिपय प्रश्नों के उत्तर में मुख्य आयकर आयुक्त पुणे ने पत्र संख्या पी एन/सी सी/आ.स्वे.प्र.यो./ 97-98 द्वारा स्पष्ट किया कि घोषणाकर्ता के साथ इस बात की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी कि क्या वह धारा 78

के.प्र.क.वो. के स्पष्टीकरण ने घोषणाकर्ता के पूर्ववर्तियों के बारे में जांच करने से आ आ को रोका

में उल्लिखित किसी असमर्थता द्वारा बाधित या न ही घोषणाकर्ता को योजना के अन्तर्गत एक घोषणा करने के लिए अपनी पात्रता के सम्बन्ध में कोई हलफनामा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। आगे यह बताया गया कि आ आ प्रमाणपत्र जारी करने से पहले बाह्य एजेंसियों से कोई पूछताछ या सत्यापन नहीं करेगा। घोषणाकर्ता के पूर्ववर्तियों को सत्यापित करने का दायित्व निर्धारण अधिकारी में निहित था।

बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पहले ही जारी किए गए प्रमाणपत्रों की समीक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है

4.2.3 यह न्यायिक रूप से निर्णीत है कि एक बार एक प्रमाणपत्र के जारी किए जाने पर घोषणाकर्ता पर प्रकटन का लाभ लेने से रोक नहीं लगायी जा सकती। प्रमाणपत्र का जारी किया जाना एक प्रशासनिक आदेश नहीं है बल्कि एक अधिनियमन के अन्तर्गत उसमें निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आयुक्त द्वारा पारित एक अर्धन्यायिक आदेश है। जब तक संविधि में गलती पर पुनर्विचार करने या उसे दूर करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता तब तक प्राधिकारी को अधिनियम और योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करने और एक आदेश जो संविधि के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए पहले पारित किया गया, को रद्द करने का अधिकार नहीं है। वित्त अधिनियम, 1977 में प्रमाणपत्रों पर पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसलिए मु आ आ द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण विधि के प्रावधानों से बाहर चले गए।

उपरोक्त न्यायिक उदघोषणा को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य था कि विभाग ने पर्याप्त आश्वासन प्राप्त किया उदाहरणार्थ एक हलफनामा कि घोषणाकर्ता घोषणा करने के लिए अयोग्य नहीं था। विभाग ऐसा करने में विफल रहा।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि उन व्यक्तियों, जो हकदार नहीं थे, को योजना के लाभ से मना करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पहले ही जारी किये गये प्रमाणपत्रों की समीक्षा करने का योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त उत्तर में उस अवधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया जिसके अन्दर ऊपर संदर्भित न्यायिक उदघोषणा के बावजूद ऐसी उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

काबलर स्कैम के दोषी ने घोषणाएं कीं

4.2.4 लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 1500 करोड़ रूपए के " काबलर स्कैम " के मामले में महाराष्ट्र में 17 व्यक्तियों ने बी डी आई एस योजना के अन्तर्गत घोषणाएं कीं। सभी घोषणाएं आ आ (केन्द्रीय I), मुम्बई प्रभार में दाखिल की गयीं। प्रकटित कुल राशि 16.18 करोड़ रूपए बनती थी और 3 मामलों को छोड़कर सभी मामलों में प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं;

क्र.सं.	घोषणा की तारीख	घोषित राशि (रूपये)	प्रदत्त कर (रूपये)	जारी किये गये प्रमाण पत्र
229190	17.12.97	2,05,83,000	72,04,050	हां
228723	29.12.97	1,95,42,750	72,45,721	नहीं
228722	30.12.97	1,77,00,000	61,95,000	नहीं
229179	31.12.97	1,49,12,000	52,19,200	हां
229659	30.12.97	1,27,16,500	44,50,775	हां
228774	29.12.97	1,21,60,000	42,56,000	हां
229180	30.12.97	1,13,00,000	33,90,000	हां
228775	29.12.97	1,02,60,000	35,91,000	हां
229658	15.12.97	94,03,000	32,91,050	हां
229191	17.12.97	64,25,200	19,27,560	हां
229177	31.12.97	59,15,305	20,70,356	हां
229182	31.12.97	58,85,000	20,59,750	हां
229656	15.12.97	54,47,000	19,06,450	हां
229655	15.12.97	43,08,000	12,92,400	हां
229185	23.12.97	24,31,051	8,50,868	नहीं
229183	30.12.97	18,00,000	5,40,000	हां
229657	15.12.97	10,02,000	3,50,700	हां

चूंकि उपरोक्त सभी व्यक्तियों पर कांड में उनके लिप्त होने के लिए मुकदमा चलाया गया था इसलिए आ.स्वे.प्र. योजना की धारा 78(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत आ.स्वे.प्र.यो. के अन्तर्गत प्रकटन करने के लिए पात्र नहीं थे।

लोन हवाला रिकॉर्ड में लिप्त व्यक्तियों ने भी आ.स्वे.प्र.यो. का लाभ उठाया

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी पता चला कि कतिपय घोषणाकर्ता एक व्यक्ति, जिसपर 1.4.1996 को तलाशी प्रचालन किए गए, द्वारा चलाए गए एक लोन हवाला रिकॉर्ड में लिप्त थे। ये घोषणाकर्ता धारा 78(2) के कार्यक्षेत्र में आएंगे, घोषणाओं, जो सभी आ.आ. केन्द्रीय-I प्रभार, महाराष्ट्र में दाखिल की गयीं, के विवरण नीचे दिए गए हैं;

घोषणाकर्ता का कोड	घोषणा की तारीख	घोषित राशि (रूपये)	प्रदत्त कर	जारी किया गया प्रमाण पत्र
228707	10.10.97	9,17,40,131	3,21,09,045	नहीं
228714	23.10.97	8,06,03,182	2,82,11,140	हां
228708	10.10.97	4,20,56,148	1,47,19,651	हां
228704	31.12.97	3,99,00,000	1,39,65,000	हां
228705	31.12.97	2,78,00,000	97,30,000	हां
228701	30.12.97	1,67,52,316	58,63,310	हां
228700	31.12.97	59,85,608	20,85,513	हां
228712	31.12.97	45,55,067	15,94,274	हां

चूंकि योजना के प्रावधानों की गोपनीयता तथा प्रतिरक्षा उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जो धारा 78 के असमर्थता शर्त के अन्तर्गत आते हैं इसलिए उनके द्वारा प्रकटित आय पर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज और शास्ति के लगाए जाने के साथ कर लगाया जाना चाहिए।

4 ख - कार्यपद्धति सम्बन्धी गलतियां

4.3 बहुविधि घोषणाओं की गलत स्वीकृति

योजना के अन्तर्गत अनुमत न की गयी बहुविधि घोषणाएं

4.3.1 आ.स्वे.प्र.यो. की धारा 64(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक व्यक्ति किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर को प्रमार्य किसी आय की एक घोषणा कर सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 65(3) में प्रावधान था कि कोई व्यक्ति, जिसने अपनी आय के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि निर्धारिती के स प्र में पूर्वोक्त धारा 64 की उप धारा (1) के अन्तर्गत एक घोषणा की हो, अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में उस उपधारा के अन्तर्गत कोई अन्य घोषणा करने का हकदार नहीं होगा तथा ऐसी कोई अन्य घोषणा, यदि की गयी हो, अमान्य मानी जाएगी।

इस प्रकार एक व्यक्ति को एक क्षमता में एक घोषणा करने के लिए अनुमत किया गया और यदि वह उसी क्षमता में एक से अधिक घोषणा करता है तब उसके द्वारा की गयी अन्य घोषणा को अमान्य माना जाएगा।

4.3.2 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

एक घोषणा करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक घोषणाकर्ता को अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता और पेन/जी आई आर नम्बर, यदि आवंटित किया गया हो, लिखना अपेक्षित थीं। ये विवरण लेखापरीक्षा द्वारा तैयार किए गए कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस में लिए जाने थे। घोषणाएं जिनमें नाम, पिता/पति का नाम और/या पता (सरकारी और आवासीय) और पेन/जी आई आर संख्या, जैसा भी मामला हो, सही मिलता था, अलग कर ली गयीं। इन्हें बहुविधि घोषणाओं के रूप में माना गया।

4.3.3 लेखापरीक्षा विश्लेषण:

अधिनियम में कमी

अधिनियम की धारा 65(3) में प्रावधान था कि स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए घोषणा करने वाला एक व्यक्ति कोई अन्य घोषणा करने का हकदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त धारा 67(2) में प्रावधान था कि यदि घोषणा के बाद कर और/या ब्याज अदा न किया जाए तब यह अमान्य मानी जाएगी। दो प्रावधान परस्परविरोधी स्वरूप के हैं और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां एक घोषणाकर्ता एक घोषणा दाखिल कर सकता है परन्तु अपनी कर देयता को पूरा करने में असमर्थ है। तीन महीने की अवधि के बाद वह अन्य घोषणा दाखिल कर सकता था और घोषित राशि पर कर अदा कर सकता था जिसके लिए उसे एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। तथापि धारा 65(3) के प्रावधान के अनुसार वह एक दूसरी घोषणा दाखिल करने का हकदार नहीं होगा। दूसरी ओर चूंकि उसने पहली घोषणा

पर कर अदा नहीं किया था इसलिए उसे कानून में 'नानेस्ट' तथा उसी रूप में अमान्य माना जाएगा। यह अधिनियम में एक कमी थी।

बहुविधि घोषणाओं के 148 मामले

4.3.4 डाटाबेस के विश्लेषण में बहुविधि घोषणाओं के 148 मामलों का पता चला। उनके द्वारा घोषित राशि 15.37 करोड़ रूपए तक थी और प्रदत्त कर 4.67 करोड़ रूपए बनता था। योजना के प्रावधानों के अनुसार मात्र पहली घोषणा को बैध माना जा सकता था यदि उसपर पूराकर अदा किया गया हो। बादवाली घोषणाओं को आ.स्वे.प्र. योजना के प्रयोजनों के लिए अमान्य माना जाना होता है और प्रकटित राशियों के सम्बन्ध में सूचना अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर लगाने के लिए निर्धारण अधिकारी को देनी थी। पाए गए बहुविधि घोषणाओं के मामलों के ब्यौरे अनुबंध 4.1 में दिए गए हैं।

4.3.5 विस्तृत लेखापरीक्षा

आयकर आयुक्तों के क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछेक ऐसे मामलों के प्रति सत्यापन से पता चला कि यद्यपि घोषणाकर्ताओं ने अलग-अलग क्षमता में एक से अधिक घोषणा दाखिल की तथापि उनको बहुविध प्रमाणपत्र जारी किए गए।

महाराष्ट्र आयकर आयुक्त I प्रभार में यह पाया गया कि एक परिवार से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के एक ग्रुप ने दो घोषणाएँ दाखिल कीं जो प्रत्येक दूसरी, घोषणा में अपना बीच का नाम शामिल करके अपने नाम बदलकर की गयी, वही पेन उद्धृत किया गया। विवरण नीचे दिए गए हैं;

क्र.सं	कोड न.	दाखिल करने की तारीखें	घोषित राशियां	प्रदत्त कर	जारी किये गये प्रमाण पत्र
1.	228717	16.9.97	10,00,000	3,00,000	हां
	229653	16.9.97	10,00,000	3,00,000	हां
2.	228716	30.9.97	10,00,000	3,00,000	हां
	229652	30.9.97	10,00,000	3,00,000	हां
3.	228718	16.9.97	10,00,000	3,00,000	हां
	229654	16.9.97	10,00,000	3,00,000	हां
4.	228715	12.11.97	10,00,000	3,00,000	हां
	229651	12.11.97	10,00,000	3,00,000	हां

- इसके अतिरिक्त आ.आ.सिटी XIII प्रभार में एक पंजीकृत फर्म (कोड: 650999 और 65100) को 6.1.98 और 29.1.98 बहुविधि प्रमाणपत्र जारी किये गये। घोषणाकर्ता ने उसी दिन 22.12.97 को 51.06 लाख रूपये और 51.21 लाख रूपये की राशियां प्रकटित कीं तथा 17.87 लाख रूपये और 17.92 लाख रूपये का कर अदा किया। आ आ सिटी XII प्रभार में एक व्यक्ति ने अपने नाम में पांच, दो स्वयं के लिए तीन अपने नाबालिग बच्चों के लिए, घोषणाएं कीं। सभी मामलों में प्रमाण पत्र जारी किये गये।
- कर्नाटक में समान पेन नम्बर वाले एक व्यक्ति (कोड 45920 और 201619) ने उसी आयकर आयुक्त के प्रभार में 3.36 लाख रूपए और 9.89 लाख रूपए के लिए

22.12.97 और 29.12.97 को दो घोषणाएं दाखिल कीं और क्रमशः 1.01 लाख रूपए और 2.97 लाख रूपये कर अदा किया। आ.आ. ने दोनों मामलों में प्रमाणपत्र जारी किए।

- उड़ीसा में एक व्यक्ति (कोड 425581 और 425582) ने 29.12.97 और 31.12.97 को दो घोषणाएं दाखिल कीं और दोनों घोषणाओं को वैध माना गया और प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- पश्चिम बंगाल, आ आ X प्रभार में दो भाईयों ने प्रत्येक ने दो घोषणाएं कीं (कोड: 400935/400936 और 314051/314054)। पहले व्यक्ति ने 23.12.97 और 29.12.97 को क्रमशः 93,881 रूपये और 23,883 रूपये के लिए घोषणाएं कीं और 28,164 रूपये और 8664 रूपये का कर अदा किया जबकि दूसरे व्यक्ति ने 1.13 लाख रूपये और 28,882 रूपये का प्रकटन किया और 34,014 रूपये और 8646 रूपये का कर अदा किया। उपरोक्त सभी राशियां निर्धारण वर्ष 1997-98 के लेखाओं में दर्शायी गईं और निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने उसके लिए क्रेडिट दिया यद्यपि विवरणियां प्रस्तुत करते समय प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न नहीं की गई थी।

4.3.6 बम्बई उच्च न्यायालय (135 आई टी आर 689) द्वारा यह निर्णय दिया गया कि एक बार एक प्रमाणपत्र के जारी किए जाने पर आयुक्त के लिए यह और संभव नहीं होता कि वह उसे उद्घ कर दे या निर्धारिती को ऐसे प्रकटन का लाभ लेने से वंचित करे। यह पाया गया कि 55 मामलों में यद्यपि घोषणाएं उसी दिन की गयी थीं तथापि प्रमाणपत्र जारी करते समय आ.आ. द्वारा इस पहलू पर कोई सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त चूंकि आय की विवरणी के साथ प्रमाण पत्रों की प्रतियों का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं बनाया गया और चूंकि अधिकांश निर्धारणों की धारा 143(1) के अंतर्गत अंतिम रूप दिया जा रहा है इसलिए निर्धारण अधिकारी बहुविधि घोषणाओं का पता लगाने की स्थिति में नहीं है।

4.4 विदेश में रखे गए जेवरात की घोषणाओं की अनियमित स्वीकृति

4.4.1 आ.स्वे.प्र.यो. - 97 के अन्तर्गत जेवरात की घोषणाकर्ता को प्रकटित जेवरात के विवरण बताते हुए एक पंजीकृत मूल्यांकक से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था। चूंकि निवासी/अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेश मते रखे गए जेवरात को बी डी आई एस योजना के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया इसलिए विदेश में कोई मूल्यांकक नियुक्त नहीं किया गया।

मूल्यांक के प्रमाणपत्र के साथ जेवरात की घोषणाएं

फिर दिनांक 4.7.1997 की भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया गया कि निवासी/अनिवासी भारतीयों को उनके द्वारा विदेश में रखी गयी किसी परिसम्पत्ति को घोषित करने का इच्छुक होने पर विदेश में परिसम्पत्तियां रखने के लिए फेरा के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित था। तदनुसार घोषणाकर्ताओं से बी डी आई एस का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने के 30 दिन के अन्दर आयकर आयुक्त द्वारा जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ फार्म एफ ए डी - I में आवश्यक अनुमति के लिए भारि बें से सिफारिश करना अपेक्षित था। तथापि प्रेस रिलीज में विदेश में रखे गए जेवरात, एक चल परिसम्पत्ति के प्रकटन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया।

विदेश में रखे गए
जेवरात आ.स्वे.प्र.यो.
में नहीं

4.4.2 विदेश में रखे गए जेवरात की बी डी आई योजना में कवर नहीं किया गया यह फार्म एफ ए डी I, जिसमें विदेश में रखे गए जेवरात सम्बन्धी कोई कालम नहीं था, में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना से भी स्पष्ट था। फार्म में उल्लिखित चल संपत्तियां शेयरों, प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, जीवन बीमा पालिसियों, सावधि जमाओं में मौजूदा निवेशों और बचतों/चालू खातों में शेषों से सबन्धित थीं। इस प्रकार विदेश में रखे गए जेवरात की घोषणा आ.स्वे.प्र.यो. - 97 के अन्तर्गत घोषित किए जाने के लिए अनुज्ञेय नहीं थी।

4.4.3 लेखापरीक्षा परिणाम:

4.4.3.1 यह पाया गया कि 343 घोषणाएं प्राप्त हुई जहां विदेशों की परिसम्पत्तियां शामिल थीं। इनमें से 212 घोषणाओं में परिसम्पत्तियों के रूप में जेवरात शामिल थे जो भारत तथा विदेश दोनों में थे। यह इस बात का विश्लेषण करने के लिए अलग नहीं किए जा सके कि जेवरात की कितनी राशि विदेश में थी।

4.4.3.2 तथापि विदेश में रखी गई परिसम्पत्तियों के 343 मामलों में से 60 घोषणाओं में मात्र जेवरात घोषित किए गए। ये वे मामले थे जहां जेवरात एकमात्र रूप से विदेश में रखे गए।

विदेश में रखे गए जेवरात
की घोषणाएं गलत
स्वीकार की गयीं

4.4.3.3 लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन 60 निवासी/अनिवासी भारतीयों ने 3,48,06,542 रूपए मूल्य के जेवरात घोषित किए जो कि विदेश में रखे गए। 1,04,42,238 रूपए के कर का संग्रहण करने के बाद आयकर आयुक्तों द्वारा आ.स्वे.प्र.यो. - 97 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए गए (महाराष्ट्र 30, दिल्ली 8, गुजरात 4, पंजाब 5, आंध्र प्रदेश 3, पश्चिम बंगाल 2, कर्नाटक 2, और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, और उत्तर प्रदेश एक एक) 1 बी डी आई एस के अन्तर्गत इन मामलों का स्वीकार करना आ.स्वे.प्र.यो. - 97 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

4.4.3.4 इसके अतिरिक्त इन सभी 60 मामलों के सम्बन्ध में जेवरात का मूल्य भारत में जौहरियों से निर्धारित कराया गया था। यह निर्धारित मूल्य की प्रामाणिकता के बारे में संदेह

उत्पन्न करता है चूंकि विदेश में रखे जेवरात सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति के बिना भारत में नहीं लाए जा सके।

4.5 1962-63 से पहले के निर्धारण वर्षों के लिए आय की घोषणाओं का स्वीकार करना

कानूनी मुद्दा

4.5.1 आ.स्वे.प्र.यो. की धारा 64 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक व्यक्ति किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर को प्रमार्य किसी आय की घोषणा कर सकता है। घाटा 63 के अनुसार “आयकर अधिनियम” का संदर्भ का अर्थ है आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) आयकर अधिनियम 1961 1.4.196 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1962-63 के बाद से लागू हुआ। हालांकि “कोई निर्धारण वर्ष” शब्द वित्त अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए थे परन्तु वित्त बिल, 1997 के प्रावधानों का उल्लेख करने वाले ज्ञापन में निर्धारण वर्ष 1998-99 से पहले कोई निर्धारण वर्ष का उल्लेख किया गया। इस प्रकार इसके कानूनी अभिप्राय में “किसी निर्धारण वर्ष” शब्दों का अर्थ निर्धारण वर्ष 1962-63 से 1997-98 तक है।

1962-63 से पूर्व नि.वर्ष की घोषणाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं

4.5.2 इस प्रकार योजना के अन्तर्गत एक व्यक्ति वर्ष 1962-63 से 1996-97 तक किसी निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में हिसाब में न ली गयी आय और निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए एक सीमित हद तक घोषणा कर सकता था। 1962-63 से पूर्व निर्धारण वर्षों की अप्रकटित आय की घोषणा करने का कोई प्रावधान या गुंजाइश नहीं थी। उसी रूप में यह प्रत्याशित था कि विभाग आ.स्वे.प्र.यो. - 97 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए इन घोषणाओं को स्वीकार नहीं करेगा।

4.5.3 डाटाबेस के विश्लेषण से 346 घोषणाओं का पता चला जहां 1962-63 से पूर्व निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित आय घोषित की गयी। पुराना निर्धारण वर्ष 1931-32 निर्धारण वर्ष से सम्बन्ध रखता है। आगे यह पाया गया कि आयकर विभाग ने इन घोषणाओं को प्रोसेस किया और कर प्रमाणपत्र जारी किए। इन घोषणाओं में से 163 आंध्र प्रदेश, 1-असम, 7-बिहार, 2-दिल्ली, 40-कर्नाटक, 2-मध्य प्रदेश, 86-महाराष्ट्र, 7-पंजाब, 12-राजस्थान, 6-तमिलनाडु और 19 पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित थीं।

पश्चिम बंगाल, आ.आ. IX प्रभार में एक मामले (कोड 414079) में एक व्यक्ति ने 2,72,129 रूपये की राशि घोषित की। आ.आ. ने पूरी राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया। तथापि प्रमाण पत्र के साथ संलग्न आय के विषय से यह पाया गया कि 1972-73 और 1987-88 निर्धारण वर्षों के लिए मात्र 1.80 लाख रूपये की राशि का उल्लेख किया गया जिसमें जेवरात, चांदी के बर्तनो, सिक्कों और सोने के सार्वनस शामिल थे। शेष राशि, जो निर्धारण वर्ष 1961-62 में अधिगृहीत बुलियन की द्योतक थी, दर्शायी नहीं गई थी।

डाटाबेस के एक और विश्लेषण में 1962-63 से पूर्व निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित आय दर्शायी गयी जो 192 घोषणाओं में जेवरात, 145 मामलों में चांदी, 3 मामलों में से प्रत्येक में नकदी

और भवन, 2 मामलों में बुलियन और प्रत्येक में एक मामले में असामान्य मदों, विविध मदों और कृषि भूमि द्वारा घोषित थी।

4.5.4 परिसम्पत्तियों का अवमूल्यांकन

4.5.4.1 यह नोट किया जा सकता है कि वी डी आई एस 1997 की धारा 73(ग) (iii) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि:

“इस प्रकार घोषित जेवरात या बुलियन का मूल्य 1 अप्रैल 1987 को इसका बाजार मूल्य होना माना जाएगा, जहां निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व एक निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में प्रकटन किया गया है”

4.5.4.2 उपरोक्त प्रावधान की अवहेलना करते हुए आयकर विभाग ने 1 अप्रैल 1987 को बुलियन के मूल्यांकन पर जोर नहीं दिया और 1962-63 से पूर्वावधि से सम्बन्धित निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में भी घोषणाएं स्वीकार की

4.5.4.3 121 घोषणाओं, जिनमें से 92 मामले चांदी से और 29 मामले जेवरात की घोषणाओं से संबंधित थे, जहां मूल्यांकन का प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया और जो 1962-63 से पूर्व निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित थे, के आय और अन्य कर निहितार्थों के अवमूल्यांकन का अनुमान लगाने के लिए एक नमूना जांच की गई

- यह पाया गया कि घोषित चांदी का कुल मूल्य 11.64 लाख रुपये बनता था। 1.4.87 को इसका मूल्य 2.64 करोड़ रुपये की सीमा तक अवमूल्यांकन किया गया। इन 92 मामलों में कर (30% की दर पर) का अनुप्रभार 75.84 लाख रु. बनता है।
- जेवरात घोषणाओं के मामले में घोषित मूल्य 61.5 लाख रु. बनता था। 1.4.87 को दर अपनाते हुए मूल्य 13.77 करोड़ रु. बनेगा जिसके परिणामस्वरूप 13.15 करोड़ रु. का अवमूल्यांकन हुआ। 30% की निम्नतम दर अपनाते हुए कर का अनुप्रभार 3.95 करोड़ रु. बनेगी।

4.5.5 धन कर निहितार्थ

- नीचे उल्लेख किए गए मामलों में से प्रत्येक में 200 किग्रा. से अधिक चांदी की घोषणाएं व्यष्टियों द्वारा की गई इसलिए वे 1998-99 के बाद के निर्धारण वर्षों से धन कर विवरणियां दाखिल करने के लिए दायीं थे। तथापि यह पाया गया कि किसी भी मामले में कोई धन कर विवरणियां दाखिल नहीं की गईं।

कोड	प्रकटित चांदी की मात्रा	निर्धारण वर्ष	प्रकटित मूल्य	1.4.97 को मूल्य
208171	218.62 कि.गा.	1961-62	48,000	16,05,764
213296	286.95 कि.गा.	1961-62	63,000	21,07,648
89353	1249.16 कि.गा.	1961-62	2,74,255	91,75,080

- तीन घोषणाकर्ताओं (कोड न. 416082, 416083 और 416060) ने वी डी आई एस-97 के अंतर्गत 1956-57, 1954-55 और 1956-57 निर्धारण वर्षों से संबंधित क्रमशः 7350, 7950 और 7650 रुपये मूल्य के चांदी के बर्तन घोषित किये और 30 प्रतिशत की दर पर कर अदा किया गया। सभी मामलों प्रमाण पत्र जारी किये गये। 1998-99 निर्धारण वर्षों के लिए इन घोषणाकर्ताओं द्वारा दाखिल विवरणियों में घोषित समान को औने पौने बेचा गया दर्शाया गया। बेची गई के रूप में दर्शायी गई चांदी की मात्रा, वी.डी.आई.एस. में घोषित मूल्य बिक्री मूल्य और इन घोषणाकर्ताओं द्वारा दावा की गई दीर्घवधि पूंजीगत हानियां निम्नानुसार थी:

कोड नं.	औने-पौने बेची गई के रूप में दर्शायी गई चांदी की मात्रा	वी.डी.आई.एस. में घोषित मूल्य (रुपये)	बिक्री मूल्य (रुपये)	दावा की गई दीर्घवधि पूंजीगत हानियां (रुपये)
416082	46.244 कि.ग्रा.	7350	3,69,952	45,625
416083	49.892 कि.ग्रा.	7950	3,99,136	49,225
416060	48.164 कि.ग्रा.	7650	3,85,312	47,521

- वी.डी.आई.एस. के अंतर्गत घोषित परिसम्पत्तियां 1.4.87 को प्रति कि.ग्रा. 4794 रुपये की सही दर के प्रति प्रति कि.ग्रा. 158.83 रुपये से 159.34 रुपये की बीच की ऐतिहासिक दरों पर मूल्यांकित की गई। अनियमितता के परिणामस्वरूप 6.69 लाख रुपये का अवसर अवमूल्यांकन 2.01 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।
- निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए दाखिल विवरणियों से यह भी पाया गया कि यद्यपि घोषणाकर्ताओं ने परिसम्पत्तियां चांदी के बर्तनों के रूप में दर्शायी थी जबकि निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए दाखिल नियमित विवरणियों में वी.डी.आई.एस. के अंतर्गत घोषणाएं करते समय ये परिसम्पत्तियां चांदी के रूप में मानी गई। इन घोषणाकर्ताओं द्वारा दावा की गई दीर्घवधि पूंजीगत हानियों का उस निर्धारण वर्ष में पूंजीगत अभिलाभों से आंशिक रूप से मुजरा किया गया और आंशिक रूप में अगले वर्षों में अग्रेनीत की गई। विभाग ने उनकी विवरणियां स्वीकार की और वी.डी.आई.एस. के अंतर्गत की गई घोषणाओं का लाभ दिया।
- बोर्ड ने दिनांक 22.1.1998 के अपने पत्र में तत्काल सभी लम्बित मामलों, चाहे वे सामान्य अथवा असामान्य श्रेणी के हो में प्रमाण पत्र जारी करने के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का यह कहते हुए निर्देश दिए कि जांच, यदि कोई हो, निर्धारण के स्तर पर की जा सकती थी। यद्यपि उपरोक्त मामले स्पष्ट तथा "असामान्य" श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथापि निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण के स्तर पर कोई जांच नहीं की गई और मामलों को आयकर अधिनियम की धारा (4)(1) के अंतर्गत प्रोसेस किया गया।

4.5.6 कानूनी जटिलताएं

यद्यपि घोषणाएं निर्धारण वर्ष 1962-63 से पहले की अवधियों के लिए की गई थी जो कि योजना के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं था तथापि उन्हें स्वीकार किया गया और घोषणाकर्ताओं को प्रमाण पत्र जारी किए गए यह जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है चूंकि आय कर विभाग सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 10 निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए मामलों पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त एक बार जारी किए गए प्रमाण पत्रों रद्द नहीं किया जा सकता।

4.6 इकट्ठे निर्धारण वर्षों की घोषणाओं को अनियमित स्वीकार करना

4.6.1 आ.स्वे.प्र.नियम की धारा 65(1) के प्रावधान के अनुसार धारा 64 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक घोषणा आयकर आयुक्त को ऐसे फार्म में की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जाए।

4.6.2 आ.स्वे.प्र. नियम 1997 के अन्तर्गत निर्धारित “फार्म” में आ.स्वे.प्र. नियम की धारा 64 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक घोषणा करने के लिए प्रावधान किया गया जिसमें निर्धारण वर्ष, जिससे आय सम्बन्धित थी और परिसंपत्तियों का स्वरूप, जिसके माध्यम से आय प्रस्तुत की गई आदि को दर्शाना था। एक घोषणा करने के लिए फार्म में यह भी निर्धारित था कि यदि योजना के अन्तर्गत प्रकटित आय एक से अधिक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित आय को अलग-अलग दर्शाया जाना था। इस प्रकार एक घोषणा करने वाले किसी व्यक्ति से प्रत्येक निर्धारण वर्ष की प्रकटित आय का अलग प्रकटन करना अपेक्षित था। आ.स्वे.प्र.नियम धारा 64(1) में निर्धारित 3 सक्षम प्रावधानों में बताया गया है कि एक व्यक्ति पूर्वोक्त शर्तों के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर को प्रमार्य किसी आय के सम्बन्ध में एक घोषणा कर सकता है।

इस प्रकार प्रत्येक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित अलग-अलग आय दर्शाने के लिए फार्म में निर्धारित शर्त आ.स्वे.प्र.नियम के प्रावधानों के अनुसार थी। यह शर्त आयकर अधिनियम के प्रावधानों के भी अनुसार थी जहां आयकर अदा करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति से उस आय की एक विवरणी दाखिल करने के लिए अपेक्षा की जाती है जिसका उसके द्वारा पहले प्रकटन नहीं किया गया था। यद्यपि, प्रत्येक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित आय को अलग-अलग दर्शाने के लिए विशेष शर्त निर्धारित की गई तथा उसका अनुपालन करने के विफलता के लिए वी डी आई योजना या नियमों में कोई निवारन निर्धारित नहीं किया गया।

4.6.3 लेखापरीक्षा विश्लेषण

लेखापरीक्षा द्वारा तैयार किए गए डाटा बेस के विश्लेषण में दर्शाया गया है कि 1,79,019 मामलों में घोषणाकर्ताओं ने उस प्रत्येक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित सूचना का अलग से प्रकटन नहीं किया है जिससे अप्रकटित आय सम्बन्धित है। इन मामलों में घोषणाकर्ताओं में 2 या अधिक निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित आय को इकट्ठा दर्शाया है। डाटा बेस को परिसम्पत्तियों का स्वरूप और वर्षों की संख्या जिनके लिए इन्हें इकट्ठा किया गया, सुनिश्चित करने के लिए और विभाजित किया गया था। इस कार्य का परिणाम अनुबन्ध 4.2 में दर्शाया गया है।

यह पाया गया था कि आयकर आयुक्तों ने इन सभी मामलों में कर प्रमाण पत्र जारी किए गए हांलाकि घोषणाकर्ता प्रत्येक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित आय को अलग-अलग दर्शाने की अनुबद्ध शर्त का अनुपालन करने में विफल रहे।

4.6.4 दृष्टांत मामले

- कर्नाटक, आ.आ. हुबली प्रभार में एक व्यक्ति (कोड: 205534) ने 7.95 लाख रुपये की राशि का प्रकटन करते हुए 23.12.97 को एक घोषणा की जिसमें निर्धारण वर्ष 1987 से सम्बन्धित 4.32 लाख रुपये के सोने के जेवरात, निर्धारण वर्ष 1987-88 के लिए 62,653 रु. की चांदी, निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए 50,000 रु. के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1997-98 के लिए इकट्ठी घोषित की गई 2.50 लाख रुपये की नकदी बताई गई। नकदी के रूप में अप्रकटित आय को इकट्ठा करने के बावजूद आ.आ. ने 24.12.97 को धारा 68(2) के अन्तर्गत एक प्रमाण पत्र जारी किया। आ.आ. कर्नाटक एक प्रभार में दो मामलों (कोड संख्या: 45008 और 45079) में प्रमाण पत्र जारी किए गए यद्यपि घोषणाकर्ताओं ने 1993-94 से 1996-97 तक और 1986-87 तक इकट्ठे निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में क्रमशः आय दर्शायी थी।
- हरियाणा में यह पाया गया कि कई मामलों (उदाहरणार्थ कोड संख्या 3940, 3939, 3947, 43773 और 437897) में घोषणा फार्मों में “निर्धारण वर्षों तक” के रूप में एक इकट्ठे फार्मेट में सुसंगत निर्धारण वर्ष की अप्रकटित आय को सह सम्बद्ध करना असंभव हो जाता है।

4.6.5 निहितार्थ:

- आ.स्वे.प्र. योजना की धारा 68(2) में एक आवेदन पर घोषणाकर्ता को प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्र में स्वैच्छिक रूप से प्रकटित आय के निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में विवरण बताने के लिए आय कर आयुक्त को आदेश नहीं दिया गया है। उसी मद में निर्धारण अधिकारी को उन वर्षों का पता नहीं चलेगा जिनसे आय की

परिसम्पत्तियां सम्बन्धित थी। इस त्रुटि का निर्धारितियों द्वारा आय की अपनी भावी विवरणियां में या निर्धारण अधिकारी से नोटिसों और मांगपत्रों का उत्तर देते समय या निर्धारण वर्षों, जिनका प्रमाण पत्रों से आभास होता है, की चाल बाजी द्वारा तलाशी और सर्वेक्षण मामलों में प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जा सकता था।

- वी डी आई योजना की धारा 68(1)(I) में घोषणाकर्ता से लेखा बहियों में प्रकटित राशि को क्रेडिट करने और निर्धारण अधिकारी को इस प्रकार किए गए क्रेडिट की सूचना देने की अपेक्षा की गई है ताकि राशि किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित की कुल आय में शामिल न की जाए। परिपत्र सं. 754 दिनांक 10.6.1997 में प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में के.प्र.क.बो. ने स्पष्ट किया कि क्रेडिट का वर्ण घोषणाकर्ता के विकल्प पर छोड़ दिया जाता है। इस स्पष्टीकरण ने वस्तुतः मामलों को जटिल बना दिया है।
1. घोषणाकर्ता वर्ष, जिसके लिए उसने घोषणा की थी, की अवहेलना करते हुए अपनी लेखाबहियों में क्रेडिट प्रविष्टियां करने के लिए अपनी इच्छा के वर्ष का निर्णय कर सकता था। उपरोक्त मामलों में, यह सूचना भी प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अलग से उपलब्ध नहीं है।
 2. घोषणाकर्ता आ.स्वे.प्र. अवधि के बाद किसी वर्ष में राशि क्रेडिट कर सकता था। वित्त वर्ष 1997-98 में राशि, क्रेडिट करने के लिए उस पर कोई दवाब नहीं है।
 3. पूर्वोक्त के.प्र.क.बो. के स्पष्टीकरण के द्वारा लेखाबहियों में राशि को क्रेडिट करने के अनिवार्य खण्ड को कम करके एक विकल्प बना दिया गया।
 4. यह आशा है कि निर्धारित एक रीति, जो उनको अधिक लाभप्रद होगी, में प्रकटन के बाद बेची गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में इन्डेक्सेशन लाभों का दावा करेंगे।

यह भी नोट किया जाए कि विभाग 10 वर्षों से पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आ.स्वे.प्र.यो. में प्रकटित राशि के क्रेडिट को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगा चूंकि इसमें उस अवधि से परे मामलों पर पुनर्विचार करने के क्षेत्राधिकार का अभाव होगा। 10 वर्षों से अधिक के लिए इकट्ठे निर्धारण वर्षों द्वारा कवर की गई परिसम्पत्तियों की संख्या कुल 10,057 थी।

आ.स्वे.प्र.योजना के कमी और के.प्र.क.बो. द्वारा कुविचारित स्पष्टीकरण ने इकट्ठे निर्धारण वर्षों वाली घोषणाओं को स्वीकार करने में योगदान किया है। आने वाले वर्षों में इससे आय कर विभाग के लिए अनावश्यक मुकद्मेबाजी उत्पन्न होगी।

4.7 योजना की धारा 68(2) के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों का जारी करना

4.7.1 इस प्रकरण में दो मामलों की पांच शामिल हैं:

- (क) कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज की उगाही किए बिना जारी किए गए प्रमाण पत्र।
- (ख) जारी किए गए प्रमाण पत्र हालांकि घोषणा के 3 महीने बाद कर अदा किया गया।

4.7.2 वित्त अधिनियम 1997 की धारा 64(1)(i) और (ii) के अनुसार वी डी आई योजना के अन्तर्गत घोषित राशि पर देय कर निम्नवत था:

(क) घोषणाकर्ता के एक कंपनी या एक फर्म होने के मामले में स्वैच्छिक रूप से प्रकटित आय के 35% की दर पर।

(ख) घोषणाकर्ता के एक कंपनी पर एक फर्म से इतर एक व्यक्ति होने के मामले में स्वैच्छिक रूप से प्रकटित आय के 30% की दर पर।

कर के विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज देय था

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 66 के अनुसार स्वैच्छिक रूप से प्रकटित आय के संबंध में आ.स्वे.प्र.योजना के अन्तर्गत देय कर घोषणाकर्ता द्वारा अदा किया जाना था और घोषणा के साथ ऐसे कर के भुगतान का सादेय संलग्न किया जाना था। इसके अतिरिक्त योजना की धारा 67(1) में प्रावधान था कि घोषणाकर्ता कर या भुगतान किए बिना एक घोषणा दाखिल कर सकता है और घोषणा दाखिल करने की तारीख से 3 महीने के अन्दर कर का भुगतान कर सकता है तथापि घोषणा दाखिल करने की तारीख से शुरू होने वाली और ऐसे कर के भुगतान की तारीख समाप्त होने वाली अवधि में शामिल प्रत्येक महीने या एक महीने के भाग के लिए 2% का साधारण ब्याज कर के विलम्बित भुगतान के लिए देय था। 3 महीने की उक्त अवधि के अन्दर ऐसे भुगतान का साक्ष्य दाखिल करना भी अपेक्षित था।

4.7.3 आ.स्वे.प्र. योजना की धारा 68(2) में आ.आ.से यह अपेक्षा की गई कि वह कर की राशि, देय शेष कर और तारीख, जिसको प्रमाण पत्र के निर्धारित फॉर्मेट के शेष कर अदा किया गया, को दर्शाये।

4.7.4 के.प्र.क.बो. ने अपने तारीख 25.7.97 की परिपत्र संख्या 755 में स्पष्ट किया कि 31.12.97 को की गई घोषणा में कर का भुगतान 31.3.1998 तक किया जा सकता है।

4.7.5 लेखापरीखा विश्लेषण

प्रमाण-पत्र के फॉर्मेट में कमी

(क) यह पाया गया था कि प्रमाण-पत्र के निर्धारित फॉर्मेट में शेष कर पर देय ब्याज की राशि और घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि को दर्शाने वाले कॉलम नहीं थे। इसके अलावा प्रमाण-पत्र के फॉर्म के साथ संलग्न टिप्पणी सं. 2 में बताया गया है कि “कोई प्रमाण-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक देय कर की पूरी राशि का भुगतान न कर दिया गया हो” और शब्द “ब्याज” का कोई समावेश नहीं है। इसके अतिरिक्त आय कर आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों में आ.स्वे.प्र.यो. घोषणाकर्ताओं के लिए रजिस्टर के रखरखाव के लिए के प्र क बो द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में भुगतान की गई ब्याज की राशि को दिखाने का कोई प्रावधान नहीं था। ब्याज के संबंध में इस महत्वपूर्ण सूचनार्थ की अवहेलना की गई थी और इसके परिणामस्वरूप प्रमाण-पत्र जारी किया गया यद्यपि

ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया गया था अन्यथा ब्याज का विलम्ब से भुगतान हुआ या जैसा कि आगामी पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

ब्याज की उगाही के बिना प्रमाण-पत्रों का जारी करना

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखापरीक्षा द्वारा आयकर आयुक्त द्वारा रखे गये अभिलेखों के 538 मामलों का प्रति सत्यापन किया गया था। 520 मामलों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। तथापि, यह पाया गया था कि 18 मामलों में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र ब्याज की उगाही के बना प्रकटन की सम्पूर्ण राशि के लिए जारी किये गये थे इस तथ्य का साक्ष्य दिया गया कि विभाग ने राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये थे।

इन मामलों को राज्यवार ब्यौरा अनुबंध 4.3 में दिया गया है।

उपर्युक्त मामलों की लेखापरीक्षा में माँग की गई थी। जिनमे से 18 मामले उपलब्ध कराये गये थे। यह पुष्टि की गई थी कि 92.99 लाख रुपये की कुल प्रकटन आय जिस पर देय कर 29.55 लाख रुपये था, मात्र 27.72 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, और प्रोरेटा प्रमाण-पत्रों की सभी मामलों में जारी किया गया, यद्यपि ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया गया था।

कर का भुगतान 3 महीने के पश्चात किया गया वहाँ भी प्रमाण-पत्रों जारी किए

(ग) डॉटाबेस के विश्लेषण से घोषणाकर्ताओं के 525 मामलों में पता चला, जहाँ प्रमाण-पत्रों को जारी किया गया पाया गया या यद्यपि कर का भुगतान घोषणाकर्ता तारीख से तीन महीनों की चूक के बाद किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार इन घोषणाओं को अवैध के रूप में माना जाये। इन घोषणाओं के तहत घोषित कुल राशि 62.38 करोड़ रुपये थी जबकि इन पर प्रदत्तकर कुल 19.61 करोड़ रुपये था।

राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

राज्य	मामलों की संख्या	कुल घोषित राशि	कुल प्रदत्त कर (रुपये)
आंध्रप्रदेश	28	57768531	18334069
असम	3	2866404	859923
बिहार	15	11076179	3530696
दिल्ली	20	39661542	12284472
गुजरात	23	20251507	6340869
हरियाणा	5	3718230	1115473
कर्नाटक	94	70182088	22625098
केरल	66	60986110	18334782
मध्यप्रदेश	1	1926133	674147
महाराष्ट्र	22	97441865	35141234
उड़ीसा	4	43732939	13119883
पंजाब	26	10062192	2987332
राजस्थान	22	11131953	3306657

तमिलानाडु	161	145732607	42795930
चंडीगढ़ (यू टी)	5	22980944	6894284
उत्तर प्रदेश	18	8310332	2996363
पश्चिम बंगाल	12	15979729	4796036

25 मामलों के प्रति सत्यापन में जहाँ 4.36 करोड़ रूपए की राशि की प्रकटित आय की पुष्टि की गई कि वास्तव में शेष कर का भुगतान घोषणा की तारीख के तीन महीने के पश्चात किया गया था। इनमें से, 7 मामलों में, शेष कर का भुगतान योजना के समाप्त होने के पश्चात किया था, जुलाई 1998 में विलम्ब से। इन पुष्टि किये गये मामलों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	मामलों की संख्या	कुल घोषित राशि (रूपये)
आंध्रप्रदेश	6	20398226
असम	3	2866404
गुजरात	2	1857000
कर्नाटक	7	5741559
केरल	5	10266388
तमिलनाडु	2	2500000

जैसा कि उपर्युक्त एक उदाहरण में आन्ध्र प्रदेश में एक घोषणाकर्ता के मामले में (कोड: 359156), 1.20 करोड़ रूपये के लिए एक घोषणा दिनांक 18.9.97 को की गई थी जिसपर देय कर 36 लाख रूपये था। घोषणाकर्ता ने राशि का भुगतान निम्नलिखित किशतों में किया: 23.9.97 को 3.50 लाख रूपये, 25.9.97 को 4.50 लाख रूपये, 10.3.98 को 8 लाख रूपये, 10.4.98 को 6.75 लाख रूपये, 10.6.98 को 4.75 लाख रूपये और 10.6.98 को 4.5 लाख रूपये। चूंकि घोषणा 18.9.97 को गई थी, ब्याज सहित सम्पूर्ण कर का 18.12.97 तक भुगतान करना था। विलम्ब से भुगतान करने के बावजूद भी प्रमाण-पत्र घोषणाकर्ता को जारी किया गया।

दूसरे मामले में (कोड: 206263), 11.61 लाख रूपये के लिए घोषणा 31.9.97 को की गई थी। उन पर देय कर 4.06 लाख रूपये था, जिसका भुगतान तारीख 15.1.98 और 24.2.98 को प्रत्येक 50,000 रूपये, 31.12.97, 6.1.98, 10.3.98 को 1,06,491 रूपये, 27.3.98 को 1,01,400 रूपये और 7.4.98 को 15,290 रूपये किया गया था। आ.आ.ने प्रोरेटा प्रमाण-पत्र जारी किया। तथापि, कर और ब्याज का भुगतान नियत तारीख तक पूरा नहीं किया गया था इसलिए घोषणा "नान-एस्ट" के रूप में मानी जानी चाहिए।

4.8 प्रमाण-पत्र जारी किये गये यद्यपि कर का भुगतान नहीं किया गया।

4.8.1 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 67(2) के प्रावधानों के अधीन स्वैच्छिक प्रकटित आय के संबंध में कर का भुगतान घोषणा दाखिल करने की तारीख से तीन महीनों की समाप्ति के पूर्व किया जाना था। कर का भुगतान करने की विफलता की दशा में, घोषणा वी डी आई योजना के अन्तर्गत 'कमी नहीं की गई' के रूप में मानी जानी होगी। इसके

अतिरिक्त, वी डी आई नियमों में स्पष्ट है कि धारा 68(2) के अधीन आय कर आयुक्त द्वारा कोई भी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा जबतक कि देय कर की कुल राशि का भुगतान न कर दिया गया हो।

4.8.2 डाटाबेस के विश्लेषण में दर्शाया गया था कि 276 मामलों में 130.07 करोड़ रुपये की कुल प्रकटित राशि अन्तर्ग्रस्त थी, प्रमाण-पत्र सम्बन्धित आ आ द्वारा जारी किए गए थे यद्यपि कर का भुगतान नहीं किया गया था। मामलों के राज्यवार ब्यौरा निम्नवत हैं

उपरोक्त मामलों को सम्बन्धित मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा आ.स्वै.प्र.यो. रजिस्ट्रों को दिखाने के लिए मना करने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा बाद में पुष्टिकृत नहीं किए जा सके।

4.9 प्रकटित राशि निर्धारण के अध्ययधीन नहीं थी यद्यपि कर का भुगतान नहीं किया गया था।

4.9.1 वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 67(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से प्रकटित आय के सम्बन्ध में कर घोषणा दाखिल करने की तारीख से तीन महीनों की समाप्ति से पहले देय था। कर भुगतान करने की विफलता की दशा में घोषणा वी डी आई योजना के अन्तर्गत 'नान एस्ट' के रूप में मानी जानी थी। इसके आगे आ.स्वै.प्र. नियमावली में स्पष्ट था कि धारा 68(2) के अन्तर्गत कोई प्रमाण-पत्र आयकर आयुक्त द्वारा जारी नहीं किया गया होगा जब तक कि देय कर की कुल राशि का भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

4.9.2 डाटाबेस के विश्लेषण में 3045 मामलों को दर्शाया गया था जिसमें 1404.41 करोड़ रुपये की कुल प्रकटित आय अन्तर्ग्रस्त थी जहाँ कर का भुगतान नहीं किया गया था और प्रमाण-पत्रों को जारी भी नहीं किया गया था।

राज्य	मामलों की संख्या	कुल प्रकटित आय (रूपये)
आंध्रप्रदेश	283	4648412386
असम	7	1487741
बिहार	35	37374655
दिल्ली	114	257606126
गुजरात	866	720408985
हरियाणा	10	7750225
जम्मू कश्मीर	5	3905100
कर्नाटक	268	6043361599
केरल	86	49767486
मध्यप्रदेश	31	57178855
महाराष्ट्र	714	1183721849
उड़ीसा	9	15005736
पंजाब	56	38395738
राजस्थान	27	7872834

तमिलनाडु	218	414114049
चंडीगढ़ (यू टी)	10	4462464
उत्तर प्रदेश	95	117096373
पश्चिम बंगाल	211	436159770

आयुक्त निर्धारण अधिकारियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने में विफल रहा है।

4.9.3 के.प्र.क.बो. ने फरवरी 1999 में अनुदेश जारी किए कि मामले, जिनमें कोई कर अदा नहीं किया गया था, संबंधित निर्धारण अधिकारियों को सौंप दिए जाने चाहिए ताकि इन अप्रकटित राशियों को नियमित निर्धारणों के समय कर लगाने योग्य बनाया जा सके। इसलिए इन अप्रकटित राशियों पर नियमित निर्धारणों के समय कर लगाया जाना चाहिए था। तथापि आयकर अयुक्तों के प्रभारों में अभिलेखों के अनुवर्ती सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश मामलों में निर्धारण अधिकारियों को सूचना नहीं भेजी गयी थी तथा इसलिए अप्रकटित राशियों पर कर लगाने के लिए उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

4.9.4 निदर्शी मामले:

- हिमाचल प्रदेश, आ.आ. शिमला प्रभार में पांच मामलों में संबंधित निर्धारण अधिकारी को सूचना भेजकर आय पर कर लगाने के लिए आ.आ. द्वारा लेखापरीक्षा की तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।
- महाराष्ट्र में, आ.आ. सिटी XII प्रभार में एक घोषणाकर्ता (कोड: 678687 ने 30.12.97 को 100 करोड़ रुपये की राशि घोषित की परन्तु कोई कर अदा नहीं किया। जुलाई 2000 में पुनः सत्यापन के दौरान आ आ यह कहते हुए निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ था कि चूंकि घोषणाकर्ता एक नया निर्धारिती था इसलिए उसने कोई विवरणी दाखिल नहीं की। इसके अतिरिक्त उसी प्रभार में अन्य मामले में एक व्यक्ति (कोड: 66451) ने 5 लाख रुपये घोषित किए परन्तु कोई कर अदा नहीं किया। तथापि निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए नहीं किया। तथापि निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत लेखाओं में वी डी आई एस कर के प्रति 1.50 लाख रुपये की राशि डेबिट की गयी दर्शायी गयी। निर्धारण अधिकारी ने 18.5.98 को एक संक्षिप्त रीति में निर्धारण की प्रोसेसिंग करते हुए इसे स्वीकार किया। इसके बाद मामला संवीक्षा के लिए नहीं चुना गया।

4.10 रजिस्ट्रों का अनुचित रखरखाव

बोर्ड ने आ आ को उनके संबंधित प्रभार में वी डी आई योजना के अंतर्गत दाखिल घोषणाओं का एक रजिस्टर बनाने के अनुदेश जारी किए। इसमें घोषणाकर्ता के नाम, पता घोषणा की तारीख, घोषित राशि, प्रदत्त कर, घोषित परिसम्पत्तियां, प्रमाणपत्र के लिए आवेदनपत्र की तारीख और प्रमाण पत्र की तारीख तथा इश्यू नम्बर संबंधी सूचना दर्शायी जाएगी।

नमूना जांच से पता चला कि कई प्रभारों में रजिस्टर सही ढंग से पूरे नहीं किए गए थे। उदाहरणार्थ आ.आ. सिटी XIII, मुम्बई प्रभार में प्रमाण पत्र संख्या तथा इश्यू की तारीख का कालम भरा नहीं गया था। इसलिए रजिस्टर से यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं था कि क्या घोषणाकर्ता को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त कई प्रभारों में जैसे कि आ.आ. पश्चिम बंगाल II में यह पाया गया कि कई प्रविष्टियां पेंसिल से की गई थी या बाद में एक अलग रंग की स्याही का प्रयोग करके की गई थी, जबकि कुछ प्रविष्टियां रद्द कर दी गई थी। इस तथ्य की मूल घोषणाओं को सील कर दिया गया है, को मानते हुए रजिस्टर का उचित रखरखाव कठिन है चूंकि यह योजना के अंतर्गत घोषणाकर्ताओं संबंधी मात्र तत्काल सूचना का स्रोत प्रदान करता है।



अध्याय 5

घोषणाकर्ताओं की रूपरेखा

- योजना के अन्तर्गत नए निर्धारिती
- एमनेस्टी योजना 1985 और आ.स्वै.प्र.यो.-97 दोनों के अन्तर्गत घोषणा करने वाले
- घोषणाकर्ताओं की खबर रखने वाले अभिलेख
- उच्च घोषणाकर्ताओं का विश्लेषण
- व्यापारी वर्ग एवं परिवार वर्ग
- सैक्टर और व्यवसार का विश्लेषण
- बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय कम्पनियों के कर्मचारीगण
- सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रकटन
- परिसमापन में हुई कम्पनियों द्वारा प्रकटीकरण



अध्याय 5 घोषणा-कर्त्ताओं की रूपरेखा

5.1 नए निर्धारिती

कर आधार
विस्तृत करने
के लिए शुरू
किए गए
कदम

5.1.1 वर्ष 1997-98 के बजट भाषण में वित्त मन्त्री ने कहा कि सरकार कर सुधार करना जारी रखेगी और सरकार वैधानिक रूप से देय राजस्व को बढ़ाने और कर अपवंचन को रोकने के लिए कदम उठाएगी ऐसे उपायों में कुछ आर्थिक मापदण्ड को पूरा करने वाले और खुदरा व्यापारियों के लिए एक नई अनुमानित आय योजना लागू करके व्यक्तियों द्वारा विवरणी दाखिल करने को अनिवार्य करके कर आधार को विस्तृत करने का सुझाव था।

5.1.2 ऐसे कहे गए उद्देश्यों के लिए वित्त मन्त्री ने एक आय स्वैच्छया प्रकट योजना लागू की जो उन व्यक्तियों को जिन्होंने पिछले वर्षों में कर अपवंचन किया था, आगे आने और प्रकटित आय को घोषित करने का अवसर प्रदान करेगी। वित्त अधिनियम, 1997, की धारा 64(1)(क) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य आय है और जिसके लिए वह धारा 139 के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने में विफल रहा है, स्कीम के अन्तर्गत घोषणा कर सकता है। धारा को सामान्यतः पढ़ने से स्पष्ट है कि योजना से उन व्यक्तियों को भी आकर्षित होने की संभावना थी जिनके पास यद्यपि कर योग्य आय थी लेकिन आय कर निर्धारिती नहीं थे।

5.1.3 वित्त अधिनियम, 1997, की धारा 65(1) के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र में घोषणाकर्त्ता को अपनी प्रारिथिति बताना आवश्यक था कि क्या उसका आयकर के लिए निर्धारण हुआ है। ये सूचना अन्य विवरण जैसे परिसम्पत्तियों की घोषित राशि एवं उनके स्वरूप सहित डेटा-बेस में संग्रहित की गई हैं जिनका नए निर्धारितियों के बारे में जानने के लिए विश्लेषण किया गया था।

5.1.4 विश्लेषण के परिणाम

कर आधार
मे
न्यूनतम वृद्धि

5.1.4.1 डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि योजना नये निर्धारितियों को आकर्षित करने में विफल रही है। कुल 4,75,477 घोषणाकर्त्ताओं में से केवल 77,107 (16%) नये निर्धारिती थे। यद्यपि 2,067 घोषणाकर्त्ताओं को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए और इस तरह प्रभावी रूप से नये निर्धारितियों की संख्या 75,040 थी। और विभागीय रजिस्ट्रों में 1997-98 के लिए नये निर्धारितियों का अनुपात कुल निर्धारितियों की संख्या के प्रति (1,31,67,736) मात्र 0.57 प्रतिशत था। यह अतिरिक्त संख्या व्यक्तिगत निर्धारितियों की श्रेणियों में अधिकतम थी जो 1997-98 में नए निर्धारितियों


की बढ़ी हुई संख्या की प्रवृत्ति को पुष्ट करती थी जहाँ व्यक्तिगत श्रेणी में अधिकतम बढ़ोतरी हुई थी।

5.1.4.2 जबकि नए निर्धारितियों द्वारा घोषित परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (4813.23 करोड़ रुपये) योजना के अन्तर्गत घोषित कुल परिसम्पत्तियों की राशि का 14.28 प्रतिशत था, उनके द्वारा भुगतान कर (1079.97 करोड़ रु.) कुल भुगतान कर का 11 प्रतिशत¹ था। नए निर्धारितियों द्वारा प्रति व्यक्ति घोषित परिसम्पत्तियों की राशि 6.24 लाख रु. थी जब कि स्वीकृत घोषणाओं में प्रति व्यक्ति भुगतान कर 1.44 लाख रु. था। इस प्रकार योजना कर आधार को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर सकी।

5.1.4.3 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नए निर्धारितियों द्वारा घोषित परिसम्पत्तियां निर्धारण वर्षों 1962-63 से 1997-98 से सम्बन्धित थीं। विश्लेषण से पता चला कि 13,604 नये निर्धारितियों ने, जब आय स्वै. प्र. एवं धन योजना 1975 घोषित हुई थी, निर्धारण वर्ष 1975-76 तक की अवधि से सम्बन्धित कुल 79.13 करोड़ रुपये की घोषणाएं की थीं। और 21,096 घोषणाकर्ताओं ने निर्धारण वर्ष 1976-77 से 1986-87 की अवधि के लिए जब एमनेस्टी योजना घोषित की गई थी कुल 495.70 करोड़ रुपये की घोषणाएं की थीं। इस प्रकार नये निर्धारितियों के 45 प्रतिशत जिन्होंने आ स्वै.प्र.यो.-97 के अन्तर्गत घोषणा की, पूर्व एमनेस्टी योजनाओं में भी घोषणाएं कर सकते थे जिससे नये निर्धारितियों की अप्रकटित आय को पता लगाने में कर प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से तलाशी और जब्तियों की शक्ति का प्रयोग करने की विफलता जाहिर होती है।

यह भी कहा जा सकता है कि एमनेस्टी योजना-1985-86 ने प्रकटित आय पर 60 प्रति की दर से कर का प्रावधान किया था। नए निर्धारितियों जिनके पास बहुत लम्बे समय से अलेखांकित आय और धन था, स्पष्ट रूप से स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अन्तर्गत कर की कम दरों का लाभ उठाने की इच्छा से आय प्रकट की।

5.1.4.4 नए निर्धारितियों पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 43 प्रतिशत और उसके बाद दक्षिणी जोन में 24.2 प्रतिशत थे। राज्यों में, नए निर्धारितियों की संख्या (21.9 प्रति) महाराष्ट्र में अधिकतम रही जबकि हिमाचल प्रदेश में नए घोषणाकर्ताओं की संख्या मात्र 0.25 प्रतिशत थी जिनका



नये निर्धारितियों ने पूर्व एमनेस्टी योजना लाभ नहीं लिया

नए निर्धारितियों का भौगोलिक वितरण

¹ लेखापरीक्षा के अनुसार भुगतान कर संख्या 9729.02 करोड़ रु. (विभागीय संख्या 9554.25 करोड़ रु.)

की संख्या मात्र 0.25 प्रतिशत थी जिनका पहले कर निर्धारण नहीं हुआ था।

तथापि, प्रत्येक राज्य में नए निर्धारितियों का प्रतिशत कुल घोषणाकर्ताओं के प्रति केरल में अधिकतम (32.2 प्रतिशत) था जबकि आसाम में अनुपातिक संख्या न्यूनतम (6.84 प्रतिशत) थी। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि नए निर्धारितियों द्वारा प्रत्येक राज्य में घोषित राशि के प्रति आन्ध्र प्रदेश में अधिकतम (37.09 प्रतिशत) था, नए निर्धारितियों द्वारा भुगतान कर का प्रतिशत कुल भुगतान कर के प्रति मात्र 16.7 प्रतिशत ही था जो यह दर्शाता है कि आन्ध्र प्रदेश में या तो बहुत से नए निर्धारितियों न कर कतई नहीं दिया या आंशिक कर भुगतान किया।

5.1.5 नए निर्धारितियों की रूप रेखा

कम्पनियां कर
जाल से
चौकस रहीं

यह देखा गया कि नये निर्धारितियों में लगभग 77.8 प्रतिशत नये व्यक्ति थे जबकि कम्पनी केवल 0.63 प्रतिशत थी। मुद्रण रूप में घोषित परिसम्पत्तियों की मात्रा व्यक्तिगत श्रेणी के प्रति अधिकतम (73.86%) थी, जबकि कम्पनी द्वारा घोषित परिसम्पत्ति केवल 1.21% थी। जबकि व्यक्ति निर्धारितियों में कर आधार में हुई वृद्धि मौटे तौर पर विभागीय रजिस्ट्रों में 1997-98 के लिए नियमित व्यक्तिगत निर्धारितियों की वृद्धि के कारण थी, इससे भी स्पष्ट था कि केवल 485 कम्पनियों ने कर के आधार में प्रवेश कर के योजना का लाभ उठाया। वित्त मंत्रालय के अनुसार दिनांक 31.3.1998 को 4,88,443 कम्पनियां थी जिनमें से केवल 2,74,319 आयकर निर्धारिती थीं। इससे पता चलता है कि जब कारपोर्ट कार्यों की अधिकांश 2,14,124 संख्या कर के लिए निर्धारण नहीं की जा रही है अतः स्वैच्छया प्रकट योजना ऐसे हस्तियों को आकर्षित करने में विफल रही है।

5.1.6 घोषित परिसम्पत्तियों का स्वरूप

नये निर्धारितियों द्वारा कुल घोषित परिसम्पत्तियों का लगभग 60 % नकद तथा 26 % ज्वैलरी के रूप में मिला।

फिर विश्लेषण करने से पता चला कि कुल नये निर्धारितियों की संख्या में अधिकतम (43,534) ने नकद घोषित किया तथा उसके बाद वो जिन्होंने (39,993) ज्वैलरी घोषित की।

नकद और ज्वैलरी घोषणाओं के विश्लेषण करने से पता चलता है कि 5437 नये निर्धारितियों ने निर्धारण वर्ष 1975-76 तक के अवधि से सम्बन्धित कुल 114 करोड़ रु. की घोषणाएं की और 25,628 घोषणाकर्ताओं ने निर्धारण वर्ष 1976-77 और 1986-87 के अवधि के बीच कुल 728 करोड़ रुपये की घोषणाएं की।

5.2 एमनेस्टी योजना 1985 और आ.स्वै.प्र.यो.-97 दोनों के अन्तर्गत घोषणा करने वाले व्यक्ति

संसदीय कमेटी ने पूर्व एमनेस्टी योजनाओं के घोषणाकर्ताओं को अलग रखने की संस्तुति की थी

5.2.1 लोक लेखा समिति ने अपनी 123वीं रिपोर्ट (1978-79) में संस्तुति की थी कि सरकार को स्वैच्छया प्रकटन की योजनाओं पर भरोसा करने के बजाए प्रत्यक्ष कर प्रशासन को सुदृढ़ करने के कड़े उपाय करने चाहिये। यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि एमनेस्टी योजनाओं के अन्तर्गत घोषणाकर्ताओं के निर्धारणों पर भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ईमानदारी के रास्ते पर लौट आये उन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये। जानते हुए कि अनेकों व्यक्तियों ने दोनों 1965 और 1975 की योजनाओं का लाभ उठाया है, कमेटी ने महसूस किया कि जिन व्यक्तियों ने पूर्व की किसी योजना के अन्तर्गत अपनी आय एवं धन को प्रकट किया है, फिर घोषणा करने के सुयोग्य नहीं माने जाने चाहिये।

5.2.2 लोक लेखा समिति की स्पष्ट संस्तुति की अवहेलना करते हुए मंत्रालय ने आ.स्वै.प्र.यो. को अन्तिम रूप दिया जिसमें पूर्व एमनेस्टी योजनाओं में लाभ उठाने वाले निर्धारितियों को नहीं रोका गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्व एमनेस्टी योजनाओं ने अप्रकटित आय को पूर्ण और सत्य रूप से प्रकट करने का मौका दिया था।

5.2.3 यह भी आशा की गई थी कि विभाग लोक लेखा समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों के आयकर एवं धनकर निर्धारणों को मानीटर करेगा जिन्होंने समय-समय पर स्वैच्छया प्रकटन योजनाओं को लाभ उठाया है। निर्धारण वर्ष 1985-86 और 1986-87 से सम्बन्धित जब अन्तिम एमनेस्टी योजना घोषित की गई थी ऐसे व्यक्तियों के नाम एवं विवरण, निर्धारण अभिलेखों से प्राप्त करने के प्रयास किए गए। तथापि यह देखा गया कि विभाग ने पिछले घोषणाकर्ताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। और तो और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में निर्धारण अभिलेखों का प्रायः स्थानान्तरण और निर्धारण फाइलों का रख-रखाव न होने से जो 10 वर्षों से अधिक पुरानी हैं, पूर्व घोषणाकर्ताओं पर निगरानी रखने में परेशानी उत्पन्न हुई है।

5.2.4 विभाग से विवरणों के अभाव में, एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत कुछ घोषणाकर्ताओं के नाम, पते, पै न/जी आई आर संख्या एवं निर्धारण प्रभार भारत के नि.एवं महा.लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की 1989 में योजना की संवीक्षा से लिए गए। इन विवरणों को स्वै.प्र.आ.यो. के डेटा बेस में दिखाए गए अन्य ब्यौरों व एक जैसे नामों के साथ मिलान किया गया।

जैसा कि देखा गया कि अनेको व्यक्तियों के एक जैसे नाम थे, जी आई आर/पै न संख्याएं मिलान की गईं। यद्यपि एमनेस्टी योजना के अधिकांश मामलों में जी आई आर संख्या दी हुई थी जबकि स्वै.प्र.आ.यो. डेटा बेस में पै न संख्याएं थी जिससे यह

विभाग ने पूर्व घोषणाकर्ताओं का रिकॉर्ड नहीं रखा।

सुनिश्चित करना मुश्किल था कि घोषणाकर्ता वही व्यक्ति है। केवल कुछ मामलों में जहाँ एक जैसे मिलान किये जा सके छाँटे गये और इस बीच निर्णीत किए गए निर्धारणों के स्वरूपों और आय विवरणी के विवरणों की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनन्य जाँच कराई गई। इन्हीं कारणों से नमूने का आकार कम था जिसकी जाँच पड़ताल की गई।

5.2.5 विश्लेषण के परिणाम

5.2.5.1 सत्यापन को भेजे गए मामलों की जाँच पड़ताल से पता लगा कि 26 निर्धारितियों (25 व्यक्ति एवं 1 अ.हि.पक.रि.) ने 1985 की एमनेस्टी योजनाओं के अन्तर्गत मांफी का लाभ लिया और फिर पुनः स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अन्तर्गत प्रकटन किए। दूसरे शब्दों में, 1985-86 के निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित निर्धारण अभिलेखों को न तो निर्धारितियों ने दाखिल किया और न उनका रखरखाव किया गया और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए जिससे यह सत्यापन करना मुश्किल है कि क्या निर्धारितियों ने पिछली घोषणाएं की योजना के अन्तर्गत प्रकटन ठीक से किए थे अथवा नहीं।

5.2.5.2 स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अन्तर्गत निर्धारितियों द्वारा घोषित आय की रेंज जिनके निर्धारण अभिलेखों की जाँच की गई निम्नवत हैं :

घोषित आय की रेंज	घोषणाकर्ता का नाम
1 करोड़ रुपये से अधिक	2
50 लाख रुपये से 1 करोड़ के बीच	1
25 लाख रुपये से 50 लाख के बीच	2
10 लाख रुपये से 25 लाख के बीच	7
1 लाख रुपये से 10 लाख के बीच	12
1 लाख रुपये से कम	2

घोषणाएं पिछली एमनेस्टी योजना-1985 के साथ परस्पर अधिव्याप्त थी

26 घोषणाओं में से, 10 घोषणाकर्ताओं ने निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व अवधि के लिए स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अन्तर्गत 1.77 करोड़ रुपये की आय घोषित की जिससे संकेत है कि 1985 की एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत प्रकटन पूर्ण एवं सत्य नहीं थे। परिसम्पत्तियों के विवरण निम्नवत हैं :

घोषणाकर्ता की कोड सं.	निर्धारण वर्ष	ज्वेलरी का प्रकार	घोषित मूल्य (रु. लाखों में)
215318	1973-74	नकद, भवन, ज्वेलरी, चाँदी और शेर	70.52
78412	1985-86	नकद	1.25
224017	1985-86	ज्वेलरी	34.94
65468	1982-83	ज्वेलरी	3.35
45975	1986-87	नकद और ज्वेलरी	4.30
415308	1986-87	ज्वेलरी	16.73
229962	1983-84	ज्वेलरी	24.32
414922	1986-87	ज्वेलरी	20.00
229167	1986-87	ज्वेलरी	1.72
466130	1978-79	चाँदी	0.18
		जोड़	177.31

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सभी निर्धारितियों ने एमनेस्टी योजना 1985 और आ.स्वै.प्र.यो.-97 के बीच की अवधि के लिए आय विवरणी दाखिल की थी और 17 घोषणाकर्ताओं ने निर्धारण वर्ष 1997-98 और उसके बाद के वर्षों के लिए भी नियमित विवरणियां दाखिल की थी। शेष मामलों में विवरणी या तो दाखिल नहीं की गई या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। तथापि लगभग सभी मामलों में विवरणियां संक्षिप्त रीति से निपटाई गई और विवरणी आय स्वीकार कर ली गई। यह देखते हुए कि ऐसी स्वै.प्र.आ.यो. का उद्देश्य पथ भ्रष्ट कर दोषियों को ईमानदारी के रास्ते पर लौटाया था, ऐसे मामलों की विभाग को अपनी संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से संवीक्षा करनी थी ताकि निर्धारिती ने वास्तव में ऐसा न किया हो।

5.2.5.3 8 उच्च घोषणाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि 5 निर्धारितियों ने स्वै.प्र.आ.योजना अवधि के बाद की आय विवरणी दाखिल की। सभी निर्धारण केवल एक को छोड़कर संक्षिप्त रीति से निपटाए गए। एक घोषणाकर्ता ने निर्धारण वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए हानि विवरणियां दाखिल की जिन्हें विभाग द्वारा निर्धारणों के संवीक्षा के निपटाने के बाद स्वी कार कर लिया गया।

आ.स्वै.प्र.यो. की बाद की अवधि में इन आठ घोषणाकर्ताओं के आय विवरणियों के विवरण निम्न प्रकार है :

कोड सं.	घोषित राशि (रु.)	नि. वर्ष 1997-98 के लिए आम विवरणी (रूपये)	नि. वर्ष 1998-99 के लिए आम विवरणी (रूपये)	नि. वर्ष 1999-2000 के लिए आम विवरणी (रूपये)
301088	17000000	238550 [143(1)(क)]	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
69848	16838250	उलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
215318	7052270	1511390 [143(1)(क)]	उपलब्ध नहीं	3144560
69263	4998721	113060 [143(1)(क)]	718770	612140
224017	3493593	(-850) [143(3)]	(-445760)	उपलब्ध नहीं
229962	2432173	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
248790	2201714	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
414922	2000820	89400 [143(1)(क)]	145690	उपलब्ध नहीं

5.2.6 धन कर विवरणियों का दाखिल न किया जाना

ये सभी निर्धारित धन कर विवरणी दाखिल करने के लिए उत्तरदायी थे, परन्तु केवल व्यक्तियों ने स्वै.प्र.आ.यो. के अर्न्तगत परिसम्पत्तियां घोषित करते हुए विवरणी दाखिल कीं। दोनो निर्धारणों को संक्षिप्त रीति से निपटाया गया है।

5.2.7 निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि ऐसी एमनेस्टी योजनाओं को लागू करने के आशय के विपरीत कुछ निर्धारितियों ने अपनी आय को दबाए रखा और ऐसी एमनेस्टी योजनाओं की घोषणा होने की प्रतीक्षा की। ऐसी योजनाओं ने उनको अपने अलेखांकित धन को बिना किसी ब्याज, शास्ति कार्यवाही और सजा के भार को वहन किए बगैर कानूनी रूप से उजागर करने में होंसला बढ़ाया। तथ्य यह है कि इस प्रकार की योजनाएं एक अन्तराल अवधि के बाद घोषित की जाती रही हैं जिन्होंने इन निर्धारितियों को अपनी गुप्त अप्रकटित परिसम्पत्तियों के रखने के लिए अनुचित कर-प्रशासन ने उत्साहित किया है।

स्वै.प्र.आ.यो. ने प्रत्येक निर्धारित को किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषणा करने को अनुमत किया जो लोक लेखा समिति की संस्तुति का उल्लंघन था कि जो व्यक्ति पहले किसी ऐसी योजना में अपनी आय एवं धन को प्रकट कर चुका है, बाद वाली ऐसी योजना में घोषणा करने से अनुनमेय होना चाहिये।

5.3 घोषणाकर्ताओं की खबर रखने वाले अभिलेख

5.3.1 स्वै.प्र.आ.योजना का कथित उद्देश्य काले धन को उजागर करना और कर अपवंचन रोकने था। सरकार ने भी अनेको योजनाओं और कर सुधारों द्वारा कर स्रोतों में बढ़ोतरी के उपाय जारी रखे। अतः यह आशा की गई थी कि विभाग स्वै.प्र.आ.यो. की समाप्ति के बाद आयकर एवं धनकर विवरणी दाखिल करने को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखेगा ताकि दोषी निर्धारित फिरे ईमानदार कर भुगतानकर्ता बन सकें।

5.3.2 लेखापरीक्षा विधी

कम्प्यूटरीकृत डेटा बेस के विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक आयकर आयुक्त के 100 उच्च घोषणाकर्ता चुने गए। 11,227 मामलों को चुना गया एक नमूना उनके द्वारा पूर्व आ.स्वै.प्र.योजना एवं पाश्च स्वै.प्र.आ.योजना में दाखिल आयकर एवं धनकर विवरणियों को एक साथ अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय जाँच के लिए नियत किया गया। क्षेत्रीय जाँच के परिणाम को डेटा बेस के साथ फिर लेखापरीक्षा की गई।

5.3.3 आयकर विवरणियां

11,227 उच्च घोषणाकर्ताओं में से आयकर विवरणियां निर्धारण वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए केवल 2574 मामलों में उपलब्ध थीं। निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए दाखिल की गई आय विवरणियों की निर्धारण वर्ष 1998-99 के साथ की गई तुलना निम्नवत है :

मामलों की संख्या जहाँ नि. वर्ष 1998-99 के दौरान आय नि.व. 1997-98 से कम थी	683
मामलों की संख्या जहाँ नि. वर्ष 1998-99 के दौरान आय नि.व. 1997-98 से बराबर थी	6
मामलों की संख्या जहाँ नि. वर्ष 1998-99 के दौरान आय नि.व. 1997-98 से अधिक थी	1885

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि आ.स्वै.प्र.यो. में अप्रकटित आय घोषित करने के बाद भी 2574 मामलों से 683 मामलों में जहाँ कर सूचना उपलब्ध थी, आय में कोई वृद्धि नहीं दिखाई गई। यह नमूने के आकार का लगभग 26.5% थी और यह बहुत चौकाने वाला था क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि ये घोषणाकर्ता एक बार फिर से अपनी अलेखांकित आय बढ़ाने की आदत में लौट गए हैं।

घोषणाकर्ताओं
पर पञ्च
स्वै.प्र.आ.यो.
निर्धारण वर्षों के
बाद कोई
निगरानी नहीं

विभाग ने इन घोषणाकर्ता द्वारा बाद के निर्धारण वर्ष में आय विवरणी दाखिल करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष क्रियाविधि प्रारम्भ नहीं की। वास्तव में विभाग ने सभी प्रकार के घोषणाकर्ताओं की आय विवरणियों को संक्षिप्त प्रक्रिया से निपटाने के निर्देश लागू रखे।

5.3.4 उदाहरण

नमूना जाँच से पता चला कि आन्ध्र प्रदेश (कोड सं. 73875 एवं 73028) और महाराष्ट्र (कोड सं. 447028) में 3 घोषणाकर्ताओं ने योजना के अंतर्गत 2.07 करोड़, 2.00 करोड़ एवं 2.00 करोड़ रुपये की आय घोषित की। इन घोषणाकर्ताओं ने बाद में निर्धारण वर्ष 1998-99 (पूर्व वर्ष 1997-98) के लिए अपनी आयकर विवरणियां क्रमशः 4.73, 1.57 करोड़ एवं 0.52 करोड़ रुपये आय की दाखिल की। यद्यपि आय विवरणियां बहुत भारी राशियों की थी, ये मामले संक्षिप्त प्रक्रिया विधि के अन्तर्गत निपटाए गए और संवीक्षा जाँच नहीं की गई।

5.3.5 धनकर विवरणियां

5.3.5.1 योजना में परिसम्पत्तियों जैसे अचल और चल सम्पत्ति द्वारा आय घोषित करने का प्रावधान था। योजना में यह प्रावधान भी था कि घोषणाकर्ताओं की निर्धारण वर्ष 1997-98 तक धनकर विवरणियां दाखिल करना जरूरी नहीं था। तथापि 1998-97 के निर्धारण वर्षों और बाद के लिए धनकर विवरणी दाखिल करने से कोई ऐसी छूट नहीं थी।

5.3.5.2 धनकर अधिनियम में धनकर की गणना परिसम्पत्तियों जैसे रिहायसी भवन, व्यवसायिक भवन, मोटर कारें, जेवरात, सोना चांदी, सोने चाँदी के बर्तन, यकथस, वायुयानों, शहरी भूमि, नकद धन और कतिपय मानी गई परिसम्पत्तियों को मूल्यांकन करके की जाती है। यद्यपि निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए स्वै.प्र.आ.यो. घोषणाकर्ताओं की लघुतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए जिन्हें धन कर विवरणियां दाखिल करनी चाहिये थी, कुछ मामले चुने गये जिनमें प्रकटित राशियां जेवरात, चाँदी और सोने के रूप में संकलित की जा सकती थी। यद्यपि घोषित राशियां डेटा बेस में भवन, नकद और गाड़ियों रूप में उपलब्ध थीं, इन परिसम्पत्तियों को 1998-99 में धनकर विवरणियों की लघुतम संख्या जानने के लिए अध्ययन से अलग रखा गया। ऐसे मामले जहाँ कुल प्रकटित राशि 15 लाख रु. या अधिक थी विश्लेषण के लिए पृथक रखे गए।

5.3.5.3 विश्लेषण से पता चला कि कुल घोषणाकर्ताओं में से 10577 घोषणाकर्ताओं ने 15 लाख रु. से अधिक मूल्य के जेवरात चांदी एवं सोना चांदी घोषित की थी, निर्धारित वर्ष 1998-99 के लिए धनकर विवरणियां दाखिल करना आवश्यक था।

आ.स्व.प्र.यो.
के घोषणा-
कर्ताओं का
धनकर के घेरे
से पलायन

5.3.5.4 प्रत्येक आ.आ. के 100 उच्च मामलों की जाँच के दौरान (11227 मामले) यह देखने में आया कि 2953 मामलों में ज्वैलरी, चाँदी और सोने का मूल्य 15 लाख के बराबर या उससे अधिक था और उनको निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए धनकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक था। फिर भी यह पता लगा कि 2953 मामलों में से 1998-99 के लिए धनकर विवरणी केवल 2761 मामलों में उपलब्ध थी।

5.3.5.5 उदाहरण

आन्ध्र प्रदेश आ.आ. ए पी॥ एवं आ.आ. विजयवाडा प्रभार (कोड सं. 356302 एवं 352080) एवं महाराष्ट्र (कोड सं. 447150 एवं 248785) में चार घोषणाकर्ताओं ने योजना के अन्तर्गत 63.11 लाख, 99.86 लाख, 64.20 लाख एवं 50.02 लाख रूपयों की ज्वैलरी की बड़ी आय को घोषित किया। जाँच से यद्यपि पता चला कि इस मामले में घोषितकर्ताओं ने निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए धनकर विवरणियाँ दाखिल नहीं की थी और न ही ज्वैलरी की बिक्री या अन्यथा से निपटाए जाने के संकेत का कोई सबूत ही था।

इसी प्रकार महाराष्ट्र आ.आ.मुम्बई सिटी ॥ प्रभार (कोड सं. 222557) के दूसरे मामले में घोषणाकर्ता ने योजना के अन्तर्गत 6.62 करोड़ रुपये मूल्य की इमारत घोषित की। इस मामले में भी घोषणाकर्ता ने 1998-99 वर्ष के लिए कोई धनकर विवरणी दाखिल नहीं की और परिसम्पत्ति के निपटान का कोई संकेत भी नहीं था।

(i) धन को कम बताना

धनकर विवरणी नमूने के 15% में धन बहुत कम दिखाया गया

एक नमूना जाँच 192 मामलों में, जहाँ नि.व. 1998-99 के लिए धनकर विवरणियाँ दाखिल की गई थी, 16 मामलों में 11,90,03,881 रु. के मूल्य तक धन को कम करने का पता चला। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ज्वैलरी, चाँदी और सोने का 1998-99 के लिए लागू बाजार-मूल्य नहीं अपनाया गया परिणामस्वरूप 11.90 लाख रुपये के धनकर का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.1)।

(ii) घोषित परिसम्पत्तियों की तुलना में धन का प्रकटीकरण अधिक

यह भी पता लगा कि 5 मामलों में निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए धनकर विवरणियों में घोषित धन स्वै.प्र.आ.यो. के अन्तर्गत घोषित ज्वैलरी चाँदी और सोने के बाजार मूल्य की तुलना में 18,00,62,661 रुपये तक अधिक था। इन सभी मामलों में 1997-98 निर्धारण वर्ष की धनकर विवरणियाँ उपलब्ध नहीं थीं।

कोड	स्वै.प्र.आ.यो.-97 में परिसम्पत्ति की घोषित राशि (रु.)	31.3.98 को स्वै.प्र.आ.यो में घोषित परिसम्पत्तियों बाजार मूल्य	निर्धारण वर्ष की दाखिल धनकर विवरणी (तिथि)	निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए धनकर विवरणी में दिखाया गया धन	अधिक दिया गया धन (रु.) (5-3)
1	2	3	4	5	6
58523	14282320	22479230	31.03.99	53736000	31256770
57539	12820275	22479371	31.03.99	56669000	34189629
57540	1271194	20415750	31.03.99	59484000	39068250
57541	13083575	20592630	31.03.99	54281000	33688370
57542	13057971	21922367	31.03.99	63822000	41859633
जोड़	66215240	107889383.28		287993904	180062661

बहुत अधिक मात्रा में धनकर अपवंचन की संभावनाएं दिखाई देती हैं।

धनकर की अतिरिक्त राशि के सहित ये विवरणियां स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अन्तर्गत घोषित परिसम्पत्तियों द्वारा आय को कम करके प्रदर्शित करती हैं। चूंकि विभाग लगभग 97% विवरणियों को संक्षिप्त रीति से निपटा रहा है। यह संभावना और अधिक है कि इन मामलों में समुचित निर्धारण नहीं किए गए। इन मामलों में जैसा कि उपरोक्त दर्शाये गए है, धनकर एवं स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत घोषणाओं के अपवंचन की भारी संभावनाएं हैं।

5.4 उच्च घोषणाओं का विश्लेषण

5.4.1 सरकार के देय कर की वसूली में राजस्व विभाग किस हद तक प्रभावी रहा है, यह स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अन्तर्गत उच्च घोषणाकर्ताओं द्वारा घोषित राशि के आकार और विद्यमान कर दाताओं के अपने इस तथ्य से जाना जा सकता था।

5.4.2 1 करोड़ रु. या इसके अधिक के उच्च घोषणाकर्ताओं के विश्लेषण करने का प्रयास किया गया और उसके आँकड़े निम्नवत है :

घोषित राशि की रेंज	मामलों की संख्या	देय कर	भुगतान कर	(रूपये करोड़ में)	
				शून्य कर भुगतान के मामले	अन्तर्निहित कर कालम 5 के संदर्भ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 करोड़ रूपये से अधिक	6	385.10	131.77	4	245.39
25 करोड़ से अधिक परन्तु 100 करोड़ रूपये तक	7	91.58	44.56	3	47.01
5 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 25 करोड़ रूपये तक	138	418.53	378.62	10	33.31
1 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5 करोड़ रूपये तक	1886	1000-94	924.73	96	63.35
जोड़	2037	1896.15	1479.68	113	389.06

उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि 1 करोड़ रु. या इससे अधिक के उच्च घोषणाकर्ता केवल 2037 थे जो स्वै.प्र.आ.योजना के अन्तर्गत कुल घोषणाकर्ताओं की तुलना में नगण्य संख्या में थे। तथापि उनके द्वारा अप्रकटित घोषित आय 6068.21 करोड़ रुपये रही जो योजना के अन्तर्गत कुल घोषित राशि की 18% थी। 2037 घोषणाकर्ताओं में से 1850 विद्यमान निर्धारित थे।

5.4.3 यह मानते हुए कि कर प्रशासन सामान्यतः उच्च आयकर दाताओं के समुचित निर्धारण करेगा, यह आशा की गई थी कि स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अन्तर्गत घोषणाएं अज्ञात निर्धारितियों, कारपोरेट और फर्मों तक सीमित रहेंगी। विश्लेषण के परिणामों से इन उच्च घोषणाकर्ताओं के निर्धारण में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी।

3315 घोषणाकर्ता 854 करोड़ रुपये का कर देने में विफल रहे

5.4.4 यह भी पता लगा कि 113 घोषणाकर्ताओं ने जिन्होंने 1 करोड़ रु. या अधिक घोषित किया, स्वै.प्र.आ.यो. के अन्तर्गत कुछ भी कर देने में विफल रहे। इन व्यक्तियों द्वारा कुल देय राशि 389.06 करोड़ रु. थी। दूसरे 1 करोड़ रु. से कम घोषणाओं के प्रति शून्य कर मामलों का दृश्य यह था कि 3202 व्यक्ति अपने द्वारा घोषणाओं में 465.13 करोड़ रु. जमा करने में विफल रहे। इस प्रकार 3315 घोषणाकर्ता 854.19 करोड़ रुपये में कुछ भी कर देने में विफल रहे।

5.4.5 1 करोड़ रु. और अधिक की अप्रकटित आय वाले इन घोषणाओं की प्रास्थिति के विश्लेषण से निम्न स्थिति पता लगी:

1 करोड़ या अधिक रु.	घोषणाकर्ता जिन्होंने घोषणाओं पर कर भुगतान किया				शून्य भुगतान कर		
	श्रेणी	संख्या	घोषित राशि	देय कर	भुगतान कर	संख्या	घोषित राशि
व्यक्ति हि.अ. कु.	1615	4457.39	1337.59	946.99	95	1226.89	368.07
फर्म	133	293.02	102.42	95.93	6	10.51	3.59
कम्पनी	244	1205.98	421.93	401.64	11	48.31	16.75
अन्य दूसरे	45	111.82	34.21	35.13	1	2.19	0.65
कुल	2037	6068.21	1896.15	1479.68	113	1287.90	389.06

उपरोक्त सारिणी से 1 करोड़ रु. या अधिक वाले व्यक्तियों और हि.अ.कु.की प्रधानता स्पष्ट हैं। यह देखा गया कि इस श्रेणी के घोषणाकर्ताओं से कुल संगृहित कर की राशि उन घोषणाओं को समेत जहाँ कुछ कर की राशि भुगतान कर दी गई थी, 368.07 करोड़ रु. हुई।

5.4.6 आयकर आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों में इन मामलों की नमूना जाँच से पता लगा कि अवैद्य मामलों के विवरण निर्धारण अधिकारियों को नहीं भेजे गये ताकि बाद वाले निर्धारण वर्षों में उचित निर्धारण किये जा सकें। चूँकि ये निर्धारण कानून के अन्तर्गत नान-एस्ट हैं, विभाग ने इन दस्तावेजों को गोपनीय रखने के उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी नहीं ली।

1998-99 में
आ.स्वै.प्र.अ.यो. के
घोषणाकर्त्ताओं की
विवरणियों की संवीक्षा के
लिए निर्देशों में कोई
संशोधन नहीं

5.4.7 यह भी पता चला कि वर्ष 1998-99 में और उसके बाद में स्वै.प्र.अ.यो. के घोषणाकर्त्ताओं की 4,75,477 नियमित विवरणियों की संवीक्षा के लिए विभाग ने निर्धारणों के चुने जाने एवं निपटान करने के लिए अपने निदेशों में संशोधन नहीं किया। वास्तव में, वर्ष 1998-99 के लिए विभाग में निर्धारण 1,84,30,295 लम्बिल पड़ें थे जिनमें से 5,98,076 अथवा 3.25% संवीक्षा निर्धारणों के लिए छूटे गये थे। विभाग संवीक्षा के अन्तर्गत केवल 2,01,849 निर्धारणों को पूर्ण कर सका जिनमें स्वै.प्र.अ.यो. घोषणाकर्त्ताओं के निर्धारण शामिल हो सकते थे अथवा नहीं। और तो और विभाग ने दूसरे निदेश ये कहते हुए जारी किए कि वर्ष 2000-2001 के लिए संवीक्षा के लिए कोई मामले नहीं चुने जाएंगे। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को देखते हुए संवीक्षा निर्धारणों के लिए मामलों को चुने जाने के निदेशों की पुनरीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है।

5.4.8 उदाहरण

निम्न मामलों में, घोषणाकर्त्ताओं ने निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए अपनी धन कर विवरणियां प्रत्येक के सामने दिखाई गई तिथियों को दाखिल की। संवीक्षा से पता चला कि इन सभी मामलों में, निर्धारण धनकर अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त राशि से संशोधित किए गए और किसी को भी संवीक्षा नहीं की गई जबकि इन प्रत्येक मामलों में धनकर विवरणियां बहुत उच्च मूल्य की थी।

आ.आ. प्रभार	घोषणाकर्त्ता की कोड संख्या	स्वै.प्र.अ.यो. के अन्तर्गत घोषित आय	धनकर विवरणियों को दाखिल करने की तारीख	विवरणी के अनुसार विवरणित धन	निर्धारण धन	निकाली गई मांग	टिप्पणियां
		(रू. करोड़ में)					
केन्द्रीय, बंगलौर	31044	4.38	30-11-1998	13.97	13.97	0.14	--
पश्चिम बंगाल XI	214632	3.35	31-05-1999	6.96	6.96	0.08	--
तमिलनाडु III	185006	3.58	30-10-1998	5.36	5.36	--	--
गुजरात I	41708	2.87	31-10-1998	5.18	5.18	0.05	भुगतान
मैसूर	201527	10.00	31-3-1999	4.88	4.88	0.05	भुगतान
तमिनाडु III	302077	3.18	30-10-1999	4.86	4.86	--	--

5.5 व्यापारी वर्ग अथवा परिवार वर्ग

एक अध्ययन जाने माने व्यापारी वर्गों ('हाउसिस') एवं परिवार वर्गों द्वारा की गई घोषणाओं को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। स्वै.प्र.आ.यो. डेटा बेस को वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कम्पनियों, हाउसिस और निदेशकों की सूचियों के डेटा बेस के साथ मिलान किया गया। अध्ययन के परिणाम निम्नवत थे:

यह देखा गया कि 164 घोषणाकर्ताओं के पास 5 करोड़ रु. या अधिक की अप्रकटित आय थी जो स्वै.प्र.आ.यो. के अन्तर्गत प्रस्तुत की। इन घोषणाकर्ताओं का विश्लेषण इस प्रकार है।

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	संख्या	घोषित राशि	भुगतान किया कर
व्यक्तियों एवं हिन्दु अविभाजित परिवार	101	1934.29	247.05
फर्मों	10	89.72	30.58
कम्पनियाँ	47	831.97	279.34
अन्य	6	40.19	12.65
जोड़	164	2896.17	569.62

उपरोक्त सारिणी से पता चलता है कि 164 उच्च घोषणाकर्ताओं ने 2896.17 करोड़ रुपये की आय प्रकट की जो योजना के अन्तर्गत कुल घोषित आय की 8.6% थी। इन घोषणाकर्ताओं को जब वाणिज्य समितियों अथवा एवं परिवार के स्पष्ट परिभाषित निर्धारित मापदण्ड के आधार पर दूसरे घोषणाकर्ताओं के साथ वर्गीकृत किया गया तब एक दूसरी ही तस्वीर का पता चला। इस अध्ययन के परिणाम निम्नवत थे :

- 302 घोषणाकर्ताओं के 65 परिवार वर्ग की मौजूदा स्थिति निश्चित की जा सकती थी। इन परिवार वर्गों ने 2080.34 करोड़ रु. की राशि घोषित की जो योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत राशि की 6.17% थी।
- 460 घोषणाकर्ताओं के 51 वाणिज्य वर्गों की पहचान की गई जिन्होंने योजना के अन्तर्गत 1058.10 करोड़ रुपये घोषित किया। यह राशि योजना के अन्तर्गत कुल घोषित राशि की 3.14% प्रतिशत थी।
- जब दोनों प्रकार के वर्गों को एक साथ देखा गया तब पता चला कि घोषित राशि का 9.31% इन्हीं 116 जाने पहचाने वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

वाणिज्य एवं
पारिवारिक वर्गों के
केन्द्रीयकृत निर्धारण
की संस्तुति

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण प्रमाणित एवं पूर्ण करने के लिए इन वर्गों के केन्द्रीयकृत निर्धारण करने की आवश्यकता है ताकि राजस्व की हानि को रोका जा सके।

5.6 सैक्टर और व्यवसाय का विश्लेषण

स्वै.प्र.आ.यो.-97 ने अलेखांकित आय वाले 4,75,477 घोषणाकर्त्ताओं को आकर्षित किया जिनमें से केवल 75,040 नये वैद्य निर्धारित थी। स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अवधि के दौरान निर्धारितियों के कर आंकड़े मुख्य रूप से निम्नवत थे :

प्रास्थिति	31 मार्च 1997	31 मार्च 1998
व्यक्तियों	97,61,426	1,11,94,953
हिन्दु अविभाजित परिवारों	4,12,470	4,37,251
फर्मों	11,58,319	11,72,647
कम्पनियां	2,27,228	2,74,319
ट्रस्ट	49,629	51,865
अन्य	34,471	36,701
जोड़	1,16,43,543	1,31,67,736

योजना के काले धन को उजागर करने के उद्देश्य को ध्यान देते हुए सांख्यिकीय आंकड़ों से महत्वपूर्ण संकेत मिलने चाहिये थे कि सैक्टर अथवा व्यक्तियों के मामले में व्यवसायी, हि.अ.कु. और कतिपय फर्मों किस प्रकार काले धन का उत्पादन कर रहे हैं। इन सैक्टरों और व्यवसायों को अलेखांकित आय के उत्पादन के झुकाव का सूचक माना जा सकता था।

5.6.1 लेखापरीक्षा विधि

कम्प्यूटरीकृत डेटा बेस सृजन के लिए क्षेत्रीय कार्य के विवरणों को विशेष रूप डिजाइन की गई इन पुट शील की आवश्यकता होती है। इन इनपुट शीट में दो फील्ड होते हैं उदाहरणार्थ - सैक्टर और व्यवसाय। घोषणा प्रपत्रों और अन्य दस्तावेजों के फोल्डरों में उपलब्ध विवरणों के आधार पर सैक्टर अथवा व्यवसाय की सम्बन्धित सूचना नोट की गई थी। 41,436 घोषणा प्रपत्रों का एक नमूना लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिए चुना गया। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

5.6.2 सैक्टरों का विश्लेषण

अर्थव्यवस्था के 31 सैक्टरों से सम्बन्धित 4795 फर्मों और कम्पनियों को चुना गया (सैक्टरों की सूची अनुलग्नक 5.2 में)। लेखापरीक्षा नमूने में शामिल अलेखांकित आय

वाले उच्चतम घोषणाकर्ताओं की संख्या प्रमुख सैक्टरों से ली गई जैसे बैंक, टैक्सटाइल्स, निर्माण, यांत्रिकी और डायमण्ड, ज्वैलरी व्यापारियों समेत आदि वित्तीय संस्थान।

(रु. करोड़ में)

	सैक्टर	नमूना	घोषित राशि	राज्यों में संकेन्द्रण
	सभी 31 सैक्टर्स	4795	991.65	
1.	वित्त बैंक सहित	891		तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात
2.	कपड़ा	603	92.54	तमिलनाडु और गुजरात
3.	निर्माण	590	108.57	महाराष्ट्र और गुजरात
4.	इंजीनियरिंग	320	55.53	महाराष्ट्र और गुजरात
5.	ज्वैलर्स पत्थर व्यापारियों सहित	305	29.54	कर्नाटक और तमिलनाडु
	जोड़	2709	491.34	

अध्ययन से पता चला कि 4795 के नमूने में लगभग 56% घोषणाकर्ता उपरोक्त पाँच सैक्टरों से थे और बेहिसाब आय लगभग 50% रहीं। ये अधिकांश घोषणाकर्ता महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडू राज्यों में स्थित पाये गये।

काले धन की फैली हुई विस्तृत अर्थव्यवस्था में दूसरे लोग पंजाब के स्टील सैक्टर, तमिलनाडू और केरल के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवाओं, महाराष्ट्र और केरल राज्यों में होटल और सुख-सुविधाओं के कार्यकलापों में, तमिलनाडू, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी राज्यों की पेय सैक्टर में, स्थिति पाये गये जबकि तमिलनाडू और महाराष्ट्र के परिवहन सैक्टर में जिससे इस सम्बन्ध में भ्रान्ति रहित प्रवृत्ति दिखाई दी।

5.6.3. व्यवसायों का विश्लेषण

व्यवसाय विश्लेषण के लिए 36,641 मामलों का नमूना व्यक्तियों द्वारा की गई घोषणाओं से लिया गया। इनको वर्गीकृत किया गया और 'गृहिणी' समेत 18 व्यवसायों के अन्तर्गत विश्लेषण किया गया (सूचि 5.3 अनुलग्नक में) यह नोट किया जा सकता है कि 4,05,615 घोषणाएं व्यक्तियों से प्राप्त हुईं और इस प्रकार नमूना का प्रतिशत स्पष्टतया 9% था। निष्कर्ष निम्न प्रकार है।

जैसाकि लेखापरीक्षा नमूने में दर्शाया गया है, गृहणियों ने योजना के अन्तर्गत 31,715 घोषणाओं में 1785.49 करोड़ रुपये प्रस्तुत किया। दूसरे उच्च व्यवसायिकों की स्थिति इस प्रकार थी :

(रूपये करोड़ में)

	सैक्टरों	नमूना	घोषित राशि
		36,641	2307.99
1.	गृहिणी	31,715	1785.49
2.	चिकित्सक	2,603	170.07
3.	लीजिंग एवं फाइनेंस	1286	172.74
4.	वास्तविक सम्पदा	416	119.76

जब इन घोषणाओं को उनके संकेन्द्रण में विश्लेषण किया गया तो पता चला कि अधिकांश गृहणियां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित थी। वे नमूने की 67% थी।

दूसरी और चिकित्सक सभी राज्यों में लगभग बराबर फैले हुए थे। इन चिकित्सकों की अधिकांश संख्या सरकारी अस्पतालों और मैडीकल कॉलिजों की थी।

लीजिंग एवं फाइनेंस के अन्तर्गत श्रेणीकृत घोषणाकर्ता मुख्य रूप से गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से थे। वास्तविक सम्पदा में कार्यरत व्यापारी मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में केन्द्रित पाये गये।

नमूने में कानून बनाने वाले और उसे संभाल रखने वाले (प्रोपराइटी वर्ग) की बहुत कम मात्रा का भी पता चला जैसे सरकारी कर्मचारी, जजों, राजनैतिज्ञों, शिक्षा शास्त्रियों, पत्रकारों, कानूनी व्यवसायकर्ता, कर-परामर्श दाता आदि।

ये मुख्य निष्कर्षों के सूचक है और विभाग द्वारा इन्हें निगराने रखने और निर्धारणों को प्रभावी रूप से मानीटर करने और कानूनी रूप से आवश्यक उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

5.7 बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय कम्पनियों के कर्मचारियों द्वारा अपवंचन

5.7.1 आयकर अधिनियम की धारा 133क और 133ख में प्रचलित प्रावधान हैं जो कर प्राधिकारियों को सर्वेक्षण करने और कतिपय सूचना संग्रहित करने की शक्तियां प्रदान करती है जो आय कर अधिनियम के उद्देश्यों, अथवा सम्बन्धित क्षेत्रों में लाभदायक हैं। विभाग वेतनों के अन्तर्गत कर कटौती कर्ताओं द्वारा स्रोत पर कर कटौती करता है। स्रोत कर कटौती एवं कर कटौती कर्ताओं की पिछले पाँच वर्ष की स्थिती इस प्रकार है:

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
वेतन (रू. करोड़ में)	1561.88	1926.11	2402.69	5226.48	6,026.13
कर कटौतीकर्ता (#)	4,09,377	4,55,878	5,08,756	4,54,029	4,95,869

(#) 1 अप्रैल को कटौती कर्ताओं की संख्या

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभाग को वेतनों पर कर कटौतीकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से कर वसूली होने एवं सांविधिक सर्वेक्षणों से कर अपवंचन न होने की आशा थी। देश में कार्य कर रही बहुउद्देशीय राष्ट्रीय कम्पनियां इन प्रावधानों के अध्ययीन थी। इन कम्पनियों के कर्मचारियों को अपनी आय विवरणी भरना आवश्यक था।

यह पता चला कि निम्न बहुउद्देशीय कम्पनियों के घोषणाकर्ताओं ने स्वै.प्र.आ.यो. के अन्तर्गत कुल 70.15 करोड़ की राशि घोषित की। यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी कर्मचारी विदेशी मूल के थे और 235 में से 188 ने अपने घोषणा प्रपत्रों में कहा कि वे आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मौजूदा निर्धारित है। तथापि उनमें से केवल 98 ने पैन/जी आई आर संख्या का उल्लेख किया है और अधिकांश ने वकीलों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के रिहायशी एवं कार्यालयों के पते दिए हैं। दृष्टान्त तौर पर बहुत मामलों में अधिकांश कर्मचारियों के रिहायशी पते एक ही थे।

मुख्य बहुउद्देशीय राष्ट्रीय कम्पनियों के कर्मचारियों द्वारा वर्षों तक कर अपवंचन

5.7.2 जापान के रहने वाले 163 घोषणाकर्ताओं के विवरण दिए गए हैं जहाँ सूचनाएं घोषणा प्रपत्रों में उपलब्ध थी और विभाग की बण्डलों के दस्तावेज में लगी हुई थी।

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय कम्पनी का नाम	कर्मचारियों की संख्या	घोषित राशि (रू. करोड़ में)
1. इटोचू कारपोरेशन	8	1.66
2. फूजित्सू कारपोरेशन, मोहाली	8	1.99
3. फूजित्सू ओपटल लिमि. भोपाल	4	0.97
4. फूजित्सू लिमि. नई दिल्ली	6	1.88
5. होन्डा मोटर कम्पनी लिमि. टोक्यो	26	4.56
6. सूमितोमो कारपोरेशन	11	5.40
7. डन्सो कारपोरेशन नई दिल्ली	29	12.21
8. अनरित्सू कारपोरेशन, नई दिल्ली	3	0.71

9. नेक कारपोरेशन, नई दिल्ली	3	0.50
10 क्लासिब गाजियाबाद	2	0.98
11. मितसुई एंड कम्पनी लिमि. नई दिल्ली	14	3.25
12. द्वारा एस पी. पूरी एंड कम्पनी(जापानी नागरिक)	3	2.79
13 द्वारा एस.आर. बोटली बाई एंड कम्पनी (जापानी नागरिक)	25	2.98
14 जापान रेडियो कम्पनी लिमिटेड	1	0.15
15 रेजिडेन्ट आफ जापान	20	6.59
जोड़	163	46.62

कर कटौती कर्ता अपने कर्तव्यों में विफल रहे

आयकर अधिनियम की धाराएँ 201 एवं 271 (ग) कर भुगतान अथवा कटौती न होने की विफलता के परिणामों को निर्धारित करती हैं। शास्ति प्रावधान उन सभी मामलों में भी यह मानते हुए लागू होते हैं कि इन सभी कर्मचारियों को बहुउद्देशीय कम्पनियों के अथवा कोई आय नहीं थी इन परिस्थितियों में इन कम्पनियों के कर कटौती कर्ताओं को कर में दोषी होने पर निर्धारित ही मानना है, और कर राशि की समान राशि जसकी ये व्यक्ति कटौती कराने में विफल रहे हैं, देय ब्याज के अतिरिक्त शास्ति के रूप में उद्ग्रहीत योग्य है।

स्व.प्र.आ.यो. के अन्तर्गत इन कर्मचारियों की घोषणाओं को फिर से संवीक्षा करने से पता चला कि सभी ने केवल अनेको वर्षों की बेहिसाब आय को घोषित किया। ब्याज सहित शास्ति के अतिरिक्त सम्बन्धित निर्धारण वर्ष में लागू उच्चतम कर की दरों की तुलना में इन कर्मचारियों को वेतनों और अन्य लाभों के संदर्भ में, कर कटौती कर्ताओं के इस महत्वपूर्ण संवर्ग पर निगरानी रखने की विभाग की विफलता ने, 70.13 करोड़ रुपये घोषित करने और केवल 30% कर देने के लिए प्रोत्साहित किया।

संसद को दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किए

यह स्मरण योग्य कि अनेको अवसरों पर विभाग का ध्यान संसद सदन के सदस्यों द्वारा खींचा गया था और मंत्रालय द्वारा लिखित उत्तर सदन को विश्वास दिलाते हुए भेजे गये थे कि बहुउद्देशीय राष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी बैंकों सहित उच्चतम दोषियों को निर्धारण करने में सावधानी बरती जा रही है।

5.7.3 विदेशी बैंक

यद्यपि लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन बैंकों के कर्मचारियों की स्व.प्र.आ. योजना की घोषणाएं निम्नवत है :

बैंक का नाम	कर्मचारियों से घोषणाओं की संख्या	घोषित राशि (रु. करोड़ में)
बंकू नेशनल डी पैरिस	17	10.76
सनवा बैंक	55	12.76
जोड़	72	23.52

संक्षिप्त रीति से निर्धारण की नीति का पुनर्विलोकन आवश्यक

इस संवर्ग के सभी निर्धारितियों के निर्धारणों को संक्षिप्त रीति के प्रावधान लागू करने की रीति को अविवेकपूर्ण एवं विभाग द्वारा इन कर दाताओं के बारे में जाने बिना राजस्व वसूली के विभाग के प्रयासों ने बड़े स्तर पर इन्हें कर अपवंचन का बढ़ावा दिया है।

5.8 सार्वजनिक उपक्रमों

5.8.1 यद्यपि स्वै.प्र.आ.यो. में शास्ति अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत घोषणाकर्ताओं को केवल अभियोजन से मुक्ति देने का प्रावधान किया था, के.प्र.कर बोर्ड ने परिपत्र सं. 754 दिनांक 10.6.97 द्वारा स्पष्ट किया कि कम्पनी के निदेशक अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 71 में यह भी कहा गया था कि योजना के अन्तर्गत घोषणाकर्ता के खिलाफ कोई शास्ति अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अभियोजन लगाने के उद्देश्य से साक्ष्य रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को 'पब्लिक सर्वेन्ट' की परिभाषा में शामिल माना जाता है और वे शासकीय शक्ति और अधिकार के साथ अपने कार्य करते हैं। किसी सार्वजनिक उपक्रम के बोर्ड के निदेशक भी सरकारी कर्मचारियों में से नामित किये जाते हैं जो अपने कार्य भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्य करते हैं।

कुछ सार्वजनिक उपक्रमों की पारदर्शिता न होना

सार्वजनिक उपक्रमों और उनके कर्मचारियों की प्रास्थिति देखते हुए यह आशा की जाती है कि ऐसे उपक्रमों के क्रियाकलाप पारदर्शिता के रूप में किये जाते हैं और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गये लेखों से उपक्रमों द्वारा किये गये सभी कार्य दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार ऐसे उपक्रमों से यह आशा नहीं की जाती कि वे बेहिसाब आय रखेंगे।

5.8.2 डेटा बेस के विश्लेषण से पता लगा कि सात सार्वजनिक निगमों ने स्वै.प्र.आ.यो. का लाभ लिया। इनमें से एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम था और शेष

राज्य निगम थे। उनके द्वारा 49.38 करोड़ रु. की राशि घोषित की गई और भुगतान कर 16.89 करोड़ रुपये था।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की गई घोषणाओं का विवरण निम्नवत है :

क्रम सं.	कारपोरेशन का प्रकार	कोड	घोषणा की तिथि	घोषित राशि (रु.)	भुगतान कर (रु.)	जारी प्रमाण-पत्र
1.	पावर	503372	30.12.97	36,81,90,934	12,86,68,827	हां
2.	खनिज विकास	39217	31.12.97	3,01,04,920	1,05,36,722	हां
3.	खनिज विकास	10788	29.12.97	7,86,300	2,75,210	हां
4.	वन	600249	30.12.97	3,58,58,590	1,25,50,510	हां
5.	ग्रामीण औद्योगिक विपणन	144753	31.12.97	3,04,07,800	68,62,800	हां
6.	औद्योगिक विकास निवेश	74516	17.9.97	75,30,000	26,35,500	हां
7.	यांत्रिकी	300016	26.8.97	2,09,24,482	73,23,569	हां

सभी उपक्रमों ने पूरा कर भुगतान किया और प्रमाण-पत्र जारी किये गये। क्रम सं. 1 में केन्द्रीय उपक्रम ने 1997-98 से 1998-99 निर्धारण वर्षों के लिए नकद घोषित किया, और क्रम सं. 2 से 4 ने क्रमशः निर्धारण वर्षों 1996-97, 1996-97 और 1992-93 के लिए नकद तथा क्रम सं. 5, 6 और 7 ने क्रमशः 1992-93 एवं 1993-94 और 1990-91 निर्धारण वर्षों के लिए असामान्य मद घोषित किये।

5.8.3 लेखापरीक्षा संवीक्षा

5.8.3.1 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि क्रम सं.4 में राज्य वन निगम ने निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए 31.3.93 को प्रो-फार्मा लेखों के आधार पर अपनी आय विवरणी दाखिल की। चूँकि विवरणी यथोचित लेखों के बिना दाखिल की गई थी निर्धारिती अधिकारी ने निर्धारिती को आयकर अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत यथोचित लेखे दाखिल करने को नोटिस जारी किया। चूँकि नोटिस का पालन नहीं किया गया, विवरणी 25.5.93 के आदेशों द्वारा कानूनी रूप से अवैध मानी गई।

चूँकि आय निर्धारण कराने में चूक हुई दिनांक 2.1.96 को धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। कम्पनी ने विवरणी दाखिल नहीं की और तारीख 19.9.97 के पत्र में कहा कि कतिपय सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं जिसमें और दो माह लगेंगे। चूँकि विवरणी दाखिल नहीं की गई, निर्धारण सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के आधार पर धारा 144 के अन्तर्गत दिनांक 22.9.97 को 1,30,00,000 रु. की आय पर निपटाया गया। कम्पनी ने 30.12.97 को स्वै.प्र.आ.यो. के अन्तर्गत एक घोषणा की जिसके लिए वह हकदार नहीं थी क्योंकि आय विवरणी योजना शुरू होने से पूर्व 1.7.97 को धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस के जबाव में दाखिल नहीं की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह

भी पता लगा कि लेखे तैयार थे और वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा 28.9.95 को अन्तिम रूप दे दिया था एवं कम्पनी अधिनियम के धारा 619(4) के अन्तर्गत महालेखाकार द्वारा पूरक लेखापरीक्षा 25.11.95 को पूर्ण हो चुकी थी। अतः दावा करना कि लेखे तैयार थे गलत था। और फिर दिनांक 28.9.95 को लाभ एवं हानि खातों के अनुसार लाभ 4,12,84,677 रु. था और स्वै.प्र.आ.यो. घोषणा की विवरण निम्न प्रकार था :

1. लाभ	4,12,84,677
2. जोड़ : अस्वीकार्य मदें	75,73,909
	4,88,56,586
घटाना : पहले ही निर्धारित	1,30,00,000
घोषित राशि	3,58,58,586

इस प्रकार स्पष्ट है कि लेखे विवरणी दाखिल करने और निर्धारण पूर्ण होने से पूर्व ही तैयार थे। चूँकि घोषणाकर्ता घोषणा करने के लिए उपयुक्त नहीं था, उसकी गलत स्वीकार्यता के परिणामस्वरूप 5.17 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

राज्य सार्वजनिक उपक्रमों
का मौजूदा निर्धारित न
होना

5.8.3.2 क्रम सं. 3 पर राज्य खनिज विकास निगम एक मौजूदा निर्धारित नहीं था। फिर भी आ.आ. ने धारा 68(2) के अन्तर्गत उसे प्रमाण-पत्र जारी कर दिया।

5.8.3.3 वित्त अधिनियम 1997 की धारा 65(2) ये आवश्यक है कि धारा 64(1) के अन्तर्गत की गई घोषणा निर्धारित विधि से सत्यापित होनी चाहिये। कम्पनी के मामले में घोषणा प्रबन्धक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होनी आवश्यक थी। यद्यपि राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की घोषणा स्वयं निगम द्वारा ही सत्यापित पायी गई। चूँकि घोषणा समुचित रूप से सत्यापित नहीं थी, स्वीकार नहीं की जानी चाहिये थी।

5.9 परिसमापन में हुई कम्पनियों द्वारा प्रकटीकरण

सत्यापन
प्रक्रिया

5.9.1 वित्त अधिनियम, 1997, की धारा 65 में घोषणा में विवरणों के दिए जाने और उसके सत्यापन कराने और जहाँ कम्पनी घोषणाकर्ता हो वहाँ प्रबन्ध निदेशक द्वारा अथवा जहाँ किसी कारणवश प्रबन्ध निदेशक घोषणा पर हस्ताक्षर के योग्य नहीं है अथवा कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं है किसी अन्य निदेशक द्वारा घोषणा के सत्यापन किए जाने का प्रावधान है। धारा 65 की उप धारा 2 (च) में यह प्रावधान भी है कि जहाँ घोषणाकर्ता अन्य कोई व्यक्ति है सत्यापन उसी व्यक्ति द्वारा अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा जो ऐसा करने में सक्षम हो सत्यापन किया जा सकता है।

5.9.2 लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि परिसमापन के अन्तर्गत 29 कम्पनियों के सम्बन्ध में एक परिसमापक कर्मचारी ने घोषणाएं दाखिल की। परिसमापन के अन्तर्गत इन कम्पनियों की घोषित राशि 1,83,25,151 रु. थी और भुगतान किया कर

64,13,816 रू. था। परिसमापन में इन कम्पनियों की घोषित परिसम्पत्तियां 1993-94 के और बाद के निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित थी और केवल नकद धन के रूप में थी।

कानूनी राय

5.9.3 जाँच का विषय था कि क्या सरकार द्वारा नियुक्त परिसमापक कर्मचारी कम्पनी बन्द होने के उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए और राजस्व के हितों के बनाये रखने के लिए स्वै.प्र.आ.यो.-97 के अन्तर्गत बेहिसाब आय एवं धन का प्रकट करने के लिए हकदार है।

कानूनी राय है कि धारा 65 में परिसमापन में हुई कम्पनी के परिसमापन का समाधान करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 65(2)(च) में वर्णित शब्द "कोई अन्य व्यक्ति", यदि आयकर अधिनियम के धारा 140 से सम्बन्धित है तो उसमें परिसमापक भी शामिल रहेगा। लेकिन तब धारा 140, आयकर अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत नियमित आय कर विवरणियों को हस्ताक्षर करने से सम्बन्धित है।

वैधानिक आशय


आयकर अधिनियम की धारा 178 एक परिसमापक कर्मचारी की उसकी नियुक्ति के 30 दिन के अन्दर निर्धारिती अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश देती है जो उचित मात्रा में कर भुगतान के लिए जो देय हैं ; फिर से निर्धारिती कर सकता है। इन कानूनी के प्रावधान में वैधानिक आशय समुचित रूप से राजस्व के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है।

राजस्व में हानिकर कार्यवाही

5.9.4 यह देखा गया कि परिसमापक द्वारा की गई घोषणाओं से राजस्व हितों में कमी हुई है। यदि परिसमापक ने बेहिसाब आय एवं धन का अपनी नियमित विवरणियों में प्रकटन किया होता जिसके लिए वह कर्तव्य रूप से बाध्य था तब देय कर की उस समय के प्रचलित दरों के आधार पर गणना की जाती न कि स्वै.प्र.आ.यो.-97 में निर्धारित 30% की दर पर।

शेष बचे परिसम्पत्तियों के अन्तिम वितरण में कम हुआ राजस्व शेयर धारकों एवं साहूकारों को लाभ अर्जित करने के लिए होगा जिसके पास कम्पनियों की परिसम्पत्तियों के द्वितीयक प्रभार हैं।

सरकार के लिए राजस्व वसूली सम्बन्धी परिसमापक के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणाएं गलत रूप से दाखिल की गई हैं और विभाग ने गलत स्वीकार करके उन पर प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। इन्हें अवैध माना जाना था और निर्धारण उद्देश्यों के लिए विचार नहीं करना चाहिये था।



अध्याय 6

सारांश



अध्याय 6

सारांश

- आय स्वैच्छया प्रकटन योजना, 1997 (आ.स्वै.प्र.यो.) अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सैक्टरों में निधियों का संचालन करने एवं स्रोतों को गतिशील बनाने हेतु तथा अप्रकटित आय को उजागर करने और भूतपूर्व कर अपवंचकों को ईमानदार और जिम्मेवार नागरिक के रास्ते पर लौटने के उद्देश्यों से 1 जुलाई 1997 से लागू की गई।
- योजना ने 4,75,477 घोषणाकर्त्ताओं को आकर्षित किया जिनमें से केवल 77,107 नये निर्धारित थे। कुल घोषित राशि 33,697.32 करोड़ रु थी जिस पर 9729.02 करोड़ रु कर भुगतान किया गया। आ.स्वै.प्र.यो. में धन घोषित करने के बाद घोषणाकर्त्ताओं जिन्होंने 1 करोड़ रु या उससे अधिक धनराशि घोषित की थी, के एक बड़े वर्ग ने कोई कर भुगतान न करने को चुना। इस वर्ग द्वारा कुल 389.06 करोड़ रु कर भुगतान नहीं किया गया।
- नकदी 16,823.33 करोड़ रु अथवा घोषित परिसम्पत्तियों का 50% और उसके बाद 37% ज्वैलरी द्वारा घोषित हुआ, पश्चिम क्षेत्रों के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान में कुल घोषणाकर्त्ताओं का 43 % था। प्रतिशतता के आधार पर स्वै. प्र.आ.यो. पूर्व एमनेस्टी योजनाओं की तुलना में नियमित निर्धारितियों को आकर्षित करने में विफल रही है। कुल घोषणाकर्त्ताओं में से 96.9 % व्यक्ति और हि.अ.कु.थे। आय कर विभाग के अभिलेखों में कम्पनियों की बड़ी संख्या एवं उनके द्वारा विवरणी न भरने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए आ.स्वै.प्र.यो. में 3109 कम्पनियों की उपस्थिति एक निराशाजनक परिणाम था।
- योजना के अन्त में बहुत घोषणाएं हुईं और दिसम्बर में ये कुल संख्या की 87 % थीं। ऐसा अन्य कारकों सहित ओर विभाग द्वारा दिए गये अनेक स्पष्टीकरणों, परिपत्रों और प्रेस सारांशों के कारण हुआ जो कि सभी योजना के उपबन्धों के अनुसार नहीं थे और कर दोषियों को आकर्षित करने के लिए जारी किये गए थे। यह देखा गया कि विभाग ने संसद को इन परिपत्रों और स्पष्टीकरणों के बारे में सूचित नहीं किया था जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक था। वास्तव में, संसद को घोषणाकर्त्ताओं की संख्या के बारे में किये गये विशेष प्रश्नों की लिखित रूप में गलत सूचना दी गई। योजना के दुरुपयोग होने की भी सम्भावना है क्योंकि विभाग में घोषणाओं की संख्या के बारे में भ्रम है।
- आ.आ.के अधिकांश प्रभारों में ज्यादातर निर्धारण अधिकारियों को उन्नत मामलों अभी तक आवश्यक कार्यवाही नहीं की जहाँ घोषणाकर्त्ता योजना के अन्तर्गत कर भुगतान करने में विफल रहे हैं।

- उन मौकों पर जब के. प्र. कर बोर्ड के पास स्पष्टीकरण देने का अवसर था, घोषणाकर्त्ताओं के लाभ के लिए निदेश जारी किए गये। जिनमें से अधिकांश विभाग के हितों के खिलाफ थे।
- के.प्र.कर बोर्ड ने घोषणाओं के लिए प्रोरेटा प्रमाण पत्र उन मामलों जारी किए गये जहाँ घोषणाकर्त्ताओं द्वारा 3067 मामलों में 49.66 करोड़ रु की कमी के साथ पूर्ण कर भुगतान नहीं किया गया था जो योजना के विशिष्ट प्रावधानों के विपरीत एवं वैधानिक अनुमोदन की अनुमति के बिना था।
- यह पता लगा कि निर्धारितियों ने पुर्ननिर्धारण अपीलीय मामलों की स्वीकृति के मुद्दे पर के.प्र.कर बोर्ड के स्पष्टीकरण का लाभ उठाया जो योजना में विचारणीय नहीं था।
- यद्यपि योजना 1996-97 के निर्धारण वर्ष तक की आय को प्रकट करने के लिए लागू की गई थी, के.प्र.कर बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया कि निर्धारण वर्ष 1997-98 की आय भी घोषित की जा सकती है। 2095.09 करोड़ रु मूल्य के कुल 23,215 मामले इस वर्ष के लिए घोषित हुए पाये गये उनमें अनेकों ने नियमित विवरणी दाखिल नहीं की।
- अवयस्कों द्वारा की गई 2472 घोषणाएं जिनकी आय माता पिता के साथ शामिल थी, के.प्र.कर बोर्ड के स्पष्टीकरण द्वारा अनुमति कर दी गई जो कथित कानून के विपरीत थी। नमूना जाँच से पता लगा कि अवयस्कों द्वारा घोषित आय उनके जन्म के पूर्व की थी। नमूना जाँच में अनेकों मामलों में बेनामी लेन देन सिद्ध किये जा सकते थे।
- योजना में प्रावधान था कि घोषित ज्वैलरी या सोना 1.4.87 को उसके बाजार मूल्य पर लिया जाना चाहिये यदि यह 1986-87 के निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित है और यदि यह 1986-87 के बाद के निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित है तो इसके अर्जित मूल्य पर मूल्यांकन के लिए 1.4.87 की तिथि को अपनाना गलत था और तार्किक रूप से नहीं टिकता है।
- 1. ज्वैलरी और सोना, जहाँ मूल्यांकन तिथि 1.4.1987 को सूचना उपलब्ध थीं, दकियानूसी तरीके से योजना के अन्तर्गत 1731.48 करोड़ में भारी अवमूल्यन पर 519.45 करोड़ रुपये की राजस्व हानि सहित गणना की गई।
- 2. इन मदों का अवमूल्यन जब मूल्यांकन तिथि 1.4.1997 के संदर्भ में आंका गया तो 7277 करोड़ रु से लेकर 9671.20 करोड़ रुपये की रेंज में 2183.24 करोड़ रु और 2901.36 करोड़ रु के बीच रेंज के अतिरिक्त कर सहित होगी।
- आयकर अधिनियम, 1961 में इन परिसम्पत्तियों की बिक्री के मामले में अर्जित मूल्य के लिए सूचकांक के लिए प्रावधान है। यह देखा गया कि योजना के उपबन्धों ने घोषणाकर्त्ताओं को अधिकार दिया कि निर्धारण वर्ष 1997-98 के बाद के वर्षों में इन परिसम्पत्तियों के पेय कर पूँजी हानि निकालने और भविष्य की पूँजी हानि के साथ

मुजरा करने के लिए अपने को हकदार बनाया। गणनायें दर्शाती है कि आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत संग्रहित हुआ कर इस राजस्व हानि के कारण निष्प्रभावी हो जाएगा। उदाहरणार्थ घोषित सोने और चाँदी पर संग्रहित कर 111.97 करोड़ रु हुआ जब कि 921.47 करोड़ रु की पूँजी हानि आठ वर्षों की अवधि में हुए हानि में मुजरा हो सकती थी।

- योजना वास्तविक सम्पदा सम्पत्ति के मूल्यांकन करने सम्बन्धी प्रावधान करने में विफल थी। घोषणाकर्त्ताओं द्वारा इस कमी का अनुचित लाभ उठाया गया जिन्होंने इन परिसम्पत्तियों को असंगत मूल्यों पर घोषित किया और योजना के मुक्ति उपबन्धों द्वारा अपना बचाव किया।
- योजना ने घोषणाकर्त्ताओं के लिए लेखों की बहियों में जमा के सबूत देने को आवश्यक नहीं किया विशेषतः दूसरे से देय कर्जों, और उधार एवं अग्रिमों के मामलों में। इस कमी के परिणामस्वरूप भावी निर्धारणों से राजस्व की क्षति होने की संभावना है।
- विशिष्ट संस्थागत परिसम्पत्तियों जैसे शेयरों और ऋणपत्रों से के.प्र.कर बोर्ड के स्पष्टीकरण द्वारा योजना में इस कमी के कारण अधिक काला धन उत्पन्न होने की संभावना है। इन परिसम्पत्तियों की घोषणा बिना कोई विवरण संलग्न किये जैसे शेयरों को विवरण, पहचान संख्याएं, रखे हुए शेयरों की संख्या, उनको फेस वैल्यू, खरीदने की तिथि, अर्जित मूल्य आदि के ही अनुमत की गई।
- आ.स्वै.प्र.योजना में उन व्यक्तियों को अनुमत कर दिया गया जैसे तलाशी और सर्वेक्षण के घेरे में आये हुए व्यक्ति, अथवा जिन्हें आय कर अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गये हों। तथापि के.प्र.कर बोर्ड ने प्रमाण पत्र जारी करने से पहले आयकर आयुक्त को घोषणाकर्त्ताओं के पूर्व चरित्र पर जाँच करने में प्रतिबंध लगा दिया। नमूना जाँच में आ.स्वै.प्र.यो. में इन व्यक्तियों की उपस्थिति ओर उनके बाद के निर्धारणों को इन तथ्यों के बिना जाँच किये तय करने का पता चला।
- यद्यपि योजना ने कुछ व्यक्तियों को जो कोफीपोसा भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार रोक अधिनियम टाडा आदि के अन्तर्गत आये हुए हैं विशेषतः रोका था, नमूना जाँच से पता चला कि 17 अभियुक्तों उपस्थित कोबलर स्केम और 8 व्यक्तियों को हवाला प्रकरण के अन्तर्गत थे। के.प्र.कर बोर्ड ने घोषणाकर्त्ताओं के चरित्रों की जाँच रोकने के निर्देश दिये। विभाग में निर्धारण अधिकारियों को ऐसे मामलों में सूचना देने की कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं थी।
- यह पता लगा कि विभाग ने बहु प्रयोजित घोषणाओं, योजना के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए परिसम्पत्तियों के लिए शामिल निर्धारण वर्षों में आयकर अधिनियम, 1961 के शुरू होने से पूर्व परिसम्पत्तियों को घोषणाओं को स्वीकार कर लिया था।

- प्रमाण पत्र ब्याज राशि अथवा कर प्राप्ति के बिना ही जारी कर दिए गये, और जो भी प्रमाणपत्र जारी किए गये जहाँ अधिकांश मामलों में घोषणा करने के 3 माह पश्चात कर प्राप्त हुआ था।
- संसदीय समिति की पूर्व एमनेस्टी योजना के घोषणाकर्ताओं को अलग रखने की संस्तुति मंत्रालय द्वारा अनदेखी कर दी गई। यह देखा गया कि विभाग ने ऐसे व्यक्तियों का कोई डेटा बेस नहीं रखा। आ.स्वै.प्र.यो. के घोषणाकर्ताओं के साथ पुराने घोषणाकर्ताओं के समन्वयन करने में यह पता चला कि वही दोषी वर्ग फिर प्रकटन कर रहे थे।
- पूर्व एमनेस्टी योजना के घोषणाकर्ताओं को छोड़ने की संसदीय समिति की सिफारिशें मंत्रालय ने अनदेखी कर दी। यह देखा गया कि विभाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा। स्वै.प्र.आ.योजना के साथ पूर्व घोषणाकर्ताओं का समन्वयन करने से पता चला कि वही दोषकर्ता फिर घोषणा कर रहे थे।
- घोषणाकर्ताओं की उनके आ.स्वै.प्र.यो. के पूर्व और स्व.प्र.आ.यो. के पाश्च निर्धारणों की नमूना जाँच का पता लगा कि अधिकांश फिर काले धन बनाने वाले पुराने तरीकों पर लौट आये हैं। घोषणाकर्ताओं के आ.स्वै.प्र.यो. के पाश्च अवधि में विभाग द्वारा कोई विशेष मानीटर न करने का भी पता चला। विभाग ने इन घोषणाकर्ताओं के संक्षिप्त रीति से निर्धारण करने के निदेश घोषणाकर्ताओं के सभी स्वरूपों और उनके निर्धारिती रूप में रिकार्ड पर बिना विचारे ही लागू कर दिये।
- पाश्च आ.स्वै.प्र.यो. की विवरणियों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई और यह पता लगा कि 15 % विवरणियों की आ.स्वै.प्र.यो. में हुई घोषणा के साथ तुलना की गई तो धन का भारी अवमूलन दिखायी दिया। धन कर के बृहद मात्रा में हुए कर अपवंचन की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
- सैक्टर विश्लेषण से पता चला कि वित्तीय और टैक्सटाइल्स सैक्टरों की काले धन सृजित करने की प्रवृत्ति बहुत थी जब कि गृहिणी और चिकित्सक ऐसे व्यवसाय थे कि वे आ.स्वै.प्र.यो. में सबसे आगे थे।
- बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, परिसमापन में हुई कम्पनियों आदि में भी कर अपवंचन का पता लगा।

निष्कर्ष

योजना के प्रारूप में अनेकों कमियां थी जो के.प्र.कर बोर्ड द्वारा परिपत्रों, स्पष्टीकरणों और प्रेस सारांशों से ओर भी बढ़ गई जिन्होंने घोषणाकर्ताओं को लाभान्वित किया। योजना के कार्यान्वयन में अनेकों प्रक्रियात्मक मामलों के भेद थे जिनसे राजस्व वसूली में प्रभाव पड़ा। विभाग में पाश्च आ.स्वै.प्र.यो. के घोषणाकर्ताओं को भी संक्षिप्त निर्धारण के समान तरीके

लागू कर दिये गये। ज्वैलरी और सोने के अवमूलन ने विभाग को कानून रूप से देय राजस्व से वंचित रखा है। इसके अतिरिक्त पूँजी हानि जो ज्वैलरी और सोने की घोषणा में होनी निश्चित है उससे कुछ वर्षों में प्रकट करने वाला तत्काल राजस्व निष्प्रभावी हो जायेगा।




(मुकेश आर्य)

प्रधान निदेशक प्राप्ति लेखापरीक्षा
(प्रत्यक्ष कर)

नई दिल्ली
दिनांक : 17 अगस्त 2000


प्रतिहस्ताक्षरित



(विजय कृष्ण शुंगलू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 17 अगस्त 2000



अनुलग्नक



अनुलग्नक "क"

स्वैच्छया प्रकटन स्कीम, 1977 का प्रलेख

आय स्वैच्छया प्रकटन स्कीम 1997

वित्त अधिनियम, 1997 का अध्याय IV

62 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम आय और धन स्वैच्छया प्रकटन स्कीम 1997 है।
- (2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

63 परिभाषाएँ

इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) घोषणाकर्ता से अर्थ धारा 64 की उपधारा (1) के अंतर्गत घोषणा करने वाले व्यक्ति से अभिप्रेत है।
- (ख) आयकर अधिनियम का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 (1967 का 43) अभिप्रेत है।
- (ग) धनकर अधिनियम का अर्थ धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) अभिप्रेत है।
- (घ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ हैं जो उनके इन अधिनियमों में हैं।

64 स्वैच्छया प्रकट की गई आय पर कर का प्रभारण

- (1) इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई व्यक्ति, इस योजना के प्रारम्भ को या उसके बाद लेकिन 31.12.97 को या पूर्व, किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अधीन किसी ऐसी आय की बाबत धारा 65 के उपबंधों के अनुसार घोषणा करता है: या
- (क) जिसके लिये वह आयकर अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी देने में असफल रहा है: या
- (ख) जिसे वह इस स्कीम के प्रारम्भ की तिथि के पूर्व आयकर अधिनियम के अधीन उसके द्वारा दी गई आय की विवरणी में प्रकट करने में असफल रहा है: या
- (ग) जो आयकर अधिनियम के अधीन विवरणी देने में या उसके निर्धारण देने में या उसके निर्धारण के लिए आवश्यक सभी तात्त्विक तथ्यों को पूर्णतः और सही रूप में प्रकट करने में ऐसे व्यक्ति की ओर से लोप या असफलता के कारण या अन्यथा निर्धारण से छूट गई है,

वहाँ आयकर अधिनियम अथवा वित्त अधिनियम में किसी बात में होते हुए भी, आयकर के इस प्रकार घोषित आय की बाबत (ऐसी आय को इसमें इसके पश्चात स्वैच्छया प्रकट की आय कहा गया है), अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर या दरों पर प्रभारित किया जाएगा, जो निम्न प्रकार हैं अर्थात् :-

- (i) ऐसे घोषणाकर्ता की दशा में, जो कंपनी है या फर्म है, स्वैच्छया प्रकट की गई आय के 35 प्रतिशत की दर से;
- (ii) ऐसे घोषणाकर्ता की दशा में, जो कंपनी या फर्म से भिन्न है, स्वैच्छया प्रकट की गई आय के 30 प्रतिशत की दर से।
- (2) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, अर्थात्:-
- (i) किसी निर्धारण वर्ष के लिये निर्धारण योग्य आय जिसके लिये आयकर अधिनियम की धारा 142 अथवा 148 के अधीन ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील की गई है और इस अध्याय के प्रारंभ के पूर्व विवरणी में नहीं दी गई है;
- (ii) किसी पूर्व वर्ष की बाबत जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी की प्रारंभ की गई थी अथवा आयकर अधिनियम की धारा 132(क) के अंतर्गत अध्यक्षीय मांगी गई थी अथवा 133(क) के अधीन किसी पूर्व वर्ष के लिये सर्वेक्षण किया गया था।

65 घोषणा में दी जाने वाली विशिष्टियां

- (1) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा आयुक्त को की जाएगी और वह ऐसे प्रपत्र में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी जो विहित किया जाए।
- (2) ऐसी घोषणा निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी, अर्थात् :-

- (क) जहां घोषणाकर्ता एक व्यक्ति है वहां स्वयं द्वारा, जहां ऐसा व्यक्ति भारत से अनुपस्थित है वहां संबंधित व्यक्ति द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और जहां व्यक्ति अपने कामकाज की देखभाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां उसके संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;
- (ख) जहां कोई घोषणाकर्ता हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब है वहां कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है अथवा अपने कार्य करने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;
- (ग) जहां घोषणाकर्ता एक कम्पनी है वहां उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, और जहां किसी अपरिहार्य कारणवश वह प्रबंध निदेशक घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है अथवा जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है वहां किसी निदेशक के द्वारा;
- (घ) जहां घोषणाकर्ता कोई फर्म है वहां उसके प्रबंध भागीदार द्वारा अथवा जहां किसी अपरिहार्य कारण ऐसा प्रबंध भागीदार घोषणा को हस्ताक्षर करने में समर्थ नहीं है अथवा जहां कोई प्रबंध भागीदार नहीं हो तो किसी भागीदार द्वारा जो अवयस्क न हो;
- (ङ) जहां घोषणाकर्ता कोई अन्य संगम है, वहां संगम के किसी सदस्य द्वारा अथवा प्रमुख अधिकारी द्वारा; और
- (च) जहां घोषणाकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है वहां उस व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कुछ अन्य व्यक्ति द्वारा ।
- (3) कोई व्यक्ति जिसके अपनी आय के संबंध में धारा 64 की उपधारा (1) के अंतर्गत कोई घोषणा की है अथवा अपनी आय या धन ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में एक प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में घोषणा की है अपनी आय के संबंध में उस उपधारा के अंतर्गत किसी अन्य घोषणा करने के हकदार नहीं होगा अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति की आय और कोई ऐसी अन्य घोषणा यदि की जाती है तो रद्द माना जाएगा।

66 कर के संदाय के लिए समय - स्वेच्छया प्रकट की गई आय या धन की बाबत इस स्कीम के अधीन संदेय कर का, घोषणाकर्ता द्वारा संदाय किया जाएगा और घोषणा के साथ ऐसे कर के संदाय का सबूत होगा।

67 घोषणाकर्ता द्वारा संदेय ब्याज:-

(1) धारा 66 में किसी बात के होते हुए भी, घोषणाकर्ता द्वारा, उस धारा के अधीन कर का संदाय किए बिना कोई घोषणा फाइल कर सकेगा और घोषणाकर्ता, घोषणा के फाइल किए जाने की तारीख से 3 मास के भीतर ऐसे कर का, घोषणा फाइल किए जाने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और ऐसे कर का संदाय किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए 2 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहित संदाय कर सकेगा और 3 मास की उक्त अवधि के भीतर ऐसे संदाय का सबूत फाइल कर सकेगा।

(2) यदि घोषणाकर्ता स्वेच्छया प्रकट की गई आय या धन की बाबत, घोषणा की फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास की समाप्त के पूर्व कर के का संदाय करने में असफल रहेगा तो उसके द्वारा फाइल की गई घोषणा के बारे में 15 यह समझा जाएगा कि वह कभी भी नहीं की गई थी।

68. स्वेच्छया प्रकट की गई आय का कुल आय में शामिल न किया जाना

1 स्वेच्छया प्रकट की गई आय की रकम, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषणाकर्ता की कुल आय में उस दशा में सम्मिलित नहीं की जायेगी जिसमें निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी गई हों अर्थात् ;

- (i) घोषणाकर्ता, ऐसे रकम आय के किसी स्रोत के लिए उसके द्वारा रखी गई लेखा बहियों में, यदि कोई हों, या किसी अन्य अभिलेख में जमा कर देता है और उस प्रकार किये जमा की सूचना निर्धारण अधिकारी को दे देता है;
- (ii) स्वेच्छया प्रकट की गई आय की बाबत आय-कर घोषणाकर्ता द्वारा धारा 66 और 67 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत्त कर दिया जाता है।

- (2) आयुक्त, घोषणाकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर स्वैच्छया प्रकट की गई आय विशिष्टियां और उसकी बाबत संदत्त आयकर की रकम उपवर्णित करते हुए उसको एक प्रमाण पत्र देगा।
- 69. स्वैच्छया प्रकट की गई आय से सम्पूरित निर्धारणों आदि की अन्तिमता पर प्रभाव न पडना**
घोषणाकर्ता स्वैच्छया से प्रकटित आय, अथवा उस कर भुगतान की राशि के प्रति आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण या पुनर्निर्धारण को फिर से कराने का अथवा किसी ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण के संबंध में, किसी अपील, निर्देश या अन्य कार्यवाही में किसी मुजराई या राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- 70. स्वैच्छया से प्रकटित आय पर दिया कर अथवा घन कर वापस होगा**
धारा 64 की उप धारा (1) के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त कर की कोई भी रकम, किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रतिदेय नहीं होगी।
- 71. घोषणा का घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य न होना**
धारा 64 की उप धारा (1) के अधीन की गई घोषणा में अंतर्विष्ट आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम अथवा विदेशी विनयम नियमन अधिनियम 1973 (1973 का 46) अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन शास्ति के अधिरोपण से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या अभियोजन के प्रयोजनों के लिए, घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी।
- 72. घोषणा की गोपनीयता**
- (1) धारा 64 की उप धारा (1) के अधीन की गई किसी घोषणा में अंतर्विष्ट सभी विशिष्टियां गोपनीय मानी जाएंगी और उस समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी अथवा घोषणाकर्ता से यह अपेक्षा करने का हकदार नहीं होगा कि वह कोई ऐसी घोषणा या उसका कोई भाग उसके समक्ष पेश करे या उसके समक्ष कोई साक्ष्य दे।
- (2) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसी घोषणा में दिए गये किसी विवरण को, आयकर अधिनियम अथवा धन कर अधिनियम के संचालन में कार्यरत आयकर अधिकारियों को छोड़कर अथवा आयकर प्राप्तियों या प्रतिदायों की संवीक्षा करने के लिए अथवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से सिवाय प्रकट नहीं करेगा।
- 73. घोषणा में विशिष्ट परिसम्पत्तियों के प्रति धन कर छूट**
जब स्वैच्छया प्रकटित आय में नकदी (बैंक डिपोजिट्स समेत), सोना शेरों में निक्षेप, दूसरे व्यक्तियों से कर्ज, वस्तुएं अथवा धारा 64 की उप धारा (1) के अन्तर्गत घोषित अन्य विशिष्ट परिसम्पत्तियों
- (क) धन कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत 1.4.97 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष अथवा किसी पूर्व के निर्धारण वर्ष अथवा वर्षों के लिए घोषणाकर्ता विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है
- (ख) कथित निर्धारण वर्ष अथवा वर्षों के लिए उसके द्वारा दाखिल की गई धन कर विवरणी के जिसे न दिखाया गया हो।
- (ग) कथित निर्धारण वर्ष अथवा वर्षों के लिए उसके द्वारा दाखिल धनकर विवरणी में जिसका अवलूल्य किया गया हो तब जिस पर भी धनकर अधिनियम अथवा बने हुए किस नियम के अन्तर्गत कुछ भी:
- (i) घोषणाकर्ता द्वारा खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में संदर्भित परिसम्पत्तियों के लिए धनकर देय नहीं होगा और ऐसी परिसम्पत्तियां उसके निवल धन में कथित निर्धारण वर्ष अथवा वर्षों के लिए शामिल नहीं होगी।
- (ii) खण्ड (ग) में संदर्भित परिसम्पत्तियों का मूल्य की जितनी राशि का कथित निर्धारण वर्ष अथवा वर्षों के लिए धनकर विवरणी में अवमूल्यन किया गया है उतनी राशि तक यदि ऐसी परिसम्पत्तियों को अर्जित करने के लिए प्रयुक्त स्वैच्छया प्रकटित आय अधिक नहीं होती है तो कथित निर्धारण वर्ष अथवा वर्षों के लिए निवल धन की संगणना में नहीं आंकी जायेगी।
- वही होगा जो धनकर अधिनियम की धारा ⁵ के अपधारा (viii) व्याख्या 1 में दी हुई है।

स्पष्टीकरण - जहाँ कोई घोषणा धारा 64 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक फर्म द्वारा की जाती है तो खण्ड (1) में निर्दिष्ट आस्तियां या खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम, यथास्थिति, उस फर्म के किसी भागीदार के शुद्ध धन की संगणना करने में या उस फर्म में किसी भागीदार के हित के मूल्य का अवधारण करने में हिसाब में नहीं ली जाएगी। (2) उपधारा (1) की उपबन्ध लागू नहीं होंगे जब तक धारा 68 की उपधारा (1) की शर्त घोषणाकर्ता द्वारा पूरी नहीं होगी।

(74) आयकर अधिनियम और धनकर अधिनियम के अध्याय V के कुछ उपबन्धों का लागू होना
विशेष दशाओं में दायित्व से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के अध्याय XV के विशेष मामलों में दायित्वों सम्बन्धी उपबन्धों और उसी अधिनियम की धारा 189 अथवा धन कर अधिनियम के अध्याय 5 में विशेष मामलों से सम्बन्धित दायित्वों सम्बन्धी प्रावधान योजना के अधीन प्रक्रियाओं में लागू होंगे जैसा कि आयकर अधिनियम और धनकर अधिनियम के मामलों की प्रक्रियाओं में लागू होते हैं।

75. शंकाओं को दूर किया जाना

शंकाओं को दूर करने के लिए यहाँ घोषणा की जाती है कि धारा 73 की उप धारा (1) की व्याख्या में अथवा अन्यथा जैसा दिया हो उसके सिवा इस स्कीम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस स्कीम के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई लाभ, रियायत, उन्मुक्ति प्रदान करती है।

76. कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ

- (1) यदि कोई कठिनाई इस स्कीम के उपबन्धों को प्रभाव देने में आती हो तो केन्द्र सरकार आदेश द्वारा जो ये इस स्कीम के उपबन्धों के प्रभावी होने की तिथि से दो वर्ष के बाद जारी न हुए हो।
- (2) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश जितनी की जल्दी हो जारी करने के बाद संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होगा।

77. नियम बनाने की शक्ति

- (1) बोर्ड, इस स्कीम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा।
- (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में ऐसे प्ररूप के लिए, जिसमें वह धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा की जा सकेगी और वह रीति जिससे वह सत्यापित की जा सकेगी, उपबन्ध किया जा सकेगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार, इस स्कीम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएबी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

78. कुछ व्यक्तियों का स्कीम में लागू न होना

इस स्कीम के उपबंध -

व्याख्या-1 इस खण्ड अधिखण्ड (XIII) के लिए 'ज्वैलरी' शामिल करती है

(क) सोने, चांदी, प्लेटीनीय अथवा किसी कीमती धातु पत्थरों सहित चाहे वे किसी कीमती अथवा अर्ध कीमती पत्थर के हो या नहीं और चाहे उनमें किसी प्रकार के मोती जड़े हो अथवा नहीं,

(ख) कीमती अथवा अर्ध कीमती पत्थरों चाहे

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसकी बाबत विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध-आदेश किया गया है:

परंतु यह तब जब कि -

- (i) वह निरोध-आदेश ऐसा आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं और जो उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति के पूर्व प्रतिसंहत नहीं किया गया है; या
- (ii) वह निरोध-आदेश ऐसा आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं और जो उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय की समाप्ति के पूर्व या उसके आधार पर, अथवा धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रतिसंहत नहीं किया गया है; या
- (iii) वह निरोध-आदेश ऐसा आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं और जो उक्त अधिनियम की, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रथम पुनर्विलोकन के लिए समय की समाप्ति के पूर्व या उसके आधार पर, अथवा धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहत नहीं किया गया है; अथवा
- (iv) वह निरोध-आदेश सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है।
- (ख) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 या अध्याय 17 के अधीन, स्वापक औषधि ओर मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में या किसी सिविल दायित्व के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होंगे।

अनुलग्नक "ख"
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 जून, 1997
आय स्वेच्छया प्रकटन नियम, 1997

का.आ. 436(अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिनियम, 1997 (1997 का 26) की धारा 77 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय स्वेच्छया प्रकटन नियम, 1997 है।

(2) ये जुलाई, 1997 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "स्कीम" से अभिप्रेत है वित्त अधिनियम, 1997 में अध्याय 4 के अधीन विनिर्दिष्ट स्वेच्छया प्रकटन स्कीम, 1997;

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और वित्त अधिनियम, 1997 (1997 का 26) के अध्याय 4 के अधीन स्कीम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो इस स्कीम में उन्हें समनुदिष्ट हैं।

3. धारा 65 के अधीन घोषणा का प्ररूप और स्वेच्छया प्रकट की गई आय की बाबत ऐसी घोषणा के सत्यापन की रीति-

स्वेच्छया प्रकट की गई आय के संबंध में स्कीम की धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा इन नियमों से संलग्न प्ररूप में होगी और इसमें उपदर्शित रीति से वह सत्यापित की जाएगी।

प्ररूप

आय स्वेच्छया प्रकटन

(नियम 3 देखिए)

आय स्वेच्छया प्रकटन की बाबत वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा का प्ररूप

(1)

सेवा में,

आय-कर आयुक्त,

महोदय/महोदया,

मैं वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करता

हूँ/आवश्यक विशिष्टतां नीचे दी गई हैं:-

1. घोषणाकर्ता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____

2. पता: कार्यालय _____

_____ टेलीफोन सं. _____

3. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति _____
(लिखिए कि वह व्यक्ति है, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, फर्म, कंपनी आदि है)

4. (क) क्या वह आय-कर निर्धारिणी है _____

(ख) यदि हां, उस आय-कर रेंज/सर्किल/वार्ड का नाम लिखें जहां उसका अंतिम निर्धारण हुआ है _____

(ग) स्थायी लेखा सं. (यदि आबंटित हो)/जी.आई.आर. संख्या

(यदि कोई हो) _____

5. स्वेच्छा से प्रगट की गई आय का विवरण

क्रम सं.	घोषित आय की राशि	निर्धारण वर्ष जिससे/जिनसे आय संबंधित है	यदि आय नकदी (बैंक निक्षेप सहित) सोना चांदी शेरयों में विनिधान, अन्य व्यक्तियों से शोध्य ऋण, वस्तु, या कोई अन्य आस्तियां के रूप में बताई गई है।	आस्ति का वर्णन - 1 किसके नाम में रखी गई गई	राशि रू.
1	2	3	4	5	6

6. स्वेच्छया से घोषित आय की कुल राशि

7. उस पर संदेय आय कर
(कंपनी और फर्मों की दशा में 35% की दर से और अन्य मामलों में 30% की दर से)

8. घोषणा की तारीख को यह उससे पहले संदत्त आय कर

.....
(संदाय का सबूत संलग्न करें)

9. अतिशेष संदेय कर

10. क्या स्वेच्छा से घोषित आय की राशि लेखा पुस्तकों या किसी अन्य अभिलेख में जमा किया गया है।

हां/नहीं

(यदि हां तो सुसंगत प्रविष्टियों की दूसरी प्रति संलग्न करें)

सत्यापन

में पुत्र/पुत्री/पत्नी

(साफ अक्षरों में नाम)

(पिता/पति का नाम)

सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि-

(क) इस घोषणा में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही और पूर्ण है;

(ख) निर्धारण वर्ष/वर्षों के संबंध में मेरी अपनी आय के अतिरिक्त जिनके संबंध में घोषणा की गई है अन्य व्यक्तियों की आय जिसके संबंध में मुझ पर कर प्रभावी है और किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मेरे द्वारा धारित आस्तियों से प्रादभूत या उद्भूत आय, जिसके लिए मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा था। इस स्कीम के आरंभ होने के पहले उस आय को विवरणी में प्रकट करने में असफल रहा था/जो निर्धारण जिसका अन्यथा निर्धारण नहीं हो पाया था, वह भी इस घोषणा में प्रगट कर दी गई है।

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की आय जिसके संबंध में मुझ पर टैक्स प्रभार्य नहीं है इस घोषणा में सम्मिलित नहीं की गई है।

मैं यह और घोषित करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा मेरी के रूप में कर रहा/रही हूँ और यह कि मैं इस घोषणा को (पदाभिधान)

करने और इस सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

(हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

जो लागू न हो उसे काट दें।

*यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् पृष्ठ लगाए जा सकेंगे। जहां स्वेच्छा से घोषित आय एक से अधिक निर्धारण वर्षों से संबंधित है वहां प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में आय पृथक् रूप से उपदर्शित की जा सकेगी।

आभूषण की प्रत्येक घोषणा के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से घोषित आभूषण के विवरण सहित, एक प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आभूषण की घोषणा निर्धारण वर्ष 1987-88 से पूर्व निर्धारण के संबंध में है तो ऐसे आभूषण की 1.4.87 को कीमत बताई जाएगी।

[अधिसूचना सं. 10373/फा.सं. 142/47/97-टीपीएच]

आर.एन.दास, निदेशक

स्वेच्छया प्रकटन आय स्कीम, 1997 की धारा 68 (2)

अधीन प्रमाणपत्र

आयकर आयुक्त का कार्यालय,

.....
.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वेच्छया प्रकटन आय स्कीम, 1997 की धारा 65 के अधीन एक घोषणा निम्नलिखित के संबंध में फाइल की गई है :

(1) घोषणाकर्ता का नाम और पता

.....

(2) पुत्र/पुत्री/पत्नी

.....

(3) स्थायी लेखा संख्यांक/

.....

सामान्य सूचक रजि० सं०

(4) प्राप्ति सं० और घोषणा फाइल

किए जाने की तारीख

(5) घोषणा के ब्यौरे:

क्रम सं०	घोषित आय की राशि	निर्धारण वर्ष जिससे/जिनसे आप संबंधित है	यदि आप नकदी (बैंक निक्षेप सहित) आभूषण, सोना चांदी, शेररो में विनि-ध्यान, अन्य व्यक्तियों से शोधय वस्तु या किन्ही अन्य आस्तियों के रूप में है आस्तियों का किसके नाम में वर्णन रखी गई	टिप्पण राशि		
1	2	3	4	5	6	7

रु.

(6) घोषित आय पर संदेय कर रूपए

(7) संदत्त कर की राशि रूपए

(8) संदेय अतिशेष कर रूपए

(9) को संदत्त अतिशेष कर रूपए

तारीख

आयकर आयुक्त

.....

* टिप्पण :

1. यदि संदेय कर की संपूर्ण राशि, घोषणा फाइल किए जाने की तारीख से तीन माह की समाप्ति के पहले संदत्त नहीं की जाती है तो घोष शून्य मानी जाएगी।
2. कोई भी प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संदेय कर की सम्पूर्ण राशि का संदाय नहीं कर दिया गया हो।

अनुलग्नक 1.1

घोषणाकर्ताओं का राज्यवार विवरण, घोषित राशि एवम् प्रदत्त कर का विवरण
(पैरा 1.6.1 देखें)

राज्य	घोषणा कर्ताओं की कुल संख्या	कुल घोषणाकर्ताओं के प्रति घोषणाकर्ताओं की प्रतिशतता	कुल घोषित राशि	कुलघोषित राशि के प्रति घोषित राशि की प्रतिशतता	कुल प्रदत्त कर	कुल प्रदत्त कर के प्रति प्रदत्त कर की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	20701	4.35	17477518426	5.19	3887438666	3.99
आसाम	8269	1.74	2497149732	0.74	751243344	0.77
बिहार	9306	1.96	4411281513	1.31	1318963780	1.35
दिल्ली	38217	8.04	40263876390	11.95	12052942933	12.39
गुजरात	46786	9.84	32951812751	9.78	9750093725	10.02
हरियाणा	4775	1	3104279295	0.92	928161661	0.95
हिमाचल प्रदेश	912	0.19	573665803	0.17	175352477	0.18
जम्मू एवं कश्मीर	1125	0.24	743196472	0.22	222603272	0.23
कर्नाटक	25846	5.43	25665253936	7.62	5922420676	6.09
केरल	6249	1.31	4470861108	1.32	1338217821	1.37
मध्य प्रदेश	21211	4.46	10075397394	2.99	3000985209	3.08
महाराष्ट्र	116631	24.53	96393005866	28.6	28772774976	29.57
उड़ीसा	4092	0.86	1770723156	0.52	528974647	0.54
पंजाब	25249	5.31	14406595519	4.27	4302607760	4.42
राजस्थान	21285	4.48	9238617312	2.74	2777454512	2.85
तमिलनाडू	37644	7.92	28390028837	8.42	8325390767	8.56
चण्डीगढ़	2047	0.43	1302399581	0.39	393369067	0.4
उत्तर प्रदेश	32342	6.8	19352256998	5.74	5762973909	5.92
पश्चिम बंगाल	52790	11.1	23885240831	7.09	7078251377	7.27
जोड़	475477		336973160920		97290220579	

अनुलग्नक 1.2

आय स्वेच्छया प्रकटन योजना की पूर्व एमनेस्टी योजनाओं से तुलना

(पैरा 1.7 देखें)

एमनेस्टी योजना का नाम	निर्धारिती की संख्या	घोषणा कर्ताओं की संख्या	प्रकट आय/धन (रुपये करोड़ में)	संगृहीत राजस्व (रुपये करोड़ में)	वर्ष के लिए कुल राजस्व संग्रहण	एमनेस्टी योजना का संग्रहण वर्ष के लिए कुल राजस्व संग्रहण के प्रतिशत के रूप में	वर्ष के लिए सं.घ.उ. संख्याएं	एमनेस्टी योजना का संग्रहण स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में
1951	उ.न.	20,912	70.20	10.89	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
1965(सं.1)	उ.न.	2,001	52.18	30.80	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
1965(सं. 2)	उ.न.	1,14,226	145.00	19.45	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
1975	37,96,258	2,58,992	1587.79	249.00	2204.93	11.29	उ.न.	उ.न.
1985	62,61,465	20,66,830	10778.34	458.79	11858.29	3.87	236354	0.19
1997	1,31,67,736	4,75,477	33776.90	9729.02	38895.08	25.01	1426270	0.68

अनुलग्नक 1.3

(पैरा 1.10.2 देखें)

मु.आ.आ. वार विवरण

मु.आ.आ.प्रभार	घोषणाकर्ताओं की कुल संख्या	घोषित राशि करोड़ रु में	आय स्वेच्छया प्रकटन योजना का संग्रहण करोड़ रु में	वर्ष 1997-98 का कुल संग्रहण (आय कर + निगम कर) करोड़ रु में	वर्ष 1996-97 का कुल संग्रहण (आय कर + निगम कर) करोड़ रु में	दो वर्षों का औसत संग्रहण करोड़ रु में	औसत संग्रहण के प्रति आय स्वै.प्र.यो. संग्रहण की प्रतिशतता	औसत संग्रहण के प्रति आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषित राशि की प्रतिशतता
1. अहमदाबाद	46786	3295.19	975.01	1846.92	1910.36	1878.64	51.90	175.40
2. बेंगलौर	25846	2566.52	592.24	1877.25	1833.00	1855.13	31.92	138.35
3. भोपाल	21211	1007.54	300.10	1156.00	1104.14	1130.07	26.56	89.16
4. मुम्बई	71011	6764.89	2017.78	11728.95	12314.94	12021.95	16.78	56.27
5. कलकत्ता	52790	2388.52	707.83	1921.11	2055.53	1988.32	35.60	120.13
6. कोचीन	6249	447.09	133.82	661.63	617.77	639.70	20.92	69.89
7. हैदराबाद	20701	1747.75	388.74	1193.44	1124.74	1159.09	33.54	150.79
8. जयपुर	21285	923.86	277.75	508.39	495.55	501.97	55.33	184.05
9. चेन्नई	37644	2839.00	832.54	2575.11	2280.79	2427.95	34.29	116.93
10. दिल्ली	38217	4026.39	1205.29	6852.12	5517.33	6184.73	19.49	65.10
11. चण्डीगढ़	34108	2013.03	602.22	1196.76	1132.18	1164.47	51.72	172.87
12. कानपुर	17234	1210.58	359.17	1273.69	1003.79	1138.74	31.54	106.31
13. लखनऊ	15108	724.64	217.12	399.60	471.28	435.44	49.86	166.42
14. पुणे	45620	2874.41	859.50	1986.17	2044.75	2015.46	42.65	142.62
15. पटना	21667	867.91	259.91	1126.55	1034.57	1080.56	24.05	80.32
जोड़	475477	33697.32	9729.02	36303.69	34940.72	35622.21	27.31	94.80

अनुलग्नक 1.4

लेखापरीक्षा को बतायी गयी संख्याओं में अन्तर

(पैरा 1.11.5 देखें)

राज्य	घोषणाकर्ताओं की कुल संख्या (क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बन्धित संख्या)	उनके द्वारा घोषित राशि (रुपये करोड़ में)	घोषणाकर्ताओं की संख्या (वास्तविक लेखापरीक्षा)	घोषित राशि (वास्तविक प्राप्ति)	घोषणा कर्ताओं में अन्तर (ब-घ)	घोषित राशि में अन्तर (ग-च)
क	ख	ग	घ	च	छ	ज
आन्ध्र प्रदेश	20715	1746.59	20701	1747.75	14	-1.16
आसाम	8272	251.33	8269	249.71	3	1.62
बिहार	9306	445.86	9306	441.13	0	4.73
गुजरात	46410	3285.93	46786	3295.18	-376	-9.25
हरियाणा	4778	312.35	4775	310.43	3	1.92
चण्डीगढ़	2050	130.44	2047	130.24	3	0.2
हिमाचल प्रदेश	917	57.84	912	57.37	5	0.47
जम्मू व कश्मीर	940	73.26	1125	74.32	-185	-1.06
कर्नाटक	25365	2422.42	25846	2566.53	-481	-144.11
केरल	6257	446.68	6249	447.09	8	-0.41
महाराष्ट्र	116528	9408.01	116631	9639.3	-103	-231.29
मध्यप्रदेश	21347	1005.53	21211	1007.54	136	-2.01
दिल्ली	38587	4164.52	38217	4026.39	370	138.13
उड़ीसा	4095	174.75	4092	177.07	3	-2.32
पंजाब	25252	1421.17	25249	1440.66	3	-19.49
राजस्थान	21372	917.4	21285	923.86	87	-6.46
तमिलनाडु	37727	2778	37644	2839	83	-61
उत्तर प्रदेश	32319	1901.7	32342	1935.23	-23	-33.53
पश्चिम बंगाल	52822	2392.17	52790	2388.52	32	3.65
	475059	33335.95	475477	33697.32	-418	-361.37

अनुलग्नक 2.1

राज्यवार मामलों की स्थिति जहां प्रो-रेटा प्रमाण-पत्र जारी हुए

(पैरा 2.1.3 देखें)

राज्य	मामलों की संख्या	प्रदत्त कर (रु.)	देय कर (रु.)	कमी (रु.)
आन्ध्र प्रदेश	97	2,67,02,504	3,27,31,759	60,29,255
आसाम	15	12,98,154	20,95,574	7,97,420
बिहार	45	69,14,619	1,00,33,746	31,19,127
दिल्ली	299	12,20,03,325	21,11,07,540	8,91,04,215
गुजरात	164	4,70,80,758	6,36,18,123	1,65,37,365
हरियाणा	38	35,75,963	55,20,275	19,44,312
हिमाचल प्रदेश	8	6,71,631	7,35,143	63,512
जम्मू व कश्मीर	5	3,09,860	4,05,339	95,479
कर्नाटक	210	5,91,44,855	9,72,77,143	3,81,32,288
केरल	42	57,56,418	1,15,25,741	57,69,323
मध्य प्रदेश	161	2,15,73,702	3,46,71,557	1,30,97,855
महाराष्ट्र	809	21,87,82,740	30,54,64,318	8,66,81,578
उड़ीसा	8	5,41,864	6,79,913	1,38,049
पंजाब	163	2,20,87,100	4,96,84,177	2,75,97,077
राजस्थान	88	1,21,20,479	1,93,39,275	72,18,796
तमिलनाडु	541	58,20,72,553	73,81,14,974	15,60,42,421
चण्डीगढ़	11	10,89,325	17,38,503	6,49,178
उत्तर प्रदेश	132	2,77,29,447	5,31,62,385	2,54,32,938
पश्चिम बंगाल	231	3,68,30,995	5,49,72,612	1,81,41,617
जोड़	3067	119,62,86,292	169,28,78,097	49,65,91,805

अनुलग्नक 4.1

बहुविध घोषणाओं की राज्यवार स्थिति
(पैरा 4.3.4 देखें)

राज्य	मामलों की संख्या	कुल घोषित आय	कुल प्रदत्त कर	कुल देय कर
आन्ध्र प्रदेश	2	940000	275910	282000
आसाम	1	1484750	445425	445425
दिल्ली	5	10365200	2856355	3355835
कर्नाटक	43	23741107	6361260	7295069
केरल	15	23402800	6908120	7070840
मध्यप्रदेश	7	3086800	694788	926040
महाराष्ट्र	10	13325058	3962374	4197991
पंजाब	1	370000	30000	111000
राजस्थान	1	500000	150000	150000
तमिलनाडू	46	1847206706	470548159	554897371
चण्डीगढ़	6	22661375	6887835	6887835
उत्तर प्रदेश	1	546836	164050	164050
पश्चिम बंगाल	6	7606900	2158571	2282068
जोड़	144	1955237532	501442847	588065524

अनुलग्नक 4.2

सम्मिलित निर्धारण वर्ष का परिसम्पत्ति वार विवरण

(पैरा 4.6.3 देखें)

सम्मिलित वर्षों की संख्या	भवन	नकदी	जेवरात	चांदी	शेयर	कर्जा	वाहन	भण्डार	सोना	ऋण	असामान्य
2 से 5	13069	58317	27838	5321	2661	748	203	914	966	54	236
6 से 10	3507	46119	14590	1560	1496	695	124	688	173	32	55
11 से 15	442	6997	32	261	5	0	0	1	85	0	0
16 से 20	108	1089	27	151	0	2	0	0	43	0	0
21 से 25	37	272	16	86	0	0	0	0	33	0	0
26 से 30	4	134	4	32	0	0	0	0	12	0	0
31 से 35	6	87	3	13	0	0	0	0	12	5	0
35 से ऊपर	2	44	2	5	0	0	0	0	5	0	0

अनुलग्नक 5.1

आ.स्वै.प्र.ओ. के अधीन घोषित परिसम्पत्तियों के मूल्य की सूची जो निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए दाखिल धन कर विवरणी में ठीक तरह नहीं दिखाये गये
(पैरा 5.3.5.5 देखें)

क्र. सं.	कोड सं.	राज्य	आ.आ.	आ.स्वै.प्र. यो. के अन्तर्गत घोषित परिसम्पत्ति का प्रकार	निर्धारण वर्ष जिसके लिए आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत परिसम्पत्ति घोषित हुई	आ.स्वै.प्र.यो. में घोषित परिसम्पत्ति का मूल्य	31.3.98 को आ.स्वै.प्र.यो. के अन्तर्गत घोषित परिसम्पत्ति का बाजार मूल्य	निर्धारण वर्ष 98-99 में धन कर विवरणी में परिसम्पत्ति का घोषित मूल्य	निर्धारण वर्ष 98-99 में धन कर विवरणी में धन की कम घोषणा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7915	पंजाब	जालंधर	जेवरात	1987-88	33,12,854	55,71,931	28,36,400	27,35,531
2.	7916	वही	वही	जेवरात	वही	33,79,002	56,83,186	28,24,800	28,58,386
3.	8506	वही	अमृतसर	जेवरात	1982-83 और 1987-88	32,93,832	62,55,506	20,45,800	42,09,706
4.	88778	वही	पटीला	जेवरात और चांदी	1984-85 से 1986-87 1968-69	26,20,778 9500	41,41,884	26,32,403	15,09,481
5.	97852	वही	लुधियाना	जेवरात सोना चांदी	1987-88 1975-76 1976-77	47,51,798 36,000 9600	80,65,911	16,85,120	63,80,791
6.	98792	वही	लुधियाना	जेवरात	1987-88	44,50,000	74,84,511	38,57,000	36,27,511
7.	165467	तमिल नाडू	त्रिची	जेवरात	1987-88	25,98,876	43,71,082	26,91,800	16,89,282
8.	264546	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यू बी-VIII	जेवरात	1962-63, 1968-69, 1969-70, 1971-72	37,71,960	59,36,800	29,52,000	29,84,800
9.	266974	वही	डब्ल्यू बी V	जेवरात	1976-77, 1982-83, 1987-88	55,25,050	86,96,041	74,48,096	12,47,945
10.	272098	वही	वही	जेवरात	1969-70, 1970-71, 1975-76, 1981-82	36,23,850	57,03,686	29,00,600	28,03,086
11.	263060	वही	जलपाई गुडी	जेवरात बुलियन	1962-63, 1980-81 1963-64	19,00,630 67,150	30,97,147	19,74,900	11,22,247
12.	58525	उत्तर प्रदेश	कानपुर	जेवरात	1962-63 से 1964-65	88,54,922	1,39,37,027	94,20,000	45,17,027
13.	59073	वही	कानपुर (मध्य)	जेवरात	1986-87	4,19,87,517	6,60,85,410	2,75,23,200	3,85,62,210
14.	59066	वही	वही	जेवरात	1985-86	1,02,24,561	1,60,92,742	60,70,242	1,00,22,500
15.	59072	वही	वही	जेवरात	1986-87	3,39,55,367	5,34,43,369	1,98,45,400	3,35,97,969
16.	118319	वही	वही	जेवरात	1967-68अनुलग्नक "क" स्वैच्छया प्रकटन स्कीम, 1977	15,21,738	23,95,109	12,59,700	11,35,409
						13,58,94,985	21,69,61,342	9,79,57,461	11,90,03,881

अनुलग्नक 5.2

सेक्टरों का कोड (पैरा 5.6.2 देखें)

कोड सं.	सेक्टर
1	आटो पुर्जों समेत आटोमोबाइल्स
2	बीयर एवं एल्कोहल को सम्मिलित करते हुए पेय
3	सीमेंट
4	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर
5	निर्माण
6	श्रृंगार
7	डाईवरसीफाइड
8	औषध एवं औषधीय
9	रंग, रसायन और उर्वरक
10	यांत्रिकी
11	बैंकों को शामिल करते हुए वित्त
12	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मनोरंजन व्यवसाय
13	अस्पताल एवं चिकित्सा सेवाएं
14	होटल एवं अवकाश सक्रियता
15	ज्वैलरी एवं हीरे जवाहरात (कीमती एवं अर्ध कीमती पत्थर)
16	खान
17	धातु
18	कागज और पैकेज
19	व्यक्तिक देखभाल
20	पेट्रोकैमिकल्स
21	प्लास्टिक्स
22	विद्युत शक्ति प्रेषण सहित
23	स्टील
24	चीनी
25	चाय
26	दूरसंचार
27	कपड़ा
28	सड़क, समुद्र एवं वायु समेत यातायात
29	टायर एवं रबड़ प्रोडक्ट्स
30	पान मसाला, सिगरेट एवं बिड़ी तम्बाकू
31	वनस्पति एवं खाद्य तेल

अनुलग्नक 5.3

व्यवसाय का कोड (पैरा 5.6.3 देखें)

कोड सं.	व्यवसाय
1	विधि विषयक व्यवसायी
2	औषध विषयक व्यवसायी
3	अभियांत्रिकी विषयक व्यवसायी
4	आर्किटेक्ट
5	लेखाकार
6	तकनीकी सलाहकार
7	प्रबन्ध सलाहकार
8	कम्प्यूटर व्यवसायी
9	शिक्षाविद
10	कर सलाहकार
11	प्रिन्ट मीडिया व्यवसायी समेत पत्रकार
12	सरकारी कर्मचारी
13	जमीन जायदाद का व्यापारी
14	शेयर एवं स्टाक ब्रोकर्स
15	लीजिंग एवं वित्तीय व्यवसाय
16	बीमा सम्बन्धित व्यवसायी
17	राजनीतिज्ञ
18	गृह स्वामिनी

